उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

अप्रैल-जून, 2015

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अरुण चंद्र देबनाथ **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य	250
ओडिशा राज्य **बनाम** मिश्र पराजा	209
छत्तीसगढ़ राज्य **बनाम** हरीश कुमार विश्वकर्मा	279
मोहम्मद बशीर **बनाम** जम्मू-कश्मीर राज्य	288
रमेश थापा **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	382
रहमत अली और अन्य **बनाम** असम राज्य	265
लल्लन पाठक **बनाम** बिहार राज्य	318
लायक राम **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	345
लाल किशोर **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	370
शक्कीर एम. के. **बनाम** केरल राज्य	257
शियो देव सिंह और अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	189
हाओब जेनीकाटर सिंह **बनाम** जिला मजिस्ट्रेट, इम्फाल	338
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** केहर सिंह	362

संसद् के अधिनियम

बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (1) – (19)

अप्रैल-जून, 2015 (संयुक्तांक)

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

प्रधान संपादक
अनूप कुमार वार्ष्णेय

संपादक
विनोद कुमार आर्य

महत्वपूर्ण निर्णय

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 (1980 का 65) – धारा 3(2) – निवारक निरोध – यदि याची को अधिनियम के अधीन लोक व्यवस्था के प्रतिकूल कार्य करने से प्रवरित किए जाने के प्रयोजनार्थ अभिरक्षा में लिया गया है और उसने जमानत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया तो जिला मजिस्ट्रेट को इस बाबत कोई आशंका नहीं हो सकती कि याची को मात्र इस कारणवश जमानत पर निर्मुक्त कर दिया जाएगा कि समान प्रकृति के मामलों में अन्य अभियुक्तों को जमानत प्रदान कर दी गई है ।

हाओब जेनीकाटर सिंह बनाम **जिला मजिस्ट्रेट, इम्फाल** 338

संसद् के अधिनियम

बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (1) – (19)

पृष्ठ संख्या 189 – 391 **(2015) 1 दा. नि. प.**

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका – अप्रैल-जून, 2015 (संयुक्तांक) (पृष्ठ संख्या 189 – 391)

संपादक-मंडल

डा. संजय सिंह,
सचिव, विधायी विभाग

श्री के. बिस्वाल, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. बी. एन. मणि,
सेवानिवृत्त अपर विधि सलाहकार,
विधि मंत्रालय

प्रो. डा. वैभव गोयल,
सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ
विधि विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

डा. ऋषिपाल सिंह,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड

श्री लालजी प्रसाद,
सेवानिवृत्त प्रधान संपादक, वि.सा.प्र.

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनूप कुमार वार्ष्णेय,
प्रधान संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
संपादक

श्री विनोद कुमार आर्य,
संपादक

सहायक संपादक : सर्वश्री कमला कान्त, अविनाश शुक्ला, असलम खान, पुण्डरीक शर्मा और जगमाल सिंह

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 36

वार्षिक : ₹ 135

© 2015 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमश: चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ को पाठकों की सुविधा के लिए श्रृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । तीनों निर्णय पत्रिकाओं की वार्षिक कीमत केवल ₹ 495/- है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 225/- है, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें ।

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रय के लिए उपलब्ध विधि पाठ्य पुस्तकों की सूची

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	कीमत (₹)
1.	भारत का विधिक इतिहास	श्री सुरेन्द्र मधुकर	410	30.00
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि	डा. एन. पी. परांजपे	371	40.00
3.	वाणिज्य विधि	डा. आर. एल. भट्ट	630	108.00
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धान्त (तृतीय संस्करण)	श्री शर्मन लाल अग्रवाल	357	40.00
5.	अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. सी. खरे	273	115.00
6.	मानव अधिकार	डा. शिवदत्त शर्मा	340	120.00
7.	दण्ड प्रक्रिया संहिता	न्या. महावीर सिंह	840	200.00

पुस्तकों की सूची जिन पर छूट देने की स्वीकृति प्राप्त की गई है ।

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	मूल दर (₹)	संशोधित दर (₹)
1.	संविदा विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रामगोपाल चतुर्वेदी	552	275.00	137.00
2.	श्रम विधि (तृतीय संस्करण)	श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा	658	452.00	226.00
3.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान (तृतीय संस्करण)	डा. सी. के. पारिख अनुवादक डा. एन. के. पटौरिया	969	293.00	146.00
4.	आधुनिक पारिवारिक विधि	श्री राम शरण माथुर	767	429.00	214.00
5.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय)	संकलन संपादन – ब्रह्मदेव चौबे	209	225.00	112.00
6.	हिन्दू विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रवीन्द्र नाथ	617	425.00	212.00
7.	भारतीय दंड संहिता	डा. रवीन्द्र नाथ	696	741.00	370.00
8.	भारतीय भागीदारी अधिनियम (द्वितीय संस्करण)	श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ	272	165.00	82.00
9.	प्रशासनिक विधि (तृतीय संस्करण)	डा. कैलाश चन्द्र जोशी	635	200.00	100.00
10.	विधिक उपचार (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. के. कपूर	414	311.00	155.00
11.	विधि शास्त्र	डा. शिवदत्त शर्मा	501	580.00	377.00

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10)

– धारा 7(1)(क)(ii) [सपठित पश्चिमी बंगाल किरोसिन आयल कंट्रोल आर्डर का पैराग्राफ 12 और पश्चिमी बंगाल डिक्लेरेशन आफ स्टाक और आवश्यक वस्तु आदेश का पैराग्राफ 3(2) छापेमारी के दौरान स्टाक में अधिक मात्रा में किरोसिन तेल पाया जाना] – किरोसिन तेल की माप के संबंध में अभियोजन साक्षियों का समर्थन स्वतंत्र साक्षियों द्वारा न किया जाना – अभियोजन का कथन कि लगभग 400 लीटर किरोसिन तेल मापे जाने के प्रयोजनार्थ एक लीटर और डेढ़ लीटर के कैन प्रयोग किए गए थे संदेहजनक प्रतीत होता है – अभियुक्त की दोषसिद्धि अपास्त किए जाने योग्य है ।

अरुण चंद्र देबनाथ बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** 250

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 164, 173 और 174ख [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 74(1)(iii)] – मजिस्ट्रेट के समक्ष आहत का कथन लेखबद्ध किया जाना – ऐसे कथन को लोक दस्तावेज नहीं माना जा सकता, इसको अन्वेषण के भाग के रूप में लेखबद्ध किया जाता है और इसकी अंतर्वस्तु का प्रकटीकरण किसी के समक्ष नहीं किया जा सकता जब तक रिपोर्ट, आरोप पत्र फाइल नहीं कर दिया जाता ।

शक्कीर एम. के. बनाम **केरल राज्य** 257

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 300 – हत्या – हेतु का अभाव – जहां मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हो वहां अभियोजन पक्षकथन को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता ।

ओडिशा राज्य बनाम **मिश्र पराजा** 209

पृष्ठ संख्या

– धारा 300, 34 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य – मृतक की पत्नी द्वारा अपने पति पर गोलियां चलाते हुए तीन अभियुक्तों को देखे जाने का दावा किया जाना – यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य का स्वतंत्र साक्षी तथा उसके पुत्र द्वारा समर्थन नहीं किया गया है और प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य में विसंगतियां हैं तो अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार है ।

लल्लन पाठक बनाम **बिहार राज्य** 318

– धारा 300, 304, भाग I – हत्या/हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध – सबूत – अभियुक्त द्वारा मृतक की गर्दन पर बल्लम से प्रहार करके उसकी हत्या किया जाना – साक्षियों द्वारा यह स्वीकार किया जाना कि भूमि संबंधी विवाद के कारण अभियुक्त व परिवादकर्ता दल के बीच पूर्व चिंतन बिना अचानक घटना घटित हुई थी तथा अभियुक्त दल द्वारा अपनी संपत्ति के संरक्षण देने के प्रयास में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को प्रयोग करते हुए उससे बाहर कार्य किया है – अतः मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्तों की दोषसिद्धि धारा 304 के भाग I में परिवर्तित की जाती है ।

रहमत अली और अन्य बनाम **असम राज्य** 265

– धारा 302 – हत्या – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा मृतका-पीड़िता की गला घोंटकर हत्या किया जाना – मृतका अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ मृत्यु से 10 मिनट पूर्व अंतिम बार जीवित देखी गई थी तथा अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा मृतका की हत्या किए जाने के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, इसलिए, अभियुक्त-अपीलार्थी को हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है ।

ओडिशा राज्य बनाम **मिश्र पराजा** 209

पृष्ठ संख्या

– धारा 302 – हत्या – मृत्यु दंड – विधिमान्यता – जहां मृत्यु दंड अधिनिर्णीत किए जाने वाले न्यायालय द्वारा बलात्संग के संबंध में अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि उन्मोचित कर दी गई हो और अभियुक्त-अपीलार्थी के बारे में अभिरक्षा में रहने के दौरान कोई दुर्व्यवहार की रिपोर्ट प्रकट नहीं हुई हो और ऐसा कोई साक्ष्य न हो कि अभियुक्त को सुधारा न जा सकता हो, वहां पर मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में लघुकृत करना उचित है ।

ओडिशा राज्य बनाम **मिश्र पराजा** 209

– धारा 302 – हत्या – यदि अभियोजन पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है और घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले को साबित करने के लिए घटना की संपूर्ण शृंखला पूरी नहीं है और अभियोजन पक्ष अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध साबित करने में विफल हुआ है तो अपीलार्थी-अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है ।

रमेश थापा बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 382

– धारा 323 और 324 – स्वेच्छा उपहति कारित किया जाना – यदि घटनास्थल पर मौजूद सह-अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में भाले और सब्बल से प्रहार किए जाने के संबंध में कोई अभिसाक्ष्य नहीं दिया गया है तथा अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि सह-अभियुक्तों ने मृतक के भाइयों के शरीर पर क्षतियां कारित कीं तो धारा 323 और 324 के अधीन दोषसिद्धि अनुचित है ।

रहमत अली और अन्य बनाम **असम राज्य** 265

पृष्ठ संख्या

– धारा 324/149 और 304/149 – अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा विधिविरुद्ध जमाव गठित करके शिकायतकर्ता और उनके दल के सदस्यों को खतरनाक आयुधों से क्षतियां पहुंचाईं जिसमें क्षतियों के कारण शिकायतकर्ता दल के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा चिकित्सा साक्ष्य से भी आहत व्यक्तियों की क्षतियों की संपुष्टि हुई है और अभियोजन पक्ष द्वारा अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया गया तो अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है ।

शियो देव सिंह और अन्य बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 189

– धारा 324/149 और 304/149 – विधिविरुद्ध जमाव – मारपीट – हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध – यदि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को पहुंची हुई क्षतियों के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया है तो मात्र इस आधार पर अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य और अभियोजन पक्षकथन अस्वीकार नहीं हो जाएगा ।

शियो देव सिंह और अन्य बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 189

– धारा 354, 376 – स्त्री की लज्जा भंग करना – बलात्संग – साक्षीगण जो पति और पत्नी हैं, द्वारा अभियुक्त को नग्न अवस्था में मृतका-पीड़िता के ऊपर लेटे हुए और बलात्संग करते हुए देखना – यदि चिकित्सा साक्ष्य द्वारा बलात्संग किए जाने की संपुष्टि नहीं हुई है तो अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि धारा 354 के अन्तर्गत उचित है न कि धारा 376 के अन्तर्गत ।

ओडिशा राज्य बनाम **मिश्र पराजा** 209

पृष्ठ संख्या

रणवीर दंड संहिता, 1989 (संवत् 1932 ईस्वी)

– धारा 302 – हत्या – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी की हत्या किया जाना – यदि अभियुक्त-अपीलार्थी के प्रकटीकरण कथन से शव की बरामदगी हुई है और शव की बरामदगी अभियुक्त के खेत से हुई है तो अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है ।

मोहम्मद बशीर बनाम **जम्मू-कश्मीर राज्य** 288

– धारा 302 – बालक साक्षी – जहां बालक साक्षी द्वारा मृतका की हत्या किए जाने की घटना देखी गई हो तथा ऐसे बालक साक्षी के सिखाए-पढ़ाए जाने की संभावना प्रकट नहीं हुई है तो ऐसे बालक साक्षी के साक्ष्य पर अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि उचित है ।

मोहम्मद बशीर बनाम **जम्मू-कश्मीर राज्य** 288

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 (1980 का 65)

– धारा 3(2) – निवारक निरोध – यदि याची को अधिनियम के अधीन लोक व्यवस्था के प्रतिकूल कार्य करने से प्रवरित किए जाने के प्रयोजनार्थ अभिरक्षा में लिया गया है और उसने जमानत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया तो जिला मजिस्ट्रेट को इस बाबत कोई आशंका नहीं हो सकती कि याची को मात्र इस कारणवश जमानत पर निर्मुक्त कर दिया जाएगा कि समान प्रकृति के मामलों में अन्य अभियुक्तों को जमानत प्रदान कर दी गई है ।

हाओब जेनीकाटर सिंह बनाम **जिला मजिस्ट्रेट, इम्फाल** 338

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6)

– धारा 3, 4 और 7 – प्रत्यर्थी के कब्जे से विस्फोटक पदार्थ की बरामदगी – विचारण न्यायालय द्वारा

पृष्ठ संख्या

अपराध का संज्ञान केंद्रीय सरकार की सहमति के बिना नहीं लिया जा सकता – अधिनियम की संशोधित धारा 7 के अधीन केंद्रीय सरकार से आशय जिला मजिस्ट्रेट से है ।

छत्तीसगढ़ राज्य बनाम **हरीश कुमार विश्वकर्मा** 279

– धारा 7 – विशेष शक्ति का प्रत्यायोजन – जिला मजिस्ट्रेट की सहमति के बिना किसी अपराध के बाबत किसी व्यक्ति का विचारण नहीं किया जा सकता – जिला मजिस्ट्रेट इस शक्ति को अपर जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता है ।

छत्तीसगढ़ राज्य बनाम **हरीश कुमार विश्वकर्मा** 279

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)

– धारा 20 – चरस की बरामदगी – यदि अन्वेषक अधिकारी द्वारा चरस की बरामदगी के समय साक्षियों की उपलब्धता के बावजूद उन्हें स्वतंत्र साक्षियों के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है और सहबद्ध किए गए साक्षियों में से अधिकांश पक्षद्रोही हो जाते हैं तो अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषमुक्ति उचित है ।

लायक राम बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 345

– धारा 20 – जहां चरस के नमूने के साथ भेजे गए एनसीबी प्ररूप को प्रतिस्थापित किया जाना प्रकट है तथा एनसीबी प्ररूप की अन्तर्वस्तु घटनास्थल पर नहीं भरी गई तो ऐसे दस्तावेज की प्रमाणिकता साबित नहीं होती – अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है ।

लायक राम बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 345

– धारा 20 – चरस की बरामदगी – यदि अभियोजन पक्ष ने चरस की तलाशी लेते हुए बस के यात्रियों

पृष्ठ संख्या

को साक्षियों के रूप में सहबद्ध नहीं किया है तथा अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल हुआ है कि अभियुक्त के अनन्य और सचेत कब्जे से विनिषिद्ध माल की बरामदगी हुई है और स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है तो अभियुक्त दोषमुक्त होने का हकदार है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **केहर सिंह** 362

– धारा 20 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 5] – स्वतंत्र साक्षी का महत्व – पुलिस द्वारा घटनास्थल पर विनिषिद्ध माल की बरामदगी के प्रयोजनार्थ स्वतंत्र साक्षियों की अनुपस्थिति में अभियुक्तों की तलाशी लिया जाना – शासकीय साक्षी विश्वसनीय नहीं होते और पुलिस को स्वतंत्र साक्षियों को सहबद्ध करने का प्रयास करना चाहिए – स्वतंत्र साक्षियों की अनुपस्थिति में अभियोजन पक्ष के इस वृत्तांत पर विश्वास नहीं किया जा सकता अतः अभियुक्त-अपीलार्थी दोषमुक्त होने के हकदार हैं ।

लाल किशोर बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 370

– धारा 20 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 6] – अभियोजन पक्ष इस तथ्य को साबित करने में विफल हुआ है कि उसके द्वारा बरामद विनिषिद्ध माल न्यायालयिक प्रयोगशाला में जमा किया गया – इससे अभियोजन के वृत्तांत पर संदेह उत्पन्न होता है ।

लाल किशोर बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 370

———————

शियो देव सिंह और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

तारीख 24 सितंबर, 2014

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 324/149 और 304/149 – विधिविरुद्ध जमाव – मारपीट – हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध – यदि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को पहुंची हुई क्षतियों के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया है तो मात्र इस आधार पर अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य और अभियोजन पक्षकथन अस्वीकार नहीं हो जाएगा ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 324/149 और 304/149 – अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा विधिविरुद्ध जमाव गठित करके शिकायतकर्ता और उनके दल के सदस्यों को खतरनाक आयुधों से क्षतियां पहुंचाईं जिसमें क्षतियों के कारण शिकायतकर्ता दल के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा चिकित्सा साक्ष्य से भी आहत व्यक्तियों की क्षतियों की संपुष्टि हुई है और अभियोजन पक्ष द्वारा अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया गया तो अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है ।

संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि हरदेव सिंह को छोड़कर सभी अभियुक्त एक कुटुंब से संबंधित हैं और हरदेव सिंह उनके दल से संबंधित है । तारीख 1 जून, 1975 को शेर बहादुर सिंह पुत्र शिकायतकर्ता विक्रमजीत सिंह और उसका भाई भैरों सिंह अपने मकान पर जो ग्राम मानपुर में स्थित है, लगभग 8 बजे अपराह्न बैठे हुए थे । उन्होंने मदद के लिए चीख-पुकार सुनी जो "कचार" से आ रही थी और यह स्थान गांव के उत्तरी दिशा की ओर था । दोनों भाई उस दिशा की ओर गए । जब वे वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि उनके भाई सुल्तान सिंह को अभियुक्त

शियो देव सिंह, पुरषोत्तम सिंह, सत शंकर सिंह, त्रिभुवन सिंह, विजय लाल सिंह, राजेन्द्र सिंह, वीरेन्द्र सिंह और हरदेव सिंह ने घेर रखा था । अभियुक्त सत शंकर सिंह ने सुल्तान सिंह पर लाठी से प्रहार किया जो क्षति पहुंचने के पश्चात् जमीन पर गिर गया । शेर बहादुर सिंह और भैरों सिंह ने अपने भाई को बचाने की कोशिश की परंतु अभियुक्त राजेन्द्र सिंह ने शेर बहादुर सिंह पर "फरसा" से प्रहार किया । राजेन्द्र सिंह द्वारा भैरों सिंह पर फरसे से प्रहार किया गया और वीरेन्द्र सिंह द्वारा उस पर लाठी से भी प्रहार किया गया । उन्होंने चीख-पुकार की जिस पर साक्षी मसूरीयादीन, राम खिलावन सिंह, अर्जुन सिंह, अमरपाल सिंह और गांव के अन्य लोग वहां पर पहुंचे । अभियुक्त शियो देव सिंह ने साक्षियों के नजदीक पहुंचने पर गोली चलाने की धमकी दी । तब अभियुक्त पूरब की ओर भाग गए । इस घटना के दौरान अभियुक्त शियो देव सिंह और विजय लाल सिंह बंदूक से लैस थे जबकि राजेन्द्र सिंह फरसा से लैस था और बाकी अन्य लाठियों से लैस थे । पूछताछ करने पर सुल्तान सिंह ने यह बताया कि किसी व्यक्ति ने उसकी कलाई की टाइटन घड़ी तथा उसकी जेब से 1,940/- रुपए निकाल लिए थे । सुल्तान सिंह को उसके मकान पर लाया गया जहां शेर बहादुर सिंह ने सम्पूर्ण घटना के बारे में अपने पिता विक्रमजीत सिंह को बताया । विक्रमजीत सिंह ने लिखित रिपोर्ट प्रदर्श क-1 लिखाई और इसे शेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया था । आहत सुल्तान सिंह को शेर बहादुर सिंह और भैरों सिंह द्वारा नाव से इलाहाबाद ले जाया गया था । उसकी एस. आर. एन. मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में तारीख 2 जून, 1975 को लगभग 5.30 बजे पूर्वाह्न चिकित्सा परीक्षा की गई थी और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया । आहत भैरों सिंह की भी एस. आर. एन. मेडिकल कालेज अस्पताल, इलाहाबाद में तारीख 2 जून, 1975 को 7.45 बजे पूर्वाह्न चिकित्सीय रूप से भी परीक्षा की गई थी । शेर बहादुर सिंह की क्षतियों का तारीख 3 जून, 1975 को 1.30 बजे अपराह्न टी. बी. सपरू अस्पताल, इलाहाबाद पर चिकित्सीय रूप से परीक्षा की गई थी । इसी बीच में, लिखित रिपोर्ट प्रदर्श क-1 पुलिस थाने पर प्रस्तुत की गई जिसके आधार पर उप-निरीक्षक आनन्द शंकर तिवारी (अभि. सा. 6) जो पुलिस थाना, बारा में हेड मोहर्रिर के पद पर तैनात था, उसने 5.10 बजे पूर्वाह्न प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श क-4 लिखी । उसने दंड संहिता की धारा 147, 148, 323/149 तथा 379 के अधीन मामला दर्ज किया और उसी दिन साधारण डायरी में रिपोर्ट सं. 4 दर्ज की जिसका सार प्रदर्श क-5 के रूप में चिह्नित

किया गया है । आहत सुल्तान सिंह की तारीख 4 जून, 1975 को अस्पताल में मृत्यु हो गई और मामले को दंड संहिता की धारा 304 में संपरिवर्तित कर दिया गया । इस मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई जिस पर आठवें अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, इलाहाबाद द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट किया गया । अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा दोषसिद्धि और दंडादेश से व्यथित होकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – शिकायतकर्ता के विद्वान् काउंसेल ने अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल की इन दलीलों का विरोध किया है और यह निवेदन किया है कि निःसंदेह अभियुक्त सत शंकर सिंह ने सुल्तान सिंह पर घातक प्रहार किया था जिसकी लाठी की क्षतियों से मृत्यु हो गई परंतु अन्य अपीलार्थियों की भूमिका को भी हटाया नहीं जा सकता क्योंकि वे मृतक सुल्तान सिंह को क्षति पहुंचाने और उसकी मृत्यु कारित करने में सामान्य उद्देश्य के साथ अवैधपूर्ण जमाव में सम्मिलित थे । अतः इसलिए, दंड संहिता की धारा 304/149 को ध्यान में रखते हुए उनकी भागीदारी को कम नहीं किया जा सकता है । उन्होंने यह भी दलील दी कि विचारण न्यायालय ने उन अपराधों के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करने में कोई गलती या अवैधानिकता नहीं बरती है जिन पर उन्हें आरोपित किया गया था और यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थियों की वर्तमान अपील को खारिज किया जाए । पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया गया । (पैरा 28 और 29)

दलीलें जो अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई हैं कि दो आहत व्यक्तियों की चिकित्सा रिपोर्ट से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वर्णित वृत्तांत से सम्पुष्टि नहीं होती है क्योंकि उनके शरीर पर छिन्न घाव के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और पहली बार दो आहत साक्षियों द्वारा यह कहते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में फरसा के बारे में बताया गया था कि वह अभियुक्त राजेन्द्र सिंह था जो फरसा से लैस था और इससे दो आहत व्यक्तियों पर क्षतियां कारित की गईं । निःसंदेह इन साक्षियों द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष किए गए उक्त सुधारों के संबंध में अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल की दलील में कुछ बल प्रतीत होता है, परंतु इस तथ्य को नहीं भूला जा सकता है कि अपीलार्थियों के बारे में लाठी से लैस होना कहा गया था और तीन आहत व्यक्तियों को

लाठियों से क्षतियां कारित हुईं तथा आहत सुल्तान सिंह को उसके शरीर पर लाठी से क्षतियां कारित हुईं और तदुपरांत तारीख 4 जून, 1975 को उसकी क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई जो लाठियों द्वारा कारित की गई थीं और अपीलार्थी लाठियों से लैस थे । (पैरा 30)

शिकायतकर्ता के विद्वान् काउंसेल की दलील से इस बात पर बल देना प्रतीत होता है कि मृतक सुल्तान सिंह के सिर और खोपड़ी की आंतरिक परीक्षा पर विचार करने पर यह प्रकट है कि बाएं पश्च कपाल और बाएं कनपटी अस्थि के बाएं पार्श्विक भाग पर अस्थि भंग हुआ था । दाहिने पार्श्विक अस्थि के मध्य भाग तक रेखीय अस्थि भंग का विस्तार हुआ था जिसे अपीलार्थियों द्वारा लाठियों से लैस होकर लाठी से कारित किया गया था जिससे दो आहत व्यक्तियों को क्षतियां भी कारित हुईं । इसलिए, अभियोजन पक्षकथन का शवपरीक्षण रिपोर्ट तथा दो आहत व्यक्तियों की चिकित्सा साक्ष्य से सम्पुष्टि होती है । अपीलार्थियों ने यह कहते हुए आहत और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध घटना का प्रतिवृत्तांत दर्ज किया था कि अभियुक्त शियो देव सिंह और त्रिभुवन सिंह को उनके शरीर पर क्षतियां कायम हुई थीं इसलिए, अपीलार्थियों ने घटना की तारीख और समय को स्वीकार किया है और घटना के स्थान पर उनकी मौजूदगी पर संदेह नहीं किया जा सकता । (पैरा 31)

अपीलार्थियों ने यह भी अभिवाक् किया है कि उन्होंने अपनी प्रतिरक्षा में अभियोजन पक्ष के आहतों पर हमला किया था परंतु इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि अभियोजन के आहतों में से एक अर्थात् सुल्तान सिंह जिसकी लाठी से किए गए हमले से क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई और जिसमें दो अन्य आहत व्यक्तियों अर्थात् अभि. सा. 1 शेर बहादुर सिंह और अभि. सा. 4 भैरों सिंह को भी क्षतियां पहुंचीं । (पैरा 32)

यह सिद्ध किया गया है कि उन्होंने अपनी सह-प्रतिरक्षा के अधिकारों को विस्तार दिया है और इसके अतिरिक्त क्षतियां जो अभियुक्त शियो देव सिंह और त्रिभुवन सिंह को कायम हुई थीं, क्षति सं. 2 और 6 को छोड़कर साधारण प्रकृति की हैं जिन्हें अवलोकन के अधीन रखा गया था और उक्त आहत की एक्सरे रिपोर्ट से यह दर्शित होता है कि मध्य अंगुली के अंतर अंगुलास्थि संधि में विस्थापन मौजूद था और खोपड़ी की हड्डी पर कोई क्षति नहीं देखी गई थी और अभियुक्त त्रिभुवन सिंह को एक छिन्न घाव की क्षति पहुंची थी जिसके बारे में डाक्टर द्वारा साधारण प्रकृति का होना बताया गया है । इसलिए, विधि में यह सुस्थापित है कि क्षतियां जो अभियुक्तों के

पक्षों को कारित हुई हैं, उनका स्पष्टीकरण दिया जाना जरूरी नहीं है यदि ऐसी क्षतियां प्रकृति में गंभीर नहीं हैं तथा प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा वर्णित प्रतिवृत्तांत का अवलंब भी नहीं लिया जा सकता । (पैरा 33)

तखाजी हीराजी बनाम धाकोरे कुबेर सिंह चमन सिंह वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया था – यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि विधि का अपरिवर्तनीय नियम यह है कि जब कभी अभियुक्त को किसी घटना में क्षति पहुंचती है तो अभियोजन पक्ष इस बात के लिए बाध्य है कि क्षति का स्पष्टीकरण दे और अभियोजन पक्ष के ऐसा करने में विफल होने पर अभियोजन पक्षकथन पर अविश्वास किया जाना चाहिए । अभियोजन साक्षी द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों के शरीर पर क्षतियों का स्पष्टीकरण नहीं दिए जाने से पूर्व अभियोजन पक्षकथन प्रभावित हो सकता है, न्यायालय का दो शर्तों की विद्यमानता से समाधान होना चाहिए (i) कि अभियुक्त व्यक्ति को शरीर पर क्षति गंभीर प्रकृति की थी, और (ii) कि ऐसी क्षतियां प्रश्नगत घटना के समय पर कारित होनी चाहिए । क्षतियों के स्पष्टीकरण न देने को अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए जब हितबद्ध या पक्षपाती साक्षी का साक्ष्य या प्रतिरक्षा का कोई वृत्तांत से अभियोजन पक्षकथन को पूर्ण संभावना मिलती है । जहां साक्ष्य स्पष्ट अकाट्य और विश्वसनीय है और जहां न्यायालय मिथ्या बात से सच्चाई का विभेद कर सकता है तब मात्र यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्तियों पर कायम हुई क्षतियों का अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । इसके आधार पर अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य तथा सम्पूर्ण अभियोजन पक्षकथन को अस्वीकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता । (पैरा 34)

यहां पर यह उल्लेख करना स्मरणीय है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 4 ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने कथनों में यह भी निवेदन किया है कि क्षतियां जो अभियुक्त शियो देव सिंह और त्रिभुवन सिंह को कायम हुई हैं उनके साथ लड़ाई-झगड़े के दौरान उनको पहुंची थीं इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त पक्ष को पहुंची क्षतियों का अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है । (पैरा 35)

इसलिए, अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल की दलील जैसाकि ऊपर तर्क किया गया है उस दलील की अपेक्षा जो अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई हैं में कोई बल प्रतीत नहीं होता है और शिकायतकर्ता के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलील अत्यधिक युक्तियुक्त

और विश्वासयोग्य प्रतीत होती है । इसके अतिरिक्त, अभिलेख के साक्ष्य में यह सिद्ध हुआ है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित किया है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय और आदेश जिसमें अपीलार्थियों को सिद्धदोष और दंडादिष्ट किया गया है, उस पर इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करना अपेक्षित नहीं है तथा तद्नुसार उसे कायम रखा जाता है । (पैरा 36 और 37)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

(2001) (2001) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1070 :
तखाजी हीराजी बनाम **धाकोरे कुबेर सिंह चमन सिंह** । 34

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 1981 की दांडिक अपील सं. 2008.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से — सर्वश्री वी. सी. तिवारी, मिथिलेश कुमार तिवारी, एस. पी. सिंह राघव और एस. के. त्रिपाठी

प्रत्यर्थी की ओर से — सर्वश्री अपुल मिश्रा, पी. एन. मिश्रा और राहुल मिश्रा और एल. डी. राजभर अपर सरकारी अधिवक्ता

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा – अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री एम. के. तिवारी, श्री राहुल मिश्रा, अधिवक्ता और शिकायतकर्ता की ओर से श्री पी. एन. मिश्रा तथा राज्य की ओर से विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता श्री एल. डी. राजभर को सुना ।

2. वर्तमान दांडिक अपील 1977 के सेशन विचारण सं. 82 में आठवें अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, इलाहाबाद द्वारा तारीख 7 सितंबर, 1981 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी सं. 2, 3, 4, 5 और 6 को दंड संहिता की धारा 147 के अधीन एक वर्ष के कारावास से दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । अपीलार्थी सं. 1 को दंड संहिता की धारा 148 के अधीन 18 मास के कठोर कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया, सभी अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 324/149 के अधीन 2 वर्ष के कठोर कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया । सभी अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 304/149 के अधीन 6 वर्ष के कठोर कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट

किया गया । सभी दंडादेशों के बारे में साथ-साथ चलने का आदेश किया गया ।

3. अपीलार्थी सं. 6 त्रिभुवन सिंह पुत्र लाल बहादुर सिंह के बारे में यह कहा गया है कि उसकी अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी और उसकी अपील पर इस न्यायालय द्वारा तारीख 11 सितंबर, 2006 को आदेश पारित करके पहले ही उपशमन का आदेश पारित किया गया था ।

4. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि हरदेव सिंह को छोड़कर सभी अभियुक्त एक कुटुंब से संबंधित हैं और हरदेव सिंह उनके दल से संबंधित है । तारीख 1 जून, 1975 को शेर बहादुर सिंह पुत्र शिकायतकर्ता विक्रमजीत सिंह और उसका भाई भैरों सिंह अपने मकान पर जो ग्राम मानपुर में स्थित है, लगभग 8 बजे अपराह्न बैठे हुए थे । उन्होंने मदद के लिए चीख-पुकार सुनी जो "कचार" से आ रही थी और यह स्थान गांव के उत्तरी दिशा की ओर था । दोनों भाई उस दिशा की ओर गए । जब वे वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि उनके भाई सुल्तान सिंह को अभियुक्त शियो देव सिंह, पुरषोत्तम सिंह, सत शंकर सिंह, त्रिभुवन सिंह, विजय लाल सिंह, राजेन्द्र सिंह, वीरेन्द्र सिंह और हरदेव सिंह ने घेर रखा था । अभियुक्त सत शंकर सिंह ने सुल्तान सिंह पर लाठी से प्रहार किया जो क्षति पहुंचने के पश्चात् जमीन पर गिर गया । शेर बहादुर सिंह और भैरों सिंह ने अपने भाई को बचाने की कोशिश की परंतु अभियुक्त राजेन्द्र सिंह ने शेर बहादुर सिंह पर "फरसा" से प्रहार किया । राजेन्द्र सिंह द्वारा भैरों सिंह पर फरसे से प्रहार किया गया और वीरेन्द्र सिंह द्वारा उस पर लाठी से भी प्रहार किया गया ।

5. उन्होंने चीख-पुकार की जिस पर साक्षी मसूरीयादीन, राम खिलावन सिंह, अर्जुन सिंह, अमरपाल सिंह और गांव के अन्य लोग वहां पर पहुंचे । अभियुक्त शियो देव सिंह ने साक्षियों के नजदीक पहुंचने पर गोली चलाने की धमकी दी । तब अभियुक्त पूरब की ओर भाग गए । इस घटना के दौरान अभियुक्त शियो देव सिंह और विजय लाल सिंह बंदूक से लैस थे जबकि राजेन्द्र सिंह फरसा से लैस था और बाकी अन्य लाठियों से लैस थे ।

6. पूछताछ करने पर सुल्तान सिंह ने यह बताया कि किसी व्यक्ति ने उसकी कलाई की टाइटन घड़ी तथा उसकी जेब से 1,940/- रुपए निकाल लिए थे ।

7. सुल्तान सिंह को उसके मकान पर लाया गया जहां शेर बहादुर सिंह ने सम्पूर्ण घटना के बारे में अपने पिता विक्रमजीत सिंह को बताया । विक्रमजीत सिंह ने लिखित रिपोर्ट प्रदर्श क-1 लिखाई और इसे शेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया था । आहत सुल्तान सिंह को शेर बहादुर सिंह और भैरों सिंह द्वारा नाव से इलाहाबाद ले जाया गया था । उसकी एस. आर. एन. मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में तारीख 2 जून, 1975 को लगभग 5.30 बजे पूर्वाह्न चिकित्सा परीक्षा की गई थी और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया । आहत भैरों सिंह की भी एस. आर. एन. मेडिकल कालेज अस्पताल, इलाहाबाद में तारीख 2 जून, 1975 को 7.45 बजे पूर्वाह्न चिकित्सीय रूप से भी परीक्षा की गई थी । शेर बहादुर सिंह की क्षतियों का तारीख 3 जून, 1975 को 1.30 बजे अपराह्न टी. बी. सपरू अस्पताल, इलाहाबाद पर चिकित्सीय रूप से परीक्षा की गई थी ।

8. इसी बीच में, लिखित रिपोर्ट प्रदर्श क-1 पुलिस थाने पर प्रस्तुत की गई जिसके आधार पर उप-निरीक्षक आनन्द शंकर तिवारी (अभि. सा. 6) जो पुलिस थाना, बारा में हेड मोहर्रिर के पद पर तैनात था, उसने 5.10 बजे पूर्वाह्न प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श क-4 लिखी । उसने दंड संहिता की धारा 147, 148, 323/149 तथा 379 के अधीन मामला दर्ज किया और उसी दिन साधारण डायरी में रिपोर्ट सं. 4 दर्ज की जिसका सार प्रदर्श क-5 के रूप में चिह्नित किया गया है ।

9. आहत सुल्तान सिंह की तारीख 4 जून, 1975 को अस्पताल में मृत्यु हो गई और मामले को दंड संहिता की धारा 304 में संपरिवर्तित कर दिया गया ।

10. डा. वी. के. खन्ना (अभि. सा. 12) ने तारीख 2 जून, 1975 को 5.30 बजे पूर्वाह्न एस. आर. एन. अस्पताल, इलाहाबाद में सुल्तान सिंह की चिकित्सीय रूप से परीक्षा की थी और उसके शरीर पर निम्नलिखित क्षतियां पाई थीं :–

(1) बाईं आंख के भौंह से 4 इंच ऊपर बाईं ओर अस्थि के सामने एक विदीर्ण घाव 1-1/2 इंच × 1/3 इंच × जो त्वचा की गहराई तक था पाया गया था ।

(2) बाईं ऊपर आंख की पलक पर अभिघातज सूजन थी जिस कारण बाईं ऊपर आंख पर पूरा प्रभाव था ।

(3) बाएं घुटने से ऊपर बाईं जांघ पर अभिघातज सूजन 3 इंच × 1 इंच × 5 इंच की थी ।

क्षति सं. 2 और 3 साधारण प्रकृति की थीं और परीक्षा करने के समय लगभग 1 दिन पुरानी थीं । क्षति सं. 1 को अवलोकन के अधीन रखा गया था और आहत को अस्पताल में भर्ती किया गया था और क्षतियां किसी कुन्द वस्तु द्वारा कारित की गई थीं । डा. खन्ना ने क्षति रिपोर्ट तैयार की थी जिसे परीक्षा के समय प्रदर्श क-15 से चिह्नित किया गया था ।

11. डा. खन्ना (जिनकी पूर्व में अभि. सा. 3 के रूप में परीक्षा की गई थी) ने तारीख 2 जून, 1975 को 7.45 बजे पूर्वाह्न भैरों सिंह की चिकित्सा परीक्षा की थी और उसके शरीर पर निम्नलिखित क्षतियां पाई गई थीं :–

"(1) बाईं आंख की भौंह के अनुमानतः 6 इंच ऊपर सिर के मध्य भाग पर एक छिन्न घाव जो 1-1/2 इंच × 1/2 इंच का है, उसकी दिशा अनुप्रस्थ तरह की है ।

(2) दाहिनी आंख की भौंह के 4 इंच ऊपर दाहिने पार्श्विक क्षेत्र पर एक छिन्न घाव जो 1 इंच × 1/4 इंच × त्वचा की गहराई तक है और उसकी दिशा उर्ध्वाधर ।

(3) बाएं प्रबाहु के ऊपर अभिघातज सूजन जो कोहनी की संधि से कलाई की संधि के 3 इंच ऊपर परवर्ती भाग पर विस्तारित है ।

(4) बाएं गुल्फ संधि के 3 इंच ऊपर बाएं पैर पर अभिघातज सूजन जिसका आकार 4 इंच × 2 इंच है ।

(5) बाएं ऊपरी उदर पर 3/4 इंच × 2 इंच का गुमटा जो नाभि के पार्श्विक भाग पर 3-1/2 इंच है ।

(6) बाएं ऊपरी छोर के पृष्ठीय भाग में दर्द की शिकायत ।

(7) दाहिनी तर्जनी के अंगुलास्थि पर विदीर्ण घाव जो 1/2 इंच × 1/4 इंच × कर्तल भाग की त्वचा में गहराई के आकार में ।"

12. क्षति सं. 1 और 2 प्रकृति में साधारण थीं और उसे किसी धारदार आयुध द्वारा कारित किया गया था तथा परीक्षा के समय पर लगभग एक दिन पुरानी थीं । अन्य क्षतियां जिन्हें किसी कुन्द वस्तु द्वारा कारित किया गया था जो प्रकृति में साधारण थीं । क्षति सं. 3 की एक्सरे की

सलाह दी गई थी । डा. खन्ना ने परीक्षा के समय क्षति रिपोर्ट प्रदर्श क-2 तैयार की थी ।

13. डा. जे. के. सत्संगी (अभि. सा. 5) जो आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी टी. बी. सपरू अस्पताल, इलाहाबाद में तैनात था ने तारीख 3 जून, 1975 को 1.30 बजे अपराह्न में बहादुर सिंह की चिकित्सीय रूप से परीक्षा की थी और उन्होंने उसके शरीर पर निम्नलिखित क्षतियां पाई थीं :–

> "(1) बाएं कान के 4 इंच ऊपर सिर के बाईं ओर छिन्न घाव जो 3 इंच × 1/2 इंच का है । घाव के तल पर पस देखा गया था और खोपड़ी पर गहरा था । कोई कर्णीय भवन उत्तक नहीं देखे गए थे । घाव के किनारे स्पष्ट रूप से कटे हुए थे ।
>
> (2) दाहिने हाथ के बाहरी ओर उसके पृष्ठीय भाग पर घिसा हुआ गुमटा जो 1/2 इंच × 1/4 इंच × त्वचा की गहराई तक था । मुरक्रोक्रोमो की पहले ही छाप लगी हुई थी ।"

14. दोनों क्षतियां प्रकृति में साधारण थीं और परीक्षा के समय पर दो दिन से कम पुरानी थीं । क्षति सं. 1 किसी धारदार आयुध से कारित की गई थी और क्षति सं. 2 किसी कुन्द वस्तु से कारित की गई थी । डा. सत्संगी ने परीक्षा के समय पर चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श क-3 तैयार की थी ।

15. आहत सुल्तान सिंह की तारीख 4 जून, 1975 को एस. आर. एन. अस्पताल, इलाहाबाद में मृत्यु हो गई थी, तारीख 5 जून, 1975 को उप-निरीक्षक एस. बी. सिंह (अभि. सा. 8) ने आहत की मृत्यु के संबंध में ज्ञापन प्राप्त किया था । वह अस्पताल गया था और पंचनामा प्रदर्श क-6 तैयार किया तथा शव को मोहरबंद किया और उसने अन्य आवश्यक कागजात प्रदर्श क-7 से प्रदर्श क-9 भी तैयार किए और शवपरीक्षण के लिए शव को कांस्टेबल रवीन्द्र नाथ और शहाबुद्दीन के हवाले कर दिया ।

16. तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी डा. पी. एल. निगम (अभि. सा. 9) आई/सी पीजीएस, टी. बी. सपरू अस्पताल, इलाहाबाद द्वारा तारीख 5 जून, 1975 को 4.10 बजे अपराह्न शवपरीक्षण किया गया था । उन्होंने पूरे शरीर पर शव काठिन्य मौजूद पाया था । दोनों नासाछिद्र के ऊपर रक्त के थक्के मौजूद पाए थे और दाहिने नासाछिद्र से नीचे की ओर उसका बहाव था । उन्होंने मृत्युपूर्व क्षतियां पाई थीं जिनका उनके द्वारा चिकित्सा परीक्षा

रिपोर्ट प्रदर्श क-15 पर ब्यौरे दिए गए हैं, डाक्टर द्वारा आंतरिक परीक्षा करने पर बाएं पश्च कपाल और बाईं कनपटी अस्थि के बाएं आंशिक भाग पर अस्थि भंग पाया गया था । दाहिने पार्श्विक के मध्य भाग पर रेखीय अस्थि भंग पाया गया था । मस्तिष्क के बाईं ओर 4 इंच × 3 इंच क्षेत्र में दृढ़तानिका पर रक्तस्राव मौजूद था । दोनों ओर की तानिकाएं संकुचित थीं । मस्तिष्क के बाईं ओर लगभग 100 मिलीलीटर बदला हुआ रक्त भरा हुआ था । मस्तिष्क दोनों ओर संकुचित था । आमाशय और छोटी आंतें खाली थीं और बृहत् आंत में मल पदार्थ आधा भरा हुआ था । डा. निगम की यह राय है कि मृत्यु लगभग एक दिन पूर्व हुई थी और मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व क्षतियों के परिणामस्वरूप रक्तस्राव और आघात था । डाक्टर ने परीक्षा के समय पर शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क-11 तैयार की थी ।

17. उप-निरीक्षक, उमाकांत सचान (अभि. सा. 11) द्वारा अन्वेषण किया गया था । उसने गांव में शिकायतकर्ता विक्रमजीत सिंह का कथन अभिलिखित किया और घटना के स्थल की ओर अग्रसर हुआ । उसने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श क-12 बनाया और उसी दिन उसने साक्षी मसूरीयादीन, अर्जुन सिंह, अमर पाल सिंह और अन्य लोगों के कथन अभिलिखित किए थे और तब उसने अभियुक्त की तलाशी ली थी । अगले दिन उसने शेर बहादुर सिंह का कथन अभिलिखित किया और उसे चिकित्सा परीक्षा के लिए भेज दिया था । तारीख 6 जून, 1975 को उसने अपनी अभिरक्षा में शेर बहादुर सिंह के रक्त-रंजित बुशर्ट को कब्जे में लिया तथा उसे मोहरबंद किया और ज्ञापन प्रदर्श क-13 तैयार किया । तारीख 11 जून, 1975 को उसने आहत सुल्तान सिंह की मृत्यु के संबंध में कागजात प्राप्त किए और उसने दंड संहिता की धारा 304 में मामले को परिवर्तित कर दिया । तारीख 18 जून, 1975 को उसने अभियुक्तों के कथनों को अभिलिखित किया और अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क-14 पेश किया था । उसके द्वारा आहत भैरों सिंह का कथन नहीं लिया जा सका क्योंकि वह कई दिनों से गांव में उपलब्ध नहीं था और बाद में वह सेना में अपना पदभार ग्रहण करने के लिए चला गया था ।

18. दंड संहिता की धारा 147 के अधीन अभियुक्त सत शंकर सिंह, पुरषोत्तम सिंह, राजेन्द्र सिंह, हरदेव सिंह, वीरेन्द्र सिंह और त्रिभुवन सिंह के विरुद्ध आरोप विरचित किए थे तथा अभियुक्त शियो देव सिंह और विजय लाल सिंह के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 148 के अधीन आरोप विरचित

किया गया था । सभी 8 अभियुक्तों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 149 और 324 के साथ पठित धारा 149 तथा धारा 395 के साथ पठित धारा 397 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया । उन्होंने यह कथन किया कि शियो देव सिंह और त्रिभुवन सिंह को सुल्तान सिंह और अन्य लोगों द्वारा पीटा गया था और उनके द्वारा उनकी बंदूकें भी छीन ली गई थीं और अभियुक्तों ने शेर बहादुर सिंह और सुल्तान सिंह को बचाने के लिए उनको पीटा था । इस घटना का प्रति मामला भी लंबित है । अपने को बचाने के लिए शिकायतकर्ता ने पुलिस को गुप्त रूप से सहयोग देने हेतु मिथ्या मामला फाइल किया था । सभी साक्षी नातेदार थे और डा. जे. एन. वाजपेई (प्रतिरक्षा साक्षी 1) ने अभियुक्त की प्रतिरक्षा में उनकी परीक्षा की थी ।

19. तारीख 3 जून, 1975 को डा. जे. एन. बाजपेई, मोती लाल नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद में विकिरण चिकित्सक के रूप में तैनात थे और उस तारीख को उन्होंने अपनी मौजूदगी में शियो देव सिंह अभियुक्त का एक्सरे कराया था । एक्सरे प्लेट पर चिह्न प्रदर्श आई. डाला गया था । इस प्लेट के आधार पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श क-4 दी, जिसके अनुसार बाईं मध्य अंगुली के अंदर अंगुली संधि का विस्थापन हुआ था । खोपड़ी में कोई अस्थि भंग नहीं हुआ था और उन्होंने शियो देव सिंह की क्षति रिपोर्ट प्रदर्श ख-5 तथा त्रिभुवन सिंह की क्षति रिपोर्ट प्रदर्श ख-6 को भी साबित किया था । डा. एल. के. भार्गव द्वारा तारीख 3 जून, 1975 को 11.25 बजे पूर्वाह्न और 11.45 बजे पूर्वाह्न के बीच चिकित्सा परीक्षा की गई थी ।

20. अभियुक्त ने प्रति मामले की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति भी फाइल की थी जिसे अभियुक्त राजेन्द्र सिंह द्वारा गुलाब सिंह, शेर बहादुर सिंह, सुल्तान सिंह, भैरों सिंह, राम खिलावन सिंह, धनपाल सिंह, राम लखन सिंह, जय सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्र राम खिलावन सिंह के विरुद्ध प्रदर्श ख-1 के रूप में मामला दर्ज किया था । यह रिपोर्ट दंड संहिता की धारा 147, 148, 323 और 324 के अधीन तारीख 2 जून, 1975 को 4.00 बजे पूर्वाह्न दर्ज की गई थी ।

21. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध अपने मामले के समर्थन में कुल मिलाकर 11 साक्षियों की परीक्षा की । इन साक्षियों में से डा. वी. के. खन्ना (अभि. सा. 3), चिकित्सा अधिकारी जिन्होंने भैरों सिंह और

सुल्तान सिंह मृतक की क्षतियों की परीक्षा की, डा. जे. के. सत्संगी (अभि. सा. 5), चिकित्सा अधिकारी जिन्होंने शेर बहादुर सिंह की क्षतियों की परीक्षा की, उप-निरीक्षक आनन्द शंकर तिवारी (अभि. सा. 6) ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखी और तारीख 2 जून, 1975 को साधारण डायरी की रिपोर्ट सं. 4 भी लिखी थी । श्री के. बोथाजु (अभि. सा. 7) जिन्होंने वर्ष 1975 में एस. आर. एन. अस्पताल, इलाहाबाद पर मूल चिकित्सा विधिक रजिस्टर फाइल किया था जिसमें सुल्तान सिंह जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है की मूल चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट है । उप-निरीक्षक एस. बी. सिंह (अभि. सा. 8) पुलिस अधिकारी जिन्होंने सुल्तान सिंह के शव का पंचनामा तथा अन्य सहबद्ध कागजातों को तैयार किया था । डा. पी. एल. निगम (अभि. सा. 9), चिकित्सा अधिकारी जिन्होंने तारीख 5 जून, 1975 को सुल्तान सिंह का शवपरीक्षण किया था, श्री हेमन्त कुमार (अभि. सा. 10) जो इलाहाबाद में पुलिस कार्यालय पर सहायक अभिलेख रक्षक के पद पर तैनात था उन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस थाना बारा से संबंधित वर्ष 1975 की मूल साधारण डायरी जिस पर सी. ओ. कार्यालय के श्री एस. पी. सिंह द्वारा तारीख 6 अप्रैल, 1981 को आदेश किया गया था उनकी छटनी कर दी गई और उप-निरीक्षक यू. के. सचान (अभि. सा. 11) अन्वेषक ये सभी औपचारिक साक्षी हैं । अभियुक्त के विरुद्ध उसे अपराध में फंसाने वाले अपराध सहित शेर बहादुर सिंह (अभि. सा. 1), श्री मसूरीयादीन (अभि. सा. 2) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी और श्री भैरों सिंह (अभि. सा. 4) आहत के कथन हैं ।

22. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने पुरजोर यह दलील दी है कि दोनों आहत अर्थात् शेर बहादुर सिंह (अभि. सा. 1) भैरों सिंह (अभि. सा. 4) की चिकित्सा रिपोर्ट से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वर्णित वृत्तांत की संपुष्टि नहीं होती है जिसमें इत्तिला देने वाले विक्रम जीत सिंह जो दोनों आहतों का पिता है द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त शियो देव सिंह बन्दूक से लैस था जबकि अन्य अभियुक्त व्यक्ति लाठियों से लैस थे और उन्होंने सुल्तान सिंह सहित दो आहत व्यक्तियों पर हमला किया, सुल्तान सिंह को भी क्षतियां पहुंचीं और क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु हो गई । उसने यह भी निवेदन किया है कि आहत अर्थात् शेर बहादुर सिंह को एक छिन्न घाव की क्षति पहुंची थी और दूसरा आहत अर्थात् भैरों सिंह को दो छिन्न घाव की क्षतियां पहुंची थीं । उसने यह भी निवेदन किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार कोई भी अभियुक्त धारदार आयुध से सज्जित

नहीं थे और शेर बहादुर सिंह जिसने अपने पिता विक्रम जीत सिंह को घटना की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखवाई थी उसने इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया था कि अभियुक्तों में से कोई धारदार आयुध से लैस था । इसके अतिरिक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन कथन में उक्त दो आहत साक्षियों द्वारा उस तथ्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है कि अभियुक्तों में से कोई अभियुक्त धारदार आयुधों से लैस थे और उन्होंने न्यायालय में प्रथम बार यह अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त अपीलार्थी सं. 4 राजेन्द्र सिंह फरसा से लैस था और जिसने दो आहत भैरों सिंह और शेर बहादुर सिंह को क्षतियां पहुंचाई थीं । उसने यह भी निवेदन किया है कि दो आहत साक्षियों के साक्ष्य में किए गए सुधार से उनके परिसाक्ष्य के बारे में संदेह उत्पन्न होता है, अतः यह विश्वास किए जाने योग्य नहीं है कि अभियोजन पक्षकथन अपने आप में पूर्ण मिथ्या प्रतीत होता है । इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है और अपीलार्थियों को दोषमुक्त किया जाता है ।

23. उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि घटना का प्रतिवृत्तांत अभियुक्त अपीलार्थियों की ओर से जिसे दर्ज किया गया था और जो राजेन्द्र सिंह द्वारा गुलाब सिंह, शेर बहादुर सिंह, सुल्तान सिंह, भैरों सिंह, राम खिलावन सिंह, धनपाल सिंह, राम लखन सिंह, जय सिंह, राजेन्द्र सिंह के विरुद्ध है और जिसे तारीख 2 जून, 1975 को 4.00 बजे पूर्वाह्न वर्तमान घटना के संबंध में पुलिस थाना बारा जिला इलाहाबाद पर दंड संहिता की धारा 147, 148, 323 और 324 के अधीन, 1975 के मामला अपराध सं. 55 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था और दो व्यक्ति अर्थात् शियो देव सिंह और त्रिभुवन सिंह को उक्त घटना में क्षतियां भी पहुंची थीं । अभियोजन पक्ष द्वारा इन क्षतियों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया ।

24. उसने यह भी दलील दी है कि तारीख 1 जून, 1975 की घटना की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट जो रात्रि में लगभग 8.00 बजे घटी थी जिसमें दो अभियुक्त व्यक्ति अर्थात् शियो देव सिंह और त्रिभुवन सिंह को क्षतियां पहुंची थीं, अभियोजन पक्ष की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से पूर्व दर्ज की गई थी और विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष करने में गलती कि है कि वे अपीलार्थी थे जो आक्रमक थे और जिन्होंने 4 व्यक्तियों को क्षतियां पहुंचाई थीं जिसमें से आहत अर्थात् सुल्तान सिंह की क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई थी जो अभियोजन पक्ष की ओर से था ।

25. अंततः अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी दलील दी गई थी कि अभि. सा. 1 शेर बहादुर सिंह और अभि. सा. 4 भैरों सिंह के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घातक क्षतियां जिनके बारे में आहत सुल्तान सिंह की मृत्यु होना कहा गया है, उस बारे में यह कहा गया है कि सह-अभियुक्त सत शंकर सिंह के बारे में ऐसा किया गया माना गया है जिसके बारे में यह कथन किया गया है कि उसने लाठी से हमला किया था और अन्य अभियुक्त व्यक्ति जो लाठियों से भी लैस थे यह बात अभि. सा. 1 और अभि. सा. 4 के साक्ष्य में प्रकट हुई है कि राजेन्द्र सिंह फरसा से लैस था और उसने उन्हें क्षतियां पहुंचाई यदि अपीलार्थी सं. 2 सत शंकर सिंह की भूमिका को संज्ञान में लिया जाए तो उसकी भूमिका के बारे में इस न्यायालय द्वारा पृथक् रूप से न्याय निर्णयन किया जाना चाहिए ।

26. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने अंतिम दलील यह दी है कि वर्तमान अपील सुनवाई के लिए घटना के 39 वर्ष बाद पेश हुई है और यह अपील 33 वर्ष के पश्चात् सुनवाई के लिए प्रकट हुई है तथा अपीलार्थी विचारण के समय से लगभग 1 मास से कारागार में है और विचारण न्यायालय द्वारा उनकी दोषसिद्धि के पश्चात् जिस पर अपीलार्थियों ने वर्तमान अपील फाइल की है, उन्हें अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत पर निर्मुक्त किया गया था । इसलिए, अपीलार्थियों के लिए शेष दंडादेश को जुर्माने में संपरिवर्तित किया जा सकता है और उसे दंड बढ़ाने के रूप में नहीं माना जाएगा । उन्होंने यह भी दलील दी कि अपीलार्थी सं. 1 शियो देव सिंह जिसकी आयु लगभग 70 वर्ष है, अपीलार्थी सं. 2 सत शंकर सिंह जिसकी आयु लगभग 60 वर्ष है, अपीलार्थी सं. 3 पुरषोत्तम सिंह जिसकी आयु लगभग 53 वर्ष है, अपीलार्थी सं. 4 राजेन्द्र सिंह जिसकी आयु लगभग 60 वर्ष है और अपीलार्थी सं. 5 जिसकी आयु 58 वर्ष है और वे अपने कुटुंब के साथ रह रहे हैं उन्हें कारागार भेजा गया जो अत्यधिक परेशानी का सबब है तथा उनके कुटुंब के सदस्य बड़ी परेशानियां भोग रहे हैं ।

27. शिकायतकर्ता की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री राहुल मिश्रा ने अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल की दलीलों का विरोध किया है और यह निवेदन किया है कि जहां तक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शी साक्षी और क्षतिग्रस्त के कथन में किसी धारदार आयुध का उल्लेख न करने का संबंध है, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में और आहत साक्षियों के कथनों में उक्त विचलन जो विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकट हुआ है, उसे रात्रि में घटित हुई घटना के रूप में संज्ञान लिए जाने में कठिनाई हो

सकती है और अभियुक्त व्यक्तियों में से एक अर्थात् त्रिभुवन सिंह को एक छिन्न घाव पहुंचा था और इस पर इस बारे में उल्लेख नहीं किया जा सका है कि रात्रि में घटना के समय पर धारदार आयुध लेकर कौन आया था और, इसलिए अभियोजन पक्षकथन को केवल इस गणना पर मिथ्या होना नहीं कहा जा सकता है । उन्होंने यह भी दलील दी कि इस घटना में तीन व्यक्तियों ने अपीलार्थियों के हाथों से क्षतियां प्राप्त की थीं जो लाठी से लैस थे और दो आहत व्यक्तियों को भी लाठियों से क्षतियां पहुंची थीं । इसके अतिरिक्त मृतक सुल्तान सिंह को भी लाठी से क्षतियां पहुंची थीं और जिसके परिणामस्वरूप तारीख 4 जुलाई, 1975 को उसकी क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । उन्होंने मृतक की शवपरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान दिलाया जिससे यह दर्शित होता है कि मृतक की आंतरिक परीक्षा किए जाने पर यह प्रकट है कि बाएं पश्च कपाल, बाएं पार्श्वकपाल और बाईं कपालास्थि पर अस्थि भंग हुआ था । दाहिने पार्श्विक अस्थि के मध्य भाग पर रेखीय अस्थि भंग हुआ था जिसे घातक क्षति होना साबित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप आहत सुल्तान सिंह की उक्त क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि मृतक के सिर की आंतरिक परीक्षा करने पर यह दर्शित होता है कि अपीलार्थियों द्वारा मृतक के सिर पर लाठी से निरन्तर प्रहार किए गए थे इसलिए, घटना में उनकी भागीदारी से इनकार नहीं किया जा सकता जैसाकि अभि. सा. 1 शेर बहादुर सिंह और अभि. सा. 4 भैरों सिंह के साक्ष्य में प्रकट है जो घटना के आहत साक्षी हैं । उन्होंने आगे यह भी दलील दी कि अपीलार्थियों ने घटना की तारीख और समय को स्वीकार किया है और उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में यह अभिवाक् किया है कि उन्होंने तीन आहत व्यक्तियों पर हमला किया था जिसमें से एक आहत की क्षतियों के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई और यह बात उन्होंने स्वयं की प्रतिरक्षा में बताई है ।

28. शिकायतकर्ता के विद्वान् काउंसेल ने अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल की इन दलीलों का विरोध किया है और यह निवेदन किया है कि निःसंदेह अभियुक्त सत शंकर सिंह ने सुल्तान सिंह पर घातक प्रहार किया था जिसकी लाठी की क्षतियों से मृत्यु हो गई परंतु अन्य अपीलार्थियों की भूमिका को भी हटाया नहीं जा सकता क्योंकि वे मृतक सुल्तान सिंह को क्षति पहुंचाने और उसकी मृत्यु कारित करने में सामान्य उद्देश्य के साथ अवैधपूर्ण जमाव में सम्मिलित थे । अतः इसलिए, दंड संहिता की धारा 304/149 को

ध्यान में रखते हुए उनकी भागीदारी को कम नहीं किया जा सकता है । उन्होंने यह भी दलील दी कि विचारण न्यायालय ने उन अपराधों के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करने में कोई गलती या अवैधानिकता नहीं बरती है जिन पर उन्हें आरोपित किया गया था और यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थियों की वर्तमान अपील को खारिज किया जाए ।

29. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया गया ।

30. दलीलें जो अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई हैं कि दो आहत व्यक्तियों की चिकित्सा रिपोर्ट से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वर्णित वृत्तांत से सम्पुष्टि नहीं होती है क्योंकि उनके शरीर पर छिन्न घाव के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और पहली बार दो आहत साक्षियों द्वारा यह कहते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में फरसा के बारे में बताया गया था कि वह अभियुक्त राजेन्द्र सिंह था जो फरसा से लैस था और इससे दो आहत व्यक्तियों पर क्षतियां कारित की गईं । निःसंदेह इन साक्षियों द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष किए गए उक्त सुधारों के संबंध में अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल की दलील में कुछ बल प्रतीत होता है, परंतु इस तथ्य को नहीं भूला जा सकता है कि अपीलार्थियों के बारे में लाठी से लैस होना कहा गया था और तीन आहत व्यक्तियों को लाठियों से क्षतियां कारित हुईं तथा आहत सुल्तान सिंह को उसके शरीर पर लाठी से क्षतियां कारित हुईं और तदुपरांत तारीख 4 जून, 1975 को उसकी क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई जो लाठियों द्वारा कारित की गई थीं और अपीलार्थी लाठियों से लैस थे ।

31. शिकायतकर्ता के विद्वान् काउंसेल की दलील से इस बात पर बल देना प्रतीत होता है कि मृतक सुल्तान सिंह के सिर और खोपड़ी की आंतरिक परीक्षा पर विचार करने पर यह प्रकट है कि बाएं पश्च कपाल और बाएं कनपटी अस्थि के बाएं पार्श्विक भाग पर अस्थि भंग हुआ था । दाहिने पार्श्विक अस्थि के मध्य भाग तक रेखीय अस्थि भंग का विस्तार हुआ था जिसे अपीलार्थियों द्वारा लाठियों से लैस होकर लाठी से कारित किया गया था जिससे दो आहत व्यक्तियों को क्षतियां भी कारित हुईं । इसलिए, अभियोजन पक्षकथन का शवपरीक्षण रिपोर्ट तथा दो आहत व्यक्तियों की चिकित्सा साक्ष्य से सम्पुष्टि होती है । अपीलार्थियों ने यह कहते हुए आहत और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध घटना का प्रतिवृत्तांत दर्ज

किया था कि अभियुक्त शियो देव सिंह और त्रिभुवन सिंह को उनके शरीर पर क्षतियां कायम हुई थीं इसलिए, अपीलार्थियों ने घटना की तारीख और समय को स्वीकार किया है और घटना के स्थान पर उनकी मौजूदगी पर संदेह नहीं किया जा सकता ।

32. अपीलार्थियों ने यह भी अभिवाक् किया है कि उन्होंने अपनी प्रतिरक्षा में अभियोजन पक्ष के आहतों पर हमला किया था परंतु इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि अभियोजन के आहतों में से एक अर्थात् सुल्तान सिंह जिसकी लाठी से किए गए हमले से क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई और जिसमें दो अन्य आहत व्यक्तियों अर्थात् अभि. सा. 1 शेर बहादुर सिंह और अभि. सा. 4 भैरों सिंह को भी क्षतियां पहुंचीं ।

33. यह सिद्ध किया गया है कि उन्होंने अपनी सह-प्रतिरक्षा के अधिकारों को विस्तार दिया है और इसके अतिरिक्त क्षतियां जो अभियुक्त शियो देव सिंह और त्रिभुवन सिंह को कायम हुई थीं, क्षति सं. 2 और 6 को छोड़कर साधारण प्रकृति की हैं जिन्हें अवलोकन के अधीन रखा गया था और उक्त आहत की एक्सरे रिपोर्ट से यह दर्शित होता है कि मध्य अंगुली के अंतर अंगुलास्थि संधि में विस्थापन मौजूद था और खोपड़ी की हड्डी पर कोई क्षति नहीं देखी गई थी और अभियुक्त त्रिभुवन सिंह को एक छिन्न घाव की क्षति पहुंची थी जिसके बारे में डाक्टर द्वारा साधारण प्रकृति का होना बताया गया है । इसलिए, विधि में यह सुस्थापित है कि क्षतियां जो अभियुक्तों के पक्षों को कारित हुई हैं, उनका स्पष्टीकरण दिया जाना जरूरी नहीं है यदि ऐसी क्षतियां प्रकृति में गंभीर नहीं हैं तथा प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा वर्णित प्रतिवृत्तांत का अवलंब भी नहीं लिया जा सकता ।

34. **तखाजी हीराजी** बनाम **धाकोरे कुबेर सिंह चमन सिंह**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए जिसमें पैरा 17 में यह अभिनिर्धारित किया गया था :–

> "17. यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि विधि का अपरिवर्तनीय नियम यह है कि जब कभी अभियुक्त को किसी घटना में क्षति पहुंचती है तो अभियोजन पक्ष इस बात के लिए बाध्य है कि क्षति का स्पष्टीकरण दे और अभियोजन पक्ष के ऐसा करने में विफल होने पर अभियोजन पक्षकथन पर अविश्वास किया जाना चाहिए ।

---

[1] (2001) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1070.

अभियोजन साक्षी द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों के शरीर पर क्षतियों का स्पष्टीकरण नहीं दिए जाने से पूर्व अभियोजन पक्षकथन प्रभावित हो सकता है, न्यायालय का दो शर्तों की विद्यमानता से समाधान होना चाहिए (i) कि अभियुक्त व्यक्ति के शरीर पर क्षति गंभीर प्रकृति की थी, और (ii) कि ऐसी क्षतियां प्रश्नगत घटना के समय पर कारित होनी चाहिए । क्षतियों के स्पष्टीकरण न देने को अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए जब हितबद्ध या पक्षपाती साक्षी का साक्ष्य या प्रतिरक्षा का कोई वृत्तांत से अभियोजन पक्षकथन को पूर्ण संभावना मिलती है । जहां साक्ष्य स्पष्ट अकाट्य और विश्वसनीय है और जहां न्यायालय मिथ्या बात से सच्चाई का विभेद कर सकता है तब मात्र यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्तियों पर कायम हुई क्षतियों का अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । इसके आधार पर अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य तथा सम्पूर्ण अभियोजन पक्षकथन को अस्वीकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता ।"

35. यहां पर यह उल्लेख करना स्मरणीय है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 4 ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने कथनों में यह भी निवेदन किया है कि क्षतियां जो अभियुक्त शियो देव सिंह और त्रिभुवन सिंह को कायम हुई हैं उनके साथ लड़ाई-झगड़े के दौरान उनको पहुंची थीं इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त पक्ष को पहुंची क्षतियों का अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है ।

36. इसलिए, अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल की दलील जैसाकि ऊपर तर्क किया गया है उस दलील की अपेक्षा जो अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई हैं में कोई बल प्रतीत नहीं होता है और शिकायतकर्ता के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलील अत्यधिक युक्तियुक्त और विश्वासयोग्य प्रतीत होती है ।

37. इसके अतिरिक्त, अभिलेख के साक्ष्य में यह सिद्ध हुआ है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित किया है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय और आदेश जिसमें अपीलार्थियों को सिद्धदोष और दंडादिष्ट किया गया है, उस पर इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करना अपेक्षित नहीं है तथा तद्नुसार उसे कायम रखा जाता है ।

38. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अपीलार्थी

के विद्वान् काउंसेल की दलीलों पर अपीलार्थियों की आयु के बारे में विचार किया गया और इन बातों को संज्ञान में लिया गया कि यह घटना 39 वर्ष पुरानी है और 33 वर्षों के पश्चात् सुनवाई के लिए यह अपील सामने आई है और इस तारीख पर अपीलार्थियों की स्थिति के बारे में यह निदेश किया जाता है कि अपीलार्थियों के शेष दंड को 1,20,000/- रुपए के जुर्माने में संपरिवर्तित किया जाएगा जिसमें से अपीलार्थी सं. 2 सत शंकर द्वारा 1,00,000/- रुपए का संदाय किया जाएगा जिसने लाठी से मृतक सुल्तान सिंह पर घातक प्रहार किया था और अपीलार्थी सं. 1, 3, 4 और 5 अर्थात् शियो देव सिंह, पुरषोत्तम सिंह, राजेन्द्र सिंह और वीरेन्द्र सिंह आज से 3 मास की अवधि के अंदर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद के न्यायालय में अलग-अलग 5,000/- रुपए जमा करेंगे जिसमें से 1,00,000/- रुपए मृतक सुल्तान सिंह के विधिक वारिसों को दिया जाएगा तथा 5,000/- रुपए दो आहत व्यक्तियों अर्थात् शेर बहादुर सिंह और भैरों सिंह को दिया जाएगा तथा 10,000/- रुपए राज्य के पक्ष में जमा होगा ।

39. जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर जैसाकि ऊपर निदेश दिया गया है अपीलार्थियों को दंडादेश भोगने के लिए अभिरक्षा में लिया जाएगा जैसाकि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश किया गया है ।

40. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए अपील भागतः मंजूर की जाती है ।

41. कार्यालय को यह निदेश दिया जाता है कि इस आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसके अनुपालन के लिए भेजी जाए ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

आर्य

ओडिशा राज्य

बनाम

मिश्र पराजा

तारीख 21 फरवरी, 2014

न्यायमूर्ति प्रदीप मोहंती और न्यायमूर्ति विश्वजीत मोहंती

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 354, 376 – स्त्री की लज्जा भंग करना – बलात्संग – साक्षीगण जो पति और पत्नी हैं, द्वारा अभियुक्त को नग्न अवस्था में मृतका-पीड़िता के ऊपर लेटे हुए और बलात्संग करते हुए देखना – यदि चिकित्सा साक्ष्य द्वारा बलात्संग किए जाने की संपुष्टि नहीं हुई है तो अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि धारा 354 के अन्तर्गत उचित है न कि धारा 376 के अन्तर्गत ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 302 – हत्या – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा मृतका-पीड़िता की गला घोंटकर हत्या किया जाना – मृतका अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ मृत्यु से 10 मिनट पूर्व अंतिम बार जीवित देखी गई थी तथा अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा मृतका की हत्या किए जाने के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, इसलिए, अभियुक्त-अपीलार्थी को हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 300 – हत्या – हेतु का अभाव – जहां मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हो वहां अभियोजन पक्षकथन को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 302 – हत्या – मृत्यु दंड – विधिमान्यता – जहां मृत्यु दंड अधिनिर्णीत किए जाने वाले न्यायालय द्वारा बलात्संग के संबंध में अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि उन्मोचित कर दी गई हो और अभियुक्त-अपीलार्थी के बारे में अभिरक्षा में रहने के दौरान कोई दुर्व्यवहार की रिपोर्ट प्रकट नहीं हुई हो और ऐसा कोई साक्ष्य न हो कि अभियुक्त को सुधारा न जा सकता हो, वहां पर मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में लघुकृत करना उचित है ।

संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 27 फरवरी, 2011 को लगभग 4.00 बजे अपराह्न मृतका लछानदेई गोंड अभि. सा. 6

और अभि. सा. 8 की भूमि की सीमा के नजदीक आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी । अभि. सा. 6 अभि. सा. 8 की पत्नी है और उस समय वे दोनों अपने खेत में काम कर रहे थे । उस समय दोषसिद्ध-अपीलार्थी घटनास्थल पर आया और मृतका की पहनी हुई साड़ी को हटा दिया और उससे बलात्संग किया । जब मृतका चीखी-चिल्लाई तब अभि. सा. 6 घटनास्थल पर दौड़कर पहुंची और अभि. सा. 8 गांववासियों को बुलाने के लिए गांव की ओर अग्रसर हुआ । अभि. सा. 6 ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोषसिद्ध-अपीलार्थी को घसीटा जो मृतका के ऊपर नग्न हालत में था, उसके ऊपर लेटा हुआ था और उससे मैथुन कार्य कर रहा था । अभि. सा. 6 ने दोषसिद्ध-अपीलार्थी के दो थप्पड़ भी मारे और उसे चेताया भी था । दोषसिद्ध-अपीलार्थी ने क्रोधित होकर अभि. सा. 6 का पीछा किया जो नग्न हालत में था और उसने यह कहा कि वह अभि. सा. 6 के साथ भी बलात्संग करेगा और उसकी हत्या कर देगा । इसलिए, अभि. सा. 6 भय के मारे गांव की ओर भागी और गांववासियों को सूचना दी । इसके पश्चात् अभि. सा. 6 और उसका पति अभि. सा. 8 दोनों गांववासियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने मृतका के शव को पाया । अभि. सा. 8 के अनुसार कि वह घटना के लगभग 10 मिनट पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचा । अभि. सा. 1 जो इत्तिला देने वाला है और मृतका का पुत्र है उसे अभि. सा. 8 द्वारा सूचना दी गई थी और वह भी अन्य गांववासियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और उसने देखा कि उसकी माता पहले ही मृत पड़ी हुई है और दोषसिद्ध-अपीलार्थी उसकी माता के शव को जो नग्न हालत में थी अपने कंधे पर रखकर "मसानीपाड़ा" दफनाए जाने की जमीन की ओर ले जा रहा था । तत्काल अभि. सा. 1 ने अन्य लोगों के साथ दोषसिद्ध-अपीलार्थी को रोका और प्रदर्श 8 के अंतर्गत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए उमेरकोते, पुलिस थाने पर पहुंचा । प्रदर्श 8 के अंतर्गत उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभि. सा. 16 द्वारा लिखी गई थी । अभि. सा. 1 द्वारा दिए गए अनुदेश के अनुसार उक्त रिपोर्ट के बल पर पुलिस ने 2011 का मामला सं. 46 उमेरकोते, पुलिस थाने पर रजिस्ट्रीकृत की और अन्वेषण का जिम्मा लिया । अन्वेषण के दौरान अन्वेषक अधिकारी ने इत्तिला देने वाला और अन्य लोगों की परीक्षा की और लछानदेई गोंड के शव की मृत्यु-समीक्षा की । पुलिस ने मृतका के शव का शवपरीक्षण करने के लिए याचना की और उन्होंने अभियुक्त और मृतका दोनों के पहने हुए कपड़ों को अभिगृहीत किया तथा क्षेत्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला, बेहरामपुर गंजम रासायनिक परीक्षा के लिए भिन्न-भिन्न सामग्री भेजी । पुलिस ने तारीख 27

फरवरी, 2011 को दोषसिद्ध-अपीलार्थी को गिरफ्तार किया और उसके विरुद्ध आगे की कार्यवाही आरंभ की । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् पुलिस ने दंड संहिता की धारा 302/376/294/506 के अधीन अपराधों के लिए तारीख 24 जून, 2011 को दोषसिद्ध-अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किए । विद्वान् जे. एम. एफ. सी., उमेरकोते द्वारा तारीख 12 अगस्त, 2011 को आदेश पारित करके 2011 के उमेरकोते, पुलिस थाना मामला सं. 46 में से उद्भूत 2011 का जी. आर. मामला सं. 121 के अधीन दंड संहिता की धारा 302/376/294/506 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया । इसके पश्चात् विद्वान् जे. एम. एफ. सी. ने विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, नबरांगपुर के न्यायालय में जी. आर. मामला सुपुर्द किया । उक्त सुपुर्दगी के आधार पर 2011 का दांडिक विचारण सं. 67 विद्वान् सेशन न्यायाधीश, नबरांगपुर के न्यायालय में रजिस्ट्रीकृत किया गया था । विद्वान् सेशन न्यायाधीश, नबरांगपुर ने तारीख 21 अगस्त, 2012 को आदेश पारित करके वर्तमान दोषसिद्ध-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302/376 के अधीन आरोप विरचित किए । दोषसिद्ध-अपीलार्थी के विरुद्ध मृतका लछानदेई गोंड की हत्या और बलात्संग करने के लिए दंड संहिता की धारा 302/376 के अधीन उसका विचारण किया गया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश के समक्ष दोषसिद्ध-अपीलार्थी ने मामला होने से पूरी तरह इनकार किया है । अभियोजन पक्ष ने दोषसिद्ध-अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने के लिए कुल मिलाकर 18 साक्षियों की परीक्षा की । अभि. सा. 1 इत्तिला देने वाला है जो मृतका का पुत्र है । अभि. सा. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 और 12 घटना घटने के बाद के साक्षी हैं जो घटनास्थल पर अभिकथित घटना घटने के पश्चात् आए थे । अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 ने घटना के कुछ भाग को देखे जाने का दावा किया है, खासतौर पर जो बलात्संग से संबंधित है । अभि. सा. 9 डाक्टर है जिसने मृतका के शव का शवपरीक्षण किया और प्रदर्श 4 के अधीन शवपरीक्षण रिपोर्ट तैयार की । अभि. सा. 14 डाक्टर है जिसने पुलिस के अनुरोध पर दोषसिद्ध-अपीलार्थी की परीक्षा की, प्रदर्श 6 के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट तैयार की । अभि. सा. 16 प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श 8) को लिखने वाला है और अभि. सा. 13 अभिग्रहण का साक्षी है । अभि. सा. 11 और अभि. सा. 15 ने घटना के बारे में कुछ भी अभिसाक्ष्य नहीं दिया है । अभि. सा. 17 और अभि. सा. 18 अन्वेषक अधिकारी हैं । दोषसिद्ध-अपीलार्थी ने अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य नहीं दिया है । अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् दोषसिद्ध-अपीलार्थी की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा की गई

थी । उसने प्रश्न का नकारात्मक रूप में उत्तर दिया और यह अभिवाक् किया कि गांववासियों द्वारा शत्रुतावश उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने विचारण पूरा करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष ने सभी युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को सिद्ध किया है और तद्नुसार दंड संहिता की धारा 302/376 के अधीन दोषसिद्ध-अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया और दंड संहिता की धारा 302 के अधीन उसे मृत्यु दंड का दंडादेश दिया गया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने दंड संहिता की धारा 376 के अधीन बलात्संग के दंडनीय अपराध के बारे में दोषसिद्ध-अपीलार्थी के दंड को पृथक् नहीं किया है । राज्य द्वारा मृत्यु दंड की पुष्टि हेतु निर्देश फाइल किया गया और अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा दोषसिद्धि से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय ने अभिलेख के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है । यह प्रकट हुआ है कि अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 घटना के भाग के साक्षी हैं अर्थात् दोषसिद्ध-अपीलार्थी द्वारा मृतका से बलात्संग किए जाने से संबंधित अभिकथन के साक्षी हैं । अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 दोनों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने दोषसिद्ध-अपीलार्थी द्वारा मृतका से बलात्संग किए जाने की घटना को देखा था । उपरोक्त उल्लिखित तथ्य को देखे जाने पर अभि. सा. 6 पत्नी घटनास्थल की ओर दौड़कर गई । अभि. सा. 8 पति गांववासियों को बुलाने के लिए गांव वापस आया । पति द्वारा ऐसा विशिष्ट व्यवहार किया गया है । अभि. सा. 6 ने घटनास्थल पर पहुंचकर अभियुक्त को खींचा और अभियुक्त से यह कहते हुए उसको दो थप्पड़ मारे कि वह एक वृद्ध महिला के साथ बलात्संग क्यों कर रहा है । अभि. सा. 6 का साक्ष्य यह है कि अभियुक्त ने नग्न अवस्था में उसका पीछा किया और यह कहा कि वह उससे बलात्संग करेगा और उसकी हत्या कर देगा । तद्नुसार अभि. सा. 6 साही की ओर भागी और गांववासियों के साथ घटनास्थल पर वापस पहुंची । उस समय जब अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 घटनास्थल पर पहुंचे तब उन्होंने मृतका के शव को देखा था । अभि. सा. 8 द्वारा सूचना देने पर अभि. सा. 1 इत्तिला देने वाला जो मृतका का पुत्र है, घटनास्थल पर पहुंचा और उसने देखा कि दोषसिद्ध-अपीलार्थी उसके मां के शव को ला रहा था । उसने अन्य लोगों के साथ दोषसिद्ध-अपीलार्थी को रोका और प्रदर्श 8 के अंतर्गत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस थाने पर पहुंचा । जहां तक बलात्संग के

अभिकथन का संबंध है अभि. सा. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 और 12 घटना के बाद के साक्षी हैं । यद्यपि अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 का साक्ष्य कि उन्होंने बलात्संग किए जाने को देखा है उनका यह साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडनीय रहा है । तथापि, चिकित्सा साक्ष्य से बलात्संग का अभिकथन पूरी तरह अस्वीकार्य है । अभि. सा. 9 डाक्टर जिन्होंने शव-परीक्षा की अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि बलात्संग के बारे में तथा मैथुन हमले के बारे में कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है । प्रतिपरीक्षा में अभि. सा. 9 ने यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने मृतका की मृत्यु के पूर्व उससे मैथुन किए जाने का कोई लक्षण नहीं पाया है । इसी तरह, अभि. सा. 14 जिन्होंने अभियुक्त की परीक्षा की, स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उन्होंने कोई नवीनतम मैथुन किए जाने का लक्षण नहीं पाया है । इस प्रकार, हम प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों और चिकित्सा साक्ष्य के बीच पूर्णतया असंगतता पाते हैं । श्री दास के अनुसार यह सुस्थापित है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी और चिकित्सा साक्ष्य के बीच विचलन के मामले में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य को प्राथमिकता दी जाएगी । परंतु जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों और चिकित्सा साक्ष्य में पूर्णतया असंगतता हो तब प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करना कठिन होगा परंतु जैसाकि पूर्व में उपदर्शित किया गया है श्री प्रधान विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के कई विनिश्चयों का अवलंब लेते हुए यह दलील दी है कि चिकित्सा साक्ष्य को अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 के मौखिक साक्ष्य पर रद्द नहीं किया जा सकता जो अखंडनीय रहा हो । इस संदर्भ में उन्होंने इस पहलू पर निचले न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट विनिश्चयों का भी अवलंब लिया है । जैसाकि ऊपर उपदर्शित है अभि. सा. 9 और अभि. सा. 14 का चिकित्सा साक्ष्य मृतका की मृत्यु से पूर्व उससे बलात्संग या मैथुन हमला के साक्ष्य को पूर्णतया अस्वीकार करता है । (पैरा 9)

जहां तक दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि का संबंध है, हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि लछानदेई गोंड की हत्या का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी विद्यमान नहीं है । दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध-अपीलार्थी के विरुद्ध मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । पारिस्थितिक साक्ष्य के मूल्यांकन की परिधि को शरद विरधी चंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित किया गया है । अब हम इस बारे में विचार करते हैं कि क्या ये परिधियां अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मामले को प्रकट

किए जाने के लिए वर्तमान मामले में उनका समाधान हुआ है या नहीं । अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 के साक्ष्य का संयुक्त रूप से परिशीलन करने पर निम्नलिखित तस्वीर उससे प्रकट होती है ; मृतका अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 की भूमि के नजदीक आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी । लगभग 4.00 बजे अपराह्न अभियुक्त वहां पर आया और उसने मृतका की साड़ी हटा दी और उससे बलात्संग किया । जब मृतका चीखी-चिल्लाई तब अभि. सा. 6 घटनास्थल की ओर दौड़ी और अभि. सा. 8 गांववासियों को बुलाने के लिए गांव की ओर चला गया । अभि. सा. 6 के अनुसार जब वह घटनास्थल पर पहुंची तो अपीलार्थी नग्न दशा में मृतका के ऊपर सो रहा था और उसके साथ उसने मैथुन किया । अभि. सा. 6 ने अभियुक्त को खींचा और वृद्ध महिला के साथ ऐसे कार्य किए जाने के लिए अभियुक्त को दो थप्पड़ मारे । अभि. सा. 6 का अभियुक्त द्वारा नग्न अवस्था में यह कहते हुए पीछा किया गया कि वह उससे बलात्संग करेगा और उसकी हत्या करेगा । इस पर अभि. सा. 6 गांव की ओर भागी । अभि. सा. 8 के अभिसाक्ष्य के अनुसार कि वह गांववासियों के साथ घटना घटने के 10 मिनट पश्चात् गांव से घटनास्थल पर पहुंचा । उस समय जब वे वहां पर पहुंचे तो उन्होंने मृतका को जमीन पर मृत पाया था । अभि. सा. 8 के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि उसके और अभि. सा. 6 के सिवाय उस जगह पर कोई भी मौजूद नहीं था जब अभिकथित घटना घटी थी क्योंकि हमने उपरोक्त साक्ष्य का विश्लेषण करने पर बलात्संग से संबंधित अभिकथन पर अविश्वास किया है । अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 का ऊपर उल्लिखित साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडनीय रहा है । इसके अतिरिक्त अभि. सा. 10 और अभि. सा. 12 जो घटना के बारे में सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि अभियुक्त अपने कंधों पर मृतका के शव को ला रहा था और इस बात की अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 6 के वृत्तांत से सम्पुष्टि हुई है । इसके अतिरिक्त अभि. सा. 10 और अभि. सा. 12 ने यह कथन किया है कि उन्होंने अभियुक्त को अपने कंधे पर शव को ले जाते हुए मसानीपाड़ा की ओर जाते हुए देखा था जबकि वह दूसरे हाथ से साइकिल पकड़ा हुआ था । इस प्रकार अभि. सा. 10 और अभि. सा. 12 का सभी तरह दिए गए अभिसाक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडनीय रहा है । अभि. सा. 9 ने अपने अभिसाक्ष्य में प्रदर्श 4 के अंतर्गत शवपरीक्षण रिपोर्ट को साबित किया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि मृतका पर कारित हुई सभी क्षतियां प्रकृति में मृत्युपूर्व थीं और मृत्यु का कारण गला घोंटने के परिणामस्वरूप श्वासावरोध है और यह प्रकृति में मानव

वध है । अभि. सा. 9 का पूरा अभिसाक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडनीय रहा है । अभि. सा. 1 का साक्ष्य यह है कि अभि. सा. 8 द्वारा सूचना दिए जाने के पश्चात् वह घटनास्थल की ओर अग्रसर हुआ और उसने पहले ही अपनी मां को मृत पाया था । उसने यह पाया कि दोषसिद्ध-अपीलार्थी उसकी माता के शव को नग्न अवस्था में ला रहा था । उसने अन्य लोगों के साथ अपीलार्थी और शव को रोका तथा पुलिस थाना पहुंचा और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की जिसे अभि. सा. 16 द्वारा लिखाया गया था । ये सभी प्रतिपरीक्षा में अविचलित रहे हैं । शव को ले जाने के संबंध में अभि. सा. 1 का ऊपर उल्लिखित वृत्तांत की, अभि. सा. 2, 6, 10 और 12 द्वारा सम्पुष्टि की गई है । अभि. सा. 16 ने अपने साक्ष्य में इस बात की सम्पुष्टि की है कि अभि. सा. 1 के अनुदेश के अनुसार उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श 8) लिखी । अभि. सा. 16 का यह साक्ष्य अखंडनीय रहा है । अभि. सा. 2 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसने अपीलार्थी को नग्न अवस्था में शव को ले जाते हुए देखा था और इस घटना को अभि. सा. 6 और अभि. सा. 10 द्वारा भी देखा गया था । अभि. सा. 6 और अभि. सा. 10 उपरोक्त तथ्य की सम्पुष्टि करते हैं । अभि. सा. 2 ने पुलिस द्वारा तैयार की गई मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 1) की सम्पुष्टि की है । उसने प्रदर्श 2 के अंतर्गत घटनास्थल से मृतका का कमरबंध और कुछ कपड़े अभिगृहीत किए जाने की सम्पुष्टि की है । अभि. सा. 2 ने प्रदर्श 3 के अधीन अपीलार्थी के साइकिल के अभिग्रहण के लिए सम्पुष्टि की है । प्रतिपरीक्षा में सारभूत रूप से ऐसा कुछ भी प्रकट नहीं हुआ है जिससे कि अभि. सा. 2 के उपरोक्त परिसाक्ष्य को त्यक्त किया जाए । प्रदर्श 1, 2 और 3 के बारे में अभि. सा. 2 का कथन की अभि. सा. 17 अन्वेषक अधिकारी द्वारा सम्पुष्टि की गई है । अभि. सा. 3 घटनास्थल पर पहुंचा जहां मृतका का शव पड़ा हुआ था और जिस बात की सूचना अभि. सा. 4 द्वारा दी गई । उसने गर्दन में क्षति के चिह्न देखे और नासाछिद्रों से रक्त बह रहा था तथा गालों में सूजन थी । अभि. सा. 3 के इस साक्ष्य की अभि. सा. 4 द्वारा सम्पुष्टि की गई है । अभि. सा. 3 और 4 का ऊपर उल्लिखित साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडनीय रहा है । (पैरा 10)

साक्ष्य का विश्लेषण करने पर जैसाकि ऊपर दर्शित किया गया है कि अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 ने यह कथन किया है कि मृतका लगभग 4.00 बजे अपराह्न अभियुक्त के साथ अंतिम बार जीवित देखी गई थी परंतु 4.10 बजे अपराह्न उन्होंने दोषसिद्ध-अपीलार्थी की अभिरक्षा में मृतका के शव को देखा था । इस प्रकार, अभियुक्त और मृतका के बीच मृतका के

अंतिम बार जीवित देखे जाने का अंतराल और मृतका का अपीलार्थी की अभिरक्षा में मृत पाया जाना बहुत कम समय के अंतराल में हुआ है और यह तथ्य कि घटनास्थल पर कोई दूसरा मौजूद नहीं था इससे स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति अपराध का कर्ता नहीं हो सकता । इस प्रकार, अंतिम बार देखे जाने की कहानी को अभियोजन पक्ष द्वारा सफलतापूर्वक सिद्ध किया गया है । इस संदर्भ में, श्री दास ने यह निवेदन किया है कि अंतिम बार देखे जाने की कहानी किसी व्यक्ति को हत्या का दोषी ठहराने के लिए एकमात्र आधार नहीं हो सकता । इस संदर्भ में, उन्होंने एक अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लिया । इस तथ्य के अतिरिक्त कि उपरोक्त उल्लिखत मामला तथ्यों पर विभेद प्रकट करता है, यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि यहां पर अंतिम बार देखे जाने की कहानी के अतिरिक्त निचले न्यायालय ने सही रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलार्थी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के अधीन अपने भार का निर्वहन करने में विफल हुआ है । मृतका अभियुक्त के साथ 4.00 बजे अपराह्न अंतिम बार जीवित देखी गई थी और 10 मिनट पश्चात् मृतका का शव अपीलार्थी की अभिरक्षा में पाया गया । इस प्रकार, 10 मिनट के भीतर जो कुछ भी घटना घटी वह अपीलार्थी की विशेष जानकारी में होनी चाहिए थी परंतु अपीलार्थी ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि मृतका की मृत्यु कैसे हुई । इससे स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के विरुद्ध परिस्थिति बनती है जिससे मृतका की हत्या के अपराध में उसकी सहापराधिता दर्शित होती है । इसके अतिरिक्त, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दोषसिद्ध-अपीलार्थी ने अपनी परीक्षा में अपराध में फंसाने वाली उपरोक्त परिस्थिति के बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है । अभि. सा. 9 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु गला घोंटने के परिणास्वरूप हुई थी । तथापि, दोषसिद्ध-अपीलार्थी ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि कैसे मृतका का गला घोंटा गया था और कई ऐसी दूसरी क्षतियां जैसाकि अभि. सा. 9 द्वारा अपनी शवपरीक्षण रिपोर्ट में प्रकट की हैं । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 17 के साक्ष्य से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि पुलिस ने घटनास्थल से साइकिल और मृतका का कमरबंध तथा छोटे कपड़े (अंतर्वस्त्र) अभिगृहीत किए थे । अभि. सा. 9 ने यह भी स्पष्ट किया है कि मृतका को पहुंची सभी क्षतियां प्रकृति में मृत्युपूर्व थीं और मृत्यु मानव वध प्रकृति की थीं । अभि. सा. 1, 2, 6, 10 और 12 के साक्ष्य से यह भी दर्शित हुआ है कि जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अभियुक्त मृतका का शव ले जा रहा था । अभि.

सा. 10 और अभि. सा. 12 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि दोषसिद्ध-अपीलार्थी "मसानीपाड़ा" (दफनाने के स्थान) की ओर जाता पाया गया था और शव को ले जा रहा था । अभि. सा. 1, 2, 6, 10 और 12 का उल्लिखित साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडनीय रहा है, यद्यपि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा शव को ले जाने के संबंध में कुछ विभेद भी हैं, तथापि, हमारे अनुसार ऐसे विभेद प्रकृति में अति छोटे-मोटे हैं और इनसे अभियोजन पक्षकथन पर सार किसी प्रकार प्रभावित नहीं होता है । दोषसिद्ध-अपीलार्थी ने इस बारे में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि वह दफनाने के स्थान पर शव को क्यों ले जा रहा था । दोषसिद्ध-अपीलार्थी का शव को दाह संस्कार स्थान की ओर ले जाने के आचरण से यह उपधारणा बनती है कि उसका यह उद्देश्य रहा होगा कि हत्या के साक्ष्य को गायब कर दे और यह इस मुद्दे के तथ्य के सुसंगत है तथा यह बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन उसके विरुद्ध साक्ष्य में भी ग्राह्य है । दोषसिद्ध-अपीलार्थी का आचरण जो मृतका की मृत्यु के तत्काल पश्चात् देखा गया है इससे उसकी दोषिता के प्रति स्पष्ट संकेत मिलते हैं । तद्नुसार, अन्य साबित तथ्यों का समूह भी विद्यमान है जिनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह दोषसिद्ध-अपीलार्थी है जिसने मृतका की हत्या करने के आशय से उसका गला घोंटकर हत्या कारित की । चूंकि परिस्थितियों की शृंखला मामले में पूरी है, इसलिए, विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 302 के अधीन उसकी दोषिता सही पाई है । (पैरा 11)

श्री दास द्वारा दूसरी यह दलील दी गई कि आपराधिक मामले में हेतु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि बलात्संग का अभिकथन मिथ्या पाया गया है । इस बारे में कोई कारण प्रकट नहीं होता की दोषसिद्ध-अपीलार्थी मृतका के जीवन को क्यों छीनना चाहता था । इस संदर्भ में, अनेक मामलों के विनिश्चयों का अवलंब लिया । यद्यपि, उपरोक्त विनिश्चयों में तथ्यात्मक रूप से विभेदता है तथापि, श्रीमती ओमवती बनाम महेन्द्र सिंह और अन्य वाले मामले में यह अधिकथित किया गया है कि निःसंदेह हेतु का सबूत दोषसिद्धि को कायम रखने के लिए आवश्यक नहीं है परंतु जब अभियोजन पक्ष अपराध के हेतु के लिए विनिर्दिष्ट मामले को सामने रखता है तब उस बात के संबंध में साक्ष्य की अधिसंभाव्यताओं के बारे में निर्णय करने के अनुकूल होना चाहिए । वरूण चौधरी बनाम राजस्थान राज्य वाले मामले में यह अधिकथित किया गया है कि वहां पर कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था या अपराध से अभियुक्त को संबंद्ध करने के लिए कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है । अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध करना चाहा है कि हत्या के अपराध

को किए जाने के पीछे कुछ हेतु था । राजस्थान राज्य बनाम खूमा वाले मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अधिकथित किया है कि जहां आपराधिक मामले का विनिश्चय पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हो, अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथित हेतु की महत्वपूर्ण रूप से उपधारणा की गई है । ऐसे मामलों में यदि अभियोजन पक्ष हेतु को सिद्ध करने में विफल हो जाता है तब न्यायालयों को बड़ी सावधानी के साथ पारिस्थितिक साक्ष्य की परीक्षा करना अपेक्षित है । समान रूप से यह सुस्थिर है कि ऐसे मामलों में जहां मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर निर्भर हो यदि हेतु को साबित किया जाता है तो यह बात ठीक है परंतु हेतु का अभाव अभियोजन पक्षकथन को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है । जहां अन्य साबित परिस्थितियां हैं । (पैरा 12)

श्री दास ने दूसरी यह दलील दी है कि यदि दोषसिद्ध-अपीलार्थी अपराध का कर्ता है तब सभी प्रकार यह संभावना प्रकट हुई है कि उसके नाखूनों की खुरचन सकारात्मक संकेत देती है क्योंकि रसायन परीक्षक की रिपोर्ट नकारात्मक है, इसलिए, वैज्ञानिक साक्ष्य की भी कमी है । यहां पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस मामले में मृत्यु गला घोंटने के परिणामस्वरूप श्वासावरोध के कारण हुई थी । शवपरीक्षण परीक्षा से यह निष्कर्ष निकला था कि नाखूनों के चिह्न स्तन के नीचे दाहिने वक्ष पर ही रेखीय खरोंच के रूप में प्रकट हुए थे । इस प्रकार, नाखूनों के खुरचने की नकारात्मक रिपोर्ट अभियोजन पक्षकथन के सार को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करते हैं जैसाकि पूर्व में वर्णित किया गया है । अंततः, दोषसिद्ध-अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री दास ने यह दलील दी है कि इस अभिकथन का पूर्ण रूप से परिशीलन नहीं किया जा सकता कि दोषसिद्ध-अपीलार्थी मृतका के शव को दफनाने के स्थान की ओर ले जाता हुआ देखा गया था । इस संदर्भ में, उन्होंने अभि. सा. 1, 2, 6, 8 और 10 के साक्ष्य में कई विभेदताओं की ओर हमारा ध्यान दिलाया है । तथापि, ये विभेद अति तात्विक नहीं हैं क्योंकि इनसे अभियोजन पक्षकथन का सार प्रभावित नहीं होता है कि मृतका अभियुक्त के साथ में मृत पाई गई थी जब उन दोनों को एकसाथ देखा गया था, उसके 10 मिनट में घटना घटी थी । दोषसिद्ध-अपीलार्थी ने कोई भी ऐसा स्पष्टीकरण नहीं दिया है खासतौर पर जब घटनास्थल पर कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था ? उपरोक्त उल्लिखित कारणों से अपीलार्थी ने दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी लेकिन वह विफल हो गया । अब

यह प्रश्न उद्भूत हुआ है कि क्या मृत्यु दंड वर्तमान मामले में समुचित दंड है । (पैरा 13, 14 और 15)

उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय में 7 से 8 वर्ष की आयु की बालिका से बलात्संग और हत्या के मामले में मताभिव्यक्ति की गई । उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अभियोजन पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाता है तब साधारणतया मृत्यु दंड अधिनिर्णीत नहीं किया जाना चाहिए । वर्तमान मामले में निचले न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड को अधिरोपित करते हुए दोषसिद्ध-अपीलार्थी की दोषसिद्धि दंड संहिता की धारा 376 के अधीन हटा दी गई थी । यहां पर जैसाकि पूर्व में उपदर्शित किया गया है । दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दोषसिद्ध-अपीलार्थी के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है । इसके अतिरिक्त, यद्यपि निचले न्यायालय ने दोषसिद्ध-अपीलार्थी के पक्ष में घटाए जाने की परिस्थितियों को संज्ञान में लिया तथापि, उसके पक्ष में अन्य घटाए जाने वाली परिस्थितियों को नजरअंदाज कर दिया था । दोषसिद्ध-अपीलार्थी की आपराधिक पूर्ववृत्त का अभाव है और इसके अतिरिक्त यह दर्शित करने के लिए कोई सबूत विद्यमान नहीं है कि दोषसिद्ध-अपीलार्थी समाज के लिए स्थायी रूप से कोई भय प्रकट करने वाला नहीं होगा । उसके बुरे व्यवहार के बारे में कोई रिपोर्ट विद्यमान नहीं है जबकि दोषसिद्ध-अपीलार्थी अभिरक्षा में है । इसके अतिरिक्त, इस आशय का कोई साक्ष्य नहीं है कि उसका भविष्य में सुधार नहीं हो सकता है । उत्तेजक और घटाए जाने वाली परिस्थितियों के संतुलन को ध्यान में रखते हुए यह सुस्थापित है कि घटाए जाने वाली परिस्थितियों को पूर्ण महत्व प्रदान किया जाना चाहिए और राय देने से पूर्व उनके बीच संतुलन को प्रयोग में लिया जाना चाहिए । यह सुस्थिर है कि किसी सभ्य समाज में किसी मामले को विरल से विरलतम के सूत्र में बांधने के लिए मापदंड को एक सूत्र में नहीं लिया जाना चाहिए और न्यायालय को मृत्यु दंड अधिनिर्णीत करने के लिए जल्दबाजी में ऐसा कोई विचार प्रकट नहीं करना चाहिए । परिस्थितियों की सम्पूर्णतः और उत्तेजक और कम करने वाली परिस्थितियों के संतुलन को संज्ञान में लेना चाहिए । हमारी विचारित राय यह है कि दोषसिद्ध-अपीलार्थी के लिए अधिरोपित मृत्यु दंड को आजीवन कारावास से लघुकृत किया जाना चाहिए । (पैरा 18)

परिणामस्वरूप हम दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध-अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम करते हुए परंतु उस पर अधिरोपित मृत्यु दंड को अपास्त करते हैं और तद्नुसार आजीवन कारावास का दंड

उपांतरित करते हैं । उसी तरह हम दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दोषसिद्ध-अपीलार्थी की दोषसिद्धि को अपास्त करते हैं और उसे दंड संहिता की धारा 354 के अधीन दोषी ठहराते हैं तथा उसके लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास का दंड अधिरोपित करते हैं । दोनों दंडादेश साथ-साथ चलेंगे । विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्देश को तद्नुसार उन्मोचित करते हैं और अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई दांडिक अपील को भागतः मंजूर किया जाता है । (पैरा 19)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2013]	ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3622 : **महेन्द्र सिंह** बनाम **पंजाब राज्य ;**	18
[2013]	(2013) 54 ओ. सी. आर. (एस. सी.) 218 = 2012 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5786 : **साठे नारायन** बनाम **राज्य** मार्फत **पुलिस निरीक्षक ;**	6
[2013]	(2013) 55 ओ. सी. आर. (एस. सी.) 623 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. (क्रिमिनल) 1230 : **शंकर किशन राव खडे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य ;**	6,18
[2013]	(2013) 56 ओ. सी. आर. (एस. सी.) 689 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. (क्रिमिनल) 2356 : **दीपक राय और अन्य** बनाम **बिहार राज्य ;**	16,17
[2012]	(2012) 4 एस. सी. सी. 37 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 1377 : **राजेन्द्र प्रलहाद्रों वासनिक** बनाम **महाराष्ट्र राज्य ;**	16,17
[2011]	(2011) 49 ओ. सी. आर. (एस. सी.) 136 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. (क्रिमिनल) 610 : **अशोक सूर्य लाल उल्के** बनाम **महाराष्ट्र राज्य ;**	9
[2011]	ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 72 : **वरूण चौधरी** बनाम **राजस्थान राज्य ;**	12

[2011] (2011) 3 एस. सी. सी. 85 =
ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1000 :
बी. ए. उमेश बनाम **महा-रजिस्ट्रार, कर्नाटक उच्च न्यायालय ;** 16, 17

[2011] (2011) 12 एस. सी. सी. 554 =
ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 2913 :
अमिताव बनर्जी बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य ;** 12

[2010] (2010) 10 एस. सी. सी. 439 =
ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 200 :
परमजीत सिंह बनाम **उत्तराखंड राज्य ;** 12

[2010] (2010) 1 एस. सी. सी. 94 =
ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 566 :
मोहम्मद अंकोश और अन्य बनाम
लोक अभियोजक, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ; 9

[2009] (2009) 11 एस. सी. सी. 566 =
ए. आई. आर. 2009 एस. सी. (सप्ली.) 272 :
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम **दिनेश ;** 5, 9

[2008] ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 533 :
कपिल देव मंडल और अन्य बनाम **बिहार राज्य ;** 5, 9

[2008] (2008) 13 एस. सी. सी. 515 =
ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 1747 :
राम स्वरूप बनाम **राजस्थान राज्य ;** 6, 9

[2008] (2008) 11 एस. सी. सी. 113 =
ए. आई. आर. 2009 एस. सी. (सप्ली.) 1367 :
बन्टू बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य ;** 16, 17

[2008] (2008) 15 एस. सी. सी. 269 =
ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 56 :
शिवाजी उर्फ **दादिया शंकर अल्हत** बनाम
महाराष्ट्र राज्य ; 16, 17

[2008] ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 515 :
महमूद बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य ;** 9

[2007] (2007) 11 एस. सी. सी. 467 =
ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 848 :
विश्व प्रसाद सिन्हा बनाम **असम राज्य ;** 18

[2007] ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 144 :
राजस्थान राज्य बनाम **काशीराम ;** 6

[2007] (2007) 3 एस. सी. सी. 755 =
ए. आई. आर. 2007 एस. सी. (सप्ली.) 61 :
गोवा राज्य बनाम **संजय ;** 6

[2007] (2007) 3 क्राइम 281 एस. सी. =
ए. आई. आर. 2007 एस. सी. (स्प्ली.) 678 :
बी. सी. देवा उर्फ **देयावा** बनाम **कर्नाटक राज्य** ; 9

[2007] (2007) 4 एस. सी. सी. 713 =
ए. आई. आर. 2007 एस. सी. (सप्ली.) 556 :
शिवु और एक अन्य बनाम **महा रजिस्ट्रार,**
कर्नाटक उच्च न्यायालय और एक अन्य ; 16,17

[2006] (2006) 1 एस. सी. सी. 283 =
ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 508 :
विष्णु बनाम **महाराष्ट्र राज्य ;** 6,9

[2005] (2005) 3 एस. सी. सी. 114 =
ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 1000 :
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम **सतीश ;** 6,16,17

[2004] (2004) 10 एस. सी. सी. 692 =
ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 2158 :
मैनपाल और एक अन्य बनाम **हरियाणा**
राज्य और अन्य ; 6,9

[2004] 2004 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6479 =
ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 203 :
दलीप सिंह उर्फ **दलीप कुमार** बनाम **बिहार राज्य ;** 9

[2003] (2003) 12 एस. सी. सी. 606 =
ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1053 :
रामानंद यादव बनाम **प्रभू नाथ झा और अन्य ;** 6,9

[1999] 1999 क्रिमिनल ला जर्नल 5051 :
राजस्थान राज्य बनाम **खूमा ;** 12

[1998] ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 249 :
श्रीमती ओमवती बनाम **महेन्द्र सिंह और अन्य ;** 12

[1998] (1998) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 704 =
ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 242 :
लेखराज बनाम **गुजरात राज्य ;** 12

[1998] (1998) 7 एस. सी. सी. 478 =
ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 3317 :
उदय कुमार बनाम **कर्नाटक राज्य ;** 12

[1997] 1997 क्रिमिनल ला जर्नल 398 :
मनोहर बनाम **कर्नाटक राज्य ;** 5,9

[1994] (1994) 2 एस. सी. सी. 220 =
1995 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 510 :
धनंजय चटर्जी बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य ;** 16,17

[1994] (1994) 3 एस. सी. सी. 381 =
ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 1387 :
लक्ष्मण नायक बनाम **उड़ीसा राज्य ;** 16

[1992] (1992) 3 एस. सी. सी. 204 =
1992 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1480 :
मदन गोपाल कोक्कड़ बनाम **नवल दुबे और एक अन्य ;** 6,9

[1992] (1992) 3 एस. सी. सी. 43 =
ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 1175 :
मुलख राय और अन्य बनाम **सतीश कुमार और अन्य ;** 12

[1989] ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 144 :
मुकुन्द लाल और एक अन्य बनाम **भारत संघ और एक अन्य ;** 5,9

[1985] [1985] 1 उम. नि. प. 995 =
ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622 :
शरद बिरधी चन्द शारदा बनाम **महाराष्ट्र राज्य ;** 6,10

[1983] ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 957 :
माछी सिंह बनाम **पंजाब राज्य ;** 16,17

[1980] ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 898 :
बचन सिंह बनाम **पंजाब राज्य ;** 16

[1979] ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1620 :
लखन पाल बनाम **मध्य प्रदेश राज्य ;** 5,11

[1979] (1979) 4 एस. सी. सी. 349 =
ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1194 :
मांगे बनाम **हरियाणा राज्य ;** 6,9

[1979] (1979) 3 एस. सी. सी. 366 =
ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 716 :
नाथु जरम बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य ;** 16,17

[1956] ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 404 :
शंभू नाथ मेहर बनाम **अजमेर राज्य** । 6

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की डी. एस. आर. ई. एफ. सं. 3 तथा 2013 की दांडिक अपील सं. 242.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री डी. पी. दास

राज्य की ओर से श्री विष्णु प्रसाद, प्रधान अपर सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति विश्वजीत मोहंती ने दिया ।

न्या. मोहंती – वर्तमान मृत्यु निर्देश सं. 2013 की सं. 3 जो 2011 की दांडिक विचारण सं. 67 से उद्भूत है जिसमें विद्वान् सेशन न्यायाधीश, नबरांगपुर ने दंड संहिता की धारा 376/302 के अधीन अपराध से अभियुक्त को दोषी ठहराया और तद्नुसार उसे इसके अधीन दोषसिद्ध किया गया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश, नबरांगपुर द्वारा ऐसी दोषसिद्धि करने के पश्चात्

दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 376 के अधीन मृत्यु दंड से दंडादिष्ट किया और यह भी निदेश दिया कि दोषसिद्ध अभियुक्त व्यक्ति को जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए तब तक गर्दन से लटकाया जाएगा । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने यह भी निदेश दिया कि मृत्यु दंड की पुष्टि किए जाने के उपरांत इस न्यायालय को उसकी कार्यवाहियां प्रस्तुत की जाएंगी । पूर्वोक्त दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश को चुनौती देते हुए दोषसिद्ध अभियुक्त व्यक्ति मिश्र पराजा ने इस न्यायालय के समक्ष 2013 की सी. आर. एल. ए. सं. 242 फाइल की । इसकी पृष्ठभूमि में उपरोक्त उल्लिखित मृत्यु दंड निर्देश और दांडिक अपील एक साथ सुनी गई और उनका एक ही निर्णय से निपटारा किया जा रहा है ।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 27 फरवरी, 2011 को लगभग 4.00 बजे अपराह्न मृतका लछानदेई गोंड अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 की भूमि की सीमा के नजदीक आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी । अभि. सा. 6 अभि. सा. 8 की पत्नी है और उस समय वे दोनों अपने खेत में काम कर रहे थे । उस समय दोषसिद्ध-अपीलार्थी घटनास्थल पर आया और मृतका की पहनी हुई साड़ी को हटा दिया और उससे बलात्संग किया । जब मृतका चीखी-चिल्लाई तब अभि. सा. 6 घटनास्थल पर दौड़कर पहुंची और अभि. सा. 8 गांववासियों को बुलाने के लिए गांव की ओर अग्रसर हुआ । अभि. सा. 6 ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोषसिद्ध-अपीलार्थी को घसीटा जो मृतका के ऊपर नग्न हालत में था उसके ऊपर लेटा हुआ था और उससे मैथुन कार्य कर रहा था । अभि. सा. 6 ने दोषसिद्ध-अपीलार्थी के दो थप्पड़ भी मारे और उसे चेताया भी था । दोषसिद्ध-अपीलार्थी ने क्रोधित होकर अभि. सा. 6 का पीछा किया जो नग्न हालत में था और उसने यह कहा कि वह अभि. सा. 6 के साथ भी बलात्संग करेगा और उसकी हत्या कर देगा । इसलिए, अभि. सा. 6 भय के मारे गांव की ओर भागी और गांववासियों को सूचना दी । इसके पश्चात् अभि. सा. 6 और उसका पति अभि. सा. 8 दोनों गांववासियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने मृतका के शव को पाया । अभि. सा. 8 के अनुसार कि वह घटना के लगभग 10 मिनट पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचा । अभि. सा. 1 जो इत्तिला देने वाला है और मृतका का पुत्र है उसे अभि. सा. 8 द्वारा सूचना दी गई थी और वह भी अन्य गांववासियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और उसने देखा कि उसकी माता पहले ही मृत पड़ी हुई है और दोषसिद्ध-अपीलार्थी उसकी माता के शव को जो नग्न हालत में थी अपने कंधे पर रखकर "मसानीपाड़ा" दफनाए जाने की जमीन की

ओर ले जा रहा था । तत्काल अभि. सा. 1 ने अन्य लोगों के साथ दोषसिद्ध-अपीलार्थी को रोका और प्रदर्श 8 के अंतर्गत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए उमेरकोते, पुलिस थाने पर पहुंचा । प्रदर्श 8 के अंतर्गत उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभि. सा. 16 द्वारा लिखी गई थी । अभि. सा. 1 द्वारा दिए गए अनुदेश के अनुसार उक्त रिपोर्ट के बल पर पुलिस ने 2011 का मामला सं. 46 उमेरकोते, पुलिस थाने पर रजिस्ट्रीकृत की और अन्वेषण का जिम्मा लिया । अन्वेषण के दौरान अन्वेषक अधिकारी ने इत्तिला देने वाला और अन्य लोगों की परीक्षा की और लछानदेई गोंड के शव की मृत्यु-समीक्षा की । पुलिस ने मृतका के शव का शवपरीक्षण करने के लिए याचना की और उन्होंने अभियुक्त और मृतका दोनों के पहने हुए कपड़ों को अभिगृहीत किया तथा क्षेत्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला, बेहरामपुर गंजम रासायनिक परीक्षा के लिए भिन्न-भिन्न सामग्री भेजी । पुलिस ने तारीख 27 फरवरी, 2011 को दोषसिद्ध-अपीलार्थी को गिरफ्तार किया और उसके विरुद्ध आगे कार्यवाही शुरू की । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् पुलिस ने दंड संहिता की धारा 302/376/294/506 के अधीन अपराधों के लिए तारीख 24 जून, 2011 को दोषसिद्ध-अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किए । विद्वान् जे. एम. एफ. सी., उमेरकोते द्वारा तारीख 12 अगस्त, 2011 को आदेश पारित करके 2011 के उमेरकोते, पुलिस थाना मामला सं. 46 में से उद्भूत 2011 का जी. आर. मामला सं. 121 के अधीन दंड संहिता की धारा 302/376/294/506 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया । इसके पश्चात् विद्वान् जे. एम. एफ. सी. ने विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, नबरांगपुर के न्यायालय में जी. आर. मामला सुपुर्द किया । उक्त सुपुर्दगी के आधार पर 2011 का दांडिक विचारण सं. 67 विद्वान् सेशन न्यायाधीश, नबरांगपुर के न्यायालय में रजिस्ट्रीकृत किया गया था । विद्वान् सेशन न्यायाधीश, नबरांगपुर ने तारीख 21 अगस्त, 2012 को आदेश पारित करके वर्तमान दोषसिद्ध-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302/376 के अधीन आरोप विरचित किए । दोषसिद्ध-अपीलार्थी के विरुद्ध मृतका लछानदेई गोंड की हत्या और बलात्संग करने के लिए दंड संहिता की धारा 302/376 के अधीन उसका विचारण किया गया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश के समक्ष दोषसिद्ध-अपीलार्थी ने मामला होने से पूरी तरह इनकार किया है ।

3. अभियोजन पक्ष ने दोषसिद्ध-अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने के लिए कुल मिलाकर 18 साक्षियों की परीक्षा की । अभि. सा. 1 इत्तिला देने वाला है जो मृतका का पुत्र है । अभि. सा. 1, 2, 3, 4, 5, 7,

10 और 12 घटना घटने के बाद के साक्षी हैं जो घटनास्थल पर अभिकथित घटना घटने के पश्चात् आए थे । अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 ने घटना के कुछ भाग को देखे जाने का दावा किया है, खासतौर पर जो बलात्संग से संबंधित है । अभि. सा. 9 डाक्टर है जिसने मृतका के शव का शवपरीक्षण किया और प्रदर्श 4 के अधीन शवपरीक्षण रिपोर्ट तैयार की । अभि. सा. 14 डाक्टर है जिसने पुलिस के अनुरोध पर दोषसिद्ध-अपीलार्थी की परीक्षा की प्रदर्श 6 के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट तैयार की । अभि. सा. 16 प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श 8) को लिखने वाला है और अभि. सा. 13 अभिग्रहण का साक्षी है । अभि. सा. 11 और अभि. सा. 15 ने घटना के बारे में कुछ भी अभिसाक्ष्य नहीं दिया है । अभि. सा. 17 और अभि. सा. 18 अन्वेषक अधिकारी हैं ।

4. दोषसिद्ध-अपीलार्थी ने अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य नहीं दिया है । अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् दोषसिद्ध-अपीलार्थी की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा की गई थी । उसने प्रश्न का नकारात्मक रूप में उत्तर दिया और यह अभिवाक् किया कि गांववासियों द्वारा शत्रुतावश उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने विचारण पूरा करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष ने सभी युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को सिद्ध किया है और तद्नुसार दंड संहिता की धारा 302/376 के अधीन दोषसिद्ध-अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया और दंड संहिता की धारा 302 के अधीन उसे मृत्यु दंड का दंडादेश दिया गया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने दंड संहिता की धारा 376 के अधीन बलात्संग के दंडनीय अपराध के बारे में दोषसिद्ध-अपीलार्थी के दंड को पृथक् नहीं किया है ।

5. दोषसिद्ध-अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री डी. पी. दास ने आक्षेपित निर्णय को आक्षेपित करते हुए यह दलील दी है कि बलात्संग के अपराध के आरोप को कायम रखने के लिए कोई पूर्ण साक्ष्य नहीं है । विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि को अभिलिखित करने के लिए अटकलबाजियों का अवलंब लिया है । उसके अनुसार इस तथ्य के अतिरिक्त कि पीड़िता की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य प्रकट नहीं हुआ है क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी, वर्तमान मामले में चिकित्सा साक्ष्य बलात्संग के अपराध को कारित किए जाने को अस्वीकार करता है । इस संदर्भ में उन्होंने डाक्टर अभि. सा. 9 और अभि. सा. 14 के साक्ष्य का अवलंब लिया है । अभि. सा. 9 ने मृतका

के शव की शव-परीक्षा की और अभि. सा. 14 ने पुलिस के अनुरोध पर अभियुक्त की परीक्षा की । इस संदर्भ में उन्होंने यह निवेदन किया कि यह एक ऐसा मामला है जहां चिकित्सा साक्ष्य मौखिक साक्ष्य से पूर्णतया असंगत है और बलात्संग किए जाने के बारे में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी (अभि. सा. 6 और 8) के वृत्तांत पूर्णतया अधिसंभाव्य प्रतीत होते हैं । उन्होंने यह निवेदन किया कि इस पृष्ठभूमि में ऐसी परिस्थितियों के अधीन चिकित्सा साक्ष्य को प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के वृत्तांत पर अधिमानता दी जाती है । उसके अनुसार प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के मौखिक साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य के बीच कोई विचलन नहीं है । यह एक ऐसा मामला है जहां चिकित्सा साक्ष्य को प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के वृत्तांत को पूर्णतया अस्वीकार करता है । इस संदर्भ में उन्होंने **कपिल देव मंडल और अन्य** बनाम **बिहार राज्य**[1] तथा **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **दिनेश**[2] वाले मामलों में के माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों का अवलंब लिया । उन्होंने यह भी दलील दी कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को प्राथमिकता देने के लिए निर्णय के पैरा 19 के विनिश्चयों का अवलंब लिया और तथ्यात्मक रूप से विभेद प्रकट किया गया है । दूसरा उन्होंने यह दलील दी कि न केवल चिकित्सा साक्ष्य बल्कि रासायनिक परीक्षा की रिपोर्ट और अन्य परिस्थितियां बलात्संग के अभिकथन को नासाबित करते हैं । उसके अनुसार रासायनिक परीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार जिसे प्रदर्श 13 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया, वीर्य के धब्बे, रक्त के धब्बे और बाहरी बालों का प्रदर्श 12 के अंतर्गत दिए गए प्रदर्शों में पता नहीं लगाया जा सका । तीसरा उन्होंने यह निवेदन किया कि अभि. सा. 6 के साक्ष्य में और प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 17 द्वारा किए गए कथन में बड़े विभेद विद्यमान हैं । इस संदर्भ में उन्होंने यह निवेदन किया कि प्रतिपरीक्षा में अभि. सा. 17 ने यह कथन किया कि अभि. सा. 6 ने कभी भी उसके समक्ष यह कथन नहीं किया कि मृतका के साथ बलात्संग किए जाने के समय पर वह नग्न अवस्था में थी और अभियुक्त बलात्संग करते समय नग्न अवस्था में उसके ऊपर सोया था और अभियुक्त ने मृतका का गला घोंट दिया था । यद्यपि ऐसी बातें जिनके बारे में अभि. सा. 17 द्वारा इंगित किया गया है, इन बातों को अभि. सा. 6 के प्रतिपरीक्षा में नहीं रखा गया था, तथापि, विचारण न्यायालय ने केस डायरी का परिशीलन किया और उसके आधार पर बलात्संग के संबंध में अभि.

---

[1] ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 533.

[2] (2009) 11 एस. सी. सी. 566 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. (सप्ली.) 272.

सा. 6 के वृत्तांत को बाहर करना चाहिए था । इस संदर्भ में श्री दास ने **मनोहर** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1], **मुकुन्द लाल और अन्य** बनाम **भारत संघ और एक अन्य**[2] वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय के दो विनिश्चयों का अवलंब लिया ।

जहां तक हत्या किए जाने के लिए दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि का संबंध है, श्री दास के अनुसार अभियोजन की ओर से दिए गए साक्ष्य में समान रूप से कमी है । यद्यपि मृतका की गला घोंटने के कारण श्वासावरोध से मृत्यु हुई थी, स्वीकृततः, किसी भी व्यक्ति ने अपीलार्थी द्वारा मृतका पर किए जाने वाले हमले को नहीं देखा । जहां तक विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम बार देखे जाने की कहानी का संबंध है, श्री दास ने यह निवेदन किया कि यह बात हत्या के लिए व्यक्ति को दोषी ठहराने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता । इस संदर्भ में उन्होने **लखन पाल** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[3] वाले मामले में संप्रकाशित विनिश्चय का अवलंब लिया है । दूसरा, उन्होंने यह निवेदन किया कि किसी दांडिक मामले में हेतु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है परंतु यहां पर इस मामले में उसके अनुसार जहां अभियोजन पक्ष ने कोई विनिर्दिष्ट कारण इस बारे में नहीं दिया है कि दोषसिद्ध-अपीलार्थी ने मृतका के जीवन को क्यों छीन लिया । चूंकि बलात्संग का अभिकथन मिथ्या पाया गया है । इस बारे में ऐसा कोई कारण नहीं है कि दोषसिद्ध-अपीलार्थी ने मृतका का जीवन क्यों छीन लिया था । किसी हेतु के अभाव में और वृद्ध महिला की हत्या करने का जो कुछ भी कारण रहा हो वह किसी तर्क को पैदा नहीं करता है । तीसरा, उन्होंने यह दलील दी कि मृतका की हत्या के लिए अभियुक्त को संबद्ध करने का कोई वैज्ञानिक साक्ष्य मौजूद नहीं है । उसके अनुसार शवपरीक्षण रिपोर्ट में यह पाया गया कि स्तन के नीचे दाहिने वक्ष पर रेखीय खरोंच है जो नाखूनों के चिह्नों से मिलता-जुलता है और यदि अभियुक्त अपराध का कर्ता होता तब सभी प्रकार यह अधिसंभावना थी कि उसके नाखून के कतरनों पर सकारात्मक चिह्न होते । यद्यपि नाखून के कतरनों को क्षेत्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला बहरामपुर पर रासायनिक परीक्षा के लिए भेजा गया था तथापि, प्रदर्श 13 से यह स्पष्ट किया गया है कि नाखून के कतरनों पर कुछ भी रक्त के धब्बे नहीं पाए गए थे । चौथा,

---

[1] 1997 क्रिमिनल ला जर्नल 398.

[2] ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 144.

[3] ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1620.

उन्होंने यह दलील दी कि जहां तक मृतका के शव को खींच कर लाए जाने के अभिकथन का संबंध है, यह अभिकथन अविश्वसनीय है क्योंकि इस विषय पर साक्ष्य अत्यधिक प्रतिकूल है । इस संदर्भ में उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान अभि. सा. 1, 2, 6, 8 और 10 के साक्ष्य की ओर दिलाया । उसके अनुसार ऊपर उल्लिखित साक्षियों के साक्ष्य का संयुक्त रूप से परिशीलन करने पर इसमें पूर्णतया गंभीर विभेद प्रकट होते हैं और इसलिए, उनका कोई अवलंब नहीं लिया जा सकता है और तद्नुसार, दोषसिद्ध-अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाता है । विचारण न्यायालय द्वारा उद्धृत कई विनिश्चयों के संबंध में उन्होंने यह निवेदन किया कि उनमें से अधिकांश में तथ्यात्मक रूप से विभेद किया गया है और बाकी में कोई सिद्धांत अधिकथित नहीं किया गया है जो दोषसिद्ध-अपीलार्थी के विरुद्ध जाते हैं ।

6. श्री बी. पी. प्रधान विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का पक्ष लेते हुए यह दलील दी है कि जहां तक दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दोषसिद्धि का संबंध है, अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य स्पष्ट हैं और यद्यपि, ऊपर उल्लिखित दोनों साक्षियों से लंबी प्रतिपरीक्षा की गई थी परंतु उनके परिसाक्ष्य को हटाने के लिए कोई सारभूत बात प्रकट नहीं हुई । इसलिए, दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दोषसिद्धि का यह स्पष्ट मामला बनता है । दूसरा चिकित्सा साक्ष्य के विभेद के बारे में उन्होंने यह दलील दी है कि इस बारे में विधि सुस्थिर है कि चिकित्सा साक्ष्य का प्रत्यक्षदर्शी-साक्षियों के साक्ष्य को मिथ्या ठहराने के लिए अवलंब नहीं लिया जा सकता है । प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य को डाक्टर द्वारा अभिव्यक्त की गई राय के आधार पर त्यक्त करना दांडिक न्याय को चलाने के लिए अनुकूल नहीं है । उसके अनुसार यह घिसी-पिटी विधि है कि मौखिक साक्ष्य को प्राथमिकता दी जाती है और चिकित्सा साक्ष्य आधारिक रूप से राय प्रधान होता है । डाक्टर की राय में कोई बाध्यकारी बल नहीं हो सकता और इसे अंतिम शब्द होना नहीं कहा जा सकता । इस संदर्भ में श्री प्रधान ने **रामानंद यादव** बनाम **प्रभू नाथ झा और अन्य**[1], **मांगे** बनाम **हरियाणा राज्य**[2], **मदन गोपाल कोक्कड़** बनाम **नवल दूबे और एक अन्य**[3],

---

[1] (2003) 12 एस. सी. सी. 606 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1053.

[2] (1979) 4 एस. सी. सी. 349 = ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1194.

[3] (2003) (1992) 3 एस. सी. सी. 204 = 1992 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1480.

राम स्वरूप बनाम **राजस्थान राज्य**[1], **मैनपाल और एक अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य और अन्य**[2] और **विष्णु** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[3] वाले मामलों में दिए गए विनिश्चयों का अवलंब लिया । तीसरा, उन्होंने यह निवेदन किया कि यह सुस्थिर विधि है कि पीड़िता के मामले में जो एक विवाहित महिला है, बलात्संग के मामले में उसके गुप्तांग भाग पर कोई आंतरिक क्षति से उसका ग्रसित होना मुश्किल से कोई संयोग रहा होगा और इसके अतिरिक्त गुप्तांग भाग में क्षति के अभाव में बलात्संग का मामला मिथ्या नहीं होगा और न इससे सहमति के साक्ष्य का अर्थान्वयन किया जा सकता है । मुख्यतः प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 के वृत्तांत का अवलंब लेते हुए उन्होंने यह निवेदन किया कि दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध को समान रूप से साबित किया गया है और दोषसिद्ध-अपीलार्थी को विचारण न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दोषसिद्ध करके ठीक ही किया है ।

दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि के बारे में प्रथमतः उन्होंने यह दलील दी है कि निचले न्यायालय ने अंतिम बार देखे जाने की कहानी का सही रूप से अवलंब लिया है क्योंकि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराने की परिस्थितियों में से एक है । उनके अनुसार अंतिम बार देखे जाने की कहानी भूमिका में तब आती है जहां अभियुक्त और मृतका के बीच का समय अंतराल जहां वहां वह अंतिम बार जीवित देखी गई थी और जब मृतका मृत पाई गई तब अभियुक्त के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में यह संभावना व्यक्त नहीं की जाती है कि वह अपराध का कर्ता रहा है, यह बात असंभव हो गई है । इस मामले में उन्होंने यह दलील दी कि मृतका आम के पेड़ के नजदीक लगभग 4.00 बजे अपराह्न अपीलार्थी के साथ अंतिम बार जीवित देखी गई थी जैसाकि अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 का साक्ष्य है । अभि. सा. 8 ने विनिर्दिष्ट रूप से अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि मृतका और दोषसिद्ध-अपीलार्थी को छोड़कर कोई दूसरा व्यक्ति घटनास्थल के नजदीक नहीं था । इसके पश्चात् लगभग 4.10 बजे अपराह्न मृतका मृत पाई गई थी और उसका शव दोषसिद्ध-अपीलार्थी की अभिरक्षा में था इस संदर्भ में उन्होंने अभि. सा. 8 के

---

[1] (2008) 13 एस. सी. सी. 515 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 1747.

[2] (2004) 10 एस. सी. सी. 692 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 2158.

[3] (2006) 1 एस. सी. सी. 283 = ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 508.

साक्ष्य का अवलंब लिया जिन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि अपनी पत्नी अभि. सा. 6 को घटनास्थल पर भेजने के पश्चात् वह गांव की ओर दौड़ा था और गांववासियों के साथ वह गांव से घटनास्थल पर पहुंचा तथा वह लगभग घटना के 10 मिनट पश्चात् वहां पर पहुंचा । इसके अतिरिक्त अभि. सा. 10 और अभि. सा. 12 ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि दोषसिद्ध-अपीलार्थी लगभग 4.00 बजे अपराह्न मृतका के शव को घसीटते हुए मसानीपाड़ा की ओर ले जा रहा था । श्री प्रधान के अनुसार अभि. सा. 6, 8 और 10 तथा 12 के साक्ष्य यथावत् रहे हैं और प्रतिपरीक्षा में उनके साक्ष्य को किसी प्रकार हटाया नहीं गया है । इस प्रकार, अंतिम बार देखे जाने की कहानी को अभियोजन पक्ष द्वारा सफलतापूर्वक सिद्ध किया गया है । इस संदर्भ में उन्होंने **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **सतीश**[1], **शंकर किशन राव खडे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2] और **राजस्थान राज्य** बनाम **काशीराम**[3] वाले मामलों में दिए गए उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों का अवलंब लिया । दूसरा, श्री प्रधान ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 106 का अवलंब लिया और यह निवेदन किया कि अपीलार्थी ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि महिला की मृत्यु कैसे हुई थी । मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह तथ्य प्रकट हुआ है कि महिला अपीलार्थी के साथ 4.00 बजे अपराह्न तक जीवित थी और 10 मिनट पश्चात् उसकी गला घोंटने के कारण श्वासावरोध के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई थी और मृत्यु का कारण अपीलार्थी की विशेष जानकारी में हो सकता था न कि किसी दूसरे व्यक्ति के । उन्होंने यह दलील दी कि अभि. सा. 8 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी और मृतका के सिवाय घटनास्थल पर कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था । इस प्रकार मृत्यु का कारण केवल दोषसिद्ध-अपीलार्थी की जानकारी में हो सकता है । क्योंकि उसने मृतका की मृत्यु के कारण के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, वह (अपीलार्थी) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन उस पर डाले गए भार का निर्वहन करने में विफल हुआ है । तद्नुसार उसकी दोषसिद्धि की गई । इस संदर्भ में श्री प्रधान ने **शंभू नाथ मेहर** बनाम **अजमेर राज्य**[4], **गोवा राज्य** बनाम

---

[1] (2005) 3 एस. सी. सी. 114 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 1000.

[2] (2013) 55 ओ. सी. आर. (एस. सी.) 623 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. (क्रिमिनल) 1230.

[3] ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 144.

[4] ए. आई. आरत 1956 एस. सी. 404.

संजय[1], **राजस्थान राज्य** बनाम **काशीराम**[2] और **साठे नारायन** बनाम **राज्य** मार्फत **पुलिस निरीक्षक**[3] वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चयों का अवलंब लिया है । तीसरा, उन्होंने यह निवेदन किया है कि दोषसिद्ध-अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपनी परीक्षा में अपने विरुद्ध अभिलेख पर लाई गई अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है । खासतौर पर इस तथ्य के बारे में कि मृतका अभियुक्त के साथ अंतिम बार जीवित देखी गई थी और मृतका का शव बहुत कम समय के अंदर अभियुक्त की अभिरक्षा में पाया गया था । इसके विपरीत अपीलार्थी ने मामले में अंतर्वलित होने से पूर्णतया इनकार किया है । अतः इससे परिस्थितियों की शृंखला की गायब कड़ी प्रकट होती है जिससे युक्तियुक्त संदेह के परे उसकी दोषिता साबित होती है । चौथा, उन्होंने यह दलील दी कि डाक्टर अभि. सा. 9 ने यह राय व्यक्त की है कि मृतका की मृत्यु का कारण गला घोंटने के परिणामस्वरूप श्वासावरोध से हुई थी । अभि. सा. 9 ने स्पष्ट रूप से यह राय प्रकट की है कि क्षतियां प्रकृति में मृत्यु पूर्व थीं । यद्यपि अभि. सा. 9 की प्रतिपरीक्षा की गई थी और उसका साक्ष्य अखंडनीय रहा था । पांचवा, उन्होंने यह दलील दी कि दोषसिद्ध-अपीलार्थी अभि. सा. 1 और अभि. सा. 10 द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया था जब वह नग्न अवस्था में शव को ले जा रहा था । इसके अतिरिक्त अभि. सा. 10 और अभि. सा. 12 ने यह कथन किया कि दोषसिद्ध-अपीलार्थी "मसानीपाड़ा" (दफनाने का स्थान) की ओर शव को ले जा रहा था । उन्होंने यह भी निवेदन किया कि दोषसिद्ध-अपीलार्थी का हेतु इस तथ्य से स्पष्ट है कि उसने बलात्संग के अपराध को किए जाने के संबंध में अपने विभत्स अपराध को छुपाने के लिए मृतका की हत्या की थी । तद्नुसार उन्होंने यह निवेदन किया कि जहां तक दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध का संबंध है परिस्थितियों की शृंखला पूरी है और इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है की दोषसिद्ध-अपीलार्थी अपराध का कर्ता है न कि कोई दूसरा । इस संदर्भ में उन्होंने **शरद बिरधी चन्द शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[4] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों का अवलंब लिया । अंत में उन्होंने यह दलील दी कि वर्तमान मामला विरल

---

[1] (2007) 3 एस. सी. सी. 755 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. (सप्ली.) 61.

[2] ए. आई. आर. 2007 एस. सी. सी. 144.

[3] (2013) 54 ओ. सी. आर. (एस. सी.) 218 = 2012 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5786.

[4] [1985] 1 उम. नि. प. 995 = ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622.

से विरलतम मामले के प्रवर्ग के अधीन आता है और निचले न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड ठीक ही अधिनिर्णीत किया गया है ।

7. दोषसिद्ध-अपीलार्थी ने न तो इस तथ्य पर विवाद किया है और न उसे चुनौती दी है कि लछानदेई गोंड की मृत्यु मानव वध प्रकृति की है । यहां पर यह भी उल्लेख किया गया है कि लछानदेई गोंड की मृत्यु की प्रकृति को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 9 के साक्ष्य का अवलंब लिया है जिन्होंने मृतका के शव का शवपरीक्षण किया था । शवपरीक्षण के दौरान अभि. सा. 9 ने निम्नलिखित क्षतियां पाई थीं :–

"बाहरी क्षतियां

(i) दाहिने अंशफलक क्षेत्र के ऊपर (संख्या में 2) 2 से. मी. स्थित त्वचा पर गहरा 2 से. मी. × 2 से. मी. के आकार की एक खरोंच ।

(ii) नीचे दाहिने कक्षीय पर स्थित त्वचा पर गहरा 6 से. मी. × 7 से. मी. आकार की खरोंच ।

(iii) स्तनों के नीचे (संख्या में 4) दाहिने वक्ष पर रेखीय खरोंच मौजूद । वे नाखून के चिह्न लग रहे थे ।

(iv) दाहिने घुटने के ऊपर 2 से. मी. × 2 से. मी. आकार की खरोंच ।

(v) गर्दन के ऊपर और जीभ के निचले क्षेत्र पर नील । पूरे क्षेत्र में सूजन थी ।

(vi) निचली गर्दन और दोनों कंधों पर नील ।

(vii) कान की रेखा के नीचे गर्दन के दोनों ओर गर्दन की आधी परिधि पर खरोंच देखी गई और दोनों ओर संख्या में 3 थीं तथा अलग-अलग खरोंच 1/2 से. मी. के आकार में थीं ।

आंतरिक क्षतियां

(i) गर्दन का विच्छेदन करने पर थक्केदार रक्त की बृहत मात्रा त्वचा के नीचे और मांसपेशियों के बीच पाई गई थी । गर्दन के वलयाकार अस्थि का अस्थिभंग पाया गया था ।

(ii) हृदय तरल रक्त से भरा हुआ था ।

(iii) आमाशय खाली था ।

(iv) जननांग और उसके आस-पास के क्षेत्र में कोई क्षतियां नहीं पाई गई थीं और कोई धब्बे नहीं पाए गए थे तथा जननांग के आस-पास के क्षेत्र में कोई बाल मौजूद नहीं था ।"

8. अभि. सा. 9 जिन्होंने शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 4 को साबित किया है उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि ऊपर उल्लिखित सभी क्षतियां प्रकृति में मृत्यु पूर्व थीं और मृत्यु का कारण गला घोंटने के परिणामस्वरूप श्वासावरोध के कारण थी । यह प्रकृति में मानव वध था । यहां पर यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अभि. सा. 9 के साक्ष्य का यह भाग प्रतिपरीक्षा के दौरान अखंडनीय रहा है । इन सभी बातों से यह निगमित हो सकता है कि लछानदेई गोंड की मृत्यु की प्रकृति मानव वध की प्रकृति था/है ।

9. हमने अभिलेख के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है । यह प्रकट हुआ है कि अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 घटना के भाग के साक्षी हैं अर्थात् दोषसिद्ध-अपीलार्थी द्वारा मृतका से बलात्संग किए जाने से संबंधित अभिकथन के साक्षी हैं । अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 दोनों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने दोषसिद्ध-अपीलार्थी द्वारा मृतका से बलात्संग किए जाने की घटना को देखा था । उपरोक्त उल्लिखित तथ्य को देखे जाने पर अभि. सा. 6 पत्नी घटनास्थल की ओर दौड़कर गई । अभि. सा. 8 पति गांववासियों को बुलाने के लिए गांव वापस आया । पति द्वारा ऐसा विशिष्ट व्यवहार किया गया है । अभि. सा. 6 ने घटनास्थल पर पहुंचकर अभियुक्त को खींचा और अभियुक्त से यह कहते हुए उसके दो थप्पड़ मारे कि वह एक वृद्ध महिला के साथ बलात्संग क्यों कर रहा है । अभि. सा. 6 का साक्ष्य यह है कि अभियुक्त ने नग्न अवस्था में उसका पीछा किया और यह कहा कि वह उससे बलात्संग करेगा और उसकी हत्या कर देगा । तद्नुसार अभि. सा. 6 साही की ओर भागी और गांववासियों के साथ घटनास्थल पर वापस पहुंची । उस समय जब अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 घटनास्थल पर पहुंचे तब उन्होंने मृतका के शव को देखा था । अभि. सा. 8 द्वारा सूचना देने पर अभि. सा. 1 इत्तिला देने वाला जो मृतका का पुत्र है, घटनास्थल पर पहुंचा और उसने देखा कि दोषसिद्ध-अपीलार्थी उसके मां के शव को ला रहा था । उसने अन्य लोगों के साथ दोषसिद्ध-अपीलार्थी को रोका और प्रदर्श 8 के अंतर्गत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस थाने पर पहुंचा । जहां तक

बलात्संग के अभिकथन का संबंध है अभि. सा. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 और 12 घटना के बाद के साक्षी हैं । यद्यपि अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 का साक्ष्य कि उन्होंने बलात्संग किए जाने को देखा है उनका यह साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडनीय रहा है । तथापि, चिकित्सा साक्ष्य से बलात्संग का अभिकथन पूरी तरह अस्वीकार्य है । अभि. सा. 9 डाक्टर जिन्होंने शव-परीक्षा की अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि बलात्संग के बारे में तथा मैथुन हमले के बारे में कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है । प्रतिपरीक्षा में अभि. सा. 9 ने यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने मृतका की मृत्यु के पूर्व उससे मैथुन किए जाने का कोई लक्षण नहीं पाया है । इसी तरह, अभि. सा. 14 जिन्होंने अभियुक्त की परीक्षा की, स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उन्होंने कोई नवीनतम मैथुन किए जाने का लक्षण नहीं पाया है । इस प्रकार, हम प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों और चिकित्सा साक्ष्य के बीच पूर्णतया असंगतता पाते हैं । श्री दास के अनुसार यह सुस्थापित है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी और चिकित्सा साक्ष्य के बीच विचलन के मामले में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य को प्राथमिकता दी जाएगी, । परंतु जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों और चिकित्सा साक्ष्य में पूर्णतया असंगतता हो तब प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करना कठिन होगा परंतु जैसाकि पूर्व में उपदर्शित किया गया है श्री प्रधान विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के कई विनिश्चयों का अवलंब लेते हुए यह दलील दी है कि चिकित्सा साक्ष्य को अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 के मौखिक साक्ष्य पर रद्द नहीं किया जा सकता जो अखंडनीय रहा हो । इस संदर्भ में उन्होंने इस पहलू पर निचले न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट विनिश्चयों का भी अवलंब लिया है । जैसाकि ऊपर उपदर्शित है अभि. सा. 9 और अभि. सा. 14 का चिकित्सा साक्ष्य मृतका की मृत्यु से पूर्व उससे बलात्संग या मैथुन हमला के साक्ष्य को पूर्णतया अस्वीकार करता है इसलिए, **कपिल देव मंडल और अन्य** बनाम **बिहार राज्य**[1] तथा **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **दिनेश**[2] वाले मामलों संप्रकाशित विनिश्चयों का अवलंब लिया गया, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि निचले न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दोषसिद्धि अभिलिखित करके गलत कार्य किया है । जहां तक दोषसिद्ध-अपीलार्थी का संबंध है । इस संदर्भ में यहां पर यह उल्लेख कर सकते हैं कि विद्वान् अपर सरकारी

---

[1] ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 553.

[2] (2009) 11 एस. सी. सी. 566 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. (सप्ली.) 272.

अधिवक्ता श्री प्रधान द्वारा उद्धृत विनिश्चय और निर्णय के पैरा 19 पर विचारण न्यायालय का विनिश्चय कोई प्रतिकूल सिद्धांत अधिकथित नहीं करता है । **राम स्वरूप** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले मामले के तथ्य का विचारण न्यायालय तथा विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता द्वारा अवलंब लिया गया और यह अधिकथित किया गया है कि मौखिक साक्ष्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और चिकित्सा साक्ष्य राय पर आधारित है । ऐसा केवल तब है जब चिकित्सा साक्ष्य विशेष रूप से ऐसी क्षति को अस्वीकार करता है जैसाकि कारित किए जाने का दावा किया जाता है जो मौखिक परिसाक्ष्य के अनुसार है तब न्यायालय को प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना चाहिए । ऐसा ही सिद्धांत **रामानन्द यादव** बनाम **प्रभू नाथ झा और अन्य**[2] वाले मामले में दोहराया गया है । **विष्णु** उर्फ **अंडरिया** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[3], **मैनपाल और एक अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य और अन्य**[4], **मांगे** बनाम **हरियाणा राज्य**[5], **महमूद** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[6] और **मदन गोपाल कोक्कड़** बनाम **नवल दुबे और एक अन्य**[7] वाले मामलों की भांति शेष निर्णयों में तथ्यात्मक विवधता है । ये ऐसे मामले नहीं हैं जहां वर्तमान मामले की भांति चिकित्सा साक्ष्य को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के वृत्तांत से पूर्णतया अस्वीकार किया गया है । इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामले में रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट जो प्रदर्श 13 से चिह्नित की गई है बलात्संग के अपराध कारित किए जाने के संबंध में अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 के साक्ष्य से भी संपुष्टि नहीं होती है । प्रदर्श 13 में यह स्पष्ट किया गया है कि वीर्य के धब्बे, रक्त के धब्बे और बाहरी बाल का प्रदर्श 12 के अधीन भेजे गए प्रदर्शों में उनका पता नहीं लग सका है । प्रदर्श 12 के अंतर्गत प्रदर्शों में अपीलार्थी की लुंगी और नेकर और उसके रक्त का नमूना और नाखूनों की क्लिपिंग और वीर्य सम्मिलित हैं । प्रदर्श 12 के अंतर्गत प्रदर्शों में मृतका के अंतरंग कपड़ा, कमरबंध, उसकी साड़ी सम्मिलित है । इसके अतिरिक्त श्री दास ने यह निवेदन किया है कि अभि. सा. 6 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि बलात्संग किए जाने के

---

[1] ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 1747 = (2008) 13 एस. सी. सी. 515.

[2] (2003) 12 एस. सी. सी. 606 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1053.

[3] (2006) 1 एस. सी. सी. 283 = ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 508.

[4] (2004) 10 एस. सी. सी. 692 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 2158.

[5] (1979) 4 एस. सी. सी. 349 = ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1194.

[6] ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 515.

[7] (1992) 3 एस. सी. सी. 204 = 1992 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1480.

समय पर दोषसिद्ध-अपीलार्थी नग्न दशा में मृतका के ऊपर सो रहा था और उसने उसके साथ मैथुन किया था । तथापि, अभि. सा. 17 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि अभि. सा. 6 ने अन्वेषण के दौरान उसके समक्ष ऐसी किसी बात के बारे में कभी-भी कथन नहीं किया और यह बात अभि. सा. 6 के वृत्तांत को अविश्वसनीय ठहराती है । तद्नुसार उसने अभि. सा. 6 के वृत्तांत के बारे में प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए केस डायरी का परिशीलन हमसे कराना चाहा । यद्यपि, केस डायरी के परिशीलन करने से यह दर्शित होता है कि अभि. सा. 6 ने अभि. सा. 17 के समक्ष कभी भी यह कथन नहीं किया है कि मृतका से बलात्संग किए जाने के समय पर वह नग्न अवस्था में थी तथा दोषसिद्ध-अपीलार्थी नग्न अवस्था में था और वह बलात्संग किए जाने के लिए उसके ऊपर सोया हुआ था और दोषसिद्ध-अपीलार्थी मृतका की गर्दन को दबाए हुए था । तथापि, यह न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 172(2) में वर्जित अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य के रूप में उसका प्रयोग नहीं कर सकता है । **मोहम्मद अंकोश और अन्य** बनाम **लोक अभियोजक, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय**[1] वाले मामले को देखिए । **मनोहर** बनाम **कर्नाटक राज्य**[2] और **मुकुन्द लाल और एक अन्य** बनाम **भारत संघ और एक अन्य**[3] वाले मामलों में उद्धृत विनिश्चय तथ्यात्मक रूप से विभेद प्रकट करते हैं ।

श्री प्रधान विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता के निवेदनों को ध्यान में रखते हुए कि किसी विवाहित महिला के गुप्तांग भाग पर क्षतियों का अभाव बलात्संग के मामले को मिथ्या नहीं ठहराता है । इस बारे में हमारा उत्तर यह होगा कि विधि की इस प्रतिपादना में कोई विवाद नहीं है किंतु यह एक ऐसा मामला है जहां अभि. सा. 9 और अभि. सा. 14 का साक्ष्य अखंडनीय है और बलात्संग के किसी साक्ष्य को पूर्णतया अस्वीकार करता है । यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि जब यह अधिकथित घटना तारीख 27 फरवरी, 2011 को लगभग 4.00 बजे अपराह्न घटी थी तब अभि. सा. 9 ने तारीख 28 फरवरी, 2011 को शव-परीक्षा की और अभि. सा. 14 ने तारीख 27 फरवरी, 2011 को अपीलार्थी की परीक्षा की । **बी. सी. देवा**

---

[1] (2010) 1 एस. सी. सी. 94 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 566.

[2] 1997 क्रिमिनल ला जर्नल 398.

[3] ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 144.

उर्फ **देयावा** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1], **दलीप सिंह** उर्फ **दलीप कुमार** बनाम **बिहार राज्य**[2] और **बी. सी. देवा** उर्फ **देयावा** बनाम **कर्नाटक राज्य** (उपरोक्त) वाले मामलों में की भांति विनिश्चयों की ऐसी पृष्ठभूमि में किसी प्रकार लागू नहीं होती है क्योंकि उनमें तथ्यात्मक विविधता है । इसी तरह श्री प्रधान विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता द्वारा **अशोक सूर्य लाल उल्के** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[3] में उद्धृत विनिश्चय में तथ्यात्मक विविधता है क्योंकि वर्तमान मामले में पीड़िता की घटनास्थल पर मृत्यु हुई थी ।

अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का संचयी रूप से परीक्षा करने पर हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि निचले न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दोषसिद्ध-अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने में गलती की है । मृतका की साड़ी को हटाने और उसके ऊपर सोने से अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 354 के अधीन ही दोषी ठहराया जा सकता है ।

10. जहां तक दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि का संबंध है, हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि लछानदेई गोंड की हत्या का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी विद्यमान नहीं है । दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध-अपीलार्थी के विरुद्ध मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । पारिस्थितिक साक्ष्य के मूल्यांकन की परिधि को **शरद बिरधी चंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित किया गया है । अब हम इस बारे में विचार करते हैं कि क्या ये परिधियां अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मामले को प्रकट किए जाने के लिए वर्तमान मामले में उनका समाधान हुआ है या नहीं । अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 के साक्ष्य का संयुक्त रूप से परिशीलन करने पर निम्नलिखित तस्वीर उससे प्रकट होती है ; मृतका अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 की भूमि के नजदीक आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी । लगभग 4.00 बजे अपराह्न अभियुक्त वहां पर आया और उसने मृतका की साड़ी हटा दी और उससे बलात्संग किया । जब मृतका चीखी-चिल्लाई तब अभि. सा. 6 घटनास्थल की ओर दौड़ी और अभि. सा. 8 गांववासियों को बुलाने के लिए गांव की

---

[1] (2007) 3 क्राइम 281 एस. सी. = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. (सप्ली.) 678.

[2] 2004 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6479 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 203.

[3] (2011) 49 ओ. सी. आर. (एस. सी.) 136 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. (क्रिमिनल) 610.

ओर चला गया । अभि. सा. 6 के अनुसार जब वह घटनास्थल पर पहुंची तो अपीलार्थी नग्न दशा में मृतका के ऊपर सो रहा था और उसके साथ उसने मैथुन किया । अभि. सा. 6 ने अभियुक्त को खींचा और वृद्ध महिला के साथ ऐसे कार्य किए जाने के लिए अभियुक्त को दो थप्पड़ मारे । अभि. सा. 6 का अभियुक्त द्वारा नग्न अवस्था में यह कहते हुए पीछा किया गया कि वह उससे बलात्संग करेगा और उसकी हत्या करेगा । इस पर अभि. सा. 6 गांव की ओर भागी । अभि. सा. 8 के अभिसाक्ष्य के अनुसार कि वह गांववासियों के साथ घटना घटने के 10 मिनट पश्चात् गांव से घटनास्थल पर पहुंचा । उस समय जब वे वहां पर पहुंचे तो उन्होंने मृतका को जमीन पर मृत पाया था । अभि. सा. 8 के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि उसके और अभि. सा. 6 के सिवाय उस जगह पर कोई भी मौजूद नहीं था जब अभिकथित घटना घटी थी क्योंकि हमने उपरोक्त साक्ष्य का विश्लेषण करने पर बलात्संग से संबंधित अभिकथन पर अविश्वास किया है और निम्नलिखित तथ्यों का निष्कर्ष निकाल सकते हैं :–

"(1) मृतका अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 की भूमि के नजदीक आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी ।

(2) लगभग 4.00 बजे अपराह्न दोषसिद्ध-अपीलार्थी वहां पर पहुंचा और उसने मृतका की साड़ी उतार दी ।

(3) अभि. सा. 8 के अनुसार उस समय कोई भी व्यक्ति उसके तथा उसकी पत्नी अभि. सा. 6 के सिवाय मौजूद नहीं था ।

(4) जब मृतका चीखी-चिल्लाई तब अभि. सा. 6 घटनास्थल पर पहुंची और अभि. सा. 8 गांववासियों को बुलाने के लिए गांव की तरफ गया ।

(5) जब अभि. सा. 6 घटनास्थल पर पहुंची अपीलार्थी नग्न हालात में मृतका के ऊपर सोया हुआ था ।

(6) अभि. सा. 6 ने अपीलार्थी को खींचा और उसके गलत आचरण के लिए उसे दो थप्पड़ मारे ।

(7) अपीलार्थी ने यह कहते हुए अभि. सा. 6 का पीछा किया कि वह अभि. सा. 6 की हत्या करेगा ।

(8) अभि. सा. 6 गांव की ओर भागी तथा बाद में गांववासियों के साथ वापस लौटी ।

(9) अभि. सा. 8 गांववासियों के साथ 10 मिनट के भीतर वापस लौट आया था ।

(10) उस समय अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 घटनास्थल पर पहुंचे और लछानदेई पहले ही मर चुकी थी ।

(11) अभि. सा. 6 के अनुसार शव अभियुक्त की अभिरक्षा में था ।''

अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 का ऊपर उल्लिखित साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडनीय रहा है । इसके अतिरिक्त अभि. सा. 10 और 12 जो घटना के बारे में सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि अभियुक्त अपने कंधों पर मृतका के शव को ला रहा था और इस बात की अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 6 के वृत्तांत से सम्पुष्टि हुई है । इसके अतिरिक्त अभि. सा. 10 और अभि. सा. 12 ने यह कथन किया है कि उन्होंने अभियुक्त को अपने कंधे पर शव को ले जाते हुए मसानीपाड़ा की ओर जाते हुए देखा था जबकि वह दूसरे हाथ से साइकिल पकड़ा हुआ था । इस प्रकार अभि. सा. 10 और 12 का सभी तरह दिए गए अभिसाक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडनीय रहा है । अभि. सा. 9 ने अपने अभिसाक्ष्य में प्रदर्श 4 के अंतर्गत शवपरीक्षण रिपोर्ट को साबित किया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि मृतका पर कारित हुई सभी क्षतियां प्रकृति में मृत्युपूर्व थीं और मृत्यु का कारण गला घोंटने के परिणामस्वरूप श्वासावरोध है और यह प्रकृति में मानव वध है । अभि. सा. 9 का पूरा अभिसाक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडनीय रहा है ।

अभि. सा. 1 का साक्ष्य यह है कि अभि. सा. 8 द्वारा सूचना दिए जाने के पश्चात् वह घटनास्थल की ओर अग्रसर हुआ और उसने पहले ही अपनी मां को मृत पाया था । उसने यह पाया कि दोषसिद्ध-अपीलार्थी उसकी माता के शव को नग्न अवस्था में ला रहा था । उसने अन्य लोगों के साथ अपीलार्थी और शव को रोका तथा पुलिस थाना पहुंचा और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की जिसे अभि. सा. 16 द्वारा लिखाया गया था । ये सभी प्रतिपरीक्षा में अविचलित रहे हैं । शव को ले जाने के संबंध में अभि. सा. 1 का ऊपर उल्लिखित वृत्तांत की अभि. सा. 2, 6, 10 और 12 द्वारा सम्पुष्टि की गई है । अभि. सा. 16 ने अपने साक्ष्य में इस बात की सम्पुष्टि की है कि अभि. सा. 1 के अनुदेश के अनुसार उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श 8) लिखी । अभि. सा. 16 का यह साक्ष्य अखंडनीय रहा है ।

अभि. सा. 2 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसने अपीलार्थी को नग्न अवस्था में शव को ले जाते हुए देखा था और इस घटना को अभि. सा. 6 और 10 द्वारा भी देखा गया था । अभि. सा. 6 और 10 उपरोक्त तथ्य की सम्पुष्टि करते हैं । अभि. सा. 2 ने पुलिस द्वारा तैयार की गई मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 1) की सम्पुष्टि की है । उसने प्रदर्श 2 के अंतर्गत घटनास्थल से मृतका का कमरबंध और कुछ कपड़े अभिग्रहण किए जाने की सम्पुष्टि की है । अभि. सा. 2 ने प्रदर्श 3 के अधीन अपीलार्थी के साइकिल के अभिग्रहण के लिए सम्पुष्टि की है । प्रतिपरीक्षा में सारभूत रूप से ऐसा कुछ भी प्रकट नहीं हुआ है जिससे कि अभि. सा. 2 के उपरोक्त परिसाक्ष्य का त्यक्त किया जाए । प्रदर्श 1, 2 और 3 के बारे में अभि. सा. 2 का कथन कि अभि. सा. 17 अन्वेषक अधिकारी द्वारा सम्पुष्टि की गई है ।

अभि. सा. 3 घटनास्थल पर पहुंचा जहां मृतका का शव पड़ा हुआ था और जिस बात की सूचना अभि. सा. 4 द्वारा दी गई । उसने गर्दन में क्षति के चिह्न देखे और नासाछिद्रों से रक्त बह रहा था तथा गालों में सूजन थी । अभि. सा. 3 के इस साक्ष्य अभि. सा. 4 द्वारा सम्पुष्टि की गई है । अभि. सा. 3 और 4 का ऊपर उल्लिखित साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडनीय रहा है ।

अभि. सा. 5 ने अभि. सा. 1 के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही है, अभि. सा. 7 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा, लछानदेई गोंड मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और मृतका की गर्दन और गालों पर सूजन थी । अभि. सा. 13 ने यह कथन किया है कि मृतका के पहने हुए कपड़े अभि. सा. 13 की मौजूदगी में प्रदर्श 5 के अनुसार अभिगृहीत किए गए थे । मृतका के पहने हुए कपड़ों के अभिग्रहण के बारे में अभि. सा. 17 के वृत्तांत की इससे सम्पुष्टि हुई है ।

अभि. सा. 17 ने अपने साक्ष्य में प्रदर्श 1 के अधीन मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट और प्रदर्श 2, 3, 5 और 10 के अधीन अभिग्रहण सूचियों को साबित किया है । उसने प्रतिपरीक्षा में कतिपय कथन को मुख्यतया प्रकट किया है जो अभि. सा. 6 द्वारा अन्वेषण के दौरान नहीं किए गए हैं ।

अभि. सा. 18 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसने अभि. सा. 17 से अन्वेषण का जिम्मा लिया और अन्वेषण के दौरान उसने विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट (त्वरित निपटान न्यायालय) उमेरकोते से यह अनुरोध किया कि प्रदर्शित की गई वस्तुएं क्षेत्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला,

बहरामपुर भेजी जाएं । तद्नुसार, वस्तुएं प्रदर्शित वस्तुएं प्रदर्श 12 के माध्यम से भेजी गई थीं । रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श 12 के उत्तर में प्रदर्श 13 के अधीन प्राप्त की गई थीं (देखिए प्रदर्श 12) जिनके अनुसार प्रदर्शित वस्तुएं भेजी गई थीं :–

"1. एक सफेद कोरा वस्त्र और नीले रंग की चेक वाली लुंगी ।

2. एक फीका नीले रंग की नेकर ।

3. एक मोहरबंद पैकेट जिसमें अभियुक्त के रक्त और नाखून, वीर्य इत्यादि जिन्हें एकत्रित किया गया था और चिकित्सा अधिकारी द्वारा सुरक्षित रखा गया था ।

4. मृतका के गुलाबी और नीले रंग का सूती जांघिया ।

5. एक कमरबंध ।

6. पीले रंग के प्रिंट साड़ी जिसमें सफेद फूल और हरा प्रिंट था ।

प्रदर्श 13 के अनुसार प्रदर्शित वस्तुओं में रक्त, वीर्य और बाहरी बालों पर कोई धब्बे नहीं पाए जा सके ।"

11. साक्ष्य का विश्लेषण करने पर जैसाकि ऊपर दर्शित किया गया है कि अभि. सा. 6 और 8 ने यह कथन किया है कि मृतका लगभग 4.00 बजे अपराह्न अभियुक्त के साथ अंतिम बार जीवित देखी गई थी परंतु 4.10 बजे अपराह्न उन्होंने दोषसिद्ध-अपीलार्थी की अभिरक्षा में मृतका के शव को देखा था । इस प्रकार, अभियुक्त और मृतका के बीच मृतका के अंतिम बार जीवित देखे जाने का अंतराल और मृतका का अपीलार्थी की अभिरक्षा में मृत पाया जाना बहुत कम समय के अंतराल में हुआ है और यह तथ्य की घटनास्थल पर कोई दूसरा मौजूद नहीं था इससे स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति अपराध का कर्ता नहीं हो सकता । इस प्रकार, अंतिम बार देखे जाने की कहानी को अभियोजन पक्ष द्वारा सफलतापूर्वक सिद्ध किया गया है । इस संदर्भ में, श्री दास ने यह निवेदन किया है कि अंतिम बारे देखे जाने की कहानी किसी व्यक्ति को हत्या का दोषी ठहराने के लिए एकमात्र आधार नहीं हो सकता । इस संदर्भ में, उन्होंने **लखन पाल** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम

[1] ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1620.

न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लिया । इस तथ्य के अतिरिक्त कि उपरोक्त उल्लिखत मामला तथ्यों पर विभेद प्रकट करता है, यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि यहां पर अंतिम बार देखे जाने की कहानी के अतिरिक्त निचले न्यायालय ने सही रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलार्थी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के अधीन अपीलार्थी अपने भार का निर्वहन करने में विफल हुआ है । मृतका अभियुक्त ने साथ 4.00 बजे अपराह्न अंतिम बार जीवित देखी गई थी और 10 मिनट पश्चात् मृतका का शव अपीलार्थी की अभिरक्षा में पाया गया । इस प्रकार, 10 मिनट के भीतर जो कुछ भी घटना घटी वह अपीलार्थी की विशेष जानकारी में होनी चाहिए थी परंतु अपीलार्थी ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि मृतका की मृत्यु कैसे हुई । इससे स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के विरुद्ध परिस्थिति बनती है जिससे मृतका की हत्या के अपराध में उसकी सहापराधिता दर्शित होती है । इसके अतिरिक्त, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दोषसिद्ध-अपीलार्थी ने अपनी परीक्षा में अपराध में फंसाने वाली उपरोक्त परिस्थिति के बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है । अभि. सा. 9 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु गला घोंटने के परिणास्वरूप हुई थी । तथापि, दोषसिद्ध-अपीलार्थी ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि कैसे मृतका का गला घोंटा गया था और कई ऐसी दूसरी क्षतियां जैसाकि अभि. सा. 9 द्वारा अपनी शवपरीक्षण रिपोर्ट में प्रकट की हैं । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 2 और 17 के साक्ष्य से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि पुलिस ने घटनास्थल से साइकिल और मृतका का कमरबंध तथा छोटे कपड़े (अंतर्वस्त्र) अभिगृहीत किए थे । अभि. सा. 9 ने यह भी स्पष्ट किया है कि मृतका को पहुंची सभी क्षतियां प्रकृति में मृत्युपूर्व थीं और मृत्यु मानव वध प्रकृति की थीं । अभि. सा. 1, 2, 6, 10 और 12 के साक्ष्य से यह भी दर्शित हुआ है कि जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अभियुक्त मृतका का शव ले जा रहा था । अभि. सा. 10 और 12 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि दोषसिद्ध-अपीलार्थी "मसानीपाड़ा" (दफनाने के स्थान) की ओर जाता पाया गया था और शव को ले जा रहा था । अभि. सा. 1, 2, 6, 10 और 12 का उल्लिखित साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडनीय रहा है, यद्यपि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा शव को ले जाने के संबंध में कुछ विभेद भी हैं, तथापि, हमारे अनुसार ऐसे विभेद प्रकृति में अति छोटे-मोटे हैं और इनसे अभियोजन

पक्षकथन पर सार किसी प्रकार प्रभावित नहीं होता है । दोषसिद्ध-अपीलार्थी ने इस बारे में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि वह दफनाने के स्थान पर शव को क्यों ले जा रहा था । दोषसिद्ध- अपीलार्थी का शव को दाह संस्कार स्थान की ओर ले जाने के आचरण से यह उपधारणा बनती है कि उसका यह उद्देश्य रहा होगा कि हत्या के साक्ष्य को गायब कर दे और यह इस मुद्दे के तथ्य के सुसंगत है तथा यह बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन उसके विरुद्ध साक्ष्य में भी ग्राह्य है । दोषसिद्ध-अपीलार्थी का आचरण जो मृतका की मृत्यु के तत्काल पश्चात् देखा गया है इससे उसकी दोषिता के प्रति स्पष्ट संकेत मिलते हैं । तद्नुसार, अन्य साबित तथ्यों का समूह भी विद्यमान हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह दोषसिद्ध-अपीलार्थी है जिसने मृतका की हत्या करने के आशय से उसका गला घोंटकर हत्या कारित की । चूंकि परिस्थितियों की शृंखला मामले में पूरी हैं, इसलिए, विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 302 के अधीन उसकी दोषिता सही पाई है ।

12. श्री दास द्वारा दूसरी यह दलील दी गई कि आपराधिक मामले में हेतु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि बलात्संग का अभिकथन मिथ्या पाया गया है । इस बारे में कोई कारण प्रकट नहीं होता की दोषसिद्ध-अपीलार्थी मृतका के जीवन को क्यों छीनना चाहता था । इस संदर्भ में, उन्होंने **श्रीमती ओमवती** बनाम **महेन्द्र सिंह और अन्य**[1], **वरूण चौधरी** बनाम **राजस्थान राज्य**[2], और **राजस्थान राज्य** बनाम **खूमा**[3] वाले मामलों के विनिश्चयों का अवलंब लिया । यद्यपि, उपरोक्त विनिश्चयों में तथ्यात्मक रूप से विभेदता है तथापि, **श्रीमती ओमवती** बनाम **महेन्द्र सिंह और अन्य** (उपरोक्त) वाले मामले में यह अधिकथित किया गया है कि निःसंदेह हेतु का सबूत दोषसिद्धि को कायम रखने के लिए आवश्यक नहीं है परंतु जब अभियोजन पक्ष अपराध के हेतु के लिए विनिर्दिष्ट मामले को सामने रखता है तब उस बात के संबंध में साक्ष्य की अधिसंभाव्यताओं के बारे में निर्णय करने के अनुकूल होना चाहिए । **वरूण चौधरी** बनाम **राजस्थान राज्य** (उपरोक्त) वाले मामले में यह अधिकथित किया गया है कि वहां पर कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था या अपराध से अभियुक्त को संबंध करने के लिए

---

[1] ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 249.

[2] ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 72.

[3] 1999 क्रिमिनल ला जर्नल 5051.

कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है । अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध करना चाहा है कि हत्या के अपराध को किए जाने के पीछे कुछ हेतु था । **राजस्थान राज्य** बनाम **खूमा** (उपरोक्त) वाले मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अधिकथित किया है कि जहां आपराधिक मामले का विनिश्चय पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हो, अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथित हेतु की महत्वपूर्ण रूप से उपधारणा की गई है । ऐसे मामलों में यदि अभियोजन पक्ष हेतु को सिद्ध करने में विफल हो जाता है तब न्यायालयों को बड़ी सावधानी के साथ पारिस्थितिक साक्ष्य की परीक्षा करना अपेक्षित है । समान रूप से यह सुस्थिर है कि ऐसे मामलों में जहां मामले पारिस्थितिक साक्ष्य पर निर्भर हो यदि हेतु को साबित किया जाता है तो यह बात ठीक है परंतु हेतु का अभाव अभियोजन पक्षकथन को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है । जहां अन्य साबित परिस्थितियां हैं । **लेखराज** बनाम **गुजरात राज्य**[1], **उदय कुमार** बनाम **कर्नाटक राज्य**[2], **परमजीत सिंह** बनाम **उत्तराखंड राज्य**[3], **अमिताव बनर्जी** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[4] तथा **मुलख राय और अन्य** बनाम **सतीश कुमार और अन्य**[5] वाले मामले देखिए ।

13. श्री दास ने दूसरी यह दलील दी है कि यदि दोषसिद्ध-अपीलार्थी अपराध का कर्ता है तब सभी प्रकार यह संभावना प्रकट हुई है कि उसके नाखूनों की खुरचन सकारात्मक संकेत देती है क्योंकि रसायन परीक्षक की रिपोर्ट नकारात्मक है, इसलिए, वैज्ञानिक साक्ष्य की भी कमी है । यहां पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस मामले में मृत्यु गला घोंटने के परिणामस्वरूप श्वासावरोध के कारण हुई थी । शवपरीक्षण परीक्षा से यह निष्कर्ष निकला था कि नाखूनों के चिह्न स्तन के नीचे दाहिने वक्ष पर ही रेखीय खरोंच के रूप में प्रकट हुए थे । इस प्रकार, नाखूनों के खुरचने की नकारात्मक रिपोर्ट अभियोजन पक्षकथन के सार को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करते हैं जैसाकि पूर्व में वर्णित किया गया है ।

14. अंततः, दोषसिद्ध-अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री दास ने यह दलील दी है कि इस अभिकथन का पूर्ण रूप से परिशीलन नहीं किया जा सकता कि दोषसिद्ध-अपीलार्थी मृतका के शव को दफनाने के स्थान की

---

[1] (1998) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 704 = ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 242.

[2] (1998) 7 एस. सी. सी. 478 = ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 3317.

[3] (2010) 10 एस. सी. सी. 439 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 200.

[4] (2011) 12 एस. सी. सी. 554 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 2913.

[5] (1992) 3 एस. सी. सी. 43 = ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 1175.

ओर ले जाता हुआ देखा गया था । इस संदर्भ में, उन्होंने अभि. सा. 1, 2, 6, 8 और 10 के साक्ष्य में कई विभेदताओं की ओर हमारा ध्यान दिलाया है । तथापि, ये विभेद अति तात्विक नहीं हैं क्योंकि इनसे अभियोजन पक्षकथन का सार प्रभावित नहीं होता है कि मृतका अभियुक्त के साथ में मृत पाई गई थी जब उन दोनों को एकसाथ देखा गया था, उसके 10 मिनट में घटना घटी थी । दोषसिद्ध-अपीलार्थी ने कोई भी ऐसा स्पष्टीकरण नहीं दिया है खासतौर पर जब घटनास्थल पर कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था ?

उपरोक्त उल्लिखित कारणों से अपीलार्थी ने दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपनी दोषसिद्ध को चुनौती दी लेकिन वह विफल हो गया ।

15. अब यह प्रश्न उद्भूत हुआ है कि क्या मृत्यु दंड वर्तमान मामले में समुचित दंड है ।

16. श्री प्रधान ने पुरजोर यह दलील दी है कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां मृत्यु दंड अधिनिर्णीत किया जाना चाहिए और इस दलील के पक्ष में उन्होंने **बचन सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1], **माछी सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[2], **दीपक राय और अन्य** बनाम **बिहार राज्य**[3], **राजेन्द्र प्रलहाद्रो वासनिक** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[4], **धनंजय चटर्जी** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[5], **नाथु जरम** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[6], **लक्ष्मण नायक** बनाम **उड़ीसा राज्य**[7], **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **सतीश**[8], **शिवु और एक अन्य** बनाम **महा-रजिस्ट्रार, कर्नाटक उच्च न्यायालय और एक अन्य**[9], **बन्टू** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[10], **शिवाजी** उर्फ **दादिया शंकर अल्हत** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[11]

---

[1] ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 898.

[2] ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 957.

[3] (2013) 56 ओ. सी. आर. (एस. सी.) 689 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. (क्रिमिनल) 2356.

[4] (2012) 4 एस. सी. सी. 37 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 1377.

[5] (1994) 2 एस. सी. सी. 220 = 1995 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 510.

[6] (1979) 3 एस. सी. सी. 366 = ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 716.

[7] (1994) 3 एस. सी. सी. 381 = ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 1387.

[8] (2005) 3 एस. सी. सी. 114 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 1000.

[9] (2007) 4 एस. सी. सी. 713 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. (सप्ली.) 556.

[10] (2008) 11 एस. सी. सी. 113 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. (सप्ली.) 1367.

[11] (2008) 15 एस. सी. सी. 269 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 56.

तथा **बी. ए. उमेश** बनाम **महा-रजिस्ट्रार, कर्नाटक उच्च न्यायालय**[1] वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चयों का अवलंब लिया है ।

17. हमने ऊपर उल्लिखित विनिश्चयों का परिशीलन किया है । प्रथम दो विनिश्चयों में मृत्यु दंड की शास्ति को अधिरोपित करने के लिए मार्गदर्शन अधिकथित किए गए हैं । दूसरा विनिश्चय अर्थात् **माछी सिंह** (उपरोक्त) वाले विनिश्चय में और बाकी विनिश्चयों में तथ्यात्मक रूप से विभेद हैं । **माछी सिंह** (उपरोक्त) और **दीपक राय** (उपरोक्त) में वर्तमान मामले से भिन्न प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे । राजेन्द्र प्रहलाद्रों वासनिक (उपरोक्त), **धंनजय चटर्जी** (उपरोक्त), **लक्ष्मण नायक** (उपरोक्त), **सतीश** (उपरोक्त) **शिवु** (उपरोक्त), **बन्टू** (उपरोक्त), **शिवराज** (उपरोक्त) और **बी. ए. उमेश** (उपरोक्त) वाले मामलों में बलात्संग और हत्या के दोनों आरोप साबित किए गए थे परंतु यहां पर जैसाकि हमने पहले ही बलात्संग से संबंधित आरोप को भी निर्धारित किया है उसे साबित नहीं किया गया । **नाथु जराम** (उपरोक्त) वाले मामले में अभियुक्त ने एक जवान लड़की के घर पर उस पर आपराधिक हमला करके कामुकता के पश्चात् उसकी हत्या कर दी । इस प्रकार, यह मामला उन तथ्यों पर विभेद प्रकट करता है । उपरोक्त उल्लिखित मामले अन्य समवेत परिस्थितियों को भी उजागर करती है ।

18. अपीलार्थी के काउंसेल ने **शंकर किसन राव खड़े** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2] वाले मामले का अवलंब लिया । एक बौद्धिक विकलांगता अप्राप्तवय लड़की से बलात्संग और हत्या किए जाने के बावजूद उच्चतम न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में सम्परिवर्तित कर दिया गया था । उन्होंने **महेन्द्र सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[3] वाले मामले का भी अवलंब लिया । उस मामले में अभियुक्त ने अपनी पत्नी और पुत्री की अपने बीच ईर्ष्यावश संबंध होने के कारण हत्या कर दी । उक्त मामले में भी अभियुक्त को अधिनिर्णीत मृत्यु दंड को उच्चतम न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास में संपरिवर्तित कर दिया गया था । श्री दास ने **विश्व प्रसाद सिन्हा** बनाम **असम राज्य**[4] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की ओर ध्यान दिलाया जो 7 से 8 वर्ष की आयु की बालिका से

---

[1] (2011) 3 एस. सी. सी. 85 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1000.

[2] (2013) 55 ओ. सी. आर. (एस. सी.) 623 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. (क्रिमिनल) 1230.

[3] ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3622.

[4] (2007) 11 एस. सी. सी. 467 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 848.

बलात्संग और हत्या का मामला है । उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अभियोजन पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाता है तब साधारणतया मृत्यु दंड अधिनिर्णीत नहीं किया जाना चाहिए । वर्तमान मामले में निचले न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड को अधिरोपित करते हुए दोषसिद्ध-अपीलार्थी की दोषसिद्धि दंड संहिता की धारा 376 के अधीन हटा दी गई थी । यहां पर जैसाकि पूर्व में उपदर्शित किया गया है । दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दोषसिद्ध-अपीलार्थी के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है । इसके अतिरिक्त, यद्यपि निचले न्यायालय ने दोषसिद्ध-अपीलार्थी के पक्ष में कम करने की परिस्थितियों को संज्ञान में लिया तथापि, उसके पक्ष में अन्य कम करने वाली परिस्थितियों को नजर अंदाज कर दिया था । दोषसिद्ध-अपीलार्थी की आपराधिक पूर्ववृत का अभाव है और इसके अतिरिक्त यह दर्शित करने के लिए कोई सबूत विद्यमान नहीं है कि दोषसिद्ध-अपीलार्थी समाज के लिए स्थायी रूप से कोई भय प्रकट करने वाला नहीं होगा । उसके बुरे व्यवहार के बारे में कोई रिपोर्ट विद्यमान नहीं है जबकि दोषसिद्ध-अपीलार्थी अभिरक्षा में है । इसके अतिरिक्त, इस आशय का कोई साक्ष्य नहीं है कि उसका भविष्य में सुधार नहीं हो सकता है । उत्तेजक और कम करने वाली परिस्थितियों के संतुलन को ध्यान में रखते हुए यह सुस्थापित है कि कम करने वाली परिस्थितियों को पूर्ण महत्व प्रदान किया जाना चाहिए और राय देने से पूर्व उनके बीच संतुलन को प्रयोग में लिया जाना चाहिए । यह सुस्थिर है कि किसी सभ्य समाज में किसी मामले को विरल से विरलतम के सूत्र में बांधने के लिए मापदंड को एक सूत्र में नहीं लिया जाना चाहिए और न्यायालय को मृत्यु दंड अधिनिर्णीत करने के लिए जल्दबाजी में ऐसा कोई विचार प्रकट नहीं करना चाहिए । परिस्थितियों की सम्पूर्णतः और उत्तेजक और कम करने वाली परिस्थितियों के संतुलन को संज्ञान में लेना चाहिए । हमारी विचारित राय यह है कि दोषसिद्ध-अपीलार्थी के लिए अधिरोपित मृत्यु दंड को आजीवन कारावास से लघुकृत किया जाना चाहिए ।

19. परिणामस्वरूप हम दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध-अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम करते हुए परंतु उस पर अधिरोपित मृत्यु दंड को अपास्त करते हैं और तद्नुसार आजीवन कारावास का दंड उपांतरित करते हैं । उसी तरह हम दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दोषसिद्ध-अपीलार्थी की दोषसिद्धि को अपास्त करते हैं और उसे दंड संहिता की धारा 354 के अधीन दोषी ठहराते हैं तथा उसके लिए 2 वर्ष के

कठोर कारावास का दंड अधिरोपित करते हैं । दोनों दंडादेश साथ-साथ चलेंगे । विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्देश को तद्नुसार उन्मोचित करते हैं और अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई दांडिक अपील को भागतः मंजूर किया जाता है ।

डी. एस. आर. ई. एफ. तथा दांडिक अपील का तद्नुसार निपटारा किया जाता है ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

आर्य

(2015) 1 दा. नि. प. 250 **कलकत्ता**

अरुण चंद्र देबनाथ

बनाम

पश्चिमी बंगाल राज्य

तारीख 9 सितंबर, 2014

न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) – धारा 7(1)(क)(ii) [सपठित पश्चिमी बंगाल किरोसिन आयल कंट्रोल आर्डर का पैराग्राफ 12 और पश्चिमी बंगाल डिक्लेरेशन आफ स्टाक और आवश्यक वस्तु आदेश का पैराग्राफ 3(2) छापेमारी के दौरान स्टाक में अधिक मात्रा में किरोसिन तेल पाया जाना] – किरोसिन तेल की माप के संबंध में अभियोजन साक्षियों का समर्थन स्वतंत्र साक्षियों द्वारा न किया जाना – अभियोजन का कथन कि लगभग 400 लीटर किरोसिन तेल मापे जाने के प्रयोजनार्थ एक लीटर और डेढ़ लीटर के कैन प्रयोग किए गए थे संदेहजनक प्रतीत होता है – अभियुक्त की दोषसिद्धि अपास्त किए जाने योग्य है ।

अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन का पक्षकथन यह है कि तारीख 12 फरवरी, 1988 को अपराह्न 13.15 बजे से 17.00 बजे के मध्य निर्मलेंदु सरकार नामक एक व्यक्ति, जो वास्तव में परिवादी है, ने हतीनगर, थाना बरहामपुर स्थित अपीलार्थी की किरोसिन के तेल की दुकान का निरीक्षण किया । उस समय अपीलार्थी कार्ड धारकों को किरोसिन वितरित कर रहा

था । अभि. सा. 1 ने अपनी पहचान प्रकट की और अपीलार्थी से स्टाक बुक और कैश मेमो बुक पेश करने की अपेक्षा की । अपीलार्थी ने कैश मेमो बुक प्रस्तुत कर दिया और उसकी संवीक्षा किए जाने पर यह पाया गया कि अपीलार्थी ने कार्ड धारकों के मध्य 18½ लीटर किरोसिन वितरित किया है । किताब में तारीख 12 फरवरी, 1988 को किरोसिन तेल का आरंभिक स्टाक 350 लीटर था । जैसाकि ऊपरवर्णित है बिक्री के पश्चात् दुकान में किरोसिन का 331½ लीटर स्टाक होना चाहिए था । फिर भी भौतिक सत्यापन पर यह पाया गया कि वास्तव में 399 लीटर किरोसिन तेल का स्टाक दुकान में उपलब्ध था । इसलिए, स्टाक में 67½ लीटर किरोसिन तेल अधिक पाया गया । अपीलार्थी इस किरोसिन तेल की अधिक मात्रा के बाबत कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण दे पाने में असमर्थ था । यह भी अभिकथित किया गया कि उसने उसके कारबार के समक्ष स्टाक और रेट बोर्ड भी नहीं प्रदर्शित किया था । साक्षियों की उपस्थिति में अभिग्रहण मेमो के अंतर्गत किरोसिन तेल अभिगृहीत किया । उसने स्टाक रजिस्टर और कैश मेमो बुक भी अभिगृहीत किए और अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट बरहामपुर पुलिस थाना में रजिस्ट्रीकृत की गई जो 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम (जिसको इसमें इसके पश्चात् "1955 का अधिनियम" कहकर निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 7(1)(क)(ii) के अधीन 1988 का बरहामपुर पुलिस थाना मामला संख्या ई. सी. 4 है । अन्वेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7(1)(क)(ii) के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 251 के अधीन अभिवाक् अभिलिखित किया गया और अपीलार्थी ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण का सामना करने का दावा किया । मुर्शीदाबाद के विद्वान् न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, आवश्यक वस्तु अधिनियम ने तारीख 28 जुलाई, 1989 को पारित निर्णय और आदेश द्वारा अपीलार्थी को 1968 के पश्चिमी बंगाल किरोसिन आयल कंट्रोल आर्डर के पैराग्राफ 12 और 1977 के पश्चिमी बंगाल डिक्लेरेशन आफ स्टाक और आवश्यक वस्तु आदेश के पैराग्राफ 3(2) के अतिक्रमण के बाबत आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7(1)(क)(ii) के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध कर दिया और चार माह का कठोर कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट कर दिया । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन फाइल की । पुनरीक्षण अपील पर तद्नुसार आदेश करते हुए,

अभिनिर्धारित – मैंने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार किया । मैं इस

निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि दुकान में किरोसिन तेल की माप के संबंध में अभि. सा. 1 के साक्ष्य का समर्थन स्वतंत्र साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 जिन्होंने अभिग्रहण सूची पर हस्ताक्षर किए हैं, और छापेमारी के दौरान उपस्थित थे, द्वारा नहीं किया गया है । उक्त साक्षियों ने शपथपूर्वक कथन किया है कि दुकान पर स्टाक और रेट बोर्ड प्रदर्शित किया गया था । अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में ऐसे द्विभाजन को ध्यान में रखते हुए मेरा विचार है कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि को मान्य ठहराया जाना अनुचित होगा । आगे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि वर्तमान मामले में तथ्य और परिस्थितियां अभि. सा. 1 के पक्षकथन का समर्थन नहीं करते । अभि. सा. 1 का साक्ष्य यह है कि वास्तविक माप के समय बैरल को किरोसिन तेल से खाली कर लिया गया था । घटनास्थल से कोई खाली बैरल अभिगृहीत नहीं किया गया । यह भी संदेहजनक है कि क्या 399 लीटर किरोसिन तेल की माप अभि. सा. 1 द्वारा एक लीटर और डेढ़ लीटर के कैन का अलग-अलग प्रयोग करते हुए की जा सकती थी । यह परिस्थितियां 399 लीटर किरोसिन तेल की वास्तविक माप के पक्षकथन को अधिसंभाव्य बनाती है जैसाकि दावा अभि. सा. 1 द्वारा किया गया है और अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के इस साक्ष्य को अधिसंभाव्य बनाते हैं कि दुकान में कोई माप नहीं की गई । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 का यह भी साक्ष्य है कि सुसंगत समय पर अपीलार्थी की दुकान में स्टाक और रेट बोर्ड प्रदर्शित किए गए थे । विद्वान् न्यायाधीश ने अभियोजन के पक्षकथन को इस आधार पर न्यायानुमत ठहराने की कोशिश की है कि किरोसिन तेल की वास्तविक माप उन बैरलों के आयामों को मापे जाने के द्वारा की जानी चाहिए थी जिनमें उनको रखा गया था । किसी भी पक्ष का यह पक्षकथन नहीं है कि किरोसिन तेल की माप ऐसे तरीके से की गई थी कि बैरलों के आयामों के विवरण भी साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किए गए । यह घिसापिटा कानून है कि न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध किए जाने के प्रयोजनार्थ (अभियोजन द्वारा असमर्थित) किसी नए मामले की रचना नहीं कर सकता । पूर्वोक्त कारणोंवश मैं दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश को अपास्त करता हूं । अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए दोषारोपणों से दोषमुक्त किया जाता है । (पैरा 13, 14, 15, 16 और 17)

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 1989 की दांडिक नियमित अपील सं. 336.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397/401 के अधीन पुनरीक्षण ।

अपीलार्थी की ओर से श्री दीपांजन दत्ता

प्रत्यर्थी की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी

आदेश

यह अपील मुर्शिदाबाद के विद्वान् न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, आवश्यक वस्तु अधिनियम द्वारा पारित तारीख 28 जुलाई, 1989 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध निदेशित है जिसके द्वारा अपीलार्थी को 1968 के पश्चिमी बंगाल किरोसिन आयल कंट्रोल आर्डर के पैराग्राफ 12 और 1977 के पश्चिमी बंगाल डिक्लेरेशन आफ स्टाक और आवश्यक वस्तु आदेश के पैराग्राफ 3(2) के अतिक्रमण के बाबत आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7(1)(क)(ii) के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध किया गया और चार माह का कठोर कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया ।

2. जैसाकि अभिकथित किया गया है, अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन का पक्षकथन यह है कि तारीख 12 फरवरी, 1988 को अपराह्न 13.15 बजे से 17.00 बजे के मध्य निर्मलेंदु सरकार नामक एक व्यक्ति, जो वास्तव में परिवादी (अभि. सा. 1) है, ने हतीनगर, थाना बरहामपुर स्थित अपीलार्थी की किरोसिन के तेल की दुकान का निरीक्षण किया । उस समय अपीलार्थी कार्ड धारकों को किरोसिन वितरित कर रहा था । अभि. सा. 1 ने अपनी पहचान प्रकट की और अपीलार्थी से स्टाक बुक और कैश मेमो बुक पेश करने की अपेक्षा की । अपीलार्थी ने कैश मेमो बुक प्रस्तुत कर दिया और उसकी संवीक्षा किए जाने पर यह पाया गया कि अपीलार्थी ने कार्ड धारकों के मध्य 18½ लीटर किरोसिन वितरित किया है । किताब में तारीख 12 फरवरी, 1988 को किरोसिन तेल का आरंभिक स्टाक 350 लीटर था । जैसाकि ऊपरवर्णित है बिक्री के पश्चात् दुकान में किरोसिन का 331½ लीटर स्टाक होना चाहिए था । फिर भी भौतिक सत्यापन पर यह पाया गया कि वास्तव में 399 लीटर किरोसिन तेल का स्टाक दुकान में उपलब्ध था । इसलिए, स्टाक में 67½ लीटर किरोसिन तेल अधिक पाया गया । अपीलार्थी इस किरोसिन तेल की अधिक मात्रा के बाबत कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण दे पाने में असमर्थ था । यह भी अभिकथित किया गया कि उसने उसके कारबार के समक्ष स्टाक और रेट बोर्ड भी नहीं प्रदर्शित किया था । अभि. सा. 1 ने साक्षियों की उपस्थिति में अभिग्रहण मेमो के अंतर्गत किरोसिन तेल अभिगृहीत किया । उसने स्टाक रजिस्टर और कैश मेमो बुक भी अभिगृहीत किए और अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया ।

3. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट बरहामपुर पुलिस थाना में रजिस्ट्रीकृत की गई जो 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम (जिसको इसमें इसके पश्चात् "1955 का अधिनियम" कह कर निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 7(1)(क)(ii) के अधीन 1988 का बरहामपुर पुलिस थाना मामला संख्या ई. सी. 4 है ।

4. अन्वेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7(1)(क)(ii) के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 251 के अधीन अभिवाक् अभिलिखित किया गया और अपीलार्थी ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण का सामना करने का दावा किया ।

5. अभियोजन ने तीन साक्षियों का परीक्षण कराया । अपीलार्थी ने अपनी प्रतिरक्षा को अधिसंभाव्य बनाने के लिए एक प्रतिरक्षा साक्षी का परीक्षण कराया ।

6. विचारण की समाप्ति पर विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट कर दिया जैसाकि ऊपर वर्णित है ।

7. अभि. सा. 1 मामले का वस्तुतः परिवादी है । उसने तारीख 12 फरवरी, 1988 को अपराह्न 13.15 बजे से 17 बजे के मध्य अपीलार्थी की दुकान पर छापेमारी की थी । उसने शपथपूर्वक कथन किया है कि उसके छापे के दौरान 67½ लीटर अधिक किरोसिन तेल का स्टाक पाया गया था । उसने अभिकथित किया कि दुकान पर स्टाक और रेट बोर्ड भी प्रदर्शित नहीं किया गया था । उसने कैश मेमो रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों को अभिगृहीत किया था । उसने अपीलार्थी को गिरफ्तार किया था और उसके विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई थी । उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और अभिग्रहण मेमो को साबित किया । उसने प्रतिपरीक्षा में अभिकथित किया कि उसने 399 लीटर किरोसिन तेल मापा था । उसने एक लीटर और आधे लीटर के कैन का प्रयोग माप के प्रयोजनार्थ किया था । उसने माप आरंभ करने के पूर्व किरोसिन आयल का बैरल खाली कर दिया था ।

8. अभि. सा. 2 अभिग्रहण सूची में अभिगृहीत किए गए सामान को सत्यापित करने वाला साक्षी है । उसने अभिग्रहण सूची पर हस्ताक्षर किए थे और उसने अपने हस्ताक्षर को साबित किया है । फिर भी उसने अभिकथित किया कि उसने किरोसिन तेल को मापते हुए या कागजातों

की जांच करते हुए किसी पुलिस अधिकारी को नहीं देखा । उसने आगे अभिकथित किया कि अपीलार्थी ने स्टाक और रेट बोर्ड प्रदर्शित किया था ।

9. अभि. सा. 3 अभिग्रहण सूची को सत्यापित करने वाला एक अन्य साक्षी है जिसने अभिग्रहण सूची पर अपने हस्ताक्षर को साबित किया है । उसने अभिकथित किया कि अभि. सा. 1 ने स्टाक रजिस्टर, विक्रय रजिस्टर और कैश मेमो का परिशीलन नहीं किया था । उसने अभिकथित किया कि अभि. सा. 1 ने दुकान में किरोसिन तेल की माप नहीं की थी । उसने यह भी अधिकथित किया कि अपीलार्थी ने स्टाक और रेट बोर्ड प्रदर्शित कर रखा था ।

10. अपीलार्थी ने अजीत कर्मकार नामक एक व्यक्ति जो कार्ड धारक था और अपीलार्थी की दुकान से किरोसिन तेल प्राप्त करता रहता था ।, का परीक्षण प्रतिरक्षा साक्षी 1 के रूप में कराया । उसने शपथपूर्वक कथन किया कि वह छापेमारी के समय दुकान में उपस्थित था । उसने अभिकथित किया कि अपीलार्थी ने स्टाक और रेट बोर्ड प्रदर्शित किया था । उसको कोई खाली बैरल या कैन प्राप्त नहीं हुआ था । उसने किसी पुलिस अधिकारी को किरोसिन तेल मापते हुए नहीं देखा था । उसने प्रतिपरीक्षा में अभिकथित किया कि उसको उस दिन किरोसिन तेल नहीं मिला था ।

11. न्यायमित्र श्री दत्ता ने निवेदन किया कि अभि. सा. 1 का साक्ष्य प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के फेरफार में है । उन्होंने आगे निवेदन किया कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह साबित नहीं होता कि दुकान में किरोसिन तेल की वास्तविक माप हुई थी । स्वतंत्र साक्षी का भी साक्ष्य है कि स्टाक और रेट बोर्ड दुकान में प्रदर्शित था । उसने अपीलार्थी को दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की ।

12. विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री बनर्जी ने निवेदन किया कि अभि. सा. 1 ने अभियोजन के पक्षकथन को साबित किया है । उक्त साक्षी पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है । उसने अपील खारिज किए जाने की प्रार्थना की ।

13. मैंने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार किया । मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि दुकान में किरोसिन तेल की माप के संबंध में अभि. सा. 1 के साक्ष्य का समर्थन स्वतंत्र साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 जिन्होंने अभिग्रहण सूची पर हस्ताक्षर किए हैं, और छापेमारी के दौरान उपस्थित थे, द्वारा नहीं किया गया है । उक्त साक्षियों ने शपथपूर्वक कथन किया है कि दुकान पर स्टाक और रेट बोर्ड प्रदर्शित किया गया था ।

14. अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में ऐसे द्विभाजन को ध्यान में रखते हुए मेरा विचार है कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि को मान्य ठहराया जाना अनुचित होगा । आगे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि वर्तमान मामले में तथ्य और परिस्थितियां अभि. सा. 1 के पक्षकथन का समर्थन नहीं करते । अभि. सा. 1 का साक्ष्य यह है कि वास्तविक माप के समय बैरल को किरोसिन तेल से खाली कर लिया गया था । घटनास्थल से कोई खाली बैरल अभिगृहीत नहीं किया गया । यह भी संदेहजनक है कि क्या 399 लीटर किरोसिन तेल की माप अभि. सा. 1 द्वारा एक लीटर और डेढ़ लीटर के कैन का अलग-अलग प्रयोग करते हुए की जा सकती थी । यह परिस्थितियां 399 लीटर किरोसिन तेल की वास्तविक माप के पक्षकथन को अधिसंभाव्य बनाती है जैसाकि दावा अभि. सा. 1 द्वारा किया गया है और अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के इस साक्ष्य को अधिसंभाव्य बनाते हैं कि दुकान में कोई माप नहीं की गई । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 का यह भी साक्ष्य है कि सुसंगत समय पर अपीलार्थी की दुकान में स्टाक और रेट बोर्ड प्रदर्शित किए गए थे ।

15. विद्वान् न्यायाधीश ने अभियोजन के पक्षकथन को इस आधार पर न्यायानुमत ठहराने की कोशिश की है कि किरोसिन तेल की वास्तविक माप उन बैरलों के आयामों को मापे जाने के द्वारा की जानी चाहिए थी जिनमें उनको रखा गया था ।

16. किसी भी पक्ष का यह पक्षकथन नहीं है कि किरोसिन तेल की माप ऐसे तरीके से की गई थी कि बैरलों के आयामों के विवरण भी साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किए गए । यह घिसापिटा कानून है कि न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध किए जाने के प्रयोजनार्थ (अभियोजन द्वारा असमर्थित) किसी नए मामले की रचना नहीं कर सकता ।

17. पूर्वोक्त कारणोंवश मैं दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश को अपास्त करता हूं । अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए दोषारोपणों से दोषमुक्त किया जाता है ।

18. अपीलार्थी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 446(क) के निबंधनों के अनुसार निर्धारित तारीख से छः माह की अवधि के पश्चात् उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत बंधपत्रों से उन्मोचित किया जाता है ।

तद्नुसार आदेश किया गया ।

शु.

शक्कीर एम. के.

बनाम

केरल राज्य

तारीख 13 अगस्त, 2014

न्यायमूर्ति के. रामकृष्णन

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 164, 173 और 174ख [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 74(1)(iii)] – मजिस्ट्रेट के समक्ष आहत का कथन लेखबद्ध किया जाना – ऐसे कथन को लोक दस्तावेज नहीं माना जा सकता, इसको अन्वेषण के भाग के रूप में लेखबद्ध किया जाता है और इसकी अंतर्वस्तु का प्रकटीकरण किसी के समक्ष नहीं किया जा सकता जब तक रिपार्ट, आरोप पत्र फाइल नहीं कर दिया जाता ।

संक्षेप में मामले के तथ्य ये हैं कि याची को चेवयूर पुलिस थाना में 2012 के अपराध सं. 589 में अभियुक्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया था । उसने तारीख 2 अप्रैल, 2014 को चेवयूर पुलिस थाना में 2012 के अपराध संख्या 589 में प्रथम इत्तिला कथन, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित अभियोक्त्री के कथन की सत्यापित प्रतियों के लिए आवेदन किया । याची के काउंसेल और उस न्यायालय के सहायक लोक अभियोजक को सुने जाने के पश्चात् विद्वान् मजिस्ट्रेट ने आदेश करते हुए प्रथम इत्तिला कथन और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की सत्यापित प्रतियां जारी किए जाने की अनुज्ञा प्रदान कर दी किंतु मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित अभियोक्त्री के धारा 164 के कथन की सत्यापित प्रति जारी किए जाने के लिए की गई प्रार्थना को अस्वीकृत कर दिया । इसको इस न्यायालय के समक्ष याची द्वारा वर्तमान प्रकीर्ण याचिका में चुनौती दी गई है । प्रकीर्ण याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित साक्षियों के कथन मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकारी के रूप में अधिकारिक और न्यायिक कार्यों के निर्वहन को उपदर्शित करते हैं और इस लिए यह दस्तावेज एक लोक दस्तावेज होता है और अभियुक्त उसकी सत्यापित प्रति प्राप्त करने का हकदार है । किंतु इसके पूर्व मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायपीठ ने मद्रास राज्य बनाम जी. कृष्णनन वाले मामले में अभिनिर्धारित किया कि

यद्यपि किसी साक्षी का धारा 164 के अधीन अभिलिखित कथन लोक दस्तावेज है, इसको अन्वेषण के दौरान उसके भाग के रूप में अभिलिखित किया जाता है, अभियुक्त इस दस्तावेज को उस अधिकार के रूप में प्राप्त करने का हकदार नहीं होता जैसे कि वह उन दस्तावेजों को प्राप्त करने का अधिकार रखता है जिनको अन्वेषण अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 173(2) के अधीन अंतिम रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया गया था । संहिता की धारा 164 के अधीन कथन की नकल अन्वेषण अधिकारी के इस विनिर्दिष्ट निदेश के साथ तुरंत हस्तगत कर दी जानी चाहिए कि संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित ऐसे कथन की अंतर्वस्तु का प्रकटीकरण किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि संहिता की धारा 173 के अधीन आरोप पत्र/रिपोर्ट फाइल नहीं कर दी जाती । अतः उक्ति से यह स्पष्ट है कि बलात्संग के मामले में संहिता की धारा 164 के अधीन किसी अभियोक्त्री के अभिलिखित कथन को तब तक गोपनीय रखा जाना चाहिए जब तक कि अंतिम रिपोर्ट फाइल नहीं कर दी जाती । ऐसे कथन का प्रकटीकरण उस प्रक्रम पर अन्य लोगों के समक्ष अभियोक्त्री के हित की रक्षा किए जाने और उसके जीवन को खतरे की संभाव्यता को भी ध्यान में रखते हुए आशयित था । यदि धारा 164 के अधीन अभिलिखित कथन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो क्या न्यायालय द्वारा उसका अवलंब लोक दस्तावेज के रूप में लिया जा सकता है और उस विनिश्चय में मताभिव्यक्ति की गई कि इसको किसी भी न्यायिक कार्यवाही में अभिलिखित कथन प्रतीत किया जा सकता है और इस न्यायालय ने मताभिव्यक्ति की है कि यह उस कोटि के अंतर्गत आएगा और केवल उसी सीमा तक निष्कर्ष अभिलिखित किए गए हैं । इस मामले में इस प्रश्न पर विचार नहीं किया है कि क्या अभियुक्त अन्वेषण के दौरान आहत का धारा 164 के अधीन अभिलिखित कथन अंतिम रिपोर्ट फाइल किए जाने के पूर्व अधिकार के रूप में प्राप्त करने का अधिकार है । अतः यह विनिश्चय इस मामले में लागू नहीं होता । विद्वान् मजिस्ट्रेट माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कर्नाटक राज्य द्वारा नोनाविनाकरे पुलिस बनाम शिवन्ना **उर्फ** तरकारी शिवन्ना वाले मामले में दिए गए विनिश्चय में की गई मताभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए नौ अभियोक्त्रियों के धारा 164 के अधीन अभिलिखित कथन की सत्यापित नकल जारी किए जाने के लिए की गई अभियुक्त की प्रार्थना को अस्वीकृत करने में पूर्णतः न्यायानुमत था चूंकि वह (अभियुक्त) इस प्रक्रम पर उनको अधिकार के रूप में प्राप्त करने का हकदार नहीं था और मैं विद्वान् मजिस्ट्रेट के आदेश में मध्यक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाता । (पैरा 7, 9, 10 और 11)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2014] 2014 के. एच. सी. 4321 :
कनार्टक राज्य द्वारा नोनाविनाकरे पुलिस बनाम
शिवन्ना उर्फ **तरकारी शिवन्ना ;** 8,11

[2014] 2014 (2) के. एल. जे. 860 :
कुंजू मोहम्मद और अन्य बनाम **केरल राज्य ;** 4

[2014] 2014 (1) के. एल. टी. 146 :
उन्नीकृष्णन नायर बनाम **केरल राज्य ;** 4,9

[2013] 2013 क्रिमिनल ला जर्नल 78 :
राजू जानकी यादव बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य ;** 4,9

[2007] 2007 के. एच. सी. 4117 = ए. आई. आर.
2008 एस. सी. 218 :
नरेश कुमार यादव बनाम **रवींद्र कुमार और अन्य ;** 8

[1961] ए. आई. आर. 1961 मद्रास 92 :
मद्रास राज्य बनाम **जी. कृष्णनन** । 7

प्रकीर्ण (दांडिक) अधिकारिता : 2014 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका सं. 2627.

याची द्वारा न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, कोझी कोड के आदेश के विरुद्ध केरल उच्च न्यायालय में प्रकीर्ण दांडिक याचिका फाइल की गई ।

याची की ओर से सर्वश्री बी. रमन पिल्लई (ज्येष्ठ अधिवक्ता), आर. अनिल, एम. सुनील कुमार, सुजेश मेनन वी. बी., टी. अनिल कुमार, मनुटामथामस अब्राह्म (निलाकपिल्लई) और एम. विवेक

प्रत्यर्थी की ओर से श्रीमती पी. माया (लोक अभियोजक)

न्यायमूर्ति के. रामकृष्णन – याची द्वारा यह दांडिक प्रकीर्ण मामला चेवयूर पुलिस थाना में रजिस्ट्रीकृत 2012 के अपराध संख्या 589 में 2014 के पी. सी. ए. संख्या 405 में कोझी कोड के न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश, जिसके द्वारा कोझी कोड के न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता जिसको इसमें इसके पश्चात् "संहिता" कहकर निर्दिष्ट किया गया है, की धारा 482 के अधीन

अभिलिखित अभियोक्त्री के धारा 164 के कथन की सत्यापित प्रति जारी किए जाने के प्रयोजनार्थ फाइल किए गए आवेदन को खारिज कर दिया गया, को चुनौती देते हुए फाइल किया गया है ।

2. याचिका में यह अभिकथित है कि याची को चेवयूर पुलिस थाना में 2012 के अपराध सं. 589 में अभियुक्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया था । उसने तारीख 2 अप्रैल, 2014 को चेवयूर पुलिस थाना में 2012 के अपराध संख्या 589 में प्रथम इत्तिला कथन, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित अभियोक्त्री के कथन की सत्यापित प्रतियों के लिए आवेदन किया जिस पर 2014 का पी. सी. ए. सं. 405 अंकित किया गया था और याची के काउंसेल और उस न्यायालय के सहायक लोक अभियोजक को सुने जाने के पश्चात् विद्वान् मजिस्ट्रेट ने आदेश पारित किया जो संलग्नक-ख है और प्रथम इत्तिला कथन और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की सत्यापित प्रतियां जारी किए जाने की अनुज्ञा प्रदान कर दी किंतु साथ ही मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित अभियोक्त्री के धारा 164 के कथन की सत्यापित प्रति जारी किए जाने के लिए की गई प्रार्थना को अस्वीकृत कर दिया । इसको इस न्यायालय के समक्ष याची द्वारा चुनौती दी गई है ।

3. याची के काउंसेल और विद्वान् लोक अभियोजक को सुना गया तत्पश्चात् याचिका को विचारणार्थ ग्रहण किया गया और मामले में विधि से संबंधित प्रश्न पर विचार किया गया ।

4. याची के काउंसेल ने निवेदन किया कि धारा 164 का कथन एक लोक दस्तावेज होता है और यदि यह लोक दस्तावेज है तो वह इस दस्तावेज की सत्यापित प्रति पाने का हकदार है और इस दस्तावेज को पब्लिक से दूर रखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है । आगे, प्रथम इत्तिला कथन में भी याची के बारे में कोई उल्लेख नहीं था और वह इस बात को अभिनिश्चित करना चाहता था कि क्या अभियोक्त्री ने संहिता की धारा 164 के अधीन कथन अभिलिखित कराते समय विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके बारे में कुछ अभिकथित किया था और वह अभियुक्त होने के नाते उनको प्राप्त करने का हकदार था । उसने **उन्नीकृष्णन नायर** बनाम **केरल राज्य**[1], **राजू जानकी यादव** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[2] और **कुंजू मोहम्मद और अन्य** बनाम **केरल राज्य**[3] वाले मामलों में दिए गए विनिश्चयों

---

[1] 2014 (1) के. एल. टी. 146.

[2] 2013 क्रिमिनल ला जर्नल 78.

[3] 2014 (2) के. एल. जे. 860.

का अवलंब इस मामले के समर्थन में लिया ।

5. याचिका का विरोध लोक अभियोजक द्वारा इस आधार पर किया गया कि इस दस्तावेज को लोक दस्तावेज नहीं माना जा सकता और आगे निवेदन किया कि जब अन्वेषण के दौरान धारा 164 के अधीन कथन अभिलिखित किए जाते हैं तो वे केस डायरी का भाग बन जाते हैं जब तक अंतिम रिपोर्ट फाइल नहीं कर दी जाती और केवल तब जब अभियोजन विचारण के प्रयोजनार्थ उन दस्तावेजों का अवलंब लेना चाहता है तो उन दस्तावेजों को प्राप्त करना अभियुक्त का अधिकार हो जाएगा और जब तक अभियोजन उन दस्तावेजों का अवलंब लेना नहीं चाहता तब तक वे उस दस्तावेज की प्रति अधिकार के रूप में प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं ।

6. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याची को चेवयूर पुलिस थाना में 2012 के अपराध संख्या 589 में अभियुक्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया था । यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि अभियोक्त्री का कथन अन्वेषण अधिकारी द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किया गया था । यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि याची ने अन्य दस्तावेजों के साथ उसकी सत्यापित प्रति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन फाइल किया है और विद्वान् मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित आदेश द्वारा अभियोक्त्री के धारा 164 के कथन की सत्यापित प्रति जारी किए जाने वाली प्रार्थना को अस्वीकृत कर दिया था और अन्य दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां जारी किए जाने की प्रार्थना को मंजूर कर लिया था । इसको याची द्वारा यह याचिका फाइल किए जाने के द्वारा चुनौती दी गई है ।

7. यह सत्य है कि **राजू जानकी यादव** (उपरोक्त) वाले मामले में दिए गए विनिश्चय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित साक्षियों के कथन मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकारी के रूप में अधिकारिक और न्यायिक कार्यों के निर्वहन को उपदर्शित करते हैं और इस लिए यह दस्तावेज एक लोक दस्तावेज होता है और अभियुक्त उसकी सत्यापित प्रति प्राप्त करने का हकदार है । किंतु इसके पूर्व मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायपीठ ने **मद्रास राज्य** बनाम **जी. कृष्णनन**[1] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि किसी साक्षी का धारा 164 के अधीन अभिलिखित कथन लोक दस्तावेज है, इसको अन्वेषण के दौरान उसके भाग के रूप में अभिलिखित

[1] ए. आई. आर. 1961 मद्रास 92.

किया जाता है, अभियुक्त इस दस्तावेज को उस अधिकार के रूप में प्राप्त करने का हकदार नहीं होता जैसे कि वह उन दस्तावेजों को प्राप्त करने का अधिकार रखता है जिनको अन्वेषण अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 173(2) के अधीन अंतिम रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया गया था :–

> "(1) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 74(1)(iii) के अंतर्गत आते हैं, वे लोक दस्तावेज होते हैं ; (2) अभियुक्त उनकी नकलों के लिए एक हितबद्ध व्यक्ति के रूप में हकदार होगा ; और (3) किंतु आरोप पत्र फाइल किए जाने के पूर्व इस प्रकार की नकलें प्राप्त करने का उसका अधिकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174(4) के उपबंधों के अधीन विवक्षा द्वारा ले लिया गया है और वह उन दस्तावेजों की नकलें केवल उनके अनुसार प्राप्त करने का हकदार है ।"

8. यही विवाद पुनः **नरेश कुमार यादव** बनाम **रवींद्र कुमार और अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दोहराए गए हैं जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि वे दस्तावेज, जिनको अभियुक्त को उपलब्ध कराया जाना है, कानूनी रूप से उपबंधित किए गए हैं और कोई इत्तिलाकर्ता या अभियुक्त केस डायरी तक नहीं पहुंच सकता । पुनः **कनार्टक रज्य द्वारा नोनाविनाकरे पुलिस** बनाम **शिवन्ना** उर्फ **तरकारी शिवन्ना**[2] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस प्रक्रिया को दोहराया है जिसका अनुसरण बलात्संग के मामले में आहत का कथन अभिलिखित किए जाने के प्रयोजनार्थ किया जाता है, जो इस प्रकार है :–

> "इस पर विचार करते हुए हमने विद्वान् काउंसेल जो हमारे समक्ष उपस्थित हुए द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार कर लिया है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हम संपूर्ण देश के पुलिस थाना भारसाधकों को परमादेश के रूप में अंतरिम निदेश जारी करते हैं जिससे कि वे इस न्यायालय के निदेशों का पालन कर सकें, जो इस प्रकार हैं – (i) अन्वेषण अधिकारी बलात्संग के अपराध के कारण के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर आहत को किसी मेट्रोपोलिटन/अधिमानतः न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसका कथन अभिलिखित कराए जाने के प्रयोजनार्थ पेश करने के

---

[1] 2007 के. एच. सी. 4117 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 218.

[2] 2014 के. एच. सी. 4321.

लिए तुरंत कार्रवाई करेगा । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन कथन की एक नकल अन्वेषण अधिकारी को इस विनिर्दिष्ट निदेश के साथ तुरंत उपलब्ध करा दी जानी चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित इस प्रकार के कथन का प्रकटीकरण किसी व्यक्ति को तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन आरोप पत्र/रिपोर्ट फाइल न कर दी जाए । (ii) अन्वेषण अधिकारी, जहां तक संभव हो सके आहत को निकटतम महिला मेट्रोपोलिटन/अधिमानतः महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा । (iii) अन्वेषण अधिकारी उस तारीख और समय जिसको उसे बलात्संग का अपराध कारित किए जाने के बारे में जानकारी हुई, और उस तारीख और समय जिसको वह आहत को मेट्रोपोलिटन/अधिमानतः महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया, जैसा कि ऊपर अभिकथित है, को विनिर्दिष्ट रूप से अभिलिखित करेगा । (iv) यदि आहत को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने में 24 घंटे से अधिक विलंब हो चुका है, तो अन्वेषण अधिकारी उस विलंब के लिए केस डायरी में कारण अभिलिखित करेगा और उसकी एक नकल मजिस्ट्रेट को हस्तगत करेगा । (v) आहत का चिकित्सीय परीक्षण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164क, जो दंड प्रक्रिया संहिता में 2005 के अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुरःस्थापित की गई, अन्वेषण अधिकारी पर बलात्संग के आहत का तुरंत चिकित्सीय परीक्षण कराए जाने की बाध्यता अधिरोपित करती है । ऐसे चिकित्सीय परीक्षण की रिपोर्ट की एक प्रति मजिस्ट्रेट, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन आहत का कथन अभिलिखित करता है, को तुरंत हस्तगत कर दी जानी चाहिए ।"

9. इस विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संहिता की धारा 164 के अधीन कथन की नकल अन्वेषण अधिकारी के इस विनिर्दिष्ट निदेश के साथ तुरंत हस्तगत कर दी जानी चाहिए कि संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित ऐसे कथन की अंतर्वस्तु का प्रकटीकरण किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि संहिता की धारा 173 के अधीन आरोप पत्र/रिपोर्ट फाइल नहीं कर दी जाती । अतः उक्ति से यह स्पष्ट है कि बलात्संग के मामले में संहिता की धारा 164 के अधीन किसी अभियोक्त्री के अभिलिखित कथन को तब तक गोपनीय रखा जाना चाहिए जब तक कि अंतिम रिपोर्ट फाइल नहीं कर दी जाती । ऐसे कथन का प्रकटीकरण उस प्रक्रम पर अन्य लोगों

के समक्ष अभियोक्त्री के हित की रक्षा किए जाने और उसके जीवन को खतरे की संभाव्यता को भी ध्यान में रखते हुए आशयित था । अतः ऐसी परिस्थितियों में और इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश को ध्यान में रखते हुए **राजू जानकी यादव** (उपर्युक्त) वाले मामले में संप्रकाशित विनिश्चय में और साथ ही इसी बिंदु पर **उन्नीकृष्णन नायर** (उपर्युक्त) वाले मामले में अधिकथित उक्ति अब उचित विधि नहीं है ।

10. **कुंजू मोहम्मद** (उपर्युक्त) वाले मामले में संप्रकाशित विनिश्चय में अधिकथित उक्ति इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती चूंकि उस मामले में उद्भूत प्रश्न यह था कि यदि धारा 164 के अधीन अभिलिखित कथन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो क्या न्यायालय द्वारा उसका अवलंब लोक दस्तावेज के रूप में लिया जा सकता है और उस विनिश्चय में मताभिव्यक्ति की गई कि इसको किसी भी न्यायिक कार्यवाही में अभिलिखित कथन प्रतीत किया जा सकता है और इस न्यायालय ने मताभिव्यक्ति की है कि यह उस कोटि के अंतर्गत आएगा और केवल उसी सीमा तक निष्कर्ष अभिलिखित किए गए हैं । इस मामले में इस प्रश्न पर विचार नहीं किया है कि क्या अभियुक्त अन्वेषण के दौरान आहत का धारा 164 के अधीन अभिलिखित कथन अंतिम रिपोर्ट फाइल किए जाने के पूर्व अधिकार के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी है । अतः यह विनिश्चय इस मामले में लागू नहीं होता ।

11. अतः विद्वान् मजिस्ट्रेट माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **कर्नाटक राज्य द्वारा नोनाविनाकरे पुलिस** बनाम **शिवन्ना** उर्फ **तरकारी शिवन्ना** (उपरोक्त) वाले मामले में दिए गए विनिश्चय में की गई मताभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए नौ अभियोक्त्रियों के धारा 164 के अधीन अभिलिखित कथन की सत्यापित नकल जारी किए जाने के लिए की गई अभियुक्त की प्रार्थना को अस्वीकृत करने में पूर्णतः न्यायानुमत था चूंकि वह (अभियुक्त) इस प्रक्रम पर उनके अधिकार के रूप में प्राप्त करने का हकदार नहीं था और मैं विद्वान् मजिस्ट्रेट के आदेश में मध्यक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाता । अतः यह याचिका खारिज किए जाने योग्य है । परिणामस्वरूप याचिका खारिज की जाती है ।

प्रकीर्ण याचिका खारिज की गई ।

शु.

———————

रहमत अली और अन्य

बनाम

असम राज्य

तारीख 22 मई, 2014

न्यायमूर्ति बी. पी. काटाके और न्यायमूर्ति पी. के. सैकिया

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300, 304, भाग I – हत्या/हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध – सबूत – अभियुक्त द्वारा मृतक की गर्दन पर बल्लम से प्रहार करके उसकी हत्या किया जाना – साक्षियों द्वारा यह स्वीकार किया जाना कि भूमि संबंधी विवाद के कारण अभियुक्त व परिवादकर्ता दल के बीच पूर्व चिंतन बिना अचानक घटना घटित हुई थी तथा अभियुक्त दल द्वारा अपनी संपत्ति के संरक्षण देने के प्रयास में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को प्रयोग करते हुए उससे बाहर कार्य किया है – अतः मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्तों की दोषसिद्धि धारा 304 के भाग I में परिवर्तित की जाती है ।

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 323 और 324 – स्वेच्छा उपहति कारित किया जाना – यदि घटनास्थल पर मौजूद सह-अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में भाले और सब्बल से प्रहार किए जाने के संबंध में कोई अभिसाक्ष्य नहीं दिया गया है तथा अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि सह-अभियुक्तों ने मृतक के भाइयों के शरीर पर क्षतियां कारित कीं तो धारा 323 और 324 के अधीन दोषसिद्धि अनुचित है ।

अमीनउलहक मजूमदार द्वारा तारीख 4 जून, 2008 को लखीपुर पुलिस थाने के पुलिस भारसाधक अधिकारी के समक्ष यह अभिकथन करते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई ताकि उसमें आपराधिक अन्वेषण किया जाए कि मोनीमियां मजूमदार (2011 की दांडिक अपील सं. 62 में अपीलार्थी), रहमत अली मजूमदार और हीरामोनी मजूमदार (2011 की दांडिक अपील सं. 60 में अपीलार्थी), टोहिबन बेस्सा हुसीवारा बेगम और जनाम बेगम ने तारीख 4 जून, 2008 को लगभग 8.30 बजे पूर्वाह्न में

बल्लम से प्रथम इत्तिलाकर्ता का बड़ा भाई अब्दुल हक मजूमदार पर हमला किया था, जो अपनी भूमि जोत रहा था और वह भूमि अभियुक्त व्यक्तियों के मकान के समीप में थी तथा अभियुक्तों ने प्रथम इत्तिलाकर्ता जब वह अपने बड़े भाई के लिए टिफन लेकर अभियुक्तों के मकान से गुजर रहा था तो उसे गाली दी । चीख-पुकार सुनकर प्रथम इत्तिलाकर्ता का एक अन्य भाई मोनीउलहक (मृतक) उन्हें बचाने के लिए उस स्थान पर पहुंचा तब मोनीमियां मजूमदार ने मोनीउलहक के शरीर पर बल्लम से बार-बार प्रहार किए जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर लखीपुर पुलिस थाने में दंड संहिता की धारा 147/148/447/326/302/34 के अधीन 2008 का मामला सं. 147 दर्ज किया गया । पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटनास्थल का दौरा किया और शव की मृत्युसमीक्षा की । उसे शवपरीक्षण के लिए भेजा तथा अभि. सा. 1 तथा अभि. सा. 4 को चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा गया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित साक्षियों का कथन अभिलिखित किया गया और घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् पुलिस ने दंड संहिता की धारा 323/324/302/34 के अधीन वर्तमान अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया । यह मामला अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय था, विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कच्चर, सिल्चर द्वारा 2008 का जी. आर. मामला सं. 1935 में तारीख 28 जुलाई, 2009 को आदेश पारित करके विचारण के लिए मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया और तद्नुसार 2009 का सेशन मामला सं. 118 रजिस्ट्रीकृत किया गया । इसके पश्चात् विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने तारीख 27 अक्तूबर, 2009 को दंड संहिता की धारा 323/34 और 324/34 तथा दंड संहिता की धारा 302 के अधीन सभी अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप विरचित किए जिन्हें उनके समक्ष पढ़कर सुनाया गया और स्पष्ट किया गया । उन्होंने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया तथा विचारण किए जाने का दावा किया । इसलिए, विचारण प्रारंभ किया गया था और अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट किया गया था । दोषसिद्धि से व्यथित होकर अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । तद्नुसार, आदेश करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी साक्ष्य दिया गया है जिससे यह प्रकट है कि अभियुक्त अर्थात् मोनीमियां मजूमदार जिसने विवादित

भूमि के स्वामी होने का दावा किया है, अपने संपत्ति को सुरक्षा देने की कोशिश की है क्योंकि अब्दुल हक ने भी उसकी जमीन को जोतने की कोशिश की तथा इत्तिलाकर्ता दल ने मछली के गड्ढे से मछली निकालने की कोशिश की । अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य से यह भी प्रकट है कि अभियुक्त दल द्वारा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग किया जाना प्रकट है । तथापि, अभियोजन साक्ष्य से यह भी प्रकट है कि अपीलार्थी मोनीमियां मजूमदार ने मृतक मोनीउलहक के नाजुक भाग पर बल्लम से प्रहार करके संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के बाहर कार्य किया है । दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 2 में यह उपबंध किया गया है कि आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी द्वारा सद्भावपूर्वक संपत्ति या अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए विधि द्वारा उसे प्रदत्त शक्ति के बाहर कार्य किया गया है और जिसके कारण ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हुई है जिसके विरुद्ध उसने बिना पूर्व चिन्तन के और अत्यधिक हानि न पहुंचाने के किसी आशय को प्रकट करते हुए प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है और यह बात ऐसी प्रतिरक्षा प्रयोजन के लिए आवश्यक है । (पैरा 26, 27 और 28)

वर्तमान मामले में मोनीमियां मजूमदार द्वारा मोनीउलहक की हत्या का कोई पूर्व चिन्तन नहीं किया गया था । यह घटना क्षण भर में और अचानक घटी थी और इस मामले में अपनी संपत्ति को संरक्षण देने की कोशिश की गई, तथापि, अपीलार्थी मोनीमियां मजूमदार ने अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बाहर कार्य किया है अतः यह मामला दंड संहिता की धारा 300 के अपवादों के अन्तर्गत आता है । जैसा कि ऊपर चर्चा की गई अभिलेख का साक्ष्य और घटना में प्रयुक्त आयुध की प्रकृति तथा शरीर के नाजुक भाग जहां ऐसी क्षति कारित की गई थी, को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी मोनीमियां मजूमदार ने मृत्यु कारित करने के बिना आशय और ऐसी शारीरिक क्षति जिससे संभवतः मृत्यु हो जाए, को ध्यान में रखते हुए क्षतियां कारित नहीं कीं, इसलिए, दंड संहिता की धारा 304 का भाग I के अधीन उसकी दोषसिद्धि की जानी चाहिए । (पैरा 29 और 30)

अभि. सा. 1 ने अपने कथन में रहमत अली या हीरामोनी द्वारा अभि. सा. 4 के शरीर पर प्रहार करने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है इसीलिए अभि. सा. 4 ने मोनीमियां मजूमदार द्वारा अभि. सा. 1 के शरीर

पर कोई प्रहार किए जाने के संबंध में कथन नहीं किया है यद्यपि अभियोजन पक्ष के अनुसार अभि. सा. 1 और अभि. सा. 4 दोनों घटना के समय पर मौजूद थे । इसके अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 4 को यह सुझाव दिया गया था कि उसने पुलिस के समक्ष यह कथन किया कि उसे क्षतियां पहुचीं थीं जब वह घटनास्थल से भागते हुए जमीन पर गिर पड़ा था तथा किसी भी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा उसे क्षतियां नहीं पहुंचाई गई थीं, तथापि, जिस बात का उसके द्वारा खंडन किया गया । (पैरा 17)

प्रतिरक्षा पक्ष अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 9) द्वारा प्रतिपरीक्षा करने के दौरान यह साबित कर सका है कि अभि. सा. 4 ने अपनी पूर्ववर्ती कथन में यह बात कही है कि जब वह घटनास्थल से दौड़ रहा था तब वह गिर पड़ा और उसे क्षतियां पहुंची थीं और उस पर किसी व्यक्ति द्वारा हमला नहीं किया गया था । अभि. सा. 4 के अभिसाक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि उसने न्यायालय में अपने वृत्तांत में सुधार किया है और बरछे द्वारा अपने शरीर पर क्षतियां कारित किए जाने के बारे में रहमत अली और हीरामोनी को आलिप्त किया है । इस बारे में अर्थात् रहमत और हीरामोनी द्वारा क्षतियां कारित किए जाने के संबंध में अभि. सा. 4 का साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 जिन्होंने घटना का साक्षी होने का भी दावा किया है और जो घटनास्थल पर पहुंचे थे जब घटना घट रही थी तब उन्होंने अभि. सा. 1 या अभि. सा. 4 के शरीर पर रहमत और हीरामोनी द्वारा कोई क्षति कारित किए जाने के संबंध में कुछ भी कथन नहीं किया है । (पैरा 18)

पूर्वोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए न्यायालय का यह मत है कि अभियोजन पक्ष इस बात को साबित करने में विफल हुआ है कि रहमत अली और हीरामोनी मजूमदार ने अभि. सा. 1 और अभि. सा. 4 के शरीर पर कोई क्षति पहुंचाई है और, इसलिए, दंड संहिता की धारा 323/34 और 324/34 के अधीन उनकी दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है । (पैरा 19)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 60 और 62.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री एम. एच. राजबारभुहिया, (सुश्री) आर. क्षेत्री और (सुश्री) एल. दास
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री के. ए. मजूमदार, अपर लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बी. पी. काटाके ने दिया ।

न्या. काटाके – ये अपीलें 2009 के सेशन मामला सं. 118 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय, कच्चर, सिल्चर) द्वारा तारीख 10 फरवरी, 2011 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध फाइल की गईं हैं जिसमें रहमत अली और हीरामोनी मजूमदार (2011 की दांडिक अपील सं. 60 में अपीलार्थी) को दंड संहिता की धारा 323/34 और 334/ 34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया था जिसमें दंड संहिता की धारा 324/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए उन्हें अलग-अलग दो वर्ष का कठोर कारावास भोगने तथा अलग-अलग दो हजार रुपए का संदाय करने तथा जुर्माने की रकम का संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर उन्हें अलग-अलग दो मास की अवधि का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया; तथा उन्हें दंड संहिता की धारा 323/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए प्रत्येक को 3 मास का साधारण कारावास भोगने और अलग-अलग 500/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने, जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर 15 दिनों की अवधि का भी साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया और मोनीमियां मजूमदार (2011 की दांडिक अपील सं. 62 में अपीलार्थी) को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया तथा उसे आजीवन कारावास भोगने तथा 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने, जुर्माने की रकम का संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर छह मास की अवधि का कठोर कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया ।

2. अमीनउलहक मजूमदार (अभि. सा. 1) द्वारा तारीख 4 जून, 2008 को लखीपुर पुलिस थाने के पुलिस भारसाधक अधिकारी के समक्ष यह अभिकथन करते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई ताकि उसमें आपराधिक अन्वेषण किया जाए कि मोनीमियां मजूमदार (2011 की दांडिक अपील सं. 62 में अपीलार्थी), रहमत अली मजूमदार और हीरामोनी मजूमदार (2011 की दांडिक अपील सं. 60 में अपीलार्थी), टोहिबन बेस्सा हुसीवारा बेगम और जनाम बेगम ने तारीख 4 जून, 2008 को लगभग 8.30 बजे पूर्वाह्न में बल्लम से प्रथम इत्तिलाकर्ता का बड़ा भाई अब्दुल हक मजूमदार पर हमला किया था, जो अपनी भूमि जोत रहा था और वह भूमि अभियुक्त व्यक्तियों के मकान के समीप में थी तथा अभियुक्तों ने प्रथम इत्तिलाकर्ता जब वह अपने बड़े भाई के लिए टिफन लेकर अभियुक्तों के मकान से गुजर रहा था तो उसे गाली दी । चीख-पुकार सुनकर प्रथम

इत्तिलाकर्ता का एक अन्य भाई मोनीउलहक (मृतक) उन्हें बचाने के लिए उस स्थान पर पहुंचा तब मोनीमियां मजूमदार ने मोनीउलहक के शरीर पर बल्लम से बार-बार प्रहार किए जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई ।

3. उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर लखीपुर पुलिस थाने में दंड संहिता की धारा 147/148/447/326/302/34 के अधीन 2008 का मामला सं. 147 दर्ज किया गया । पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटनास्थल का दौरा किया और शव की मृत्युसमीक्षा की । उसे शवपरीक्षण के लिए भेजा तथा अभि. सा. 1 तथा अभि. सा. 4 को चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा गया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित साक्षियों का कथन अभिलिखित किया गया और घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया ।

4. अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् पुलिस ने दंड संहिता की धारा 323/324/302/34 के अधीन वर्तमान अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया । यह मामला अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय था, विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कच्चर, सिल्चर द्वारा 2008 का जी. आर. मामला सं. 1935 में तारीख 28 जुलाई, 2009 को आदेश पारित करके विचारण के लिए मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया और तदनुसार 2009 का सेशन मामला सं. 118 रजिस्ट्रीकृत किया गया । इसके पश्चात् विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने तारीख 27 अक्तूबर, 2009 को दंड संहिता की धारा 323/34 और 324/34 तथा दंड संहिता की धारा 302 के अधीन सभी अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप विरचित किए जिन्हें उनके समक्ष पढ़कर सुनाया गया और स्पष्ट किया गया । उन्होंने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया तथा विचारण किए जाने का दावा किया । इसलिए, विचारण प्रारंभ किया गया था ।

5. अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 9 साक्षियों की परीक्षा की अर्थात् अमीनुलहक मजूमदार (अभि. सा. 1), कलीमुद्दीन मजूमदार (अभि. सा. 2), मौ. अब्दुल हाकिम मजूमदार (अभि. सा. 3), अब्दुल हक (अभि. सा. 4), स्मातिल मीराबेगम (अभि. सा. 5), मुसम्मात मोनीराम बेगम (अभि. सा. 6), डा. बी. सी. रायमेदी (अभि. सा. 7), डा. बिष्णुपीनक रंजन एन. जी. (अभि. सा. 8) और श्री निनार अली सासकार, (अभि. सा. 9) की परीक्षा की गई ।

6. अभियोजन पक्ष के अनुसार अभि. सा. 1, अभि. सा. 4, अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं जिनमें से अमीनउलहक मजूमदार (अभि. सा. 1) और अब्दुल हक (अभि. सा. 4) ने क्षतिग्रस्त साक्षी होने का दावा किया है । अभि. सा. 7 डा. बी. सी. रायमेदी ने मोनीउलहक के शव की शव-परीक्षा की । अभि. सा. 8 डा. बिष्णुपीनक रंजन एन. जी. ने अभि. सा. 1 और अभि. सा. 4 की क्षतियों की परीक्षा की और क्षति रिपोर्ट प्रस्तुत की जिन्हें साबित किया गया था और उन पर प्रदर्श 4 और प्रदर्श 5 चिह्न डाला गया था । अभि. सा. 9 श्री निनार अली लासकर पुलिस उप निरीक्षक है जिन्होंने अन्वेषण के मुख्य भाग का निपटान किया था । अभियोजन साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थियों के कथन भी लेखबद्ध किए गए थे । तथापि, अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा उन्हें अवसर दिए जाने के पश्चात् भी किसी प्रतिरक्षा साक्षी की परीक्षा नहीं की । विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रकट साक्ष्य का मूल्यांकन करके पूर्वोक्त दोषसिद्धि का निर्णय पारित कर दिया । इसलिए, वर्तमान अपीलें फाइल की गई थीं ।

7. हमने दोनों अपीलों में अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री एम. एच. राजबारभुहिया तथा राज्य की ओर से हाजिर होने वाले श्री के. ए. मजूमदार, अपर लोक अभियोजक, असम को सुना ।

8. अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री राजबारभुहिया ने अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्यों का उल्लेख करते हुए खासतौर पर अभि. सा. 1, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 8 के अभिसाक्ष्य का उल्लेख करते हुए यह निवेदन किया है कि रहमत अली मजूमदार, हीरामोनी मजूमदार द्वारा अभि. सा. 1 और अभि. सा. 4 के शरीर पर की गईं क्षतियों के संबंध में उनके प्रकट कथनों के बीच तात्विक विभेद हैं और उनके साक्ष्य का डाक्टर अभि. सा. 8 द्वारा समर्थन नहीं किया गया है जिन्होंने क्षति रिपोर्ट प्रदर्श 4 और प्रदर्श 5 को साबित किया है । विचारण न्यायालय ने रहमत अली मजूमदार और हीरामोनी मजूमदार (2011 की दांडिक अपील सं. 60 में अपीलार्थी) की दोषसिद्धि दंड संहिता की धारा 323/34 और 324/34 के अधीन नहीं की गई ।

9. श्री राजबारभुहिया, विद्वान् काउंसेल ने यह भी निवेदन किया है कि अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्यों से खासतौर पर उनके द्वारा किए गए कथनों तथा उनकी प्रतिपरीक्षा करने पर यह सुस्पष्ट है कि उनके बीच भूमि

तथा मछली के तालाब के संबंध में विवाद रहा, अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 9) के अनुसार इत्तिलाकर्ता से संबंधित भूमि में उनकी हिस्सेदारी थी और उसका कुछ भाग अभियुक्त पक्ष के भाग में आता है । यह भी निवेदन किया गया कि यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी मोनीमियां मजूमदार ने अपनी संपत्ति के बारे में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया है जो अत्यधिक है और यह बात दंड संहिता की धारा 300 के द्वितीय अपवाद के अन्तर्गत आती है । अतः, विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि विचारण न्यायालय ने मोनीमियां मजूमदार (2011 की दांडिक अपील सं. 62) को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया जाना नहीं चाहा गया है और उसे दंड संहिता की धारा 304 के भाग II के अधीन दंडित किया जाना चाहा गया था, क्योंकि हत्या करने का आशय या शारीरिक क्षति पहुंचाने का आशय या कोई पूर्व चिन्तन नहीं हुआ था जिसके परिणामस्वरूप मोनीउलहक की मृत्यु हो गई थी ।

10. श्री मजूमदार विद्वान् अपर लोक अभियोजक, असम ने दूसरी ओर दोषसिद्धि के निर्णय का समर्थन करते हुए यह दलील दी है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 4 के अभिसाक्ष्य से तथा क्षति रिपोर्ट (प्रदर्श 4 और प्रदर्श 5) जिन्हें डाक्टर अभि. सा. 8 द्वारा साबित किया गया था जिन्होंने अभि. सा. 1 और अभि. सा. 4 की चिकित्सीय रूप से परीक्षा की थी, से यह सुस्पष्ट है कि रहमत अली मजूमदार और हीरामोनी मजूमदार ने कुंद और खतरनाक आयुधों से अभि. सा. 1 और अभि. सा. 4 के शरीर पर प्रहार किए थे, इसलिए, उन्हें दंड संहिता की धारा 323/34 तथा धारा 324/34 के अधीन दोषसिद्ध करके ठीक ही किया गया है क्योंकि उन्होंने ऐसे अपराध को कारित करने में सामान्य आशय में भागीदारी की थी ।

11. श्री मजूमदार ने यह भी निवेदन किया है कि अभि. सा. 1, अभि. सा. 4, अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 के अभिसाक्ष्य से यह भी सुस्पष्ट है कि मोनीमियां मजूमदार (2011 की दांडिक अपील सं. 62 में अपीलार्थी) जिसने मृतक मोनीउलहक की गर्दन पर बल्लम से प्रहार किया था जिसके परिणामस्वरूप उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । यह भी निवेदन किया गया कि अभि. सा. 1. अभि. सा. 4, अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 के ऐसे वृत्तांतों की चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा भी समर्थन मिला है । इन मामलों में शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 3 को डा. बी. सी. रायमेधी (अभि. सा. 7) द्वारा साबित किया गया है । अतः विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह

दलील दी है कि अपीलार्थी मोनीमियां मजूमदार को विचारण न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध करके ठीक ही किया है ।

12. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया ।

2011 की दांडिक अपील सं. 60

13. हम इस बारे में विचार के लिए अर्थात् कि क्या अभियोजन पक्ष अपीलार्थी रहमत अली और हीरामोनी मजूमदार के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 323/34 और 324/34 के अधीन आरोप विरचित कर युक्तियुक्त संदेह के परे उन्हें सिद्ध कर सका है इस बारे में 2011 की दांडिक अपील सं. 60 पर सर्वप्रथम विचार करेंगे ।

14. अभि. सा. 1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि घटना के दिन मोनीमियां मजूमदार ने मोनीउलहक (मृतक) की गर्दन पर बल्लम से एक प्रहार किया था और इसके पश्चात् रहमत अली ने मोनीउलहक की पीठ पर बरछे से प्रहार किया और तब हीरामोनी ने सब्बल (खोदने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली नुकीली छड़) से मोनीउलहक पर प्रहार किया । अभि. सा. 1 ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि इसके पश्चात् मोनीमियां मजूमदार ने मोनीउलहक के शरीर से बल्लम को खींचा और अमीनउलहक मजूमदार (अभि. सा. 1) की पीठ पर प्रहार किया जिससे उसके शरीर पर क्षतियां कारित हुई थीं । इस साक्षी ने अभि. सा. 4 के शरीर पर रहमत या हीरामोनी द्वारा कोई क्षति किए जाने का कथन नहीं किया ।

15. अभि. सा. 1 ने यह वृत्तांत दिया है कि मोनीमियां मजूमदार ने उसकी पीठ पर एक बल्लम से प्रहार किया था जिसके परिणामस्वरूप क्षतियां हुई थीं और इन बातों को चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा समर्थन नहीं मिला है क्योंकि अभि. सा. 8 जिसने चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट को साबित किया है जो प्रदर्श 5 है, ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि श्रोणि क्षेत्र जो कोमल भाग है उस पर कुन्द आयुध से चोट पहुंचाई गई और यह अभि. सा. 1 के शरीर पर पाई गई थी ।

16. अभि. सा. 4 एक अन्य साक्षी है जिसके बारे में अभियोजन पक्ष के अनुसार रहमत अली और हीरामोनी ने कारित क्षतियां की थीं, अपने साक्ष्य में उसने यह कथन किया कि अभियुक्त रहमत अली ने उसके शरीर

पर बरछे से प्रहार किया जिस पर उसका सिल्चर मेडिकल कालेज और अस्पताल में उपचार किया गया था ।

17. अभि. सा. 1 ने अपने कथन में रहमत अली या हीरामोनी द्वारा अभि. सा. 4 के शरीर पर प्रहार करने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है इसीलिए अभि. सा. 4 ने मोनीमियां मजूमदार द्वारा अभि. सा. 1 के शरीर पर कोई प्रहार किए जाने के संबंध में कथन नहीं किया है यद्यपि अभियोजन पक्ष के अनुसार अभि. सा. 1 और अभि. सा. 4 दोनों घटना के समय पर मौजूद थे । इसके अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 4 को यह सुझाव दिया गया था कि उसने पुलिस के समक्ष यह कथन किया कि उसे क्षतियां पहुचीं थीं जब वह घटनास्थल से भागते हुए जमीन पर गिर पड़ा था तथा किसी भी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा उसे क्षतियां नहीं पहुंचाई गई थीं, तथापि, जिस बात का उसके द्वारा खंडन किया गया ।

18. प्रतिरक्षा पक्ष अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 9) द्वारा प्रतिपरीक्षा करने के दौरान यह साबित कर सका है कि अभि. सा. 4 ने अपनी पूर्ववर्ती कथन में यह बात कही है कि जब वह घटनास्थल से दौड़ रहा था तब वह गिर पड़ा और उसे क्षतियां पहुंची थीं और उस पर किसी व्यक्ति द्वारा हमला नहीं किया गया था । अभि. सा. 4 के अभिसाक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि उसने न्यायालय में अपने वृत्तांत में सुधार किया है और बरछे द्वारा अपने शरीर पर क्षतियां कारित किए जाने के बारे में रहमत अली और हीरामोनी को आलिप्त किया है । इस बारे में अर्थात् रहमत और हीरामोनी द्वारा क्षतियां कारित किए जाने के संबंध में अभि. सा. 4 का साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 जिन्होंने घटना का साक्षी होने का भी दावा किया है और जो घटनास्थल पर पहुंचे थे जब घटना घट रही थी तब उन्होंने अभि. सा. 1 या अभि. सा. 4 के शरीर पर रहमत और हीरामोनी द्वारा कोई क्षति कारित किए जाने के संबंध में कुछ भी कथन नहीं किया है ।

19. पूर्वोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए हमारा यह मत है कि अभियोजन पक्ष इस बात को साबित करने में विफल हुआ है कि रहमत अली और हीरामोनी मजूमदार ने अभि. सा. 1 और अभि. सा. 4 के शरीर पर कोई क्षति पहुंचाई है और, इसलिए, दंड संहिता की धारा 323/34 और 324/34 के अधीन उनकी दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है ।

2011 की दांडिक अपील सं. 62

20. अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर 2011 की दांडिक अपील सं. 62 का विनिश्चय करने के लिए हम अग्रसर होते हैं ।

21. अभि. सा. 1 ने अपने कथन में यह कहा है कि घटना के दिन प्रातः अब्दुल हक (अभि. सा. 4) खेत जोत रहा था और जब अभि. सा. 1 अपने भाई अब्दुल हक के लिए नाश्ता लेते हुए खेत की ओर गया और वह खेत पर पहुंचा उसने यह सुना कि अभियुक्त रहमत अली उसके भाई अब्दुल हक को गालियां दे रहा है जिसने अभि. सा. 1 से यह कहा कि रहमत अली भद्दी भाषा में उसे गालियां दे रहा है । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि जब उसने ऐसे व्यवहार के बारे में उससे पूछताछ की तब रहमत अली ने उसे धमकाया और भद्दे शब्दों में उसे भी गालियां दीं । इस साक्षी ने यह भी कहा कि चीख-पुकार सुनकर उसका बड़ा भाई मोनीउलहक (मृतक) खेत की ओर आया और तालाब के नजदीक रास्ते पर रहमत अली ने मोनीउलहक को पकड़ लिया और अभियुक्त मोनीमियां मजूमदार ने उसके भाई मोनीउलहक की गर्दन पर बल्लम से प्रहार कर दिया । परिणामस्वरूप मोनीउलहक जमीन पर गिर गया । इस साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा के दौरान किए गए कथन से यह भी प्रकट है कि मामले में भूमि के संबंध में विवाद था जिस कारण यह घटना घटी थी क्योंकि अभियुक्त के अनुसार उन्होंने जमीन की खरीद की थी जिस पर इस साक्षी ने इनकार किया है, तथापि, यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त दल तथा इत्तिलाकर्ता दल नजदीकी नातेदार हैं । इस साक्षी को यह और सुझाव दिया गया कि वह हीरामोनी था जो भूमि को जोत रहा था जब इत्तिलाकर्ता दल ने उससे धान के खेत को छोड़कर चले जाने के लिए कहा और इसके पश्चात् इस कार्रवाई में उनके बीच झगड़ा हुआ । मोनीउलहक को गड्ढे में गिरने की वजह से क्षतियां कारित हुईं, तथापि, इस साक्षी द्वारा इस बात से इनकार किया गया है ।

22. अभि. सा. 2 को पक्षद्रोही घोषित किया गया था । अभि. सा. 4 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि रहमत ने अपनी भूमि में मछली के तालाब की दीवार के बारे में उसे गालियां दीं । इस साक्षी ने मोनीमियां मजूमदार द्वारा मृतक मोनीउलहक की गर्दन पर बल्लम से प्रहार करने के संबंध में अभि. सा. 1 के वृत्तांत का भी समर्थन किया है । तथापि, इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि मामले का विवाद मछली के गड्ढे की दीवार से संबंधित था और रहमत ने अपने चचेरे भाई

अभि. सा. 4 चनक अली की भूमि में अब्दुल हक के गाली देने के कारण आपस में मारपीट हुई थी । यह भी कथन किया गया कि अभियुक्त व्यक्तियों की भूमि उत्तर की ओर अभि. सा. 4 की भूमि से सटी हुई थी और चनक अली की भूमि अभियुक्त व्यक्तियों की भूमि के उत्तर की ओर सटी हुई थी । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त दल की भूमि और इत्तिलाकर्ता दल की भूमि के बीच सीमा को चिह्नांकित नहीं किया गया था ।

23. अभि. सा. 5 अभि. सा. 4 की पत्नी है और अभि. सा. 6 मृतक की पत्नी है । इन साक्षियों ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि दोनों पक्षकारों के बीच भूमि की सीमा के चिह्नांकन के बारे में विवाद हुआ था । अभि. सा. 5 ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी कथन किया है कि उस दिन अचानक घटना घटी थी ।

24. अन्वेषक अधिकारी, अभि. सा. 9 जिन्होंने रेखाचित्र नक्शा प्रदर्श 6 को अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान साबित किया है, उन्होने यह कथन किया है कि इत्तिलाकर्ता दल और अभियुक्त दल के बीच मछली के गड्ढे के संबंध में विवाद प्रारंभ हुआ था जिसे रेखाचित्र नक्शा में "क" चिह्न के रूप में दिया गया है । उन्होंने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उक्त मछली का गड्ढा इत्तिलाकर्ता दल की भूमि जिसे "बी" के रूप में चिह्नित किया गया है और अभियुक्त की भूमि के बीच आता है । मोनीमियां मजूमदार की भूमि "ग" के रूप में चिह्नांकित की गई है । अभिसाक्ष्य और साथ ही तैयार किए गए रेखाचित्र नक्शे से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त दल और इत्तिलाकर्ता दल की भूमि के भू-खंड सटे हुए हैं ।

25. पूर्वोक्त अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि घटना भूमि के सीमा विवाद के कारण घटी थी और जब कि अभियुक्त दल ने यह दावा किया है कि भूमि उनसे संबंधित है तथा इत्तिलाकर्ता दल ने यह दावा किया है कि भूमि उनसे संबंधित है । यह भी प्रकट हुआ है कि विवाद मछली के गड्ढे के संबंध में था जो दोनों की भूमि अर्थात् अभियुक्त दल से संबंधित तथा इत्तिलाकर्ता दल से संबंधित भूमि के अन्तर्गत है । यह भी प्रकट हुआ है कि घटना अचानक घटित हुई थी जैसा कि अभि. सा. 5 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभिसाक्ष्य दिया गया है । यह विवाद भूमि के कब्जे के संबंध में भी था ।

26. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी साक्ष्य

दिया गया है जिससे यह प्रकट है कि अभियुक्त अर्थात् मोनीमियां मजूमदार जिसने विवादित भूमि के स्वामी होने का दावा किया है, अपनी संपत्ति को सुरक्षा देने की कोशिश की है क्योंकि अब्दुल हक ने भी उसकी जमीन को जोतने की कोशिश की तथा इत्तिलाकर्ता दल ने मछली के गड्ढे से मछली निकालने की कोशिश की । अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य से यह भी प्रकट है कि अभियुक्त दल द्वारा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग किया जाना प्रकट है ।

27. तथापि, अभियोजन साक्ष्य से यह भी प्रकट है कि अपीलार्थी मोनी-मिंया मजूमदार ने मृतक मोनीउलहक के नाजुक भाग पर बल्लम से प्रहार करके संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के बाहर कार्य किया है ।

28. दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 2 में यह उपबंध किया गया है कि आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी द्वारा सद्भावपूर्वक संपत्ति या अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए विधि द्वारा उसे प्रदत्त शक्ति के बाहर कार्य किया गया है और जिसके कारण ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हुई है जिसके विरुद्ध उसने बिना पूर्व चिन्तन के और अत्यधिक हानि न पहुंचाने के किसी आशय को प्रकट करते हुए प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है और यह बात ऐसी प्रतिरक्षा प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

29. वर्तमान मामले में मोनीमियां मजूमदार द्वारा मोनीउलहक की हत्या का कोई पूर्व चिन्तन नहीं किया गया था । यह घटना क्षण भर में और अचानक घटी थी और इस मामले में अपनी संपत्ति को संरक्षण देने की कोशिश की गई, तथापि, अपीलार्थी मोनीमियां मजूमदार ने अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बाहर कार्य किया है अतः यह मामला दंड संहिता की धारा 300 के अपवादों के अन्तर्गत आता है।

30. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई अभिलेख का साक्ष्य और घटना में प्रयुक्त आयुध की प्रकृति तथा शरीर के नाजुक भाग जहां ऐसी क्षति कारित की गई थी, को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी मोनीमियां मजूमदार ने मृत्यु कारित करने के बिना आशय और ऐसी शारीरिक क्षति जिससे संभवतः मृत्यु हो जाए, को ध्यान में रखते हुए क्षतियां कारित नहीं कीं, इसलिए, दंड संहिता की धारा 304 का भाग I के अधीन उसकी दोषसिद्धि की जानी चाहिए ।

31. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किए गए तथ्यों और परिस्थितियों की संपूर्ण बात को ध्यान में रखते हुए हमने अभियुक्त-अपीलार्थी मोनीमियां मजूमदार की दोषसिद्धि को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपास्त करके दंड संहिता की धारा 304 के भाग I के अधीन दोषसिद्धि की है और उसे 10 वर्ष का कठोर कारावास भोगने तथा दस हजार रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर छह मास का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया है । जुर्माने की रकम यदि वसूल की जाती है तो मोनीउलहक की विधवा को संदाय की जाएगी ।

32. असम राज्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(क) में अन्तर्विष्ट उपबंधों तथा इस संबंध में पहले ही बनाई गई स्कीम को ध्यान में रखते हुए मोनीउलहक की विधवा (अभि. सा. 6) को दो लाख रुपए के प्रतिकर का संदाय करने का निदेश देती है और यह राशि आज से दो मास की अवधि के भीतर अदा करनी होगी ।

33. 2011 की दांडिक अपील सं. 60 मंजूर की जाती है । अभियुक्त-अपीलार्थी रहमत अली और हीरामोनी मजूमदार के जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं । 2011 की दांडिक अपील सं. 62 में की गई दोषसिद्धि को परिवर्तित करते हुए भागतः मंजूर की जाती है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है ।

34. कार्यालय को अभिलेख वापस भेजने का निदेश दिया जाता है ।

तद्नुसार आदेश किया गया ।

आर्य

छत्तीसगढ़ राज्य

बनाम

हरीश कुमार विश्वकर्मा

तारीख 25 अगस्त, 2014

न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6) – धारा 3, 4 और 7 – प्रत्यर्थी के कब्जे से विस्फोटक पदार्थ की बरामदगी – विचारण न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान केंद्रीय सरकार की सहमति के बिना नहीं लिया जा सकता – अधिनियम की संशोधित धारा 7 के अधीन केंद्रीय सरकार से आशय जिला मजिस्ट्रेट से है ।

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6) – धारा 7 – विशेष शक्ति का प्रत्यायोजन – जिला मजिस्ट्रेट की सहमति के बिना किसी अपराध के बाबत किसी व्यक्ति का विचारण नहीं किया जा सकता – जिला मजिस्ट्रेट इस शक्ति को अपर जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता है ।

संक्षेप में वाद के तथ्य ये हैं कि प्रत्यर्थी को 1908 के विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन अपराध कारित किए जाने के लिए यह अभिकथित करते हुए आरोपित किया गया कि अन्वेषण अधिकारी ने तारीख 17 जून, 2011 को ग्राम खैरा में बलबाम क्रशर उद्योग नामक पिसाई स्थल की तलाशी ली और पाया कि प्रत्यर्थी के हाथ में थैला था जिसमें प्रस्फोटक, फ्यूज तार, अमोनियम नाइट्रेट और किरोसिन इत्यादि रखे हुए थे और सम्यक् अन्वेषण के पश्चात् उसके विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई और 1908 के अधिनियम की धारा 7 के अधीन विलासपुर के अपर जिला मजिस्ट्रेट की सहमति के पश्चात् अधिकारिता प्राप्त दांडिक न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र फाइल कर दिया गया । प्रत्यर्थी ने आरोप विरचित किए जाते समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के अधीन आवेदन अन्य बातों के साथ यह अभिकथित करते हुए फाइल किया कि अपराध का संज्ञान केंद्रीय सरकार की सहमति के बिना 1908 के अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन नहीं लिया जा सकता और केंद्रीय सरकार ने इस शक्ति को अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार को

प्रत्यायोजित कर दिया है और राज्य सरकार ने इस शक्ति का प्रयोग किए जाने के प्रयोजनार्थ जिला मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत कर दिया है और इसलिए अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 1908 के अधिनियम की धारा 7 के अधीन प्रदान की गई सहमति अवैध है चूंकि वह सहमति प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत और सक्षम नहीं था और केवल जिला मजिस्ट्रेट ही अधिनियम की संशोधित धारा 7 के अधीन सहमति प्रदान किए जाने के लिए प्राधिकृत होता है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् तारीख 31 अक्तूबर, 2011 के आक्षेपित आदेश द्वारा आवेदन स्वीकार कर लिया और अभिनिर्धारित किया कि केंद्रीय सरकार प्राधिकारी है जो अधिनियम की धारा 7 के अधीन सहमति प्रदान करती है और चूंकि केंद्रीय सरकार ने उस शक्ति को जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर दिया था अतः अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान की गई सहमति विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है । छत्तीसगढ़ राज्य ने इस आदेश के विरुद्ध यह पुनरीक्षण फाइल किया है जिसके द्वारा आक्षेपित आदेश को चुनौती दी गई है । पुनरीक्षण याचिका भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले के तथ्यों पर पुनः दृष्टि डालते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि अपराध के घटित होने की तारीख 17 जून, 2011 है और प्रकटतः अधिनियम की धारा 7 के संशोधित उपबंध पहले ही तारीख 11 दिसंबर, 2001 से प्रभावी हो गए थे और इसलिए वही उपबंध प्रस्तुत मामले में लागू होगा । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अधिनियम की संशोधित धारा 7 का उल्लेख नहीं किया और अधिनियम की असंशोधित धारा 7 का उल्लेख किया जिसके अधीन केंद्रीय सरकार सशक्त थी और उसने अधिनियम की धारा 7 के अधीन सहमति प्रदान करने की अपनी शक्ति जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर दी थी और भूपेंद्र सिंह वाले मामले में दिए गए विनिश्चय का अवलंब लेते हुए अभिनिर्धारित किया कि अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान की गई सहमति अप्राधिकृत है और विधि की दृष्टि में मान्य ठहराए जाने योग्य नहीं है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश इस तथ्य का उल्लेख करने में विफल रहा कि अधिनियम की धारा 7 तारीख 11 दिसंबर, 2001 से संशोधित कर दी गई थी जिसके अधीन जिला मजिस्ट्रेट को अधिनियम की धारा 7 के अधीन प्रदान करने वाले प्राधिकारी के रूप में पदनामित कर दिया गया था । विद्वान् सेशन न्यायाधीश इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहे कि क्या संहिता की धारा 20(2) के प्रकाश में अपर

जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम की धारा 7 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर सकता है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने मात्र 1908 के अधिनियम की असंशोधित धारा 7 का अवलंब लिया और इस विनिश्चय पर पहुंचे कि अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनियम की धारा 7 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग पूर्णतः अप्राधिकृत है । इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आक्षेपित आदेश 1908 के अधिनियम की असंशोधित धारा 7 का उल्लेख करते हुए और धारा 7 के संशोधित उपबंध पर विचार किए बिना और इस तथ्य पर विचार किए बिना कि क्या संहिता की धारा 20(2) को ध्यान में रखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम की धारा 7 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर सकता है, पारित किया गया था, आक्षेपित आदेश का अपास्त किया जाना और संबद्ध अपर सेशन न्यायाधीश को प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किए गए आवेदन को 1908 के विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 7 के संशोधित उपबंधों के अनुसार और सेंट्रल टाकीज लिमिटेड, कानपुर वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित सिद्धांतों और आदेश की प्रति की प्राप्ति से तीन माह के भीतर पक्षों को सुने जाने का सम्यक् और उचित अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् ऊपरवर्णित मताभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्णीत किए जाने के लिए निर्देशित किया जाना समीचीन होगा । (पैरा 13, 14 और 16)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2000] ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 679 :
मध्य प्रदेश राज्य बनाम **भूपेंद्र सिंह** ; 12

[1996] जे. टी. 1996 (10) एस. सी. 141 :
तमिलनाडु राज्य बनाम **शिवरासन** उर्फ **रघु** उर्फ **सिवरास** ; 9

[1961] ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 606 :
सेन्ट्रल टाकीज लिमिटेड, कानपुर बनाम **द्वारका प्रसाद** । 15

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 34.

2011 के सेशन विचारण संख्या 131 में बिलासपुर के प्रथम अपर सेशन

न्यायाधीश द्वारा तारीख 31 अक्तूबर, 2011 को पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका ।

याची की ओर से श्री प्रसून भादुरी (शासकीय अधिवक्ता)

प्रत्यर्थी की ओर से श्री प्रवीण कुमार तुलस्यान

आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य ने यह पुनरीक्षण याचिका दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "संहिता") की धारा 397/401 के अधीन 2011 के सेशन विचारण संख्या 131 में बिलासपुर के प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 31 अक्तूबर, 2011 के आक्षेपित आदेश, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी/अभियुक्त को 1908 के विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन विरचित आरोपों से उन्मोचित कर दिया गया, को चुनौती देते हुए फाइल किया है ।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं :–

2.1 प्रत्यर्थी को 1908 के अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन अपराध कारित किए जाने के लिए यह अभिकथित करते हुए आरोपित किया गया था कि अन्वेषण अधिकारी ने तारीख 17 जून, 2011 को ग्राम खैरा में बलबाम क्रशर उद्योग नामक पिसाई स्थल की तलाशी ली और पाया कि प्रत्यर्थी के हाथ में थैला था जिसमें प्रस्फोटक, फ्यूज तार, अमोनियम नाइट्रेट और किरोसिन इत्यादि रखे हुए थे और सम्यक् अन्वेषण के पश्चात् उसके विरुद्ध 2011 का अपराध संख्या 274 रजिस्ट्रीकृत किया गया और 1908 के अधिनियम की धारा 7 के अधीन विलासपुर के अपर जिला मजिस्ट्रेट की सहमति के पश्चात् अधिकारिता प्राप्त दांडिक न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र फाइल कर दिया गया ।

2.2 प्रत्यर्थी ने आरोप विरचित किए जाते समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के अधीन आवेदन अन्य बातों के साथ यह अभिकथित करते हुए फाइल किया कि अपराध का संज्ञान केंद्रीय सरकार की सहमति के बिना 1908 के अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन नहीं लिया जा सकता और केंद्रीय सरकार ने इस शक्ति को तारीख 14 मई, 1997 को अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार को

प्रत्यायोजित कर दिया है और राज्य सरकार ने इस शक्ति का प्रयोग किए जाने के प्रयोजनार्थ जिला मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत कर दिया है और इसलिए अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 1908 के अधिनियम की धारा 7 के अधीन प्रदान की गई सहमति अवैध है चूंकि वह सहमति प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत और सक्षम नहीं था और केवल जिला मजिस्ट्रेट ही अधिनियम की धारा 7 के अधीन सहमति प्रदान किए जाने के लिए प्राधिकृत होता है ।

2.3 विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् तारीख 31 अक्तूबर, 2011 के आक्षेपित आदेश द्वारा आवेदन स्वीकार कर लिया और अभिनिर्धारित किया कि केंद्रीय सरकार ही वह प्राधिकारी है जो अधिनियम की धारा 7 के अधीन सहमति प्रदान करती है और चूंकि केंद्रीय सरकार ने उस शक्ति को जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर दिया था अतः अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान की गई सहमति विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है । छत्तीसगढ़ राज्य ने इस आदेश के विरुद्ध यह पुनरीक्षण फाइल किया है जिसके द्वारा आक्षेपित आदेश को चुनौती दी गई है ।

3. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री प्रसून भादुरी ने निवेदन किया कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश प्रकटतः अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और विधि के विरुद्ध है । उन्होंने आगे निवेदन किया कि 1908 के अधिनियम की धारा 7 को 2001 के विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) अधिनियम द्वारा तारीख 11 फरवरी, 2001 के आदेश द्वारा तारीख 11 फरवरी, 2001 से संशोधित कर दिया गया था और अब यह शक्ति प्रत्यक्षतः जिला मजिस्ट्रेट को 1908 के अधिनियम की धारा 7 के अधीन प्रदत्त कर दी गई है और अपर जिला मजिस्ट्रेट भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 20(2) में समाविष्ट शक्ति को दृष्टि में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति का प्रयोग करने का हकदार है और इस प्रकार 1908 के अधिनियम के अधीन अपराध के विचारण के लिए सहमति प्रदान किए जाने के द्वारा अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग की गई शक्ति को बिना प्राधिकार के प्रयोग की गई शक्ति के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती और इसलिए आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है ।

4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री प्रसून भादुरी द्वारा किए गए निवेदनों का विरोध करते हुए प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल श्री पी. के. तुलस्यान ने निवेदन किया कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित

आदेश 1908 के अधिनियम का कड़ाईपूर्वक पालन करते हुए पारित किया गया है और विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई मध्यक्षेप किए जाने, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी/अभियुक्त को 1908 के अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन विरचित आरोप से उन्मोचित किया जा सके, की अपेक्षा नहीं की जा सकती और इसलिए पुनरीक्षण खारिज किए जाने योग्य है ।

5. मैंने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेलों और किए गए परस्पर विरोधी निवेदनों को सुना और अधिकतम सावधानी के साथ आक्षेपित आदेश के अभिलेख का परिशीलन किया ।

6. विवाद को पूर्णतः और समुचित रूप से समझे जाने के प्रयोजनार्थ 1908 के अधिनियम की असंशोधित और संशोधित धारा 7 का उल्लेख किया जाना उचित होगा ।

7. 1908 के अधिनियम की असंशोधित धारा 7 इस प्रकार है :–

> "7. अपराधों के विचारण पर निर्बंधन – कोई न्यायालय केंद्रीय सरकार की सहमति के बिना इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के बाबत किसी व्यक्ति के विचारण के लिए अग्रसर नहीं होगा ।"

8. 1908 के विस्फोटक पदार्थ अधिनियम को 2001 के विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) अधिनियम द्वारा तारीख 11 दिसंबर, 2001 से संशोधित कर दिया गया था । संशोधन के पश्चात् अधिनियम की धारा 7 इस प्रकार है :–

> "7. अपराधों के विचारण पर निर्बंधन – कोई न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट की सहमति के बिना इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के बाबत किसी व्यक्ति के विचारण के लिए अग्रसर नहीं होगा ।"

9. उच्चतम न्यायालय ने **तमिलनाडु राज्य** बनाम **शिवरासन** उर्फ **रघु** उर्फ **सिवरास**[1] वाले मामले में 1908 के अधिनियम की धारा 7 के प्रभाव पर विचार करते हुए निम्नलिखित मताभिव्यक्ति की थी :–

> "धारा 7 किसी मंजूरी की अपेक्षा नहीं करती किंतु विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अधीन कारित अपराध के बाबत मात्र सहमति प्रदान किए जाने की अपेक्षा करती है । धारा 7 में 'मंजूरी' के बजाय

[1] जे. टी. 1996 (10) एस. सी. 141.

शब्द 'सहमति' के प्रयोग का उद्देश्य आवश्यक सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व मामले का नितांत रूप से व्यक्तिपरक अधिमूल्यन किया जाना है ।"

10. पूर्वोक्त संशोधन तारीख 11 दिसंबर, 2001 से प्रभावी हुआ ।

11. अतः स्पष्ट विधिक स्थिति यह है कि तारीख 11 दिसंबर, 2001 से 2001 के अधिनियम की धारा 7 के अधीन सहमति प्रदान करने का केंद्रीय सरकार का प्राधिकार समाप्त हो गया और उस तारीख से जिला मजिस्ट्रेट को 1908 के अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन कारित अपराधों के विचारण के लिए सहमति प्रदान करने वाला प्राधिकारी पदनामित कर दिया गया ।

12. **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **भूपेंद्र सिंह**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम की धारा 7 के अधीन केंद्रीय सरकार की सहमति आवश्यक होती है और केंद्रीय सरकार ने अपनी शक्ति को जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर दिया है और इसलिए राज्य सरकार इस शक्ति को अपर जिला मजिस्ट्रेट को पुनः प्रत्यायोजित नहीं कर सकता ।

13. वर्तमान मामले के तथ्यों पर पुनः दृष्टि डालते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि अपराध के घटित होने की तारीख 17 जून, 2011 है और प्रकटतः अधिनियम की धारा 7 के संशोधित उपबंध पहले ही तारीख 11 दिसंबर, 2001 से प्रभावी हो गए थे और इसलिए वही उपबंध प्रस्तुत मामले में लागू होगा । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अधिनियम की संशोधित धारा 7 का उल्लेख नहीं किया और अधिनियम की असंशोधित धारा 7 का उल्लेख किया जिसके अधीन केंद्रीय सरकार सशक्त थी और उसने अधिनियम की धारा 7 के अधीन सहमति प्रदान करने की अपनी शक्ति जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर दी थी और **भूपेंद्र सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में दिए गए विनिश्चय का अवलंब लेते हुए अभिनिर्धारित किया कि अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान की गई सहमति अप्राधिकृत है और विधि की दृष्टि में मान्य ठहराए जाने योग्य नहीं है ।

14. विद्वान् सेशन न्यायाधीश इस तथ्य का उल्लेख करने में विफल रहा कि अधिनियम की धारा 7 तारीख 11 दिसंबर, 2001 से संशोधित कर दी गई थी जिसके अधीन जिला मजिस्ट्रेट को अधिनियम की धारा 7 के

---

[1] ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 679.

अधीन प्रदत्त शक्ति वाले प्राधिकारी के रूप में पदनामित कर दिया गया था । विद्वान् सेशन न्यायाधीश इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहे कि क्या संहिता की धारा 20(2) के प्रकाश में अपर जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम की धारा 7 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर सकता है ।

15. **सेन्ट्रल टाकीज लिमिटेड, कानपुर** बनाम **द्वारका प्रसाद**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि जिला मजिस्ट्रेट पदनामित व्यक्ति नहीं है, अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 10(2) के अधीन सशक्त अपर जिला मजिस्ट्रेट साक्ष्य अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार होता है । यह अभिनिर्धारित किया गया :–

> "9. यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती कि जिला मजिस्ट्रेट पदनामित व्यक्ति था । 'जिला मजिस्ट्रेट' की परिभाषा के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त विशेष अनुमोदन बेदखली अधिनियम के अधीन किसी जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारियों को सृजित करने का प्रभाव रखता है । इस सीमा तक प्राधिकार प्राप्त वे अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के समकक्ष होंगे । पदनामित व्यक्ति एक व्यक्ति है जिसको किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में बताया या वर्णित किया गया है जो किसी व्यक्ति के सम्मुख है जो किसी वर्ग के सदस्य के रूप में अभिनिश्चित होते हैं, या किसी विशिष्ट प्रकृति की भूमिका का निर्वहन करने वाले होते हैं (देखें ओसबोर्न की विधि शब्दावली, चौथा संस्करण, पृष्ठ 253) । पार्थसारथी नायडू **बनाम** कोटेश्वर राव, आई. एल. आर. 47 मद्रास 369 = ए. आई. आर. 1924 मद्रास 561 (एफ. बी.) वाले मामले में दिए गए विनिश्चय में मुख्य न्यायमूर्ति के शब्दों में पदनामित व्यक्ति वे व्यक्ति हैं जिनको उनकी निजी हैसियत में कार्य करने के लिए चयनित किया गया है न कि न्यायाधीशों की हैसियत में कार्य करने के लिए । यह विचारण जिला मजिस्ट्रेट जैसे किसी सुविख्यात अधिकारी जिसको उसके पद को ध्यान में रखते हुए पदनामित किया गया है और जिसकी शक्तियों का प्रयोग अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भी किया जा सकता है और जो बेदखली अधिनियम के प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए अपने समकक्ष अन्य अधिकारियों को भी सृजित

---

[1] ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 606.

कर सकता है, के मामले में भी लागू होता है । इलाहाबाद वाले मामले में न्यायमूर्ति सपरु द्वारा दिया गया विनिश्चय ससम्मान त्रुटिपूर्ण विनिश्चय था ।'

16. विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने मात्र 1908 के अधिनियम की असंशोधित धारा 7 का अवलंब लिया और इस विनिश्चय पर पहुंचे कि अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनियम की धारा 7 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग पूर्णतः अप्राधिकृत है । इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आक्षेपित आदेश 1908 के अधिनियम की असंशोधित धारा 7 का उल्लेख करते हुए और धारा 7 के संशोधित उपबंध पर विचार किए बिना और इस तथ्य पर विचार किए बिना कि क्या संहिता की धारा 20(2) को ध्यान में रखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम की धारा 7 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर सकता है, पारित किया गया था, आक्षेपित आदेश का अपास्त किया जाना और संबद्ध अपर सेशन न्यायाधीश को प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किए गए आवेदन को 1908 के विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 7 के संशोधित उपबंधों के अनुसार और **सेंट्रल टाकीज लिमिटेड, कानपुर** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित सिद्धांतों और आदेश की प्रति की प्राप्ति से तीन माह के भीतर पक्षों को सुने जाने का सम्यक् और उचित अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् ऊपरवर्णित मताभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्णीत किए जाने के लिए निर्देशित किया जाना समीचीन होगा ।

17. तद्नुसार, दांडिक पुनरीक्षण याचिका भागतः स्वीकार किया जाता है । आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है । मामला विधि अनुसार सुनवाई और निस्तारण के प्रयोजनार्थ बिलासपुर के अपर सेशन न्यायाधीश को वापस भेजा जाता है । निचले न्यायालय का अभिलेख तुरंत वापस भेज दिया जाए । पक्षों को तारीख 22 सितंबर, 2014 को उक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए निदेशित किया जाता है ।

पुनरीक्षण याचिका भागतः मंजूर की गई ।

शु.

———————

मोहम्मद बशीर

बनाम

जम्मू-कश्मीर राज्य

तारीख 4 अप्रैल, 2014

न्यायमूर्ति विरेन्द्र सिंह और न्यायमूर्ति जनक राज कोतवाल

रणवीर दंड संहिता, 1989 (संवत् 1932 ईस्वी) – धारा 302 – हत्या – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी की हत्या किया जाना – यदि अभियुक्त-अपीलार्थी के प्रकटीकरण कथन से शव की बरामदगी हुई है और शव की बरामदगी अभियुक्त के खेत से हुई है तो अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है ।

रणवीर दंड संहिता, 1989 – धारा 302 – बालक साक्षी – जहां बालक साक्षी द्वारा मृतका की हत्या किए जाने की घटना देखी गई हो तथा ऐसे बालक साक्षी के सिखाए-पढ़ाए जाने की संभावना प्रकट नहीं हुई है तो ऐसे बालक साक्षी के साक्ष्य पर अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि उचित है ।

अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि अभियुक्त का जेनब बी के साथ 15 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था (इसमें इसके पश्चात् "मृतका" के रूप में उसका उल्लेख किया गया है) और इस विवाह से उसकी 3 पुत्रियां हुई थीं । अभियुक्त और जेनब बी के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय में उनके बीच मुकदमेबाजी चल रही थी । इस कारण से वर्तमान घटना के लगभग 4-5 मास पूर्व मृतका अपने माता-पिता के साथ रह रही थी । तारीख 17 अप्रैल, 2007 को अभियुक्त को यह पता चला कि मृतका शहजाद अहमद (मृतका की सगी बहन का पति) के घर पहुंची है । उसने मृतका से यह बात कही कि वह अपने नातेदारों के सामने उससे माफी मांगे और उसे अपने घर वापस ले आया और उसी रात्रि (17-18 अप्रैल, 2007) की मध्य रात्रि पर अपीलार्थी ने उसकी हत्या कर दी और किसी अज्ञात स्थान पर उसके शव को छुपा दिया । संबंधित पुलिस (पुलिस थाना गुरसई, जिला पुंछ) ने तारीख 18 अप्रैल, 2007 को 9.00 बजे अपराह्न विश्वसनीय स्रोत से इस सूचना को प्राप्त किया था जिसके परिणामस्वरूप रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन औपचारिक

प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 38/2007 दर्ज की गई, तारीख 19 अप्रैल 2007 को वर्तमान मामले का अन्वेषण प्रारंभ किया गया । अभियुक्त को तारीख 19 अप्रैल, 2007 को गिरफ्तार किया गया था और अभिरक्षा में रहते हुए उसने इस आशय का प्रकटीकरण कथन किया कि उसने अरीकैंडी पर अपनी भूमि में मृतका के शव को छुपा कर रखा है और यह स्थान खेत के बाढ़ की रेखा के नीचे है । इस तथ्य को प्रकट करने पर शव को बरामद किया गया था और मृतका के कुटुंब के सदस्यों द्वारा उसकी पहचान की गई थी । शव की बरामदगी के स्थान का कतिपय साक्षियों की मौजदूगी में फोटो लिया गया था । घटनास्थल पर बरामदगी ज्ञापन तैयार किया गया था । घटना स्थान के घटना का नक्शा अन्वेषक अधिकारी द्वारा तैयार किया गया था और अन्वेषण के दौरान टूटी हुई चूड़ियां, कान के कुंडल और एक क्लिप भी अभिगृहीत किए गए थे । अपराध के आयुध अर्थात् दो लोहे की छड़ें, एक पत्थर, एक लाठी, नाईलोन की रस्सी और रक्तरंजित चेन भी अभियुक्त के कहने पर बरामद की गई थीं । रक्तरंजित मिट्टी और मृतका के रक्तरंजित कपड़े भी अभिगृहीत किए गए थे । अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि जब अभियुक्त ने मृतका को पीटा था तब उसकी तीनों पुत्रियां अर्थात् शमनाज कौशर, आयु 12 वर्ष इफ्तनाज कौशर, आयु 9 वर्ष और इसरत नाज, आयु 7 वर्ष मकान के अलग कमरे में थीं और अभियुक्त और मृतका के बीच हाथापाई के दौरान शमनाज कौशर जो सबसे बड़ी पुत्री है, उसे कुछ क्षतियां पहुंची थीं इसलिए, उसकी चिकित्सीय रूप से परीक्षा की गई थी । अभियुक्त की भी चिकित्सीय रूप से परीक्षा की गई थी । सभी साक्षियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए थे । अन्वेषण के दौरान यह पता चला कि अभियुक्त दूसरा विवाह करना चाहता था और इसलिए, वह इस बहाने या किसी अन्य बहाने उसको पीटा करता था । वह उसके चरित्र पर भी संदेह किया करता था और वर्तमान घटना से 4-5 मास पूर्व वह अभियुक्त द्वारा उसे बुरी तरह से पीटे जाने पर अपने वैवाहिक गृह से चली गई थी, इस प्रकार उसने अपने पैतृक गृह में रहना प्रारंभ कर दिया । इस अवधि के दौरान मृतका ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मेंधार के न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध भरणपोषण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 488 के अधीन याचिका फाइल की जिसमें न्यायालय ने तारीख 5 अप्रैल, 2007 को 800/- रुपए प्रतिमाह की राशि मृतका को खर्चे के रूप में देने के लिए भरणपोषण के लिए निदेश दिया था । न्यायालय के समक्ष अगली तारीख 23 अप्रैल, 2007 थी । इस प्रकार, अभियुक्त मृतका से पीछा छुड़ाना चाहता था । जब

उसे तारीख 17 अप्रैल, 2007 को इस बात का पता चला तब मृतका हारनी में शहजाद अहमद के मकान पर गई थी और वह वहां गया और मृतका को शांति से यह समझाया कि वह उसे भविष्य में प्रताड़ित नहीं करेगा और उसके साथ ससुराल चलने के लिए उसे मनाया और तब उसने उसी रात्रि में उसकी हत्या कर दी और अपने मकान के समीप भूमि में उसे छुपा दिया । वर्तमान मामले में, अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए विचारण हेतु अभियुक्त के विरुद्ध चालान फाइल किया गया और जिसके लिए उसे आरोपित भी किया गया था । निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर दिया गया । अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – घटना के समय पर अभि. सा. शमनाज कौशर अपनी 2 छोटी बहनों के साथ थी और अभियुक्त के मकान पर मौजूद थी और सभी तीनों पुत्रियां दूसरे कमरे में थीं जब उसने अपने पिता (अभियुक्त) को अपनी माता पर हमला करते हुए और उसके हाथों और पैरों को रस्सी से बांधते हुए देखा तब अभि. सा. शमनाज कौशर जो सबसे बड़ी पुत्री थी, उसने तत्काल इस बात पर प्रतिक्रिया की और अभियुक्त से अपनी माता पर हमला न करने के लिए कहा परंतु उसने उसे भी धमकाया था और उससे दूसरे कमरे में जाने के लिए कहा तब उसने वैसा ही किया था । उसने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि अगले दिन प्रातः जब उसने अपने पिता से अपनी मां के बारे में पूछा तब अभियुक्त ने उसे बताया कि वह तुम्हारी चाची के मकान पर गई है । अभि. सा. शमनाज कौशर के साक्ष्य से एक बात अत्यधिक रूप से स्पष्ट होती है कि उसने विवेकपूर्ण तरीके से वर्तमान घटना को प्रकट किया है । घटना के समय पर उसकी मौजूदगी के बारे में संदेह नहीं किया जा सकता और इसलिए, उसने अपनी माता पर हमला करते हुए अपने पिता को अच्छी तरह देखा था । अभि. सा. शमनाज कौशर ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसे अभियुक्त के विरुद्ध अभिसाक्ष्य देने के लिए नारी निकेतन से लाया गया है । वह इस तथ्य को भी जानती है कि उसकी माता ने न्यायालय मेंधार में भरणपोषण के लिए अभियुक्त के विरुद्ध याचिका फाइल की थी परंतु उसे अभियुक्त के विरुद्ध पारित किया गया कोई भरणपोषण के बारे में पता नहीं है । श्री अनमोल शर्मा ने यह कहते हुए शमनाज कौशर के कथन को अस्वीकार करने पर काफी बल दिया है कि उसके साक्ष्य की किसी स्वतंत्र

स्रोत से सम्पुष्टि नहीं हुई है । हम बातों से सहमत नहीं हैं क्योंकि परिस्थितियों के वर्तमान समूह में केवल अभि. सा. शमनाज कौशर जो घटना देख सकी और किसी ने नहीं देखी इसलिए ऐसी कोई संभावना नहीं बन सकती है कि उसके कथन को किसी अन्य प्रत्यक्ष साक्ष्य से सम्पुष्टि होना संभव हो जैसाकि ऊपर कथन किया गया । उसकी दो सगी बहनें जो मकान में भी मौजूद थीं उन्हें विचारण न्यायालय द्वारा उनकी समझने की शक्ति में अपरिपक्वता के कारण उन्हें अक्षम साक्षी ठहराया है । विद्वान् काउंसेल द्वारा इस आधार पर संदेह की दृष्टि से अभि. सा. शमनाज के साक्ष्य पर विचार करते हुए दूसरी दलील देने का प्रयास किया जब उसे साक्षी कठघरे में खड़ा किया हुआ था तब उसने यह कथन किया कि जब उसकी मां पर हमला किया जा रहा था तब वह निर्वस्त्र थी परंतु जब शव को बरामद किया गया तब मृतका के शरीर पर सभी कपड़े थे । दलील के पहलू पर हमने विचार किया और घटना के समय पर इस कारण से अभि. सा. शमनाज कौशर की मौजूदगी के बारे में कोई संदेह प्रकट नहीं होता है कि उस समय उसकी जानकारी में जो कुछ भी तथ्य आया उसने न्यायालय के समक्ष उसका वर्णन किया है और तब उसने मृतका पर अभियुक्त को हमला करते हुए देखा था और इसके पश्चात् वह अपने कमरे में चली गई जब वह प्रातः जागी तो उसने यह बताया कि उसकी माता उसकी चाची के यहां गई है । उस बीच में जो कुछ हुआ उसे वह नहीं देख सकी । यह प्रकट हुआ है कि मृतका की हत्या करने के पश्चात् अभियुक्त ने शव को छुपाने के अनुक्रम में मृतका के शरीर को कपड़ों से ढक दिया और रात्रि के दौरान उसने अपने खेतों में उसको छुपा दिया । डा. जुल्फिकार अहमद द्वारा जब शवपरीक्षण किया गया था तब उसने यह उल्लेख किया है कि मृतका अपने शरीर पर पूरे कपड़े पहने हुई थी । (पैरा 45, 46, 47 और 48)

न्यायालय तथ्य के प्रति भी सचेत है कि अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार अभि. सा. शमनाज कौशर और अभियुक्त को क्षतियां भी कायम हुई थीं जो प्रकृति में साधारण हैं । अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल श्री अनमोल शर्मा ने इस विषय पर अभि. सा. शमनाज कौशर पर अविश्वास करने का भी प्रयास किया । हमारे समक्ष जो कुछ भी प्रकट हुआ है यह है कि जब अभियुक्त और मृतका के बीच झगड़ा चल रहा था तब अभि. सा. शमनाज कौशर ने अभियुक्त द्वारा अपनी मां पर हमले को देखा था । उसने मध्यक्षेप किया उस क्रम में शमनाज के पीठ पर कुछ साधारण

नील हुई थीं जो लाठी से संभव हैं क्योंकि अभियुक्त के पास लाठी थी जैसाकि कथन किया गया है । ये नीले दाग नीलापन लिए हुए थे जैसाकि चिकित्सा साक्ष्य से स्पष्ट है, अतः घटना के समय से संबंधित है । जब अभि. सा. शमनाज कौशर को साक्षी कठघरे में खड़ा किया गया तब उसके विवेक में यह बात आई कि अपने शरीर पर कायम हुई क्षतियों का वर्णन करे । वस्तुतः, इस तथ्य से घटना के समय पर उसकी मौजूदगी साबित होती है । यह पूर्णतया संभव है कि अभियुक्त को एक या दो साधारण क्षति कायम हो सकी थी जब वह मृतका के साथ लड़-झगड़ रहा था । तथ्यों की इस पृष्ठभूमि में शमनाज कौशर द्वारा अपने शरीर पर पहुंची क्षतियों और अभियुक्त के शरीर पर पहुंची क्षतियों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है इससे घटना के समय पर शमनाज कौशर की मौजूदगी के बारे में संदेह उत्पन्न नहीं होता है या उसके कथन चिकित्सा साक्ष्य के प्रतिकूल जाते हैं । एक अन्य तथ्य जिससे अभि. सा. शमनाज कौशर के कथन को बल मिलता है और उसको सिखाने-पढ़ाने की संभावना को अस्वीकार करती है कि उसकी माता की मृत्यु के पश्चात् और उसके पिता अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात् वह नारी निकेतन में रही थी और उसे न्यायालय के समक्ष केवल अभिसाक्ष्य देने के लिए लाया गया था । इसलिए इस साक्षी को सिखाने-पढ़ाने के लिए मृतका के मायके वाले पक्ष से किसी भी व्यक्ति का उसके पास पहुंचना आसान नहीं था । हम उसके कथन में कतिपय विविधताएं पाते हैं परंतु एक तात्विक तथ्य यह प्रकट हुआ है जो न्यायालय के ध्यान से बच नहीं सका वह यह है कि वह अकेले वास्तविक घटना को देख सकी और इसके पश्चात् अभियुक्त द्वारा इसे धमकाया गया था तब वह वापस अपने कमरे में चली गई । हमारा विचारित मत यह है कि अभि. सा. शमनाज कौशर ने इस बारे में घटना का सही वृत्तांत दिया है जो कुछ उसके द्वारा उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि में वास्तविक रूप से देखा गया था । उसमें किसी भी स्रोत से उसे सिखाने-पढ़ाने की कोई संभावना प्रकट नहीं होती है । इस प्रकार हम घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में उसे विश्वसनीय ठहराते हैं । पंछी वाला मामला जिसके निर्णय का अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री अनमोल शर्मा द्वारा अवलंब लिया गया । उच्चतम न्यायालय ने विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही अभिलिखित अभियुक्त की दोषसिद्धि को कायम रखते हुए बालक साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास किया है । पूर्वोक्त मामले में अभियुक्त की ओर से यह दलील दी गई कि बालक साक्षी के साक्ष्य का अवलंब लेना जोखिम भरा होता है परंतु माननीय न्यायमूर्तियों ने इस मत को स्वीकार नहीं किया है

कि किसी बालक साक्षी का साक्ष्य हमेशा कलंकित माना जाएगा । यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसी कोई विधि नहीं है यदि कोई साक्षी बालक है, उसके साक्ष्य को अस्वीकार किया जाएगा । यद्यपि यह विश्वसनीय पाया जाता है और विधि यह है कि किसी बालक साक्षी के साक्ष्य का बड़ी सावधानी के साथ मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि कोई बालक साक्षी जो कुछ अन्य लोग उसे बताते हैं उस पर उसे संदेह से देखा जाता है और इस प्रकार बालक साक्षी को आसानी से सिखाया-पढ़ाया जाता है । न्यायालय ने वर्तमान मामले में उक्त मापदंड को लागू किया और यह अभिनिर्धारित किया कि शमनाज कौशर सिखाई-पढ़ाई साक्षी नहीं है । भगवान सिंह वाले मामले में न तो किसी बालक साक्षी का साक्ष्य और न अभियुक्त द्वारा की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति को विचारण न्यायालय द्वारा विश्वसनीय नहीं ठहराया गया था । अभियुक्त द्वारा दी गई अभिकथित सूचना पर मृतक के कतिपय वस्तुओं की बारमदगी होने पर भी उसे साक्ष्य का एक कमजोर टुकड़े के रूप में लिया गया था । तथापि, अभियुक्त की दोषमुक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के एकमात्र परिसाक्ष्य पर विश्वास करते हुए पलट दिया और साक्ष्य के अन्य पहलुओं को मामले से हटा दिया गया । इस संदर्भ में किसी बालक साक्षी का साक्ष्य का जब उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः मूल्यांकन किया गया था और तब यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बालक साक्षी का साक्ष्य अभियोजन पक्ष के लोप के कारण गंभीर दुर्बलता से दोषित था क्योंकि शिनाख्त परेड परीक्षा नहीं रखी गई थी और ऐसे व्यक्तियों की परीक्षा नहीं की गई जिनसे बालक साक्षी घटना के पश्चात् मिला था । उक्त मामले में बालक साक्षी की आयु 6 वर्ष थी जो घटना की प्रकृति के बारे में समुचित सूचना देने में असमर्थ था क्योंकि उसकी समझने की शक्ति अपरिपक्व थी । इन परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि किसी बालक साक्षी का साक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है क्योंकि ऐसे साक्षी को आसानी से सिखाया-पढ़ाया जा सकता है इसलिए, अन्य साक्ष्य से उसकी पर्याप्त सम्पुष्टि की जानी अपेक्षित है । वर्तमान मामले में तथ्य पूर्णतया भिन्न हैं इसलिए, उक्त निर्णय दूसरी ओर तथ्यों पर विभेद प्रकट करता है । जहां तक हेतु का संबंध है, हमने मृतका के कुटुंब के साक्ष्य के समूह का पूरी तरह से विचार किया है जिसमें अति स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि अभियुक्त मृतका के साथ दुर्व्यवहार किया करता था और तब मृतका ने अभियुक्त के विरुद्ध भरणपोषण याचिका भी फाइल की थी जिसमें वर्तमान घटना से कुछ दिन पूर्व मृतका के पक्ष में भरणपोषण की रकम भी

अधिनिर्णीत की गई थी । अभिलेख पर उपलब्ध एक अन्य तात्विक साक्ष्य, मृतका की सगी बहन का साक्ष्य है और उसका पति क्योंकि मृतका तारीख 17 अप्रैल, 2007 को अपनी बहन को देखने के लिए आई थी तब वह अपने को स्वस्थ महसूस नहीं कर रही थी जहां अभियुक्त ने उनके सामने यह कहते हुए माफी मांगी थी कि वह मृतका के साथ झगड़ा नहीं करेगा और उसे प्रेम और स्नेह के साथ रखेगा तथा इसके पश्चात्, वह उसे अपने साथ ले गया और तारीख 17 अप्रैल, 2007 को उसी रात्रि यह घटना घटी कि अभियुक्त ने मृतका की हत्या कर दी परंतु यह स्वाभाविक है कि मृतका जो निःसंदेह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 488 के अधीन आवेदन फाइल करने के लिए विवश हुई थी और उसने अपने पक्ष में भरणपोषण का आदेश प्राप्त किया था और मृतका यह बात अच्छी तरह जानती थी कि अभियुक्त के साथ उसके संबंध कभी भी मधुर नहीं हो सकते, उसकी तीन पुत्रियां थीं जिसकी उसे देखभाल करनी थी इस कारण से अभियुक्त के आश्वासन पर वह बिना इस बात को जानते हुए उसके साथ जाने के लिए सहमत हो गई कि वह उस रात्रि को अभियुक्त के हाथों बलि चढ़ जाएगी । निःसंदेह अभियुक्त ने यह दर्शित करने का प्रयास किया है कि तारीख 17/18 अप्रैल, 2007 की रात्रि को मृतका उसके मकान पर नहीं थी जिसमें दो प्रतिरक्षा साक्षी इस बात के लिए पेश किए गए थे परंतु हमारा मत यह है कि उनका साक्ष्य स्वतः विभेदकारी है और अभियुक्त की तनिक भी मदद नहीं करते हैं । (पैरा 49, 50, 51, 52, 53 और 54)

साक्ष्य का तीसरा महत्वपूर्ण भाग अभियुक्त द्वारा किए गए प्रकटीकरण कथन के अनुसरण में, उसके कहने पर शव की बरामदगी हुई थी । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि शव को छुपाने का स्थान अभियुक्त के खेत हैं और यह महत्वपूर्ण पहलू न्यायालय की जानकारी से बाहर नहीं जा सका । इस बारे में पता चला हुआ तथ्य अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना से प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुआ है और यह अपराध कारित किए जाने से भी संबंधित है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल अभियुक्त द्वारा किए गए प्रकटीकरण कथन को अविश्वास करना चाहते थे जिसके अनुसरण में उसके खेतों से शव बरामद हुआ था । इस आधार पर प्रकटीकरण कथन के साक्ष्यांकित साक्षी या शव के अभिग्रहण ज्ञापन जो मृतका के नातेदार (मातृ पक्ष) परंतु इस तथ्य से हमारे विवेक में अभियुक्त के कहने पर शव की बरामदगी के बारे में कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता है जब हमने पूर्णतया अभियोजन पक्षकथन का मूल्यांकन किया । अभियुक्त के खेतों से शव की बरामदगी के बारे में उत्पन्न हुए संदेह पर अभियुक्त के

विद्वान् काउंसेल ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी है कि खोपड़ी के बालों पर कीचड़ लगी हुई थी जबकि डाक्टर द्वारा मृतका के शरीर के अन्य भाग पर किसी प्रकार के कीचड़ होने का उल्लेख नहीं किया या जिसने शव-परीक्षा की और इससे यह दर्शित होता है कि शव बरामद नहीं हुआ था और यह दर्शित हुआ है कि यह अभियुक्त के खेतों से बरामद हुआ । हम इस कारण से विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलील को स्वीकार नहीं करते हैं कि शव जब बरामद किया गया तब वह मिट्टी के नीचे पड़ा हुआ था । इस कारण से यह प्रतीत होता है कि मृतका की खोपड़ी के बालों पर कुछ कीचड़ लगा हुआ था और शव का बाकी भाग पर कोई सूखी मिट्टी नहीं थी जैसाकि शव-परीक्षा के डाक्टर ने उल्लेख किया है । हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि अभियुक्त ने यह भी प्रयास किया कि कुछ प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करके शव की बरामदगी को नासाबित किया जाए परंतु इसका उसे कोई फायदा नहीं मिला । हमारा विचारित मत यह है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खेतों से शव की बरामदगी को साबित करने में समर्थ हुआ है और यह बात युक्तियुक्त संदेह के परे है । श्री अनमोल शर्मा द्वारा एक अन्य यह दलील दी गई कि अभियुक्त की दोषसिद्धि अपूर्ण चिकित्सा साक्ष्य पर आधारित नहीं हो सकती यह बात हमें बोर्ड आफ डाक्टर्स की राय के अनुसार स्वीकार्य योग्य प्रतीत नहीं होती है । मृतका की मृत्यु सिर की क्षति, प्रताड़ना के कारण हृदयघात से हुई थी । शवपरीक्षण रिपोर्ट से जो कुछ भी ध्यान में आया यह है कि दाहिने शंकास्थि क्षेत्र पर विदीर्ण घाव जिससे अस्थि और मस्तिष्क के सतह का अस्थिभंग हुआ था । मध्य कार्नियलफोसा में रक्त के थक्के देखे गए थे । मृतका के शरीर पर क्षतियों की कोई कमी नहीं थी और मामला जहर देने की संभावना का बाहर किया जाता है । रसायन विश्लेषण के लिए सीएफएसएल विसरा भेजा गया था और इस पर अंतिम राय कैसे रोकी गई थी जबकि जहर लेने के बारे में तनिक भी संदेह नहीं है । निःसंदेह अभिलेख पर सीएफएसएल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी और अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण के दौरान अभिलेख को प्राप्त करने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया, परंतु हमारा यह मत है कि उक्त रिपोर्ट के अभाव में अभियोजन पक्ष यह साबित करने में समर्थ हुआ है कि मृतका की अन्य क्षतियों के कारण मृत्यु हुई जो उसके शरीर पर थीं खासतौर पर सिर की क्षति से दबा हुआ अस्थिभंग प्रकट हुआ था । तथापि, हम अपनी मनोवेदना व्यक्त करते हैं कि वह रीति जिसमें लोक अभियोजक ने विचारण का संचालन किया था उसे विचारण के दौरान अभिलेख पर सीएफएसएल रिपोर्ट लेने के लिए कष्ट उठाना चाहिए था ताकि डाक्टर को यह दिखाया जा सकता जिसने शव की शव-परीक्षा की थी जो कुछ हमारे समक्ष प्रकट

हुआ विचारण न्यायालय ने इस पहलू की अनदेखी भी की थी । न्यायालय इस तथ्य के प्रति भी सचेत है कि वर्तमान मामले के अन्वेषक अधिकारी की विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा नहीं की गई और सभी मुख्य बरामदगियां उसकी मौजूदगी में प्रभावी हुई थीं परंतु उसकी परीक्षा न किया जाना अभियोजन पक्षकथन के लिए कोई खोट नहीं है । हम अभियुक्त और मृतका की पुत्री अभि. सा. शमनाज कौशर के साक्ष्य पर विश्वास करते हैं तथा घटना की केवल एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी जो अत्यधिक सत्य बोलने वाली साक्षी है । अन्य उपस्थित परिस्थितियों के साक्ष्य अभियुक्त की दोषिता की ओर इंगित करने वाले साक्ष्य का पर्याप्त टुकड़ा है । सही परिप्रेक्ष्य में अभियोजन पक्षकथन का पुनः मूल्यांकन करने के पश्चात् हमारा विचारित मत यह है कि यह केवल अभियुक्त था जिसने तारीख 17/18 अप्रैल, 2007 की मध्य रात्रि में अपने मकान पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और इसके पश्चात् उसके शव को अपने खेतों में छुपा दिया । अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के आरोप को साबित करने में समर्थ हुआ है । विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 28 दिसंबर, 2012 के आक्षेपित निर्णय को पहले ही अभिलिखित करके दोषसिद्धि और दंडादेश पारित किया है । इस प्रकार, जिसे हम कायम रखते हैं । तद्नुसार आदेश किया गया । (पैरा 55, 56, 57, 58 और 59)

परिणामस्वरूप अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा फाइल किए गए 2013 की दांडिक अपील सं. 2 को खारिज किया जाता है । 2013 का पुष्टिकरण सं. 1 का तद्नुसार उत्तर दिया जाता है । उच्च न्यायालय के इस खंड के न्यायिक रजिस्ट्रार को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 425 के निबंधनों में (राज्य संहिता) विचारण न्यायालय के निर्णय को प्रमाणित करने का निदेश दिया जाता है । अपीलार्थी जो कारागार में परिरुद्ध है, उसे उसके द्वारा फाइल की गई अपील की खारिजी सूचना भी दी जाए तथा संबंधित कारागार अधीक्षक के माध्यम से अपीलार्थी पर अधिरोपित आजीवन दंडादेश की पुष्टिकरण की सूचना भी दी जाए । (पैरा 60 और 61)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2001] (2001) 9 एस. सी. सी. 129 :
सूर्य नारायण बनाम **कर्नाटक राज्य ;** 43

[1997] (1997) 5 एस. सी. सी. 341 :
दातू रामाराव सखारे बनाम **महाराष्ट्र राज्य** । 42

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की दांडिक अपील सं. 2 तथा 2013 की पुष्टिकरण सं. 1.

विद्वान् प्रधान सेशन न्यायाधीश, पुंछ द्वारा तारीख 28 दिसंबर, 2012 को पारित किए गए आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री अनमोल शर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री रविन्द्र शर्मा, अपर महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति विरेन्द्र सिंह ने दिया ।

न्या. सिंह – अपीलार्थी मोहम्मद बशीर (जिसे संक्षेप में "अभियुक्त" कहा गया है) द्वारा अपनी पत्नी जेनब बी की अभिकथित हत्या किए जाने पर उसे विद्वान् प्रधान सेशन न्यायाधीश, पुंछ द्वारा तारीख 28 दिसंबर, 2012 को आक्षेपित निर्णय पारित करके रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप पर दोषसिद्ध किया गया था और कठोर आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया और उसने दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध 2013 की दांडिक अपील सं. 2 फाइल की है ।

2. चूंकि अभियुक्त के लिए अधिनिर्णीत किया गया दंडादेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के निबंधनों में इस न्यायालय की पुष्टि के अध्यधीन है जिसे 2013 की पुष्टिकरण सं. 1 मुख्य दोषसिद्धि अपील के साथ संलग्न भी किया गया है ।

3. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है :–

अभियुक्त का जेनब बी के साथ 15 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था (इसमें इसके पश्चात् 'मृतका' के रूप में उसका उल्लेख किया गया है) और इस विवाह से 3 पुत्रियां हुई थीं । अभियुक्त और जेनब बी के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय में उनके बीच मुकदमेबाजी चल रही थी । इस कारण से वर्तमान घटना के लगभग 4-5 मास पूर्व मृतका अपने माता-पिता के साथ रह रही थी । तारीख 17 अप्रैल, 2007 को अभियुक्त को यह पता चला कि मृतका शहजाद अहमद (मृतका की सगी बहन का पति) के घर पहुंची

है । उसने मृतका से यह बात कही कि वह अपने नातेदारों के सामने उससे माफी मांगे और उसे अपने घर वापस ले आया और उसी रात्रि (17-18 अप्रैल, 2007) की मध्य रात्रि में अपीलार्थी ने उसकी हत्या कर दी और किसी अज्ञात स्थान पर उसके शव को छुपा दिया । संबंधित पुलिस (पुलिस थाना, गुरसई, जिला पुंछ) ने तारीख 18 अप्रैल, 2007 को 9.00 बजे अपराह्न विश्सनीय स्रोत से इस सूचना को प्राप्त किया था जिसके परिणामस्वरूप रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 38/2007 दर्ज की गई तारीख 19 अप्रैल 2007 को वर्तमान मामले का अन्वेषण प्रारंभ किया गया ।

4. अभियुक्त को तारीख 19 अप्रैल, 2007 को गिरफ्तार किया गया था और अभिरक्षा में रहते हुए उसने इस आशय का प्रकटीकरण कथन किया कि उसने अरीकैंडी पर अपनी भूमि में मृतका के शव को छुपा कर रखा है और यह स्थान खेत के बाढ़ की रेखा के नीचे है । इस तथ्य को प्रकट करने पर शव को बरामद किया गया था और मृतका के कुटुंब के सदस्यों द्वारा उसकी पहचान की गई थी । शव की बरामदगी के स्थान का कतिपय साक्षियों की मौजूदगी में फोटो लिया गया था । घटनास्थल पर बरामदगी ज्ञापन तैयार किया गया था । घटना स्थान के घटना का नक्शा अन्वेषक अधिकारी द्वारा तैयार किया गया था और अन्वेषण के दौरान टूटी हुईं चूड़ियां, कान के कुंडल और एक क्लिप भी अभिगृहीत किए गए थे ।

5. अपराध के आयुध अर्थात् दो लोहे की छड़ें, एक पत्थर, एक लाठी, नाईलोन की रस्सी और रक्तरंजित चेन भी अभियुक्त के कहने पर बरामद की गई थीं । रक्तरंजित मिट्टी और मृतका के रक्तरंजित कपड़े भी अभिगृहीत किए गए थे ।

6. अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि जब अभियुक्त ने मृतका को पीटा था तब उसकी तीनों पुत्रियां अर्थात् शमनाज कौशर, आयु 12 वर्ष इफ्तनाज कौशर, आयु 9 वर्ष और इसरत नाज, आयु 7 वर्ष मकान के अलग कमरे में थीं और अभियुक्त और मृतका के बीच हाथापाई के दौरान शमनाज कौशर जो सबसे बड़ी पुत्री है, उसे कुछ क्षतियां पहुंची थीं इसलिए, उसकी चिकित्सीय रूप से परीक्षा की गई थी । अभियुक्त की भी चिकित्सीय रूप से परीक्षा की गई थी । सभी साक्षियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए थे ।

7. अन्वेषण के दौरान यह पता चला कि अभियुक्त दूसरा विवाह करना चाहता था और इसलिए, वह इस बहाने या किसी अन्य बहाने उसको पीटा करता था । वह उसके चरित्र पर भी संदेह किया करता था और वर्तमान घटना से 4-5 मास पूर्व वह अभियुक्त द्वारा उसे बुरी तरह से पीटे जाने पर अपने वैवाहिक गृह से चली गई थी, इस प्रकार उसने अपने पैतृक गृह में रहना प्रारंभ कर दिया । इस अवधि के दौरान मृतका ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मेंधार के न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध भरणपोषण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 488 के अधीन याचिका फाइल की जिसमें न्यायालय ने तारीख 5 अप्रैल, 2007 को 800/- रुपए प्रतिमाह की राशि मृतका को खर्चे के रूप में देने के लिए भरणपोषण के लिए निदेश दिया था । न्यायालय के समक्ष अगली तारीख 23 अप्रैल, 2007 थी । इस प्रकार, अभियुक्त मृतका से पीछा छुड़ाना चाहता था । जब उसे तारीख 17 अप्रैल, 2007 को इस बात का पता चला तब मृतका हारनी में शहजाद अहमद के मकान पर गई थी और वह वहां गया और मृतका को शांति से यह समझाया कि वह उसे भविष्य में प्रताड़ित नहीं करेगा और उसके साथ ससुराल चलने के लिए उसे मनाया और तब उसने उसी रात्रि उसकी हत्या कर दी और अपने मकान के समीप भूमि में उसे छुपा दिया ।

8. वर्तमान मामले में, अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए विचारण हेतु अभियुक्त के विरुद्ध चालान फाइल किया गया और जिसके लिए उसे आरोपित भी किया गया था ।

9. उनतीस अभियोजन साक्षियों की सूची चालान के साथ संलग्न की गई, अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप साबित करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित साक्षियों का अवलंब लिया :–

(I) अभि. सा. शमनाज कौशर

(II) अभि. सा. मोहम्मद असलम

(III) अभि. सा. मोहम्मद अजीज

(IV) अभि. सा. नसीब उल्लाह खान

(V) अभि. सा. सैयद उल्लाह खान

(VI) अभि. सा. बाग अली

(VII) अभि. सा. लाल हुसैन

(VIII) अभि. सा. मोहम्मद सादिक

(IX) अभि. सा. सैदान बी

(X) अभि. सा. कलसूम अख्तर

(XI) अभि. सा. शहजाद अहमद

(XII) अभि. सा. मोहम्मद शरीफ

(XIII) अभि. सा. डा. जुल्फीकार अहमद

(XIV) अभि. सा. गुल्ताज बेगम

(XV) अभि. सा. बाग हुसैन, सहायक उप निरीक्षक ।

10. हम सभी 15 साक्षियों के साक्ष्य का विस्तार से वर्णन करना आवश्यक नहीं समझते हैं क्योंकि इससे इस कारण कोई फायदा नहीं मिलता है कि कुछ साक्षी जो एक ही समूह के हैं, मृतका के नातेदार हैं जिन्होंने मृतका और अभियुक्त के बीच तनावपूर्ण संबंध होने के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है जिसके परिणामस्वरूप दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 488 के अधीन भरणपोषण याचिका फाइल की गई जिसमें 800/- रुपए प्रतिमास की दर से भरणपोषण इस घटना के कुछ दिन पूर्व मृतका के पक्ष में अधिनिर्णीत किया गया था । तथापि, हम संक्षेप में मुख्य साक्ष्य का उल्लेख करेगें जिससे अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन मामला प्रकट होता है और हमारे द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है ।

11. यहां पर यह उल्लेख किया जाना जरूरी है कि घटना के पश्चात् अभि. सा. शमनाज कौशर और उसकी 2 सगी बहनें अर्थात् इफ्तनाज कौशर और इशरत नाज को नारी निकेतन में रखा गया था क्योंकि उन्होंने अपनी माता को खो दिया था और उनके पिता को अभिरक्षा में रखा गया था । उन्हें विचारण न्यायालय के समक्ष नारी निकेतन से लाया गया था । विचारण न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए उन लोगों के समक्ष कतिपय प्रश्न रखे थे, क्या वे अभियोजन पक्षकथन को प्रकट करने के लिए सक्षम साक्षी थे या नहीं । शमनाज कौशर के बारे में विचारण न्यायालय ने यह राय व्यक्त की है कि वह अभियोजन पक्षकथन को प्रकट करने के

लिए सक्षम साक्षी थी जबकि मृतका की 2 अन्य पुत्रियां अर्थात् शमनाज कौशर और इशरत नाज के बारे में यह मत व्यक्त किया था कि वे असक्षम साक्षी हैं इसलिए उनकी परीक्षा नहीं की गई थी केवल शमनाज कौशर साक्षी कठघरे में खड़ी हुई थी ।

12. जैसाकि ऊपर कथन किया गया है कि अभि. सा. शमनाज कौशर घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है और वह घर में मौजूद थी जब अभियुक्त ने मृतका को पीटा था । उसने यह कथन किया कि उसके पिता ने उसकी माता की लोहे की छड़, भाला और लाठी से प्रहार करके हत्या कर दी जब वह उस पर हमला कर रहा था तब उसने और उसकी दो बहनों ने उस घटना को देखा था । उसने इस बारे में सम्पूर्ण घटना को चित्रित किया कि अभियुक्त ने कैसे चेन और रस्सी से उसकी माता के हाथ और पैर को बांधा था और जब उसने अभियुक्त से अपनी माता की हत्या न करने के लिए कहा तब अभियुक्त द्वारा उसे धमकाया गया और उससे कमरे से बाहर जाने के लिए कहा और नहीं तो उससे भी उसी रीति में व्यवहार किया जाएगा । उसने यह भी कथन किया कि अगले दिन प्रातः उसने अभियुक्त से अपनी माता के बारे में पूछा जिस पर उसने यह बताया कि वह शिवानी के मकान पर गई है । उसने यह भी कथन किया कि जब अभियुक्त उसकी मां की हत्या कर रहा था, वह उस समय कपड़े पहने हुए नहीं थी और वह शव की बरामदगी की भी साक्षी है और उसने कतिपय अन्य अभिगृहीत ज्ञापनों पर साक्षियों के रूप में साक्ष्यांकन किया है ।

13. यहां पर यह उल्लेख करना भी सुसंगत है कि इसके पश्चात् इस आधार पर पुनः प्रतिपरीक्षा करने के लिए अभि. सा. शमनाज कौशर को पुनः बुलाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (राज्य संहिता) की धारा 540 में अभियुक्त की ओर से आवेदन पेश किया गया था कि प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा कतिपय तात्विक प्रश्न नहीं पूछे जा सके । तथापि, विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन को खारिज कर दिया गया ।

14. अभि. सा. मोहम्मद असलम मृतका का भाई है । उसने अपनी बहन से बरती गई क्रूरता के व्यवहार के बारे में बताया है और भरणपोषण वाद जिसमें मृतका के पक्ष में 800/- रुपए प्रतिमास अधिनिर्णीत किया गया था । उसने यह भी कथन किया है कि तारीख 17 अप्रैल, 2007 को मृतका हरानी में अपनी बहन के मकान पर गई थी जहां से अभियुक्त ने उसे अपने साथ चलने के लिए मना लिया था और उसे अपने घर पर ले गया और उसी रात्रि उसकी हत्या कर दी । उसने यह भी कथन किया कि

तारीख 18 अप्रैल, 2007 को जब उन्होंने मृतका के अते-पते के बारे में पूछताछ की परंतु उसका पता नहीं लगा सके और अभियुक्त ने मृतका की हत्या किए जाने के बारे में और शव को छुपाने के स्थान के बारे में उसके समक्ष और पुलिस के समक्ष संस्वीकृति दी । वह अभियुक्त के प्रकटीकरण कथन पर कथन को प्रमाणित करने वाला साक्षी भी है और इसके पश्चात् अभियुक्त के कहने पर खेत के सीमांकन रेखा के नीचे से शव बरामदगी हुई थी । वह कतिपय अन्य अभिग्रहण ज्ञापनों का भी साक्षी है मृतका के शव का शवपरीक्षण करने के पश्चात् उसके सुपुर्द कर दिया गया था ।

15. अभि. सा. मोहम्मद अजीज, नसीब उल्लाह खान और सैयद उल्लाह खान अभियुक्त के प्रकटीकरण कथन के साक्ष्यांकन साक्षी हैं जिसके अनुसरण में अपराध का आयुध लोहे की छड़, चेन, लाठी और मृतका का शव बरामद किया गया था ।

16. अभि. सा. कलसूम अख्तर जो मृतका की सगी बहन है अभियोजन पक्षकथन की एक अन्य महत्वपूर्ण साक्षी है उसने यह कथन किया है कि तारीख 17 अप्रैल, 2007 को मृतका उससे मिलने आई थी और वह अपने को स्वस्थ महसूस नहीं कर रही थी जहां उसका पति भी वहां पर था और उनकी मौजूदगी में अभियुक्त ने मृतका को समझाया-बुझाया और यह कथन किया कि वह भविष्य में उससे लड़ाई-झगड़ा नहीं करेगा और उसे प्रेम और स्नेह से रखेगा । अभियुक्त मृतका को अपने घर ले गया था और इसके पश्चात् उसने उसी रात्रि उसकी हत्या कर दी थी ।

17. अभि. सा. कलसूम अख्तर का पति अभि. सा. शहजाद अहमद है और उसने अपने पति के कथन से सहमति प्रकट की है ।

18. डा. जुल्फीकार अहमद अन्य बोर्ड डाक्टर्स के साथ अर्थात् बिशन सिंह तथा डा. अंजुम आरा ने तारीख 19 अप्रैल, 2007 को मृतका के शव का शवपरीक्षण किया और निम्नलिखित क्षतियों का उल्लेख किया :–

नैसर्गिक छिद्रों की दशा

आंखे	:	बंद
बाएं कान से दर्शित	:	आंतरिक रक्त
नासाछिद्र	:	दोनों ओर से रक्त बहना
विशेष चिह्न	:	गुमटा और दांत

निचले होंठ के अंदर की ओर चिह्न, कटी हुई जीभ मौजूद

बाहरी और आंतरिक क्षतियां

दाहिने शंखास्थि क्षेत्र के ऊपर चिरा-फटा जो गुमटा अनियंत्रित उपान्त के साथ 2 × 1 × 1 से. मी. नाप का है और कीचड़ से सना हुआ है, घाव के चारों ओर रक्त के थक्के मौजूद, शंखास्थि क्षेत्र में बालों का सिंजिग अधोरेखांकित अस्थि का अवसादक अस्थि भंग ।

गुमटा के उपान्तों के साथ आकार में गोलाकार वेधित घाव जो बाएं इलिक फोसा में 1 × 1 × 2 से. मी. उपान्तों का है, घाव के चारों ओर रक्त के थक्के मौजूद, दोनों हाथों की कलाइयों पर खरोंचों के निशान जो कलाई के चारों ओर चौड़ाई में 1 से. मी. नाप की हैं । बाएं कलाई पर वेधित घाव भी दर्शित है । रक्त के थक्के के चारों ओर 1 × 1 × 1/2 से. मी. पर फैला हुआ है ।

शव के चारों ओर भिन्न-भिन्न लंबाई तक परंतु त्वचा 1 से. मी. चौड़ाई तक झुलसी हुई जिससे उत्पीड़न के संकेत मिलते हैं ।

बाएं ओर चार अंगुलियों के छाप और मुंह के चारों ओर दाहिने ओर एक अंगुलि की छाप । निचली जीभ के नीचे पूर्ववर्ती गर्दन के ऊपरी भाग पर तीन अंगुलि की छाप मौजूद थी । दोनों जांघों के चारों ओर चौड़ाई में 3-4 से. मी. नाप के खरोंच के निशान, दोनों टखने के चारों ओर चौड़ाई में 2 से. मी. के खरोंच के निशान प्रकट हैं ।

सिर – बालों के चारों ओर कीचड़ दर्शित है, दाहिने शंखास्थि क्षेत्र पर विदीर्ण घाव जो निचले अस्थि का अवसादक अस्थि भंग के साथ 2 × 1 × 1 से. मी. नाप का है ।

झिल्ली – खोपड़ी को खोलने पर झिल्लियों पर गुमटे थे और लगभग 50 एम. एल. के रक्त के थक्के विघटित हुए थे जो खोपड़ी के आंतरिक टेबल के नीचे मौजूद थे ।

मस्तिष्क पदार्थ – मस्तिष्क पदार्थ के सतह को काटने पर मध्य क्रानियल फोसा में रक्त के थक्के दर्शित होते हैं ।

वक्ष – वक्ष के ऊपर कई खरोंच के निशान और कंठ के पीछे स्वासप्रणाल रक्तरंजित श्लेष्मल और झाग से भरा हुआ तथा फेफड़े और फुप्फुसावरण कई पेटेशियल रक्तस्राव प्रकट हैं ।

19. चिकित्सकों की राय में, मृतका की मृत्यु, प्रताड़ना, सिर की क्षति और गला घोंटने से कार्डियो पुलमोनरी के कारण हुई थी । तथापि, जहर दिया जाना अस्वीकार किया गया । आमाशय को इसमें भरी हुई अन्तर्वस्तु, यकृत का भाग, प्लीहा और विसरा के रूप में दाहिनी वृक्क को रासायनिक विश्लेषण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था ।

20. डा. अहमद ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि शव-परीक्षण रिपोर्ट पूर्णतया अंतिम नहीं थी और यह न्यायालयिक प्रयोगशाला की अंतिम रिपोर्ट के अध्यधीन थी ।

21. उसी दिन अर्थात् तारीख 19 अप्रैल, 2007 को डा. जुल्फीकार अहमद ने अभियुक्त की भी परीक्षा की और उसके शरीर पर निम्नलिखित क्षतियां पाईं :–

बाईं ओर वक्ष पर और केवल हंसली के नजदीक वक्ष के दाहिने ओर दो खरोंच ।

दाहिने और निचले वक्ष पर खरोंच ।

निचले पैर के ऊपर खरोंच जो बाएं पैर के पूर्ववर्ती पहलू पर है । निचले पैर के ऊपर खरोंच जो दाहिने पैर के पूर्ववर्ती पहलू पर है । क्षतियों के बारे प्रकृति में साधारण होने की राय व्यक्त की गई और झगड़े के परिणामस्वरूप कारित हुई हैं ।

22. उसी दिन, अभियुक्त की पुत्री अभि. सा. शमनाज कौशर की भी परीक्षा की गई और उसके शरीर पर निम्नलिखित क्षतियां पाईं गई थीं :–

पीठ पर लाठी का चिह्न जो रंग में हल्का नीला (बाईं ओर पीठ पर) जो लगभग 10 × 1-1/2 से. मी. नाप की है । क्षति हल्का नीलापन लिए हुए गुमटा के रूप में थी ।

बाएं नितम्ब के क्षेत्र पर सूजन रंग में गुमटा रंग के नीलापन लिए हुआ था तथा लगभग 8 × 1 से. मी. नाप का लाठी का चिह्न देखा गया ।

क्षतियां प्रकृति में साधारण बताई गई थीं और कुन्द आयुध से कारित की गईं ।

23. पुलिस ने तारीख 21 मई, 2007 को अभि. सा. डा. जुल्फीकार अहमद की मृतका को पहुंची हुई क्षतियों के बारे में राय लेने के लिए एक

पत्थर, एक छड़ और दो लोहे की छड़ें उसके समक्ष प्रस्तुत की गईं और उसने यह राय दी है कि शवपरीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित क्षति उसको दिखाई गई वस्तुओं से की जानी संभव हो सकती हैं । उसके द्वारा इस संबंध में जारी किया गया प्रमाणपत्र पर विचारण के दौरान प्रदर्श भी डाला गया था ।

24. डा. जुल्फीकार अहमद ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि खोपड़ी के बालों पर कीचड़ मौजूद था और शव व उसके कपड़ों के शेष भागों पर न तो कोई कीचड़ था और न कोई बाहरी सामग्री उस पर लगी हुई थी । उसने यह भी कथन किया है कि उसने बालों या त्वचा के अन्य भागों को नहीं देखा या मृतका के हाथों के नाखूनों पर कोई बाहरी सामग्री नहीं देखी । इस साक्षी के अनुसार क्षति सं. 1 को छोड़कर उसने मृतका के शव पर अस्थि भंग करने वाली कोई क्षति नहीं देखी और क्षति सं. 1 गिरने से कारित होना संभव हो सकता है । उसने यह भी कथन किया कि उसके द्वारा तैयार की गई शवपरीक्षण रिपोर्ट अंतिम नहीं है क्योंकि यह सीएफएसएल की अंतिम रिपोर्ट के अध्यधीन थी ।

25. अभि. सा. भाग हुसैन, सहायक उप निरीक्षक अभियुक्त द्वारा शव को छुपाने के संबंध में दिए गए प्रकटीकरण का साक्षी है अर्थात् वह तात्विक साक्षी नहीं है और इसलिए, हम उसके साक्ष्य के बारे में अत्यधिक विस्तृत ब्यौरे देना आवश्यक नहीं समझते हैं ।

26. अभियोजन पक्ष ने इस मामले में अन्वेषक अधिकारी की परीक्षा नहीं की ।

27. विचारण के दौरान अभियुक्त के विरुद्ध दिया गया अभियोजन साक्ष्य मुख्य है जिस पर अभियुक्त ने अपने विरुद्ध लगाए गए सभी अभिकथनों से इनकार किया है जैसाकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के अधीन अभिलिखित उसके कथन में पाया जाता है और उसने अपने को पूर्णतया निर्दोष होने की बात कही है कि अभि. सा. शमनाज कौशर ने उसके मातृ पक्ष से नातेदारी होने के कारण उसके विरुद्ध अभिसाक्ष्य दिया है ।

28. अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा में अब्दुल मजीद नामक व्यक्ति को पेश किया है जिसने यह कथन किया है कि वह अभियुक्त का पड़ोसी है क्योंकि उसका मकान अभियुक्त के मकान से 80-90 गज की दूरी पर है । उसने घटना के बारे में यह कथन किया है कि मृतका अपने पैतृक मकान

पर गई थी और वहां रुकी हुई थी तथा अभियुक्त के मकान पर नहीं रुकी हुई थी । उसने यह भी कथन किया कि तारीख 19 अप्रैल, 2007 को लगभग 8.00-9.00 बजे पूर्वाह्न उसने शोरगुल सुना और शोरगुल सुनने के पश्चात् वह अपने मोहल्ले से कुछ दूरी पर गया और देखा कि मृतका के नातेदार उस स्थान पर एकत्रित हुए हैं जहां अभियुक्त भी पहुंचा था और इसके पश्चात् पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृतका के शव को उठा लिया और उसे मेंधार ले गई । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि तारीख 18 अप्रैल, 2007 को उसे मोहम्मद फारुख व्यक्ति द्वारा अपने मकान के मरम्मत के लिए बुलाया गया था और अभियुक्त को भी मोहम्मद फारुख द्वारा बुलाया गया था । अभियुक्त 3.00-4.00 बजे अपराह्न के बीच वहां पहुंचा और 8.00 बजे अपराह्न तक वहां रुका । वास्तव में, इस साक्षी ने यह दर्शित करने का प्रयास किया है कि अभियुक्त घटना की तारीख को अपने मकान में मौजूद नहीं था, तारीख के संबंध में उसने भ्रम होने की बात कही है ।

29. दूसरा प्रतिरक्षा साक्षी मोहम्मद फारुख है जिसने यह कथन किया है कि तारीख 17 अप्रैल, 2007 को उसने अपने मकान के मरम्मत के लिए अभियुक्त को बुलाया था और वह शाम तक वहां रुका था तथा अगले दिन उसने अपने मकान की मरम्मत करने के लिए अभियुक्त को बुलाया और वह 8.00 बजे अपराह्न तक वहां रुका रहा । उसने अभियुक्त को खाना दिया जिसने इस बहाने से खाना नहीं खाया कि उसकी पुत्रियां घर में अकेली हैं और इसके पश्चात् वह उसे खाना देने के लिए अभियुक्त के मकान पर गया और खाना देने के पश्चात् वह वापस लौट आया । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि तारीख 19 अप्रैल, 2007 को लगभग 8.00 बजे पूर्वाह्न उसने यह सुना कि नदी के किनारे (बीला) शव पड़ा हुआ है और जब वे घटनास्थल पर पहुंचे मृतका के नातेदार रो रहे थे और उसी बीच में अभियुक्त भी वहां पहुंचा जिसे मृतका के नातेदारों द्वारा पीटा गया था । उसने यह भी कथन किया कि 10-20 मिनट के पश्चात् पुलिस वहां पहुंची और तब शव को मेंधार ले जाया गया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि तारीख 17-18 अप्रैल, 2007 को मृतका को अभियुक्त के घर पर नहीं देखा था । वास्तव में, साक्षी ने अभियुक्त द्वारा दिए गए प्रकटीकरण के कथन के अनुसरण में मृतका के शव की बरामदगी के संबंध में अभियोजन पक्षकथन की कमी निकालने की कोशिश की है ।

30. अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल श्री अनमोल शर्मा और राज्य के

विद्वान् अपर महाधिवक्ता श्री रविन्द्र शर्मा को सुना गया ।

31. श्री अनमोल शर्मा ने यह दलील दी है कि अभियोजन का पक्षकथन अंतर्निहित रूप से कमजोर है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने शमनाज कौशर जिसकी आयु 12 वर्ष है और बालक साक्षी है के, साक्ष्य पर प्रारंभिक रूप से अभियुक्त की दोषसिद्धि की है जो घटना की रात्रि को मकान पर थी । उसने यह भी निवेदन किया है कि किसी बालक साक्षी के कथन का अवलंब लेना अति जोखिम भरा होता है ।

32. विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया कि न केवल अभि. सा. शमनाज कौशर के कथन की किसी अन्य विश्वसनीय स्रोत से सम्पुष्टि नहीं कराई गई है, चिकित्सा साक्ष्य से भी अप्रत्यक्ष विरोध प्रकट हुआ है । उसने यह दलील दी कि अभि. सा. शमनाज कौशर ने अपने कथन का स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि किन परिस्थितियों में उसने और अभियुक्त ने उस घटना में क्षतियां प्राप्त कीं या डाक्टर ने कैसे यह उल्लेख किया कि मृतका सभी कपड़े पहने हुई थी जबकि शमनाज कौशर ने यह कथन किया है कि उसकी माता निर्वस्त्र थी जब अभियुक्त ने उन्हें पीटा था और इस तरह इस बालक साक्षी का परिसाक्ष्य अविश्वसनीय प्रकट होता है इसलिए, यह सुरक्षित नहीं होगा कि अभि. सा. शमनाज कौशर के कथन पर विश्वास किया जाए ।

33. श्री अनमोल ने अपनी पूर्वोक्त दलीलों के समर्थन में उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का अवलंब लिया है :–

(i) पंछी और एक अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (1998) 6 एस. सी. सी. 420.

(ii) भगवान सिंह और अन्य **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य (2003) 1 एस. सी. सी. 698.

34. श्री अनमोल शर्मा ने तब यह दलील दी कि विचारण न्यायालय ने अपूर्ण चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करके गलती की है जैसाकि अभि. सा. जुल्फीकार अहमद ने अपने परिसाक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि अंतिम राय सीएफएलएल (विसरा) की रिपोर्ट आने के पश्चात् ही दी जा सकती है और वर्तमान मामले में विसरा रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं रखी गई है ।

35. विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि अभियुक्त की

दोषसिद्धि बहुत ही कमजोर साक्ष्य पर आधारित है । उन्होंने यह दलील दी कि अभिलेख पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के अनुसार मृतका को अभियुक्त द्वारा खेत में दफनाया जाना अधिकथित है जबकि डा. जुल्फीकार अहमद ने अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतका के कपड़ों या घावों पर कोई कीचड़ नहीं पाया गया था और उसके द्वारा मृतका की खोपड़ी के बालों पर कीचड़ का उल्लेख किया गया है । विद्वान् काउंसेल के अनुसार अभियुक्त के खेतों से शव की बरामदगी के बारे में इससे संदेह उत्पन्न होता है ।

36. तब श्री शर्मा ने यह दलील दी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभिलिखित अभियुक्त के तात्पर्यित कथन जो शव की बरामदगी से संबंधित है, ढ़ोंग के रूप में प्रतीत होते हैं क्योंकि यह कार्य मृतका के नजदीकी नातेदारों की उपस्थिति में किया जाना प्रदर्शित किया गया है और किसी स्वतंत्र व्यक्ति को सम्मिलित नहीं किया गया ।

37. पूर्वोक्त दलीलों के बल पर श्री अनमोल शर्मा ने यह कहते हुए रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के आरोप से अभियुक्त की दोषमुक्ति की ईप्सा की है कि दोषसिद्धि को पूर्णतया साबित नहीं किया गया है ।

38. श्री रविन्द्र शर्मा विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने उक्त बात का खंडन करते हुए यह दलील दी है कि बालक साक्षी के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता जो कोई नहीं परंतु अभियुक्त की पुत्री है और इसलिए अभियुक्त के मकान में घटना के समय पर उसकी मौजूदगी पर संदेह नहीं किया जा सकता है । उन्होंने यह दलील दी कि उसकी माता की मृत्यु के पश्चात् उसके पिता (अभियुक्त) को गिरफ्तार किया गया था । अभि. सा. शमनाज कौशर नारी निकेतन में रह रही थी और जब उसे साक्षी कठघरे में खड़ा किया गया तब उसे नारी निकेतन से लाया गया था । इस प्रकार अभियुक्त के विरुद्ध इस साक्षी को किसी व्यक्ति ने सिखाया-पढ़ाया नहीं था जो नैसर्गिक तरीके से अभियोजन पक्षकथन के बारे में बताता है । राज्य के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि इस साक्षी के कथन में कतिपय विभिन्नताएं हो सकती हैं परंतु उसका साक्ष्य अत्यधिक सत्य प्रतीत होता है । उन्होंने यह निवेदन किया कि अभियुक्त के कहने पर शव की बरामदगी सहित साक्ष्य का दूसरा पहलू अभियुक्त की दोषिता की ओर भी इंगित करता है । जिसका मृतका को मिटाने का निश्चित तौर पर हेतु रहा था और उसे मृतका को प्रतिमाह 800/- रुपए राशि का भरणपोषण करने का निदेश दिया गया था । इस प्रकार, उसने दोषसिद्धि और दंडादेश

के आक्षेपित निर्णय को अभिनिर्धारित करने के लिए अनुरोध किया था ।

39. इस मामले में जो बात ध्यान देने की है यह है कि साक्ष्य में प्रकट तीन मुख्य बातें अभियुक्त की दोषिता की ओर इंगित करते हैं ; प्रथम अभियुक्त और मृतका की पुत्री अभि. सा. शमनाज कौशर का साक्ष्य जो एक बालिका साक्षी है और घटना के समय पर मौजूद थी, द्वितीय अभियुक्त के प्रकटीकरण के कथन के अनुसरण में उसके खेतों से शव की बरामदगी और तृतीय मृतका के नातेदारों द्वारा बताया गया हेतु । अन्य परिस्थितियां जो परिस्थितियों से प्रकट हैं ।

40. अभि. सा. शमनाज कौशर, बालिका साक्षी के साक्ष्य का प्रथमतः हम उल्लेख करते हैं जो एकमात्र घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है ।

41. भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किसी साक्षी को सक्षम साक्षी माने जाने के लिए निर्धारक तथ्य विशिष्ट आयु को निहित नहीं करता है । इसके प्रतिकूल साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 में यह परिकल्पित है कि सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे जब तक न्यायालय यह विचार नहीं कर लेता है कि वे उनके समक्ष रखे गए प्रश्न को समझने से निवारित हैं या उन प्रश्नों का विवेकपूर्ण उत्तर देने से निवारित हैं जो कोमल आयु, अत्यधिक वृद्ध आयु, मस्तिष्क की बीमारी या इस प्रकार का कोई अन्य कारण । कोमल आयु के बालक को साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है यदि वह प्रश्नों को समझने में और उनके विवेकपूर्ण उत्तर देने में बौद्धिक क्षमता रखता है । इसलिए, किसी बालक साक्षी के साक्ष्य को अस्वीकार किया जाना अपेक्षित नहीं है परंतु न्यायालय को प्रज्ञा के नियम के अनुसार अत्यधिक बारीकी के साथ ऐसे साक्ष्य पर विचार करना चाहिए और उसकी गुणता और विश्वसनीयता के बारे में उसे आश्वस्त होना चाहिए और उनके आधार पर दोषसिद्धि अभिलिखित कर सकता है ।

42. **दातू रामाराव सखारे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था जो इस प्रकार है :–

> "यदि कोई बालक साक्षी सक्षम पाया जाता है तब वह ऐसे तथ्यों के बारे में अभिसाक्ष्य दे सकता है और ऐसे साक्ष्य की पूर्ण विश्वसनीयता दोषसिद्धि का आधार हो सकती है । दूसरे शब्दों में,

---

[1] (1997) 5 एस. सी. सी. 341.

शपथ के अभाव में भी किसी बालक साक्षी के साक्ष्य पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अधीन विचार किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसा साक्षी उससे पूछे गए प्रश्नों और उनके विवेकपूर्ण उत्तर देने में समर्थ हो । किसी बालक साक्षी का साक्ष्य और उसकी विश्वसनीयता प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर होती है केवल पूर्वावधानियां जिन्हें न्यायालय द्वारा ऐसे बालक साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय अपने ध्यान में रखना चाहिए कि साक्षी पूर्णतया विश्वसनीय होना चाहिए और उसका आचरण किसी अन्य सक्षम साक्षी की भांति होना चाहिए और उसे सिखाए-पढ़ाए जाने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए ।'

43. **सूर्य नारायन** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के एक अन्य निर्णय से इस बारे में निर्देश प्रकट होता है ।

44. यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि किसी बालक साक्षी के साक्ष्य का अवलंब लेने से पूर्व उसकी पर्याप्त सम्पुष्टि की जानी चाहिए । विधि की अपेक्षा व्यावहारिक बुद्धिमत्ता का यह नियम है और यह बात प्रत्येक मामले के तथ्यों पर पूर्णतया निर्भर है ।

45. घटना के समय पर अभि. सा. शमनाज कौशर अपनी 2 छोटी बहनों के साथ थी और अभियुक्त के मकान पर मौजूद थी और सभी तीनों पुत्रियां दूसरे कमरे में थीं जब उसने अपने पिता (अभियुक्त) को अपनी माता पर हमला करते हुए और उसके हाथों और पैरों को रस्सी से बांधते हुए देखा तब अभि. सा. शमनाज कौशर जो सबसे बड़ी पुत्री थी, उसने तत्काल इस बात पर प्रतिक्रिया की और अभियुक्त से अपनी माता पर हमला न करने के लिए कहा परंतु उसने उसे भी धमकाया था और उससे दूसरे कमरे में जाने के लिए कहा तब उसने वैसा ही किया था । उसने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि अगले दिन प्रातः जब उसने अपने पिता से अपनी मां के बारे में पूछा तब अभियुक्त ने उसे बताया कि वह तुम्हारी चाची के मकान पर गई है ।

46. अभि. सा. शमनाज कौशर के साक्ष्य से एक बात अत्यधिक रूप से स्पष्ट होती है कि उसने विवेकपूर्ण तरीके से वर्तमान घटना को प्रकट किया है । घटना के समय पर उसकी मौजूदगी के बारे में संदेह नहीं किया

---

[1] (2001) 9 एस. सी. सी. 129.

जा सकता और इसलिए, उसने अपनी माता पर हमला करते हुए अपने पिता को अच्छी तरह देखा था । अभि. सा. शमनाज कौशर ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसे अभियुक्त के विरुद्ध अभिसाक्ष्य देने के लिए नारी निकेतन से लाया गया है । वह इस तथ्य को भी जानती है कि उसकी माता ने न्यायालय, मेंधार में भरणपोषण के लिए अभियुक्त के विरुद्ध याचिका फाइल की थी परंतु उसे अभियुक्त के विरुद्ध पारित किया गया कोई भरणपोषण के बारे में पता नहीं है ।

47. श्री अनमोल शर्मा ने यह कहते हुए शमनाज कौशर के कथन को अस्वीकार करने पर काफी बल दिया है कि उसका साक्ष्य किसी स्वतंत्र स्रोत से सम्पुष्टि नहीं हुई है । हम बातों से सहमत नहीं हैं क्योंकि परिस्थितियों के वर्तमान समूह में केवल अभि. सा. शमनाज कौशर जो घटना देख सकी और किसी ने नहीं देखी इसलिए ऐसी कोई संभावना नहीं बन सकती है कि उसके कथन को किसी अन्य प्रत्यक्ष साक्ष्य से सम्पुष्टि होना संभव हो जैसाकि ऊपर कथन किया गया । उसकी दो सगी बहनें जो मकान में भी मौजूद थीं उन्हें विचारण न्यायालय द्वारा उनकी समझने की शक्ति में अपरिपक्वता के कारण उन्हें अक्षम साक्षी ठहराया है ।

48. विद्वान् काउंसेल द्वारा इस आधार पर संदेह की दृष्टि से अभि. सा. शमनाज के साक्ष्य पर विचार करते हुए दूसरी दलील देने का प्रयास किया जब उसे साक्षी कठघरे में खड़ा किया हुआ था तब उसने यह कथन किया कि जब उसकी मां पर हमला किया जा रहा था तब वह निर्वस्त्र थी परंतु जब शव को बरामद किया गया मृतका के शरीर पर सभी कपड़े थे । दलील के पहलू पर हमने विचार किया और घटना के समय पर इस कारण से अभि. सा. शमनाज कौशर की मौजूदगी के बारे में कोई संदेह प्रकट नहीं होता है कि उस समय उसकी जानकारी में जो कुछ भी तथ्य आया उसने न्यायालय के समक्ष उसका वर्णन किया है और तब उसने मृतका पर अभियुक्त को हमला करते हुए देखा था और इसके पश्चात् वह अपने कमरे में चली गई जब वह प्रातः जागी तो उसने यह बताया कि उसकी माता उसकी चाची के यहां गई है । उस बीच में जो कुछ हुआ उसे वह नहीं देख सकी । यह प्रकट हुआ है कि मृतका की हत्या करने के पश्चात् अभियुक्त ने शव को छुपाने के अनुक्रम में मृतका के शरीर को कपड़ों से ढक दिया और रात्रि के दौरान उसने अपने खेतों में उसको छुपा दिया । डा. जुल्फीकार अहमद द्वारा जब शवपरीक्षण किया गया था तब उसने यह उल्लेख किया है कि मृतका अपने शरीर पर पूरे कपड़े पहने हुई थी ।

49. हम तथ्य के प्रति भी सचेत हैं कि अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार अभि. सा. शमनाज कौशर और अभियुक्त को क्षतियां भी कायम हुई थीं जो प्रकृति में साधारण हैं । अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल श्री अनमोल शर्मा ने इस विषय पर अभि. सा. शमनाज कौशर पर अविश्वास करने का भी प्रयास किया । हमारे समक्ष जो कुछ भी प्रकट हुआ है यह है कि जब अभियुक्त और मृतका के बीच झगड़ा चल रहा था तब अभि. सा. शमनाज कौशर ने अभियुक्त द्वारा अपनी मां पर हमले को देखा था । उसने मध्यक्षेप किया उसी क्रम में शमनाज के पीठ पर कुछ साधारण नील हुई थीं जो लाठी से संभव हैं क्योंकि अभियुक्त के पास लाठी थी जैसाकि कथन किया गया है । ये नीले दाग नीलापन लिए हुए थे जैसाकि चिकित्सा साक्ष्य से स्पष्ट है, अतः घटना के समय से संबंधित है । जब अभि. सा. शमनाज कौशर को साक्षी कठघरे में खड़ा किया गया तब उसके विवेक में यह बात आई कि अपने शरीर पर कायम हुई क्षतियों का वर्णन करे । वस्तुतः, इस तथ्य से घटना के समय पर उसकी मौजूदगी साबित होती है । यह पूर्णतया संभव है कि अभियुक्त को एक या दो साधारण क्षति कायम हो सकी थीं जब वह मृतका के साथ लड़-झगड़ रहा था । तथ्यों की इस पृष्ठभूमि में शमनाज कौशर द्वारा अपने शरीर पर पहुंचीं क्षतियों और अभियुक्त के शरीर पर पहुंचीं क्षतियों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है इससे घटना के समय पर शमनाज कौशर की मौजूदगी के बारे में संदेह उत्पन्न नहीं होता है या उसके कथन चिकित्सा साक्ष्य के प्रतिकूल जाते हैं ।

50. एक अन्य तथ्य जिससे अभि. सा. शमनाज कौशर के कथन को बल मिलता है और उसको सिखाने-पढ़ाने की संभावना को अस्वीकार करती है कि उसकी माता की मृत्यु के पश्चात् और उसके पिता अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात् वह नारी निकेतन में रही थी और उसे न्यायालय के समक्ष केवल अभिसाक्ष्य देने के लिए लाया गया था । इसलिए इस साक्षी को सिखाने-पढ़ाने के लिए मृतका के मायके वाले पक्ष से किसी भी व्यक्ति का उसके पास पहुंचना आसान नहीं था । हम उसके कथन में कतिपय विविधताएं पाते हैं परंतु एक तात्विक तथ्य यह प्रकट हुआ है जो न्यायालय के ध्यान से बच नहीं सका वह यह है कि वह अकेले वास्तविक घटना को देख सकी और इसके पश्चात् अभियुक्त द्वारा इसे धमकाया गया था तब वह वापस अपने कमरे में चली गई । हमारा विचारित मत यह है कि अभि. सा. शमनाज कौशर ने इस बारे में घटना का सही वृत्तांत दिया है जो कुछ उसके द्वारा उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि में वास्तविक रूप से देखा गया

था । उसमें किसी भी स्रोत से उसे सिखाने-पढ़ाने की कोई संभावना प्रकट नहीं होती है । इस प्रकार हम घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में उसे विश्वसनीय ठहराते हैं ।

51. **पंछी** (उपरोक्त) वाला मामला जिसके निर्णय का अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री अनमोल शर्मा द्वारा अवलंब लिया गया । उच्चतम न्यायालय ने विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही अभिलिखित अभियुक्त की दोषसिद्धि को कायम रखते हुए बालक साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास किया है । पूर्वोक्त मामले में अभियुक्त की ओर से यह दलील दी गई कि बालक साक्षी के साक्ष्य का अवलंब लेना जोखिम भरा होता है परंतु माननीय न्यायमूर्तियों ने इस मत को स्वीकार नहीं किया है कि किसी बालक साक्षी का साक्ष्य हमेशा कलंकित माना जाएगा । यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसी कोई विधि नहीं है यदि कोई साक्षी बालक है, उसके साक्ष्य को अस्वीकार किया जाएगा । यद्यपि यह विश्वसनीय पाया जाता है और विधि यह है कि किसी बालक साक्षी के साक्ष्य का बड़ी सावधानी के साथ मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि कोई बालक साक्षी जो कुछ अन्य लोग उसे बताते हैं उस पर उसे संदेह से देखा जाता है और इस प्रकार बालक साक्षी को आसानी से सिखाया-पढ़ाया जाता है । हमने वर्तमान मामले में उक्त मापदंड को लागू किया और यह अभिनिर्धारित किया कि शमनाज कौशर सिखाई-पढ़ाई साक्षी नहीं है ।

52. **भगवान सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में न तो किसी बालक साक्षी का साक्ष्य और न अभियुक्त द्वारा की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति को विचारण न्यायालय द्वारा विश्वसनीय नहीं ठहराया गया था । अभियुक्त द्वारा दी गई अभिकथित सूचना पर मृतक के कतिपय वस्तुओं की बारमदगी होने पर भी उसे साक्ष्य का एक कमजोर टुकड़े के रूप में लिया गया था । तथापि, अभियुक्त की दोषमुक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के एकमात्र परिसाक्ष्य पर विश्वास करते हुए पलट दिया और साक्ष्य के अन्य पहलुओं को मामले से हटा दिया गया । इस संदर्भ में किसी बालक साक्षी का साक्ष्य का जब उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः मूल्यांकन किया गया था और तब यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बालक साक्षी का साक्ष्य अभियोजन पक्ष के लोप के कारण गंभीर दुर्बलता से दोषित था क्योंकि शिनाख्त परेड परीक्षा नहीं रखी गई थी और ऐसे व्यक्तियों की परीक्षा नहीं की गई जिनसे बालक साक्षी घटना के पश्चात् मिला था । उक्त मामले में बालक साक्षी की आयु 6 वर्ष थी जो घटना की प्रकृति के बारे में समुचित

सूचना देने में असमर्थ था क्योंकि उसकी समझने की शक्ति अपरिपक्व थी । इन परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि किसी बालक साक्षी का साक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है क्योंकि ऐसे साक्षी को आसानी से सिखाया-पढ़ाया जा सकता है इसलिए, अन्य साक्ष्य से उसकी पर्याप्त सम्पुष्टि की जानी अपेक्षित है । वर्तमान मामले में तथ्य पूर्णतया भिन्न हैं इसलिए, उक्त निर्णय दूसरी ओर तथ्यों पर विभेद प्रकट करता है ।

53. जहां तक हेतु का संबंध है, हमने मृतका के कुटुंब के साक्ष्य के समूह का पूरी तरह से विचार किया है जिसमें अति स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि अभियुक्त मृतका के साथ दुर्व्यवहार किया करता था और तब मृतका ने अभियुक्त के विरुद्ध भरणपोषण याचिका भी फाइल की थी जिसमें वर्तमान घटना से कुछ दिन पूर्व मृतका के पक्ष में भरणपोषण की रकम भी अधिनिर्णीत की गई थी ।

54. अभिलेख पर उपलब्ध एक अन्य तात्विक साक्ष्य, मृतका की सगी बहन का साक्ष्य है और उसका पति क्योंकि मृतका तारीख 17 अप्रैल, 2007 को अपनी बहन को देखने के लिए आई थी तब वह अपने को स्वस्थ महसूस नहीं कर रही थी जहां अभियुक्त ने उनके सामने यह कहते हुए माफी मांगी थी कि वह मृतका के साथ झगड़ा नहीं करेगा और उसे प्रेम और स्नेह के साथ रखेगा तथा इसके पश्चात्, वह उसे अपने साथ ले गया और तारीख 17 अप्रैल, 2007 को उसी रात्रि में यह घटना घटी कि अभियुक्त ने मृतका की हत्या कर दी परंतु यह स्वाभाविक है कि मृतका जो निःसंदेह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 488 के अधीन आवेदन फाइल करने के लिए विवश हुई थी और उसने अपने पक्ष में भरणपोषण का आदेश प्राप्त किया था और मृतका यह बात अच्छी तरह जानती थी कि अभियुक्त के साथ उसके संबंध कभी भी मधुर नहीं हो सकते, उसकी तीन पुत्रियां थीं जिसकी उसे देखभाल करनी थी इस कारण से अभियुक्त के आश्वासन पर वह बिना इस बात को जानते हुए उसके साथ जाने के लिए सहमत हो गई कि वह उस रात्रि को अभियुक्त के हाथों बलि चढ़ जाएगी । निःसंदेह अभियुक्त ने यह दर्शित करने का प्रयास किया है कि तारीख 17/ 18 अप्रैल, 2007 की रात्रि को मृतका उसके मकान पर नहीं थी जिसमें दो प्रतिरक्षा साक्षी इस बात के लिए पेश किए गए थे परंतु हमारा मत यह है

कि उनका साक्ष्य स्वतः विभेदकारी है और अभियुक्त की तनिक भी मदद नहीं करते हैं ।

55. साक्ष्य का तीसरा महत्वपूर्ण भाग अभियुक्त द्वारा किए गए प्रकटीकरण कथन के अनुसरण में, उसके कहने पर शव की बरामदगी हुई थी । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि शव को छुपाने का स्थान अभियुक्त के खेत हैं और यह महत्वपूर्ण पहलू न्यायालय की जानकारी से बाहर नहीं जा सका । इस बारे में पता चला हुआ तथ्य अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना से प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुआ है और यह अपराध कारित किए जाने से भी संबंधित है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल अभियुक्त द्वारा किए गए प्रकटीकरण कथन को अविश्वास करना चाहते थे जिसके अनुसरण में उसके खेतों से शव बरामद हुआ था । इस आधार पर प्रकटीकरण कथन के साक्ष्यांकित साक्षी या शव के अभिग्रहण ज्ञापन जो मृतका के नातेदार (मातृ पक्ष) परंतु इस तथ्य से हमारे विवेक में अभियुक्त के कहने पर शव की बरामदगी के बारे में कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता है जब हमने पूर्णतया अभियोजन पक्षकथन का मूल्यांकन किया ।

56. अभियुक्त के खेतों से शव की बरामदगी के बारे में उत्पन्न हुए संदेह पर अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी है कि खोपड़ी के बालों पर कीचड़ लगी हुई थी जबकि डाक्टर द्वारा मृतका के शरीर के अन्य भाग पर किसी प्रकार के कीचड़ होने का उल्लेख नहीं किया या जिसने शव-परीक्षा की और इससे यह दर्शित होता है कि शव बरामद नहीं हुआ था और यह दर्शित हुआ है कि यह अभियुक्त के खेतों से बरामद हुआ । हम इस कारण से विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलील को स्वीकार नहीं करते हैं कि शव जब बरामद किया गया तब वह मिट्टी के नीचे पड़ा हुआ था । इस कारण से यह प्रतीत होता है कि मृतका की खोपड़ी के बालों पर कुछ कीचड़ लगा हुआ था और शव के बाकी भाग पर कोई सूखी मिट्टी नहीं थी जैसाकि शव-परीक्षा के डाक्टर ने उल्लेख किया है । हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि अभियुक्त ने यह भी प्रयास किया कि कुछ प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करके शव की बरामदगी को नासाबित किया जाए परंतु इसका उसे कोई फायदा नहीं मिला । हमारा विचारित मत यह है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खेतों से शव की बरामदगी को साबित करने में समर्थ हुआ है और यह बात युक्तियुक्त संदेह के परे है ।

57. श्री अनमोल शर्मा द्वारा एक अन्य यह दलील दी गई कि अभियुक्त की दोषसिद्धि अपूर्ण चिकित्सा साक्ष्य पर आधारित नहीं हो सकती यह बात हमें बोर्ड आफ डाक्टर्स की राय के अनुसार स्वीकार्य योग्य प्रतीत नहीं होती है । मृतका की मृत्यु सिर की क्षति, प्रताड़ना के कारण हृदयघात से हुई थी । शवपरीक्षण रिपोर्ट से जो कुछ भी ध्यान में आया यह है कि दाहिने शंकास्थि क्षेत्र पर विदीर्ण घाव जिससे अस्थि और मस्तिष्क के सतह का अस्थिभंग हुआ था । मध्य कार्नियलफोसा में रक्त के थक्के देखे गए थे । मृतका के शरीर पर क्षतियों की कोई कमी नहीं थी और मामला जहर देने की संभावना का बाहर किया जाता है । रसायन विश्लेषण के लिए सीएफएसएल विसरा भेजा गया था और इस पर अंतिम राय कैसे रोकी गई थी जबकि जहर लेने के बारे में तनिक भी संदेह नहीं है । निःसंदेह अभिलेख पर सीएफएसएल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी और अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण के दौरान अभिलेख को प्राप्त करने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया, परंतु हमारा यह मत है कि उक्त रिपोर्ट के अभाव में अभियोजन पक्ष यह साबित करने में समर्थ हुआ है कि मृतका की अन्य क्षतियों के कारण मृत्यु हुई जो उसके शरीर पर थीं खासतौर पर सिर की क्षति से दबा हुआ अस्थिभंग प्रकट हुआ था । तथापि, हम अपनी मनोवेदना व्यक्त करते हैं कि वह रीति जिसमें लोक अभियोजक ने विचारण का संचालन किया था उसे विचारण के दौरान अभिलेख पर सीएफएसएल रिपोर्ट लेने के लिए कष्ट उठाना चाहिए था ताकि डाक्टर को यह दिखाया जा सकता । जिसने शव की शव-परीक्षा की थी जो कुछ हमारे समक्ष प्रकट हुआ विचारण न्यायालय ने इस पहलू की अनदेखी भी की थी ।

58. हम तथ्य के प्रति भी सचेत हैं कि वर्तमान मामले के अन्वेषक अधिकारी की विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा नहीं की गई और सभी मुख्य बरामदगियां उसकी मौजूदगी में प्रभावी हुई थीं परंतु उसकी परीक्षा न किया जाना अभियोजन पक्षकथन के लिए कोई खोट नहीं है । हम अभियुक्त और मृतका की पुत्री अभि. सा. शमनाज कौशर के साक्ष्य पर विश्वास करते हैं तथा घटना की केवल एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी जो अत्यधिक सत्य बोलने वाली साक्षी है । अन्य उपस्थित परिस्थितियों के साक्ष्य अभियुक्त की दोषिता की ओर इंगित करने वाले साक्ष्य का पर्याप्त टुकड़ा है ।

59. सही परिप्रेक्ष्य में अभियोजन पक्षकथन का पुनः मूल्यांकन करने के पश्चात् हमारा विचारित मत यह है कि यह केवल अभियुक्त था जिसने तारीख 17/18 अप्रैल, 2007 की मध्य रात्रि में अपने मकान पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और इसके पश्चात् उसके शव को अपने खेतों में छुपा दिया । अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के आरोप को साबित करने में समर्थ हुआ है । विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 28 दिसंबर, 2012 के आक्षेपित निर्णय को पहले ही अभिलिखित करके दोषसिद्धि और दंडादेश पारित किया है । इस प्रकार, जिसे हम कायम रखते हैं । तद्नुसार आदेश किया गया ।

60. परिणामस्वरूप अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा फाइल किए गए 2013 की दांडिक अपील सं. 2 को खारिज किया जाता है । 2013 का पुष्टिकरण सं. 1 का तद्नुसार उत्तर दिया जाता है ।

61. उच्च न्यायालय के इस खंड के न्यायिक रजिस्ट्रार को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 425 के निबंधनों में (राज्य संहिता) विचारण न्यायालय के निर्णय को प्रमाणित करने का निदेश दिया जाता है । अपीलार्थी जो कारागार में परिरुद्ध है, उसे उसके द्वारा फाइल की गई अपील की खारिजी सूचना भी दी जाए तथा संबंधित कारागार अधीक्षक के माध्यम से अपीलार्थी पर अधिरोपित आजीवन दंडादेश की पुष्टिकरण की सूचना भी दी जाए ।

62. विचारण न्यायालय के अभिलेख संबंधित न्यायालय को बिना किसी विलंब के वापस भेजे जाएं ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

———————

लल्लन पाठक

बनाम

बिहार राज्य

तारीख 18 जून, 2014

न्यायमूर्ति आई. ए. अंसारी और न्यायमूर्ति समरेन्द्र प्रताप सिंह

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300, 34 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य – मृतक की पत्नी द्वारा अपने पति पर गोलियां चलाते हुए तीन अभियुक्तों को देखे जाने का दावा किया जाना – यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य का स्वतंत्र साक्षी तथा उसके पुत्र द्वारा समर्थन नहीं किया गया है और प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य में विसंगतियां हैं तो अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार है ।

प्रेम नाथ पाठक तारीख 8 मई, 2003 को अपराह्न लगभग 2.30 बजे भुना हुआ मांस खरीदने मेहसी बाजार जाने के लिए अपने घर से निकला और उसी दिन अपराह्न लगभग 4.00 बजे प्रेम नाथ पाठक की पत्नी ऊषा देवी, उसके पुत्र अमित कुमार पाठक और उनके सह ग्रामीणों द्वारा गोलियां चलाए जाने की आवाज सुनी गईं । जब वे सभी घर से बाहर निकले, तो उन्होंने मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक, जिसके हाथ में एक छोटा सा आयुध था, को प्रेम नाथ पाठक पर गोली चलाते हुए देखा । उस समय अभियुक्त मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक के साथ अभियुक्त कृष्ण कांत शर्मा और अभियुक्त लल्लन पाठक भी उपस्थित थे । जबकि अभियुक्त लल्लन पाठक, मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक के साथ खड़ा था, कृष्ण कांत शर्मा मोटरसाइकिल पर बैठा था जिस पर कोई नम्बर प्लेट नहीं थी और जिसका इंजन बंद नहीं किया गया था । प्रेम नाथ पाठक पर गोली चलाने के तुरंत पश्चात् अभियुक्त मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक उक्त मोटरसाइकिल पर बैठ गया और भाग गया जबकि लल्लन पाठक अपने घर भाग गया । क्षतिग्रस्त प्रेम नाथ पाठक ने अपनी पत्नी और अन्य को बताया कि उस पर मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक द्वारा गोली दागी गई है और तत्पश्चात् वह मूर्छित हो गया । क्षतिग्रस्त प्रेम नाथ पाठक को मेहसी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया । प्रेम नाथ पाठक को गोली मारे जाने के पीछे कारण यह था कि

मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक की पत्नी की मृत्यु लगभग एक माह पूर्व हो गई थी और पुलिस उसकी मृत्यु के कारण का अन्वेषण कर रही थी और अभियुक्त मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक को संदेह था कि प्रेम नाथ पाठक और उसके परिवार के सदस्यों ने ही पुलिस को सूचना दी थी और इसलिए मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक और उसके परिवार के सदस्य प्रेम नाथ पाठक के विरुद्ध घृणा की भावना से ग्रसित थे । घटना के बारे में सूचित किए जाने पर पुलिस तारीख 8 मई, 2003 को अपराह्न लगभग 4.10 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची जहां मृतक के पुत्र अमित कुमार पाठक ने पुलिस को बताया कि घटना किस प्रकार घटित हुई । अमित कुमार पाठक द्वारा इस प्रकार से दी गई सूचना के आधार पर फर्दबयान लेखबद्ध किया गया । उक्त फर्दबयान को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मानते हुए मेहसी पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302/120ख/34 और 1959 के आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन 2003 का मामला संख्या 34 सभी तीन अभियुक्तों अर्थात् (i) मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक (ii) लल्लन पाठक और (iii) कृष्ण कांत शर्मा के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत किया गया । अन्वेषण के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और शव, जिसकी मरणोत्तर परीक्षा की जानी थी, की शव-परीक्षा की और अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात् भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/120ख/34 और 1959 के आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन सभी अभियुक्तों अर्थात् (i) मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक (ii) लल्लन पाठक और (iii) कृष्ण कांत शर्मा के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल कर दिया । विचारण पर, जब भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 और 1959 के आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभियुक्तों कृष्ण कांत शर्मा और लल्लन पाठक के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए तो उन्होंने दोषी न होने का अभिवाक् किया । जहां तक अभियुक्त मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक का संबंध है, जब उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 1959 के आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन आरोप विरचित किए गए तो उसने भी दोषी न होने का अभिवाक् किया था । अभियोजन ने उनके पक्षकथन के समर्थन में सभी नौ साक्षियों का परीक्षण कराया । तत्पश्चात् अभियुक्तों का परीक्षण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313(1)(ख) के अधीन कराया गया और ऊपरवर्णित अभियुक्तों ने अपने परीक्षण में इस बात से इनकार किया कि उन्होंने वे अपराध कारित किए हैं जिनका उनके द्वारा कारित किया जाना अभिकथित है, प्रतिरक्षा पक्ष का पक्षकथन इनकारी का था । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । तथापि, विद्वान्

विचारण न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि अभियुक्त-अपीलार्थी अर्थात् मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 1959 के आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन कारित अपराधों का दोषी साबित पाया जाता है और अभियुक्त-अपीलार्थी अर्थात् कृष्ण कांत शर्मा और लल्लन पाठक को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 और 1959 के आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दोषी साबित पाया जाता है, उनको दोषसिद्ध कर दिया । दोषसिद्धि का अनुसरण करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध दंडादेश पारित कर दिए गए, जैसा कि ऊपरवर्णित है । अभियुक्तों ने उनकी दोषसिद्धि और उनके विरुद्ध पारित दंडादेशों से व्यथित होकर अपीलें फाइल की हैं । अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह सत्य है कि साक्षी सामान्यतः तीन भिन्न कोटियों के अंतर्गत आते हैं अर्थात् (i) पूर्णतया विश्वसनीय, (ii) पूर्णतया अविश्वसनीय और (iii) न तो पूर्णतया विश्वसनीय है और न ही पूर्णतया अविश्वसनीय । यदि साक्षी पूर्णतया विश्वसनीय है, तो उसके साक्ष्य को निर्विवाद मानते हुए अवलंब लिया जा सकता है और ऐसे साक्षी का परिसाक्ष्य अभियुक्त की दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है । इसी प्रकार से, जब किसी साक्षी को पूर्णतया अविश्वसनीय पाया जाता है तो उसके साक्ष्य का अवलंब बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता और उसके साक्ष्य को तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए । फिर भी जब किसी साक्षी को न तो पूर्णतया विश्वसनीय पाया जाता है और न ही पूर्णतया अविश्वसनीय, तो उसके साक्ष्य को सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके साक्ष्य का समर्थन किसी विश्वसनीय स्वतंत्र साक्ष्य प्रत्यक्ष या पारिस्थितिक साक्ष्य द्वारा नहीं कर दिया जाता । प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का साक्ष्य, जिसको अभियोजन ने वर्तमान मामले में प्रस्तुत किया है, का निश्चित रूप से अवलंब नहीं लिया जा सकता जब तक कि उसका समर्थन किसी विश्वसनीय स्वतंत्र या पारिस्थितिक साक्ष्य द्वारा नहीं किया जाता । यह विधि की निरापद स्थिति है कि किसी एक अस्थिर साक्षी के बारे में यह प्रतीत नहीं किया जा सकता कि उसने किसी अन्य अस्थिर साक्षी के साक्ष्य का समर्थन किया है अर्थात् एक ही प्रकार के साक्षियों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया है । अतः जब कोई साक्षी न तो पूर्णतया विश्वसनीय होता है और न ही पूर्णतया अविश्वसनीय, तो यह नहीं माना जा सकता कि उसके साक्ष्य का समर्थन उसी साक्षी के प्रकार के अन्य साक्षी द्वारा किया गया है अर्थात् कोई ऐसा साक्षी जो न तो पूर्णतया विश्वसनीय है और न ही पूर्णतया अविश्वसनीय चूंकि साक्ष्य की

गणना नहीं की जाती बल्कि उसका मूल्यांकन किया जाता है । विचारण के परिणाम का विनिर्धारण साक्षियों की संख्या के आधार पर नहीं होता बल्कि साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य की सारगर्भित असत्यता या सत्यता के आधार पर होता है जो विचारण के परिणाम का निर्णय करता है । यदि बड़ी संख्या में साक्षियों में से प्रत्येक पूर्णतया अविश्वसनीय पाया जाता है, तो उनका साक्ष्य मात्र इस कारणवश अस्वीकार किए जाने योग्य नहीं होगा कि बड़ी संख्या में एक ही प्रकार के साक्षियों ने एक दूसरे के साथ सहयोग किया है । उपरोक्त परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि मात्र इस कारणवश कि कुछ व्यक्तियों ने स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का दावा करते हुए घटना का वर्णन किया है और साक्ष्य दिया है, उनके साक्ष्य को उनको सत्यवादी साक्षी अभिनिर्धारित करने के प्रयोजनार्थ आधार नहीं बनाया जा सकता जब उनका साक्ष्य असंगत, परस्पर विरोधी और एक दूसरे के साक्ष्य को झूंठा साबित करने वाला है, विशेष रूप से जब उनका साक्ष्य विश्वसनीय स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा पुष्ट करने वाला पाया गया है । साक्ष्य, जो अभिलेख पर उपलब्ध है, की प्रकृति के कारण विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा जो न्यूनतम किया जा सकता है, अभियुक्तों को युक्तियुक्त संदेह का लाभ प्रदान करना है चूंकि हमारा स्पष्ट विचार है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य जिसकी हमने चर्चा ऊपर की है, के प्रकाश में यह अत्यधिक हानिकारक है कि किसी अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जा सके, विशेष रूप से जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य अर्धसत्य का मिश्रण है और यह न केवल कठिन है बल्कि पूर्णतया असंभव भी है कि सत्य को असत्यता से अलग किया जा सके । इस प्रकार की स्थिति का लाभ अभियुक्त-अपीलार्थी को प्रदान किया जाना चाहिए था । (पैरा 47, 48, 49, 51 और 52)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[1988]	(1988) 3 एस. सी. सी. 609 = ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 1883 : **केहर सिंह और अन्य** बनाम **राज्य (दिल्ली प्रशासन) ;**	39
[1976]	ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 989 : **मुतुवा पुत्र बंदा और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ।	50

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2007 की दांडिक अपील सं. 1240.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री अनीता सिंह (न्यायमित्र), सर्वश्री भावेश कुमार (न्यायमित्र), अश्विनी कुमार सिन्हा (सहायक अभियोजन अधिकारी), कल्याण शंकर, (सुश्री) स्मिता कुमारी

प्रत्यर्थी की ओर से श्री अश्विनी कुमार सिन्हा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आई. ए. अंसारी ने दिया ।

न्या. अंसारी – वर्तमान अपीलों में मोतिहारी के पूर्वी चंपारण के विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा 2004 के सेशन विचारण संख्या 887 में तारीख 25 सितंबर, 2007 और तारीख 27 सितंबर, 2007 को पारित दोषसिद्धि के निर्णयों को चुनौती दी गई जिनके द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध विभिन्न दंडादेश पारित किए गए हैं ।

2. विद्वान् विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 1959 के आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दोषसिद्ध कर दिया था । जहां तक शेष दो अभियुक्त-अपीलार्थियों अर्थात् लल्लन पाठक और कृष्ण कांत शर्मा का संबंध है, उनको आक्षेपित निर्णय के अधीन भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया । भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 1959 के आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दोषसिद्धि के प्रयोजनार्थ अभियुक्त-अपीलार्थी मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक को आजीवन कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया है और 1959 के आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दोषसिद्धि के प्रयोजनार्थ तीन वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया है । शेष दो अभियुक्त-अपीलार्थियों अर्थात् लल्लन पाठक और कृष्ण कांत शर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के अधीन दोषसिद्धि के प्रयोजनार्थ उनको आजीवन कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया है ।

3. अभियोजन का पक्षकथन, जैसा कि विचारण के समय प्रकटीकरण

किया गया, इस प्रकार है :–

(i) प्रेम नाथ पाठक (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) तारीख 8 मई, 2003 को अपराह्न लगभग 2.30 बजे भुना हुआ मांस खरीदने के लिए मेहसी बाजार जाने के लिए अपने घर से निकला और उसी दिन (अर्थात् तारीख 8 मई, 2003 को) अपराह्न लगभग 4.00 बजे प्रेमनाथ पाठक की पत्नी ऊषा देवी (अभि. सा. 4), उसके पुत्र अमित कुमार पाठक (अभि. सा. 9) और उनके सह ग्रामीणों द्वारा गोलियां चलाए जाने की आवाज सुनी गईं । जब वे सभी घर से बाहर निकले, तो उन्होंने मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक, जिसके हाथ में एक छोटा सा आयुध था, को प्रेम नाथ पाठक पर गोली चलाते हुए देखा । उस समय अभियुक्त मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक के साथ अभियुक्त कृष्ण कांत शर्मा और अभियुक्त लल्लन पाठक भी उपस्थित थे । जबकि अभियुक्त लल्लन पाठक, मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक के साथ खड़ा था, कृष्ण कांत शर्मा मोटरसाइकिल पर बैठा था जिस पर कोई नम्बर प्लेट नहीं थी और जिसका इंजन बंद नहीं किया गया था । प्रेम नाथ पाठक पर गोली चलाने के तुरंत पश्चात् अभियुक्त मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक उक्त मोटरसाइकिल पर बैठ गया और भाग गया जबकि लल्लन पाठक अपने घर भाग गया । क्षतिग्रस्त प्रेम नाथ पाठक ने अपनी पत्नी (अभि. सा. 4) और अन्य को बताया कि उसको मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक द्वारा गोली मारी गई है और तत्पश्चात् वह मूर्छित हो गया ।

(ii) क्षतिग्रस्त प्रेम नाथ पाठक को मेहसी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया ।

(iii) प्रेम नाथ पाठक को गोली मारे जाने के पीछे कारण यह था कि मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक की पत्नी की मृत्यु लगभग एक माह पूर्व हो गई थी और पुलिस उसकी मृत्यु के कारण का अन्वेषण कर रही थी और अभियुक्त मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक को संदेह था कि प्रेम नाथ पाठक और उसके परिवार के सदस्य ही वे लोग हैं जिन्होंने पुलिस को सूचना दी थी और इसलिए मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक और उसके परिवार के सदस्य प्रेम नाथ पाठक के विरुद्ध घृणा की भावना से ग्रसित थे ।

(iv) घटना के बारे में सूचित किए जाने पर पुलिस तारीख 8 मई, 2003 को अपराह्न लगभग 4.10 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची जहां मृतक के पुत्र अमित कुमार पाठक (अभि. सा. 9) ने पुलिस को बताया कि घटना किस प्रकार घटित हुई । अमित कुमार पाठक (अभि. सा. 9) द्वारा इस प्रकार से दी गई सूचना के आधार पर फर्दबयान लेखबद्ध किया गया ।

(v) उक्त फर्दबयान (प्रदर्श 4) को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मानते हुए मेहसी पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302/120ख/34 और 1959 के आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन 2003 का मामला संख्या 34 सभी तीनों अभियुक्तों अर्थात् (i) मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक (ii) लल्लन पाठक और (iii) कृष्ण कांत शर्मा के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

(vi) अन्वेषण के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और शव, जिसकी मरणोत्तर परीक्षा की जानी थी, की शव-परीक्षा की और अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात् भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/120ख/34 और 1959 के आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन सभी अभियुक्तों अर्थात् (i) मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक (ii) लल्लन पाठक और (iii) कृष्ण कांत शर्मा के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल कर दिया ।

4. विचारण पर, जब भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 और 1959 के आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभियुक्तों कृष्ण कांत शर्मा और लल्लन पाठक के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए तो उन्होंने दोषी न होने का अभिवाक् किया । जहां तक अभियुक्त मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक का संबंध है, जब उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 1959 के आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन आरोप विरचित किए गए तो उसने भी दोषी न होने का अभिवाक् किया था ।

5. अभियोजन ने उनके पक्षकथन के समर्थन में सभी नौ साक्षियों का परीक्षण कराया । तत्पश्चात् अभियुक्तों का परीक्षण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313(1)(ख) के अधीन कराया गया और ऊपरवर्णित अभियुक्तों ने अपने परीक्षण में इस बात से इनकार किया कि उन्होंने वे अपराध कारित किए हैं जिनका उनके द्वारा कारित किया जाना अभिकथित है, प्रतिरक्षा पक्ष

का पक्षकथन इनकारी का था । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया ।

6. तथापि, विद्वान् विचारण न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि अभियुक्त-अपीलार्थी अर्थात् मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 1959 के आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन कारित अपराधों का दोषी साबित पाया जाता है और अभियुक्त-अपीलार्थी अर्थात् कृष्ण कांत शर्मा और लल्लन पाठक को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 और 1959 के आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दोषी साबित पाया जाता है, उनको दोषसिद्ध कर दिया । दोषसिद्धि का अनुसरण करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध दंडादेश पारित कर दिए गए, जैसा कि ऊपरवर्णित है ।

7. अभियुक्तों ने उनकी दोषसिद्धि और उनके विरुद्ध पारित दंडादेशों से व्यथित होकर अपीलें फाइल की हैं ।

8. यह सभी तीनों अपीलें तारीख 25 सितंबर, 2007 की दोषसिद्धि के आक्षेपित आदेश और तारीख 27 सितंबर, 2007 के आक्षेपित दंडादेश से उद्भूत हुई हैं, इनको एक साथ सुना गया और इस एक ही निर्णय और आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है ।

9. हमने अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेलों सुश्री अनीता कुमारी सिंह, श्री कल्याण शंकर और श्री भावेश कुमार और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री अश्विनी कुमार सिन्हा को सुना ।

10. वर्तमान अपीलों पर विचार करते हुए जिस बात का उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है, वह यह है कि इस मामले का इत्तिलाकर्ता अर्थात् अमित कुमार पाठक (अभि. सा. 9) कोई और नहीं बल्कि मृतक का पुत्र है । फिलहाल यह साक्षी पक्षद्रोही हो चुका है और उसने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है चूंकि उसका साक्ष्य घटना वाले दिन का है जबकि वह घर पर था और उसके घर पर 2-4 राजगीर काम पर लगे थे, उसका पिता भुना हुआ मांस लाने के लिए मेहसी बाजार गया था और उसी समय उसने दो-तीन राउण्ड गोली चलाए जाने की आवाज सुनी और वह गोली चलाए जाने की आवाज सुनकर कपिल देव शुक्ला के खेत, जो सड़क की तरफ स्थित था, के निकट गया और अपने पिता को घटनास्थल पर जमीन पर गोली लगने के कारण क्षतिग्रस्त दशा में

पड़े हुए देखा ।

11. अभि. सा. 9 का यह स्पष्ट और विनिर्दिष्ट साक्ष्य है कि उसने घटनास्थल पर साक्षियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देखा और वही अपने पिता को अस्पताल ले गया था ।

12. जिस बात का उल्लेख किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 9) का साक्ष्य है और वह यह है कि जब वह अपने पिता को अस्पताल ले जा रहा था, तो उन्होंने उसको कुछ नहीं बताया था । अभि. सा. 9 के साक्ष्य में यह भी है कि पुलिस अस्पताल पहुंच गई थी और उसने (अभि. सा. 9 ने) पुलिस के समक्ष अपना कथन कर दिया था ।

13. अभियोजन ने अभि. सा. 9 को पक्षद्रोही घोषित किए जाने के उपरांत उसकी प्रतिपरीक्षा की । अपनी प्रतिपरीक्षा में अभि. सा. 9 ने शपथपूर्वक कथन किया कि वह अपने पिता को क्षतिग्रस्त स्थिति में देखने के पश्चात् मूर्छित हो गया था, इसलिए वह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तु के बारे में कुछ नहीं कह सकता ।

14. इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 9) के साक्ष्य में जिस बात का उल्लेख किया जाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, यह है कि उसके अनुसार उसका पिता (अभि. सा. 4) और पनमती (अभि. सा. 7) उसके (अभि. सा. 9) के घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचे थे अर्थात् यदि उसने (अभि. सा. 9 ने) हमलावरों को नहीं देखा था, तो उसकी माता द्वारा घटना को देखे जाने या किसी हमलावर को उसके पति पर गोली चलाते हुए देखे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

15. उसने अपनी आगे की प्रतिपरीक्षा में पुलिस के समक्ष इस बाबत कोई कथन करने से इनकार किया है कि मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक के पास एक छोटा रिवाल्वर था और कृष्ण कांत शर्मा नीले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार था, उसने (अभि. सा. 9 ने) शोर मचाया था, किंतु मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक ने उसके पिता पर गोली चला दी थी और धमकी दी थी कि यदि कोई आगे बढ़ा तो उसकी भी हत्या कर दी जाएगी और तत्पश्चात् मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और भाग गया और उसके पिता ने उसे क्षतिग्रस्त स्थिति में बताया था कि मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक ने उनको गोली मारी है ।

16. अब जिस बात का उल्लेख किया जाना अत्यधिक महत्व का है,

यह है कि इस मामले के अन्वेषण अधिकारी का विचारण के समय परीक्षण नहीं किया गया जिस बात का अनदेखा नहीं किया जा सकता, यह है कि यदि अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण किया जाता और इस बात को साबित किया जाता कि इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 9) द्वारा दिया गया कथन उसके द्वारा पुलिस के समक्ष अन्वेषण के दौरान किया गया था, तो इस तथ्य पर विचार किया जाना शेष रह जाता है कि अभि. सा. 9 के पूर्ववर्ती कथन को सारवान् साक्ष्य नहीं माना जा सकता । जहां तक अभि. सा. 9 के सारवान् साक्ष्य का संबंध है, वह किसी भी अभियुक्त-अपीलार्थी को अंतर्वलित नहीं करता ।

17. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए इस घटना में, जैसा कि इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 9) द्वारा पुलिस के समक्ष अपने कथन में अभिकथित रूप से वर्णित किया गया है, उसने (अभि. सा. 9 ने) स्वीकृततः अभियुक्त-अपीलार्थी लल्लन पाठक को अंतर्वलित नहीं किया था यद्यपि लल्लन पाठक का नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में मौजूद है । फिर भी यह एक पहलू है जिस पर हम कुछ देर बाद विचार करेंगे । इस प्रक्रम पर यह बताना पर्याप्त होगा कि अभि. सा. 9 का साक्ष्य उसकी माता (अभि. सा. 4) द्वारा घटना या उसके किसी भाग को घटित होते हुए देखे जाने और/या घटनास्थल के निकट हमलावरों के देखे जाने की संभाव्यता को नकारता है ।

18. इसके अतिरिक्त, इत्तिलाकर्ता का साक्ष्य और उसका पूर्ववर्ती कथन अभियुक्त-अपीलार्थी लल्लन पाठक की संलिप्तता को पूर्णतया अपवर्जित नहीं करता । साथ ही अभि. सा. 9 का सारवान् साक्ष्य यह है कि उसके पिता ने क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़े हुए पाए जाने के पश्चात् कुछ भी नहीं कहा था अर्थात् उसके पिता ने अपनी मृत्यु के कारण के संबंध में कोई कथन नहीं किया था । संक्षेप में अभि. सा. 9 के साक्ष्य के प्रकाश में प्रेम नाथ पाठक ने कोई मृत्युकालिक कथन नहीं किया था ।

19. मामले के उपरोक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अब हम अभि. सा. 7 (पनमती देवी) के साक्ष्य पर विचार करते हैं । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कहा है कि वह घटना के दिन पूर्वाह्न लगभग 2-2.30 बजे स्टेशन से अपने घर जा रही थी और जब वह अपने घर के निकट पहुंची, तो उसने सुना कि प्रेम नाथ पाठक की हत्या कर दी गई है जिस पर वह घटनास्थल पर गई और देखा कि प्रेम नाथ पाठक की नाभि में गोली मारी गई थी और उसने कुछ लोगों अर्थात् कृष्ण कांत शर्मा

और लल्लन पाठक को भी वहां पर मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक, जो देशी पिस्टल से लैस था, के साथ खड़े हुए देखा और वह (अर्थात् मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक) मोटरसाइकिल, जिसे कृष्ण कांत शर्मा चला रहा था, पर सवार होकर भाग गया ।

20. अपनी प्रतिपरीक्षा में अभि. सा. 7 ने स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के समक्ष यह अभिकथित नहीं किया कि जब वह घटनास्थल पर गई, तो उसने प्रेम नाथ पाठक को उसकी नाभि पर क्षति के साथ देखा था और उसने मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक, कृष्ण कांत शर्मा और लल्लन पाठक को वहां पर खड़े हुए देखा था और/या मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक अपने हाथ में देशी पिस्टल लिए हुए मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गया था और मोटरसाइकिल कृष्ण कांत शर्मा चला रहा था ।

21. अभि. सा. 7 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक जो कुछ कहा गया है, के बावजूद उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि उसने गोली चलाए जाने की आवाज नहीं सुनी थी और उसने अन्य लोगों, जो घटनास्थल पर पहुंच रहे थे, से सुना था कि प्रेम नाथ पाठक की हत्या हो गई है किंतु वे व्यक्ति उन लोगों के नाम नहीं ले रहे थे जिन्होंने प्रेम नाथ पाठक की हत्या की थी । आगे अभि. सा. 7 का साक्ष्य यह है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंची तो सैकड़ों लोग वहां पर एकत्रित हो चुके थे और वास्तविकता में सड़क पर धक्का-मुक्की की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और कुछ लोग साइकिलों पर भागते हुए जा रहे थे ।

22. अभि. सा. 7 के साक्ष्य में जिस बात का उल्लेख किया जाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, यह है कि इस तथ्य के बावजूद कि अपनी मुख्य परीक्षा में उसने मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक को ऐसे व्यक्ति के रूप में नामित किया है जिसको उसने देशी पिस्तौल के साथ देखा था और जो कृष्ण कांत शर्मा के साथ मोटरसाइकिल पर भाग गया था, यहां पर यह तथ्य शेष रह जाता है कि उसने अपनी मुख्य परीक्षा में भी अभियुक्त लल्लन पाठक को नामित किया था । इसके अलावा अभि. सा. 7 ने अपनी मुख्य परीक्षा में भी शपथपूर्वक स्पष्टतः कथन किया है कि वह यह सुनकर घटनास्थल पर गई थी कि प्रेम नाथ पाठक की हत्या कर दी गई है । इससे यह दर्शित होता है कि अभि. सा. 7 के घटनास्थल पर जाने के पहले ही प्रेम नाथ पाठक को गोली मारी जा चुकी थी और इसलिए उसके द्वारा घटनास्थल पर हमलावरों को खड़ा हुआ देखे जाने वह भी तब जब वहां पर सैकड़ों लोग पहले ही एकत्रित हो चुके थे, और वह भी तब जब

वह लल्लन पाठक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नामित नहीं करती जो अभियुक्त मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक और अभियुक्त कृष्ण कांत शर्मा के साथ था, पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता ।

23. इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 7 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि वह हत्यारे को नामित नहीं कर सकती और जब वह घटनास्थल पर पहुंची, तो उसने उक्त मृतक के परिवार के सदस्यों, जैसेकि उसके पुत्र, पुत्री, चाचा और पत्नी को देखा जो वहां पर उपस्थित थे और उनके सपिण्ड (पितृ बंधु) भी वहां पर उपस्थित थे और वहां पर उपस्थित सपिण्ड (पितृ बंधु) के मध्य अभियुक्त लल्लन पाठक, अभियुक्त मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक और सपिण्ड (पितृ बंधु) के मित्र अर्थात् कृष्ण कांत शर्मा भी वहां पर उपस्थित थे ।

24. अत्यधिक महत्वपूर्ण रूप से इस साक्षी (अभि. सा. 7) ने शपथपूर्वक कथन किया है कि उक्त मृतक के परिवार के सदस्य अर्थात् अभियुक्त लल्लन पाठक और अभियुक्त मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रेम नाथ पाठक को ट्रेक्टर पर रखा था और उसको अस्पताल ले गए थे ।

25. अतः अभि. सा. 7 का सारवान् साक्ष्य तीनों अभियुक्तों की हमलावर के रूप में संलिप्तता को अपवर्जित करता है, फिर भी उसका साक्ष्य यह है कि अभियुक्त लल्लन पाठक और अभियुक्त मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक ने उक्त मृतक को ट्रेक्टर पर लादा था और उक्त मृतक को अस्पताल ले जाया गया था ।

26. उपरोक्त परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि अभि. सा. 7 का उसकी मुख्य परीक्षा में पूर्ववर्ती प्रकथन कि प्रेम नाथ पाठक की हत्या कर दी गई थी, वह घटनास्थल पर गई और प्रेम नाथ पाठक को देखा जिसकी नाभि पर क्षति थी और अभियुक्त मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक घटनास्थल पर हाथ में देशी पिस्तौल लिए हुए खड़ा था और मोटरसाइकिल जिसको अभियुक्त कृष्ण कांत शर्मा चला रहा था, पर सवार होकर भाग गया था, पूर्णतया असत्य हैं । जब अभि. सा. 7 ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि अभियुक्त मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक अभियुक्त लल्लन पाठक और अभियुक्त कृष्ण कांत शर्मा घटनास्थल पर अन्य लोगों और प्रेम नाथ पाठक की पत्नी और पुत्र के साथ उपस्थित थे और यहां तक कि लल्लन पाठक और मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक ने उक्त मृतक को अस्पताल

भेजे जाने के प्रयोजनार्थ ट्रेक्टर पर लादे जाने में मदद की थी ।

27. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार-विमर्श के आधार पर जो बात प्रकट होती है, यह है कि अभि. सा. 7 ने अपीलार्थियों के विरुद्ध कोई फंसाने वाला साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है ; फिर भी घटनास्थल पर सभी अभियुक्तों की उपस्थिति को स्वीकारने वाला उसका साक्ष्य हमलावरों के रूप में उनकी संलिप्तता को अपवर्जित करता है और यह भी दर्शित करता है कि लल्लन पाठक और मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक ने क्षतिग्रस्त प्रेमनाथ पाठक को अस्पताल ले जाए जाने के प्रयोजनार्थ सहायता की थी ।

28. अब हमें अभिलेख पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य की पृष्ठभूमि में अभि. सा. 4 (उक्त मृतक की विधवा) के साक्ष्य पर विचार करना चाहिए । उसका कथन यह है कि घटना के दिन उसका पति अपराह्न 2.30 बजे भुना हुआ मांस खरीदने के लिए मेहसी बाजार गया था, वह अपने घर की छत पर थी जहां श्रमिक कार्य कर रहे थे और उसका पुत्र अमित कुमार पाठक (अभि. सा. 9) घर पर था, उसने अपने घर की पूर्वी दिशा से गोली चलाए जाने की आवाज सुनी, वह गोली चलाए जाने के स्थल पर गई और उसका पुत्र भी उसके साथ गया ।

29. जिस बात का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है, यह है कि अभि. सा. 4 के साक्ष्य पर विचार करते हैं जो यह है कि उसने मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक को उसके पति पर गोली चलाते हुए देखा था और उसके पति के पेट में गोली मारते हुए देखा था और उसने और उसके बेटे ने उसका पीछा किया था, किंतु वे भाग गए और अभियुक्त लल्लन पाठक ने कहा था कि वह एक गोली और चलाएगा और जब लल्लन पाठक अपने घर की ओर भागा तो अन्य दोनों अभियुक्तों अर्थात् अभियुक्त मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक और अभियुक्त कृष्ण कांत शर्मा एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गए और उसके पति ने उसको बताया कि उसको चुतुलवा ने गोली मारी है और यह कथन करने के पश्चात् वह बेहोश हो गया और यद्यपि वे उसके पति को चिकित्सक के पास ले गए थे, किंतु उसको मृत पाया गया था ।

30. अब जो बात अत्यधिक सुसंगत है, यह है कि अभि. सा. 4 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि जब उसने गोली चलाए जाने की आवाज सुनी तो वह अपने घर की छत पर थी और घटना का स्थान छत

से दिखाई दे रहा था । उसने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह छत के मध्य भाग में खड़ी थी जब पहली गोली दागे जाने की आवाज सुनाई पड़ी थी । जिस बात का उल्लेख किया जाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, यह है कि उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस बात को स्वीकार किया है कि वह घटनास्थल पर छत से सीमेंट द्वारा निर्मित सीढ़ियां उतरकर गई थी और तब उसने दूसरी गोली दागे जाने की आवाज सुनी । वास्तव में उसने शपथपूर्वक कथन किया है कि उसने तीन गोलियां दागे जाने की आवाजें सुनी थी, किंतु तीसरी गोली उसकी उपस्थिति में दागी गई थी ।

31. जब हम इस बात का विनिर्धारण किए जाने के प्रयोजनार्थ अभि. सा. 4 के साक्ष्य का सूक्ष्मतापूर्वक परीक्षण करते हैं कि उसके साक्ष्य का अवलंब किस सीमा तक लिया जाए, तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है उसने स्वीकार किया है कि उसकी उपस्थिति में तीसरी गोली दागे जाने के पूर्व दो गोलियां पहले ही दागी जा चुकी थीं और उसके पति द्वारा दो क्षतियां पहले ही बरदाश्त की जा चुकी थीं । तार्किक रूप से विचार किए जाने पर इसका यह अर्थ होगा कि उसका यह साक्ष्य कि उसने गोली दागे जाने की घटना घर की छत से देखी थी, पूर्णतया असत्य है चूंकि आगे उसकी प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया है कि उसके पति पर तीसरी और अंतिम गोली दागे जाते हुए उसके द्वारा देखे जाने के पूर्व दो गोलियां पहले ही दागी जा चुकी थीं ।

32. उपरोक्त परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि अभि. सा. 4 के साक्ष्य को निर्विवाद मानते हुए उसका अवलंब नहीं लिया जा सकता । इसके अलावा उसका साक्ष्य उसके पुत्र (अभि. सा. 4) के साक्ष्य और अभि. सा. 7 के साक्ष्य द्वारा मिथ्या हो जाता है ।

33. अभि. सा. 7 ने उपरोक्त के साथ संयोजित होते हुए प्रकथन किया कि उसका पति दूसरी गोली की क्षति बरदाश्त करते समय मूर्छित नहीं हुआ था और उसकी मृत्यु उसके कुछ समय पश्चात् हुई थी ।

34. उपरोक्त धारणा कि अभि. सा. 4 पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं किया जा सकता, को बल मिलता है जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि घटना भूमि विवाद के कारण हुई थी, फिर भी उसने अपनी मुख्य परीक्षा में दावा किया है कि लल्लन पाठक के साथ उसके पति के संबंध घटना के पहले तक अच्छे थे । वह अपनी प्रतिपरीक्षा के पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर अपने साक्ष्य से मुकर गई और दावा किया कि घटना के घटित होने के

लगभग एक वर्ष पूर्व से एक भूमि विवाद चल रहा था ।

35. जहां तक अभि. सा. 1 का संबंध है, वह शव-परीक्षा रिपोर्ट का मात्र साक्षी है जिसको प्रदर्श-1 के रूप में साबित किया गया है ।

36. जहां तक अभि. सा. 3 का संबंध है, उसने शपथपूर्वक मात्र यह कथन किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तत्कालीन भारसाधक अधिकारी सुदर्शन द्वारा तैयार की गई थी जिसको प्रदर्श-2 के रूप में साबित किया गया है ।

37. जहां तक अभि. सा. 2, अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 का संबंध है, उन्होंने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है चूंकि उन्होंने घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने से इनकार किया है ।

38. उपरोक्त चर्चा से जो बात प्रकट होती है, यह है कि अभियोजन का पक्षकथन अभि. सा. 4 जो मृतक की विधवा है, के एकमात्र परिसाक्ष्य पर आधारित है । इस तथ्य के अलावा कि उसका साक्ष्य परस्पर विरोधी है, जिसका उल्लेख हमने ऊपर पहले ही किया है, जिस बात का उल्लेख किया जाना सर्वाधिक महत्व का है, यह है कि उसके साक्ष्य का समर्थन न तो उसके पुत्र (अभि. सा. 9), जो इस मामले का इत्तिलाकर्ता है, द्वारा किया गया है और न ही अभि. सा. 7 को सम्मिलित करते हुए किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा । चूंकि अभि. सा. 7 का साक्ष्य भी दर्शित करता है, जैसाकि ऊपर पहले ही विचार-विमर्श किया गया है, वर्तमान अपीलार्थियों में से कोई भी हमलावर नहीं था ।

39. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 294 स्वीकृत दस्तावेज के सुबूत का अवलंब लिए जाने से छूट प्रदान करता है । **केहर सिंह और अन्य** बनाम **राज्य (दिल्ली प्रशासन)**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्टतः अभिनिर्धारित किया है कि जब मृत्यु के कारण पर विवाद नहीं होता, तो किसी विशिष्ट मामले के तथ्यों पर आधारित मरणोत्तर परीक्षा का कोई महत्व नहीं होता और मरणोत्तर परीक्षा केवल उन मामलों में महत्वपूर्ण होती है जहां मृत्यु का कारण साबित किया जाना होता है या उस पर विवाद होता है । इस बाबत सुसंगत मताभिव्यक्ति **केहर सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले के पैराग्राफ 3 में की गई है, जो इस प्रकार है :–

---

[1] (1988) 3 एस. सी. सी. 609 = ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 1883.

"यह स्पष्ट है कि मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो साक्ष्य पर आधारित है, मरणोत्तर परीक्षा का प्रश्न या यह प्रश्न कि क्या विस्तृत मरणोत्तर परीक्षा आवश्यक थी या नहीं, महत्वहीन हो जाता है । इसमें कोई विवाद नहीं है कि उनकी (श्रीमती इंदिरा गांधी की) मृत्यु गोलियां दागे जाने के कारण कारित क्षतियों, जो बेअंत सिंह और सतवंत सिंह द्वारा जिसमें से एक ने अपनी सेवा रिवाल्वर से और दूसरे ने कारबाईन से गोलियां दागी थीं, पहुंचाई गई थी, के कारण हुई थी । मृत्यु के कारण के बाबत ऐसे स्पष्ट साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मरणोत्तर परीक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता । यह केवल उन मामलों में महत्वपूर्ण होता है जहां मृत्यु का कारण साबित किया जाना होता है और जो विवाद का विषय होता है ।"

40. विद्वान् विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 294 के उपबंधों का आश्रय लेते हुए प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने के आधार पर मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट को अभिलेख पर लिया है । अतः मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श-3) अविवादित है ।

41. इसके अतिरिक्त, यह तथ्य है कि प्रेम नाथ पाठक की मृत्यु एक अग्न्यायुध के प्रयोग द्वारा गोली दागे जाने के द्वारा कारित की गई थी और इसलिए वर्तमान मामले के विचारण के दौरान मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट को स्वीकृत दस्तावेज के रूप में प्रतीत किए जाने में कोई बाधा नहीं थी । मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट दर्शित करती है कि उक्त मृतक पर पिस्तौल द्वारा गोलियां दागे जाने के कारण निम्नलिखित क्षतियां कारित हुई थीं क्षतियों के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई :–

(i) उदर में (नाभि के दाई ओर) घाव के छोटे उल्टे मुड़े हुए किनारे मौजूद हैं । त्वचा पर दाह-क्षति का कोई चिह्न नहीं है ।

(ii) श्रेणी फलक की पश्चीय भित्ति में किनारे बड़े और उल्टे हुए हैं ।

(iii) पार्श्व कपालीय भाग में एक छोटा घाव है (कपालास्थि छिद्रत नहीं है और उसमें न ही कोई अस्थिभंग है) । छर्रा लगने का कोई प्रमाण दिखाई नहीं देता । अंतःकपाल शीर्ष में कोई रक्त नहीं है । मस्तिष्क आवरण अविकल है । कपालास्थि में टकराकर कोई छर्रा संभवतः परावर्तित नहीं हुआ है । कपालास्थि से कोई भी छर्रा नहीं टकराया है ।

(iv) उदरीय गुहा पूर्ण रूप से रक्त से भरी हुई है । आंत्रयेजिनी छिद्रित है और कई स्थानों पर विदीर्ण घाव हैं । अंतड़ियों में कोई क्षति नहीं है ।

(v) वक्षीय गुहा के भीतरी अंगों में या मुख्य रक्त वाहिनियों में कोई क्षति नहीं है ।

(vi) अस्थिभंग जैसी कोई क्षति नहीं है ।

42. विचारण के समय मृत्यु के कारण के संबंध में चिकित्सक द्वारा निकाले गए निष्कर्षों और उसकी राय पर कोई विवाद नहीं किया गया । हम भी मृत्यु के कारण के संबंध में चिकित्सक द्वारा निकाले गए निष्कर्षों या उसके द्वारा दी गई राय में अंतर्निहिततः कुछ भी असंभाव्य या गलत नहीं पाते । इन परिस्थितियों में हमको यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि प्रेम नाथ पाठक की मृत्यु उस पर गोलियां दागे जाने के कारण हुई थी ।

43. ऊपरवर्णित परिस्थितियों में हमारे द्वारा यह विनिर्धारित किया जाना अपेक्षित है कि क्या अभियुक्त-अपीलार्थी ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने उक्त मृतक की हत्या की थी ।

44. यह सत्य है कि किसी तथ्य को साबित या नासाबित करने के लिए किसी विशिष्ट संख्या के साक्षी अपेक्षित नहीं होते और किसी एक साक्षी के परिसाक्ष्य पर न्यायालय द्वारा पूर्णरूपेण विश्वास किया जा सकता है और ऐसे साक्षी के एकल परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है ।

45. जैसाकि ऊपर पहले ही उपदर्शित किया गया है, हमारे समक्ष उपस्थित मामले में अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि अभि. सा. 4 के एकल परिसाक्ष्य पर आधारित है, जैसाकि हमने पहले ही ऊपर बताया है और जिसका समर्थन उसके पुत्र (अभि. सा. 9) द्वारा भी नहीं किया गया है जो इस मामले का इत्तिलाकर्ता है और स्वतंत्र साक्षी जैसेकि अभि. सा. 7 द्वारा भी नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त उसका अपना साक्ष्य भी असंगत, असंबद्ध और विरोधाभासी है ।

46. ऊपरदर्शित परिस्थितियों में अभि. सा. 4 जो पूरी तरह से अविश्वसनीय है को साक्षी नहीं माना जा सकता । इसलिए उसके परिसाक्ष्य को अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता ।

अभि. सा. 4 अधिक से अधिक उन साक्षियों की कोटि में आ सकता है जो न तो पूर्णतया विश्वसनीय है और न ही पूर्णतया अविश्वसनीय ।

47. यह सत्य है कि साक्षी सामान्यतः तीन भिन्न कोटियों के अंतर्गत आते हैं अर्थात् (i) पूर्णतया विश्वसनीय, (ii) पूर्णतया अविश्वसनीय, और (iii) न तो पूर्णतया विश्वसनीय है और न ही पूर्णतया अविश्वसनीय । यदि साक्षी पूर्णतया विश्वसनीय है, तो उसके साक्ष्य का निर्विवाद मानते हुए अवलंब लिया जा सकता है और ऐसे साक्षी का परिसाक्ष्य अभियुक्त की दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है । इसी प्रकार से, जब किसी साक्षी को पूर्णतया अविश्वसनीय पाया जाता है तो उसके साक्ष्य का अवलंब बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता और उसके साक्ष्य को तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए । फिर भी जब किसी साक्षी को न तो पूर्णतया विश्वसनीय पाया जाता है और न ही पूर्णतया अविश्वसनीय, तो उसके साक्ष्य को सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके साक्ष्य का समर्थन किसी विश्वसनीय स्वतंत्र साक्ष्य प्रत्यक्ष या पारिस्थितिक द्वारा नहीं कर दिया जाता ।

48. प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का साक्ष्य, जिसको अभियोजन ने वर्तमान मामले में प्रस्तुत किया है, का निश्चित रूप से अवलंब नहीं लिया जा सकता जब तक कि उसका समर्थन किसी विश्वसनीय स्वतंत्र या पारिस्थितिक साक्ष्य द्वारा नहीं किया जाता ।

49. यह विधि की निरापद स्थिति है कि किसी एक अस्थिर साक्षी के बारे में यह प्रतीत नहीं किया जा सकता कि उसने किसी अन्य अस्थिर साक्षी के साक्ष्य का समर्थन किया है अर्थात् एक ही प्रकार के साक्षियों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया है । अतः जब कोई साक्षी न तो पूर्णतया विश्वसनीय होता है और न ही पूर्णतया अविश्वसनीय, तो यह नहीं माना जा सकता कि उसके साक्ष्य का समर्थन उसी साक्षी के प्रकार के अन्य साक्षी द्वारा किया गया है अर्थात् कोई ऐसा साक्षी जो न तो पूर्णतया विश्वसनीय है और न ही पूर्णतया अविश्वसनीय चूंकि साक्ष्य की गणना नहीं की जाती बल्कि उसका वजन देखा जाता है । विचारण के परिणाम का विनिर्धारण साक्षियों की संख्या के आधार पर नहीं होता बल्कि साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य की सारगर्भित असत्यता या सत्यता के आधार पर होता है जो विचारण के परिणाम का निर्णय करता है । यदि बड़ी संख्या में साक्षियों में से प्रत्येक पूर्णतया अविश्वसनीय पाया जाता है, तो उनका साक्ष्य मात्र इस कारणवश अस्वीकार किए जाने योग्य नहीं

होगा कि बड़ी संख्या में एक ही प्रकार के साक्षियों ने एक दूसरे के साथ सहयोग किया है ।

50. विधि की उपरोक्त स्थिति के संबंध में **मुतुवा पुत्र बंदा और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले को निर्दिष्ट किया जा सकता है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मताभिव्यक्ति की :–

> "यह प्राथमिक बात है कि किसी अस्थिर साक्षी का साक्ष्य मात्र इस कारणवश विश्वसनीय नहीं हो जाता क्योंकि उसका सहयोग उसी की प्रकृति के साक्षियों द्वारा किया गया है ; साक्ष्य का वजन देखा जाता है उसकी गणना नहीं की जाती । चूंकि अभि. सा. 5 और 6 का साक्ष्य भी उसी निःशक्कता से ग्रसित है जिससे श्रीमती जुगतिया का साक्ष्य था, यह नहीं कहा जा सकता कि विचारण न्यायालय के पास उसको अविश्वसनीय के रूप में किसी भी प्रकार से निंदित करने के लिए कोई आधार नहीं था ।"
>
> (अधोरेखांकन मेरे द्वारा किया गया ।)

51. उपरोक्त परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि मात्र इस कारणवश कि कुछ व्यक्तियों ने स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का दावा करते हुए घटना का वर्णन किया है और साक्ष्य दिया है, उनके साक्ष्य को उनको सत्यवादी साक्षी अभिनिर्धारित करने के प्रयोजनार्थ आधार नहीं बनाया जा सकता जब उनका साक्ष्य असंगत, परस्पर विरोधी और एक दूसरे के साक्ष्य को झूठा साबित करने वाला है, विशेष रूप से जब उनका साक्ष्य विश्वसनीय स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा पुष्ट करने वाला पाया गया है ।

52. साक्ष्य, जो अभिलेख पर उपलब्ध है, की प्रकृति के कारण विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा जो न्यूनतम किया जा सकता है, अभियुक्तों को युक्तियुक्त संदेह का लाभ प्रदान करना है चूंकि हमारा स्पष्ट विचार है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य जिसकी हमने चर्चा ऊपर की है, के प्रकाश में यह अत्यधिक हानिकारक है कि किसी अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जा सके, विशेष रूप से जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य अर्धसत्य का मिश्रण है और यह न केवल कठिन है बल्कि पूर्णतया असंभव भी है कि सत्य को असत्यता से

---

[1] ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 989.

अलग किया जा सके । इस प्रकार की स्थिति का लाभ अभियुक्त-अपीलार्थी को प्रदान किया जाना चाहिए था ।

53. जिन बातों पर ऊपर चर्चा की जा चुकी है की पृष्ठभूमि में हमारा दृढ़तापूर्वक मत है कि वर्तमान मामले में अभियोजन अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे आरोपों को साबित कर पाने में विफल रहा है और अभियुक्त-अपीलार्थी को संदेह का लाभ मिलना चाहिए था ।

54. जिन बातों पर ऊपर चर्चा की गई है, के कारण ये अपीलें स्वीकार किए जाने योग्य हैं ।

55. उपरोक्त कारणोंवश और परिणामस्वरूप हम इन अपीलों को स्वीकार करते हैं । अभियुक्त-अपीलार्थियों की आक्षेपित दोषसिद्धि और अपीलाधीन निर्णय और आदेश द्वारा उनके विरुद्ध पारित दंडादेश एतद्द्वारा अपास्त किए जाते हैं । अभियुक्त-अपीलार्थियों को उन अपराधों के बाबत निर्दोष अभिनिर्धारित किया जाता है जिसके लिए उनकी दोषसिद्धि की गई थी और उनको तदनुसार संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है ।

56. अभियुक्त-अपीलार्थी अर्थात् मुकेश पाठक **उर्फ** चुतुल पाठक को उन्मुक्त किया जाए यदि उसको किसी अन्य मामले के संबंध में निरोध में रखा जाना अपेक्षित न हो ।

57. जहां तक अभियुक्त-अपीलार्थी लल्लन पाठक और कृष्ण कांत शर्मा का संबंध है, वे पहले से जमानत पर हैं । अभियुक्त-अपीलार्थी लल्लन पाठक और कृष्ण कांत शर्मा के जमानत बंधपत्र एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं और उनके प्रतिभुओं को उन्मोचित किया जाता है ।

58. रजिस्ट्री इस निर्णय और आदेश की एक प्रति विद्वान् विचारण न्यायालय को निचले न्यायालयों के अभिलेख के साथ तुरंत भेजें ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

शु.

हाओब जेनीकाटर सिंह

बनाम

जिला मजिस्ट्रेट, इम्फाल

तारीख 28 जुलाई, 2014

मुख्य न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत महापात्रा और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 (1980 का 65) – धारा 3(2) – निवारक निरोध – यदि याची को अधिनियम के अधीन लोक व्यवस्था के प्रतिकूल कार्य करने से प्रवरित किए जाने के प्रयोजनार्थ अभिरक्षा में लिया गया है और उसने जमानत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया तो जिला मजिस्ट्रेट को इस बाबत कोई आशंका नहीं हो सकती कि याची को मात्र इस कारणवश जमानत पर निर्मुक्त कर दिया जाएगा कि समान प्रकृति के मामलों में अन्य अभियुक्तों को जमानत प्रदान कर दी गई है ।

संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि पश्चिमी इम्फाल के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तारीख 6 जनवरी, 2014 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए यह रिट याचिका फाइल की गई है जिसके द्वारा याची को 1980 के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के उपबंधों के अधीन निवारक निरोध में रखे जाने के लिए निदेशित किया गया था । निरोध के आधारों से यह प्रतीत होता है कि याची को तारीख 23 दिसंबर, 2013 को उसके घर से गिरफ्तार किया गया था और उससे कुछ बरामदगियां भी की गई थीं । उसी दिन उसे पुलिस थाना लामफेल के भारसाधक अधिकारी को लिखित रिपोर्ट और अभिगृहीत वस्तुओं के साथ सौंप दिया गया था । रिपोर्ट के आधार पर उसके विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । याची को अन्वेषण के दौरान एक अन्य प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के संबंध में पुनः गिरफ्तार किया गया और उसको तारीख 6 जनवरी, 2014 तक के लिए पुलिस अभिरक्षा में प्रतिप्रेक्षित कर दिया गया । तारीख 6 जनवरी, 2014 को, जब याची पुलिस अभिरक्षा में था, तो निवारक निरोध का आक्षेपित आदेश पारित किया गया । याची द्वारा एकमात्र दलील दी गई कि उसने उपरोक्त मामलों के संबंध में गिरफ्तार किए जाने और अभिरक्षा में लिए जाने के पश्चात् उसने जमानत प्रदान किए जाने के लिए कोई आवेदन फाइल नहीं किया और तद्नुसार जिला मजिस्ट्रेट के मस्तिष्क में ऐसी कोई आशंका नहीं हो सकती थी कि याची को जमानत पर

निर्मुक्त किया जा सकता है और वह जमानत पर निर्मुक्त किए जाने के पश्चात् पुनः समान क्रियाकलापों में संलिप्त हो जाएगा । इसलिए याची की ओर से लंबित किसी जमानत आवेदन की अनुपस्थिति में निरोधादेश में निरोध प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित विषयपरक समाधान आधारहीन है निरोधादेश को अविधिमान्य बना देता है । राज्य सरकार ने निरोधादेश के समर्थन में खंडन शपथपत्र फाइल किया है जिसमें यह अभिकथित किया गया है कि याची के. सी. पी. (लेमिन बा खुमान) का खतरनाक सदस्य है और उसने विभिन्न क्रियाकलाप कारित किए हैं जो लोक व्यवस्था के प्रतिकूल है । उपरोक्त बातों पर विचार करते हुए निरोधादेश पारित किया गया था और इस आदेश में कोई अवैधता नहीं है । रिट याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – हमारा यह विचार है कि याची की ओर से किसी जमानत आवेदन जो दांडिक मामले, जिसमें उसको पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया दांडिक मामले में जमानत पर निर्मुक्त किए जाने के प्रयोजनार्थ न्यायालय के समक्ष लंबित है, की अनुपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट के मस्तिष्क में इस बाबत कोई आशंका नहीं हो सकती कि याची को मात्र इस कारणवश जमानत पर निर्मुक्त कर दिया जाएगा कि समान प्रकृति के मामलों में कुछ अभियुक्तों को पहले निर्मुक्त कर दिया गया था । इसलिए हमारा आगे यह विचार है कि याची की ओर से किसी जमानत आवेदन, जो न्यायालय के समक्ष विचारणार्थ लंबित है, की अनुपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निरोधादेश अविधिमान्य हो जाता है । (पैरा 6)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2013] 2013 की रिट याचिका (दांडिक) संख्या 30 : **मोहम्मद युमरवाइबम बसीर** बनाम **जिला मजिस्ट्रेट, थोऊबल जिला और दो अन्य** ; 5

[2013] 2013 की रिट याचिका (दांडिक) संख्या 27. : **एन. रोबी सिंह** बनाम **जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिमी इम्फाल और दो अन्य** ; 5

[2011] (2011) 5 एस. सी. सी. 244 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. (सप्ली.) 856 : **रेखा** बनाम **तमिलनाडु राज्य** । 5

रिट (दांडिक) अधिकारिता : 2014 की दांडिक रिट याचिका सं. 16.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से श्री एस. राजीतचन्द्रा

प्रत्यर्थी की ओर से श्री ए. वासूम (सरकारी अधिवक्ता)

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत महापात्रा ने दिया ।

मु. न्या. महापात्रा – यह रिट याचिका पश्चिमी इम्फाल के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तारीख 6 जनवरी, 2014 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई जिसके द्वारा याची को 1980 के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के उपबंधों के अधीन निवारक निरोध में रखे जाने के लिए निदेशित किया गया था । निरोध के आधारों से यह प्रतीत होता है कि याची को तारीख 23 दिसंबर, 2013 को उसके घर से गिरफ्तार किया गया था और उससे कुछ बरामदगियां भी की गई थीं । उसी दिन उसे पुलिस थाना लामफेल के भारसाधक अधिकारी को लिखित रिपोर्ट और अभिगृहीत वस्तुओं के साथ सौंप दिया गया था । रिपोर्ट के आधार पर उसके विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 260(12)13 एल. पी. एस. द्वारा एक मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया था । याची को अन्वेषण के दौरान प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 255(12)13 एल. पी. एस. पुनः गिरफ्तार किया गया और उसको तारीख 6 जनवरी, 2014 तक के लिए पुलिस अभिरक्षा में प्रतिप्रेक्षित कर दिया गया । तारीख 6 जनवरी, 2014 को, जब याची पुलिस अभिरक्षा में था, निरोध का आक्षेपित आदेश पारित किया गया ।

2. याची द्वारा दी गई एकमात्र दलील यह है कि उसने उपरोक्त मामले के संबंध में गिरफ्तार किए जाने और अभिरक्षा में लिए जाने के पश्चात् जमानत प्रदान किए जाने के लिए कोई आवेदन फाइल नहीं किया और तद्नुसार जिला मजिस्ट्रेट के मस्तिष्क में ऐसी कोई आशंका नहीं हो सकती थी कि याची को जमानत पर निर्मुक्त किया जा सकता है और वह जमानत पर निर्मुक्त किए जाने के पश्चात् पुनः समान क्रियाकलापों में संलिप्त हो जाएगा । इसलिए याची की ओर से लंबित किसी जमानत आवेदन की अनुपस्थिति में निरोधादेश में निरोध प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित विषयपरक समाधान आधारहीन है निरोधादेश को अविधिमान्य बना देता है ।

3. राज्य सरकार ने निरोधादेश के समर्थन में खंडन शपथपत्र फाइल किया है जिसमें यह अभिकथित किया गया है कि याची के. सी. पी.

(लेमिन बा खुमान) का खतरनाक सदस्य है और उसने विभिन्न क्रियाकलाप कारित किए हैं जो लोक व्यवस्था के प्रतिकूल है । उपरोक्त बातों पर विचार करते हुए निरोधादेश पारित किया गया था और इस आदेश में कोई अवैधता नहीं है ।

4. न्यायालय के समक्ष विचारणार्थ एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या याची की ओर से उस मामले के जिसके लिए उसको अभिरक्षा में लिया गया, के संबंध में जमानत पर निर्मुक्त किए जाने के प्रयोजनार्थ जमानत-आवेदन की अनुपस्थिति में निरोधादेश पारित किया जा सकता था या नहीं । इस संबंध में विधि सुस्थापित है कि जिला मजिस्ट्रेट से 1980 के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अधीन निरोधादेश पारित करते समय यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपना विषयपरक समाधान अभिलिखित करे । संपूर्ण निरोधादेश नीचे उद्धृत किया गया है :–

"जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय
जिला तामेंगलांग
मणिपुर

आदेश

इम्फाल, 6 जनवरी, 2014

संख्या दांडिक/रा.सु.का./संख्या 2 सन 2013 : चूंकि तारीख 4 जनवरी, 2014 के पत्र संख्या 22/विशेष सेल/2014(01) द्वारा मेरे समक्ष एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि लेंगोल लामखाई, निकट शिजा अस्पताल थाना लामफेल, जिला पश्चिमी इम्फाल, मणिपुर के हाओब जेनीकाटर सिंह (35) पुत्र एच. गोकुल चंद सिंह लोक व्यवस्था के प्रतिकूल कार्य कर रहा है ;

और मैं के. राधाकुमार सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, जिला पश्चिमी इम्फाल, मणिपुर इस बाबत संतुष्ट हूं कि उसके क्रियाकलाप 1980 के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा 3(2) के अधीन लोक व्यवस्था के प्रतिकूल हैं ;

और यह आवश्यक समझा जाता है कि हाओब जेनीकाटर सिंह (35) पुत्र एच. गोकुलचंद सिंह, निवासी लेंगोल लामखाई, निकट शिजा अस्पताल, थाना लामफेल, जिला पश्चिमी इम्फाल, मणिपुर को उसको लोक व्यवस्था के प्रतिकूल किसी भी रीति में कार्य करने से

प्रवरित किए जाने के प्रयोजनार्थ निरुद्ध किया जाए ;

और मैं पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से इस बाबत सहमत हूं कि हाओब जेनीकाटर सिंह (35), पुत्र एच. गोकुलचंद सिंह, निवासी लेंगोल लामखाई, निकट शिजा अस्पताल, थाना लामफेल, जिला पश्चिमी इम्फाल, मणिपुर, जो अब पुलिस हिरासत में है, के सामान्य दांडिक न्यायालय द्वारा निकट भविष्य में जमानत पर निर्मुक्त किए जाने की संभाव्यता है क्योंकि इसी प्रकार के अन्य मामले में दांडिक न्यायालय द्वारा जमानतें प्रदान कर दी गई हैं ;

इसलिए, मैं, के. राधाकुमार सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिमी इम्फाल, मणिपुर, 1980 के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की उपधारा (3) सपठित गृह विभाग के आदेश संख्या 17(1)/49/80-एच.(पी.I) तारीख 12.11.2013 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश यह निदेशित करते हुए पारित करता हूं कि उपरवर्णित व्यक्ति, जो अब पुलिस अभिरक्षा में है, को 1980 के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा 3(2) के अधीन निरुद्ध किया जाए ।

यह आदेश आज तारीख 6 जनवरी, 2014 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित और न्यायालय की मुहर के अधीन जारी किया गया ।

हस्ताक्षर (के. राधाकुमार सिंह)

जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिमी इम्फाल ।"

5. निरोधादेश के चौथे पैराग्राफ से यह प्रतीत होता है कि जिला मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से इस बाबत सहमत था कि याची, जिसको गिरफ्तार किया गया और पुलिस अभिरक्षा में था, के दांडिक न्यायालय द्वारा निकट भविष्य में जमानत पर निर्मुक्त किए जाने की संभाव्यता है, क्योंकि इस प्रकृति के अन्य मामलों में दांडिक न्यायालयों द्वारा जमानतें प्रदान कर दी गई हैं । निरोधादेश या निरोध के आधारों या राज्य द्वारा फाइल किए गए खंडन शपथपत्र में कहीं पर भी यह अभिकथित नहीं किया गया है कि जिस दिन निरोधादेश पारित किया गया, याची की ओर से कोई जमानत आवेदन न्यायालय के विचारणार्थ लंबित था । इसलिए याची के अभिरक्षा में बने रहने और किसी भी जमानत आवेदन की अनुपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निरोधादेश पारित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

इस संबंध में **रेखा** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चय को निर्दिष्ट किया जा सकता है । उक्त निर्णय के दो सुसंगत पैराग्राफ नीचे उद्धृत किए गए हैं :–

> "26. यूनियन आफ इंडिया **बनाम** पाल मणिकम (ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 4622) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि निरोध प्राधिकारी को इस तथ्य की जानकारी है कि कैदी अभिरक्षा में है और निरोध प्राधिकारी तर्कपूर्ण सामग्री के आधार पर युक्तिसंगत रूप से इस बाबत संतुष्ट है कि उसकी निर्मुक्ति की संभाव्यता है और उसके पूर्ववर्ती क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त हो जाने से प्रवरित किए जाने के प्रयोजनार्थ उसको निरुद्ध किया जाना आवश्यक है, तो निरोधादेश विधिमान्य रूप से पारित किया जाना चाहिए ।
>
> 27. हमारे विचार में कोई व्यक्ति, जो पहले से अभिरक्षा में है के जमानत पर निर्मुक्त किए जाने की वास्तविक संभाव्यता है बशर्ते उसने जमानत आवेदन प्रस्तुत कर दिया है जो लंबित हो । इसका तर्कपूर्ण अर्थ यह निकलता है कि यदि कोई जमानत आवेदन लंबित नहीं है तो अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के जमानत पर निर्मुक्त किए जाने की कोई संभाव्यता नहीं होती और इसलिए निरोधादेश अवैध होगा । फिर भी इस नियम के अपवाद हो सकते हैं, अर्थात् जहां किसी सह-अभियुक्त, जिसका मामला भी समान तथ्यों पर आधारित है, को जमानत प्रदान कर दी गई है । ऐसे मामलों में निरोध प्राधिकारी युक्तियुक्त रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि कैदी के जमानत पर निर्मुक्त किए जाने की संभाव्यता है यद्यपि उसका कोई जमानत आवेदन लंबित नहीं है, चूंकि अधिकांश न्यायालय इस आधार पर सामान्यतया जमानत प्रदान कर देते हैं । तथापि, ऐसे अभिकथित समान मामलों के विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए अन्यथा प्राधिकारी के अस्पष्ट कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता ।"

इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय का अनुसरण अनेक मामलों में किया गया है जैसे कि **एन. रोबी सिंह** बनाम **जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिमी इम्फाल**

---

[1] (2011) 5 एस. सी. सी. 244 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. (सप्ली.) 856.

और दो अन्य[1], **मोहम्मद युमरवाइबम बसीर** बनाम **जिला मजिस्ट्रेट, थोऊबल जिला और दो अन्य**[2] वाले मामले ।

6. हमारा यह विचार है कि याची की ओर से किसी जमानत आवेदन जो दांडिक मामले, जिसमें उसको पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया दांडिक मामले में जमानत पर निर्मुक्त किए जाने के प्रयोजनार्थ न्यायालय के समक्ष लंबित है, की अनुपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट के मस्तिष्क में इस बाबत कोई आशंका नहीं हो सकती कि याची को मात्र इस कारणवश जमानत पर निर्मुक्त कर दिया जाएगा कि समान प्रकृति के मामलों में कुछ अभियुक्तों को पहले निर्मुक्त कर दिया गया था । इसलिए हमारा आगे यह विचार है कि याची की ओर से किसी जमानत आवेदन, जो न्यायालय के समक्ष विचारणार्थ लंबित है, की अनुपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निरोधादेश अविधिमान्य हो जाता है ।

7. ऊपरवर्णित कारणोंवश हम इस रिट आवेदन को मंजूर करते हैं, तारीख 6 जनवरी, 2014 के निरोधादेश (संलग्नक-ए/1) और तारीख 16 जनवरी, 2014 के अनुमोदन आदेश (संलग्नक-ए/6) को अपास्त करते हैं और निदेशित करते हैं कि याची अर्थात् हाओबम जेनीकाटर सिंह को तुरंत निर्मुक्त कर दिया जाए यदि उसका निरोध किसी अन्य मामले में अपेक्षित न हो । लागत के बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा ।

रिट याचिका मंजूर की गई ।

शु.

---

[1] 2013 की रिट याचिका (दांडिक) संख्या 27.

[2] 2013 की रिट याचिका (दांडिक) संख्या 30.

लायक राम

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 18 जनू, 2014

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 20 – चरस की बरामदगी – यदि अन्वेषक अधिकारी द्वारा चरस की बरामदगी के समय साक्षियों की उपलब्धता के बावजूद उन्हें स्वतंत्र साक्षियों के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है और सहबद्ध किए गए साक्षियों में से अधिकांश पक्षद्रोही हो जाते हैं तो अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषमुक्ति उचित है ।

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 20 – जहां चरस के नमूने के साथ भेजे गए एनसीबी प्ररूप को प्रतिस्थापित किया जाना प्रकट है तथा एनसीबी प्ररूप की अन्तर्वस्तु घटनास्थल पर नहीं भरी गई तो ऐसे दस्तावेज की प्रमाणिकता साबित नहीं होती – अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है ।

अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 10 अगस्त, 2006 को हेड कांस्टेबल राम लाल के साथ एल. एच. सी. किशोरी लाल और एल. सी. राकेश कुमार, नया बस स्टैंड, सुंदर नगर पर मौजूद थे । लगभग 4.30 बजे अपराह्न उन्होंने अभियुक्त को पोलीथीन बैग हाथ में पकड़े हुए बस स्टैंड के गेट की ओर भागते हुए देखा और उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया । पूछताछ करने पर हेड कांस्टेबल राम लाल ने अभियुक्त से पोलीथीन थैला प्रदर्श पी-2 बरामद किया और उसकी जांच पड़ताल करने पर 2 अन्य पोलीथीन थैले प्रदर्श पी-3 और पी-4 पाए गए थे जिनमें छड़ों के आकार की चरस प्रदर्श पी-5 पाई गई थीं । चरस को तौला गया था और भार में 1 किलो 870 ग्राम पाया गया था । बरामद की गई चरस में से 25 ग्राम के अलग-अलग दो नमूने लिए गए और शेष चरस को पृथक् पार्सल में रख दिया गया तथा उस पर "आर" मोहर की छाप लगाई गई थी । हेड कांस्टेबल राम लाल ने एनसीबी प्ररूप को भरा था । वाद सम्पत्ति

को कब्जे में लिया गया था और बरामदगी ज्ञापन तैयार किया गया था । हेड कांस्टेबल राम लाल द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था । हेड कांस्टेबल राम लाल ने पुलिस थाना, सुंदर नगर एलएससी के मार्फत रुक्का भेजा था जहां अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी । हेड कांस्टेबल राम लाल द्वारा मामले का अन्वेषण किया गया था जिन्होंने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया और साक्षियों के कथन भी अभिलिखित किए । अपराध का अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् जिसे अभियुक्त द्वारा किया जाना अभिकथित है, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के अधीन चालान अभियुक्त के विरुद्ध फाइल किया गया था । अभियुक्त ने आरोप पर दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन ने अपने पक्षकथन के सबूत में कुल मिलाकर 14 साक्षियों की परीक्षा की । अभियोजन साक्ष्य को समाप्त करने के पश्चात् न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन लेखबद्ध किया था जिसमें उसने निर्दोष होने का दावा किया और मिथ्या फंसाए जाने का दावा किया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन कार्यवाहियों की समाप्ति पर अभियुक्त को प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया, तथापि, उसने प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया । परिणामस्वरूप, विद्वान् लोक अभियोजक तथा विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल को सुनने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपने समक्ष रखी गई सामग्री के बल पर अभियुक्त को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । अभियुक्त-अपीलार्थी ने अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह बल दिया है कि सम्पूर्ण अभियोजन पक्षकथन अभिलेख पर साक्ष्य में भिन्नता की वजह से खंडित है इसलिए, दोषसिद्धि के निष्कर्ष से सारभूत रूप से न्याय की अपहानि हुई है । अतः, विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल ने यह दलील दी कि अभियुक्त के विरुद्ध दिए गए दोषसिद्धि के निष्कर्ष को इस न्यायालय द्वारा आरक्षित किया गया होगा । (पैरा 20)

दूसरी ओर, विद्वान् उप-महाधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष यह दलील दी है कि अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध अभिलिखित दोषसिद्धि का

निष्कर्ष परिपक्वता के आधार पर है और अभिलेख पर प्रकट साक्ष्य के मूल्यांकन पर उसे संतुलित किया गया है और हस्तक्षेप करने की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है । (पैरा 21)

शासकीय साक्षियों के परिसाक्ष्य की जैसाकि इसमें ऊपर चर्चा की गई, एक-दूसरे से मिलान होता है और उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को अभियुक्त अपीलार्थी के सचेत होने तथा विनिषिद्ध माल को अनन्य कब्जे में रखने की सम्पुष्टि होती है । तथापि, शासकीय साक्षियों के परिसाक्ष्य किसी स्वतंत्र साक्षी के परिसाक्ष्य से असम्पुष्ट रहा है । एकमात्र स्वतंत्र साक्षी हंसराज जिसे अन्वेषक अधिकारी द्वारा तलाशी अभिग्रहण और बरामदगी के संबंध में सम्मिलित किया गया था, उसे अभियोजन पक्ष द्वारा छोड़ दिया गया और इस प्रक्रम पर वह पक्षद्रोही हो गया । यद्यपि, स्वतंत्र साक्षियों की असंबद्धता अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं है, तथापि, इस बात को महत्व दिए जाने की उपधारणा की जाती है कि जब अन्वेषक अधिकारी द्वारा साक्षियों की उपलब्धता के बावजूद विनिषिद्ध माल की तलाशी अभिग्रहण और बरामदगी से संबंधित कार्यवाहियों में स्वतंत्र साक्षियों को सम्मिलित नहीं किया गया । उनकी सहबद्धता होनी चाहिए थी जब सम्पूर्ण कार्यवाहियों में उनकी अत्यधिक भागीदारी और हितबद्धता थी । वर्तमान मामले में जैसाकि अभि. सा. 1, 2 और 3 द्वारा यह अभिसाक्ष्य दिया गया कि 100 से 150 व्यक्तियों की भीड़ थी और घटनास्थल पर लोग उपलब्ध थे जब विनिषिद्ध माल की तलाशी और अभिग्रहण की बरामदगी से संबंधित कार्यवाहियां प्रारंभ की गई थीं और उनका समापन किया गया था तथापि, हंसराज के अलावा कोई भी व्यक्ति जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा त्यक्त कर दिया गया था पुलिस द्वारा तलाशी अभिग्रहण और बरामदगी से संबंधित कार्यवाहियों में पुलिस द्वारा सहबद्ध नहीं किया गया था । घटना के स्थल पर साक्षियों की अच्छी-खासी संख्या वर्णित की गई है परंतु अन्वेषक अधिकारी ने केवल साक्षी के रूप में हंसराज नामक व्यक्ति को सहबद्ध करना चुना और उसे भी त्यक्त कर दिया गया । अन्वेषक अधिकारी का यह कर्तव्य था कि घटना के स्थल पर उपलब्ध अत्यधिक साक्षियों को मामले में वर्णित करना और उनका रखा जाना चाहिए था परंतु साक्षियों में से एक से अधिक को सहबद्ध नहीं किया गया जिससे कार्यवाहियों में तलाशी अभिग्रहण और बरामदगी से संबंधित सहबद्ध साक्षी पक्षद्रोही घोषित हो गए या इसलिए उन्होंने अभियोजन पक्षकथन को नुकसान पहुंचाया क्योंकि वे पक्षद्रोही घोषित हो गए थे । तथापि, अन्वेषक अधिकारी ने

सावधानी को प्रकट करने की अनदेखी की । उसका किसी सावधानी को बरतने में लोप करने पर उसकी यह विफलता प्रकट होती है कि एकमात्र स्वतंत्र साक्षी यद्यपि मामले में संलिप्त हुआ था जिससे अभियुक्त द्वारा उसको अपनी तरफ कर लेने से अभियोजन पक्षकथन को क्षति पहुंचने की पूरी संभावना थी । अन्वेषक अधिकारी की यह असावधानी रही कि उसने अन्य स्वतंत्र साक्षियों को सम्मिलित नहीं किया जो आसानी से सहबद्ध किए जा सकते थे और जिनसे अभियोजन पक्षकथन को सहायता मिलती और जिससे पक्षकथन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । साक्षियों को सम्मिलित न करने तथा स्वतंत्र साक्षियों को असंबद्ध करने का प्रभाव यद्यपि जो उस सुसंगत समय पर उपलब्ध थे वह भी अत्यधिक संख्या में जिस पर इस न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक है । कुल मिलाकर अभियोजन पक्षकथन द्वारा दिया गया वृत्तांत अविश्वसनीय है । अभिलेख पर यह साक्ष्य जो अभियोजन पक्षकथन पर विभेद प्रकट करते हैं जिससे उसका पक्षकथन अविश्वसनीय बन गया है । (क) "अभि. सा. 5 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वाद संपत्ति को प्रारंभिक रूप से सीटीएल, कंडाघाट में विश्लेषण के लिए भेजा गया था । तथापि, सीटीएल, कंडाघाट के पदधारियों द्वारा इस अनुरोध के साथ मौखिक रूप से उसे वापस कर दिया गया कि पार्सल सीएफएसएल, चंडीगढ़ भेजा जाना चाहिए यद्यपि इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस कांस्टेबल, सुरेश कुमार जिसे सीटीएल, कंडाघाट पार्सल ले जाने थे उसने उन्हें वापस कर दिया और वापसी पर उसके पास पार्सल जमा कर दिया जिस पर उसने प्रासंगिक मालखाना रजिस्टर पर प्रविष्टि की । फिर भी उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उक्त रजिस्टर उसे न्यायालय में नहीं दिखाया गया है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसके द्वारा लाया गया मालखाना रजिस्टर में कांस्टेबल, सुरेश कुमार द्वारा सीटीएल, कंडाघाट से उनसे वापस लिए गए नमूने के पार्सल को जमा करने के बारे में प्रविष्टि नहीं है । परिणामस्वरूप, जब इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि जब कांस्टेबल सुरेश कुमार ने सीटीएल, कंडाघाट को विश्लेषण के लिए भेजे गए पार्सलों को मोहरबंद कर वापस लौटा दिया तब उसने उन्हें मालखाने में जमा कर दिया और उसने प्रासंगिक रजिस्टर में प्रविष्टि की थी तो भी न्यायालय में उसे रजिस्टर दिखाया गया, तो उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसमें कोई प्रासंगिक प्रविष्टि जमा करने के बारे में विद्यमान नहीं है । परिणामस्वरूप, अभियोजन पक्ष पर इस बात के लिए कोई बाध्यता या दुर्वह कर्तव्य थोपा गया था कि अभि. सा. 5 द्वारा जमा की गई प्रविष्टि प्रकट

करने के लिए प्रासंगिक रजिस्टर को पेश करे या रजिस्टर से यह तथ्य प्रकट होता है जैसाकि अभि. सा. 5 द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है कि कांस्टेबल, सुरेश कुमार के वापस आने पर वाद संपत्ति उसे सौंपी गई थी और उसने उन्हें मालखाने रजिस्टर में जमा किया गया था । ऐसा अभियोजन पक्ष की ओर से लोप करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि सीटीएल, कंडाघाट से वाद सम्पत्ति वापस होने पर कांस्टेबल, सुरेश कुमार के पास उसे जमा करने के बारे में तथ्य अभि. सा. 5 का मौखिक परिसाक्ष्य है, पार्सल उसके माध्यम से सीटीएल, कंडाघाट भेजे गए थे । प्रासंगिक रजिस्टर को पेश करने के बारे में उत्तम साक्ष्य के अभाव में वह बात अविश्वसनीय हो जाती । इसके अतिरिक्त, यह निष्कर्ष जो संयुक्त रूप से यह बात प्रकट होती है कि नमूना पार्सल जैसाकि पुलिस पदधारी की मार्फत सीएफएसएल, चंडीगढ़ को भेजे गए थे पुलिस मालखाना से पुनः प्राप्त नहीं हुए जैसाकि समान रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि कुछ अन्य पार्सलों में से एक पार्सल जो घटना के स्थान पर अभियुक्त के सचेत और अनन्य कब्जे से अन्य बरामद हुआ था और जिसे पहले ही सीटीएल, कंडाघाट भेजा गया था उन्हें तत्पश्चात् विश्लेषण और परीक्षा के लिए चंडीगढ़ नहीं भेजा गया था । अतः, सीएफएसएल, चंडीगढ़ को भेजे गए पार्सलों पर व्यक्त की गई राय से यह निष्कर्ष निकलता है कि अपराध को किए जाने में अभियुक्त संबंधित नहीं होता है और यह कोई अन्य पार्सल रहा होगा । पूर्वोक्त इन निष्कर्षों से यह प्रकट होता है जो इस तथ्य से प्रकट है कि पार्सलों के साथ एनसीबी प्ररूप जो रासायनिक परीक्षा के लिए सीएफएसएल, चंडीगढ़ भेजे गए थे उनमें 8 स्तंभ थे जहां पर मानक एनसीबी प्ररूप 12 अपेक्षित थे यह प्रकट हुआ है कि इसलिए एनसीबी प्ररूप के स्तंभों की कमी जो पार्सलों के साथ भेजे गए थे अभियुक्त के अनन्य सचेत कब्जे से तात्पर्यित रूप से बरामद हुए थे । इस तथ्य को उजागर किया गया है कि वह केवल एक नहीं था जिन्हें अन्वेषक अधिकारी द्वारा घटनास्थल पर भरा गया था । यह भी प्रकट हुआ है कि एनसीबी प्ररूपों को प्रारंभ में सीटीएल, कंडाघाट को पार्सलों की अंतर्वस्तु के साथ परीक्षा के लिए भेजा गया था और उन्हें अन्य एनसीबी प्ररूप द्वारा बदला जाना हो सकता है जैसाकि सीएफएसएल, चंडीगढ़ को परीक्षा के लिए पार्सल भेजा जाना प्रकट है । परिणामस्वरूप परीक्षा के लिए भेजे गए पार्सलों के साथ एनसीबी प्ररूप या सीएफएसएल, चंडीगढ़ द्वारा दी गई राय की अभिव्यक्ति से यह निष्कर्ष निकलता है कि एनसीबी प्ररूप को प्रतिस्थापित किया जाना प्रकट है जिसमें जिनकी अंतर्वस्तु को घटनास्थल

पर नहीं भरा गया बल्कि तत्पश्चात् इसकी अंतर्वस्तु को भरा गया था । इसलिए, यह प्रकट हुआ है कि यह पूरी तरह से निर्मित या षड्यंत्र करके बनाया गया दस्तावेज है जिनका इस न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई अवलंब नहीं लिया जा सकता । अपराध के साथ अभियुक्त को संबंधित करने में प्रमाणक योग्यता का साक्ष्य क्योंकि घटनास्थल पर तथा तलाशी अभिग्रहण और बरामदगी के संबंध में कार्यवाही के संबंध में इसे तैयार किया गया था ।" (पैरा 22)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2008 की दांडिक अपील सं. 223.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री एल. एस. मेहता, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री पी. एम. नेगी, उप-महाधिवक्ता साथ में रमेश ठाकुर, सहायक महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर ने दिया ।

न्या. ठाकुर – यह अपील 2006 के सेशन विचारण सं. 14 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश-II), मंडी द्वारा तारीख 31 मार्च, 2008 को दिए गए निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए 10 वर्ष का कठोर कारावास भोगने और 1 लाख रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर उसे 6 मास का कठोर कारावास भोगने के लिए सिद्धदोष और दंडादिष्ट किया गया ।

2. अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 10 अगस्त, 2006 को हेड कांस्टेबल राम लाल के साथ एल. एच. सी. किशोरी लाल और एल. सी. राकेश कुमार, नया बस स्टैंड, सुंदर नगर पर मौजूद था । लगभग 4.30 बजे अपराह्न उन्होंने अभियुक्त को पोलीथीन बैग हाथ में पकड़े हुए बस स्टैंड के गेट की ओर भागते हुए देखा और उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया । पूछताछ करने पर हेड कांस्टेबल राम लाल ने अभियुक्त से पोलीथीन थैला प्रदर्श पी-2 बरामद किया और उसकी जांच पड़ताल करने पर 2 अन्य पोलीथीन थैले प्रदर्श पी-3 और पी-4 पाए गए थे जिनमें छड़ों के आकार की चरस प्रदर्श पी-5 पाई गई थीं । चरस को तौला गया

था और भार में 1 किलो 870 ग्राम पाई गई थीं । बरामद की गई चरस में से 25 ग्राम के अलग-अलग दो नमूने लिए गए और शेष चरस को पृथक् पार्सल में रख दिया गया तथा उस पर "आर" मोहर की छाप लगाई गई थी । हेड कांस्टेबल राम लाल ने एनसीबी प्ररूप को भरा था । वाद सम्पत्ति को कब्जे में लिया गया था और बरामदगी ज्ञापन तैयार किया गया था । हेड कांस्टेबल राम लाल द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था । हेड कांस्टेबल राम लाल ने पुलिस थाना, सुंदर नगर एलएससी के मार्फत रुक्का भेजा था जहां अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी । हेड कांस्टेबल राम लाल द्वारा मामले का अन्वेषण किया गया था जिन्होंने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया और साक्षियों के कथन भी अभिलिखित किए ।

3. अपराध का अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् जिसे अभियुक्त द्वारा किया जाना अभिकथित है, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के अधीन चालान अभियुक्त के विरुद्ध फाइल किया गया था ।

4. अभियुक्त ने आरोप पर दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

5. अभियोजन ने अपने पक्षकथन के सबूत में कुल मिलाकर 14 साक्षियों की परीक्षा की । अभियोजन साक्ष्य को समाप्त करने के पश्चात् न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन लेखबद्ध किया था जिसमें उसने निर्दोष होने का दावा किया और मिथ्या फंसाए जाने का दावा किया ।

6. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन कार्यवाहियों की समाप्ति पर अभियुक्त को प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया, तथापि, उसने प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया ।

7. परिणामस्वरूप, विद्वान् लोक अभियोजक तथा विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल को सुनने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपने समक्ष रखी गई सामग्री के बल पर अभियुक्त को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया ।

8. प्रथम साक्षी अभि. सा. 1 श्री मनोहर लाल जिसे साक्षी कठघरे में पेश किया गया अभियोजन पक्षकथन के सबूत के रूप है । उसने यह

अभिसाक्ष्य दिया कि वह पुलिस थाना, सुंदर नगर पर तैनात था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 10 अगस्त, 2006 को वह बस स्टैंड सुंदर नगर में ड्यूटी पर था । पूर्वोक्त तारीख को लगभग 4.30 बजे अपराह्न एक व्यक्ति जिसकी अभियुक्त के रूप में पहचान की गई जो न्यायालय में मौजूद है, उसका उसके द्वारा पीछा किया गया था और अभियुक्त अपने हाथ में पोलीथीन थैले को पकड़े हुए बस स्टैंड के अंदर की ओर भागा । उस समय एक दुकानदार भी पुलिस के साथ था । पूछताछ करने पर अभियुक्त ने अपना नाम लायक राम **उर्फ** लक्की बताया था । अभियुक्त से बरामद किए गए पोलीथीन थैले की जांच पड़ताल करने पर उसमें छड़ों के आकार की चरस पाई गई थी जो पोलीथीन थैले के अंदर एक अन्य थैले में रखी गई थी । अभियुक्त द्वारा लाए गए पोलीथीन थैला हरे रंग का था । उसको तौला गया था तथा बरामद की गई चरस का भार 1 किलो 870 ग्राम पाया गया था । तत्पश्चात् बरामद की गई चरस से अलग-अलग 25 ग्राम के दो नमूने लिए गए थे, बरामद की गई चरस में से नमूनों को रखा गया और फोर स्कवायर सिगरेट पैकेटों में अलग-अलग उन्हें मोहरबंद किया गया । सिगरेट पैकेट को एक कपड़े के अलग-अलग टुकड़े में रखकर मोहरबंद किया गया था । तथापि, उसने मोहर छाप के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की । शेष चरस को अन्य पार्सल में पृथक् रूप से मोहरबंद किया गया था । उसके पश्चात् अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था । संगत दस्तावेज लिखे गए थे और साक्षियों द्वारा उन पर हस्ताक्षर किए गए थे । दस्तावेजों पर अभियुक्त तथा साक्षियों द्वारा भी हस्ताक्षर किया जाना कहा गया है । तलाशी और अभिग्रहण प्ररूप प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क पर उसके हस्ताक्षर किए जाने का अभिसाक्ष्य दिया गया है । मोहरबंद पार्सल प्रदर्श पी-1 को घटनास्थल पर मोहरबंद किए जाने का अभिसाक्ष्य दिया गया है । हंसराज को घटनास्थल का साक्षी होना बताया गया है । प्रदर्श पी-1 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर कराए जाने का भी अभिसाक्ष्य दिया गया है । पोलीथीन पैकेट जिसे अभियुक्त से बरामद किया गया था उस पर प्रदर्श पी-2 अंकित किया गया और एक अन्य थैला जिसे प्रदर्श पी-4 से दर्शित किए जाने का अभिसाक्ष्य दिया गया है । चरस को प्रदर्श पी-5 से दर्शित किया गया है । नमूने को पार्सल प्रदर्श पी-6 में मोहरबंद किए जाने का अभिसाक्ष्य दिया गया है । नमूने चरस का एक भाग को पार्सल प्रदर्श पी-7 में मोहरबंद किए जाने का अभिसाक्ष्य दिया गया है और उस पर उसके हस्ताक्षर करवाए गए । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल

द्वारा उसे दिए गए सुझावों को स्वीकार किया है कि कई व्यक्ति बस स्टैंड के अंदर खड़े थे । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसे और हंसराज को छोड़कर पुलिस ने किसी अन्य व्यक्ति को सहबद्ध करने की कोई कार्यवाही नहीं की जो तलाशी अभिग्रहण और बरामदगी से संबंधित कार्यावाही में सम्मिलित थे ।

9. अभि. सा. 2 एल. एच. सी. राकेश कुमार ने अभि. सा. 1 के परिसाक्ष्य की भी सम्पुष्टि की । उसने अभि. सा. 1 के अभिसाक्ष्य की सम्पुष्टि करने का अभिसाक्ष्य दिया है । उसने अभि. सा. 1 की भांति अपनी प्रतिपरीक्षा में भी विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा उसे दिए गए सुझाव को स्वीकार किया है कि बस स्टैंड पर लगभग 100 से 150 व्यक्ति थे । इसके अतिरिक्त उसने अभि. सा. 1 के परिसाक्ष्य की भी सम्पुष्टि की है कि हंसराज और मनोहर लाल को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को अन्वेषक अधिकारी द्वारा तलाशी अभिग्रहण और बरामदगी से संबंधित कार्यवाहियों में सहबद्ध नहीं किया था ।

10. इसी भांति अभि. सा. 3 कांस्टेबल किशोरी लाल ने पूर्ववर्ती साक्षियों के परिसाक्ष्य की सम्पुष्टि की है । उसने इस तथ्य के बारे में अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्य की सम्पुष्टि की है कि उस सुसंगत समय पर बस स्टैंड में 100 से 150 व्यक्ति मौजूद थे । यद्यपि उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अन्वेषक अधिकारी ने बस स्टैंड में मौजूद अन्य व्यक्तियों से यह अनुरोध किया था कि वे साक्षी के रूप में सम्मिलित हों फिर भी उसने इस अभिसाक्ष्य को मिटा दिया कि अन्वेषक अधिकारी द्वारा ऐसा अनुरोध किए जाने पर भी उन्होंने विनिषिद्ध माल की तलाशी अभिग्रहण और बरामदगी से संबंधित कार्यवाहियों में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया इसलिए, उन्हें उद्धृत नहीं किया गया था ।

11. नरेश कुमार (अभि. सा. 4) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 10 अगस्त 2006 को कांस्टेबल किशोरी लाल उसकी दुकान पर पहुंचा और उसकी दुकान से इलेक्ट्रोनिक्स स्केल लिया और आधे घंटे के पश्चात् उसने उसे इलेक्ट्रोनिक स्केल वापस कर दिया ।

12. हेड कांस्टेबल रामेश्वर दास (अभि. सा. 5) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 10 अगस्त, 2006 को कांस्टेबल राकेश कुमार पुलिस थाना सुंदर नगर पर रुक्का लाया जिसके आधार पर उसके द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क रजिस्ट्रीकृत की गई और उस पर

उसके हस्ताक्षर करवाए गए । उसने प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/ख पर अपना पृष्ठांकन भी किया है । उसी दिन थाना गृह अधिकारी एन. के. शर्मा ने तीन मोहरबंद पार्सल उसके पास जमा किए और जिनमें एनसीबी प्ररूप में तीन प्रतियों पर "एन" और "आर" छाप लगाई गई तथा तारीख 14 अगस्त, 2006 को उसने कांस्टेबल सुरेश कुमार के मार्फत नमूना आरसी सं. 78/2006 का एक पार्सल रसायन परीक्षक, कंडाघाट के पास भेजा । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि एनसीबी प्ररूप, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति तथा नमूने के साथ डाकेट रसायन परीक्षक के पास भी भेजे थे । रसायन परीक्षक सीटीएल, कंडाघाट द्वारा नमूना प्राप्त नहीं किया गया था और कांस्टेबल सुरेश कुमार नमूना और अन्य वस्तुओं के पार्सल को वापस ले आया और उसे उसके पास जमा कर दिया जिस पर तब उसने मालखाने में उन्हें जमा किया । वाद सम्पत्ति जब तक उसके पास अभिरक्षा में रही तब उसने पार्सल पर लगी मोहर से छेड़छाड़ नहीं की । उसने वाद सम्पत्ति को मालखाना रजिस्टर क्रम सं. 1157/2006 में प्रविष्टि की थी जिसकी प्रति प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/ग है जिसके बारे में सही होने का अभिसाक्ष्य दिया गया है और उसके द्वारा लाए गए न्यायालय में मूल रजिस्टर के अनुसार प्रकट है । आरसी प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/घ की प्रति मूल अभिलेख के अनुसार सही होने का अभिसाक्ष्य दिया गया । विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया गया कि मालखाना रजिस्टर उसे न्यायालय में दिखाया गया जो पश्चात्वर्ती रजिस्टर है जिस पर वाद सम्पत्ति को प्रारंभिक रूप से जमा करने और पूर्ववर्ती रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि की गई है जिसके बारे में उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि न्यायालय में उसे उसको नहीं दिखाया गया । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि मौखिक संसूचना के साथ सीटीए, कंडाघाट द्वारा नमूने को वापस भेजा गया था कि नमूने को सीएफएसएल, चंडीगढ़ भेजा जाना चाहिए । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि कांस्टेबल सुरेश कुमार सीटीएल, कंडाघाट से वापस आने के पश्चात् नमूने के पार्सल को उसके पास जमा कर दिया । उसने मालखाना रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि की थी । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उक्त रजिस्टर उसे न्यायालय में नहीं दिखाया गया । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि मालखाना रजिस्टर जिसे उसके द्वारा न्यायालय में लाया गया था, उस पर कांस्टेबल सुरेश कुमार द्वारा नमूना पार्सल को जमा करने के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं की गई ।

13. कांस्टेबल सुरेश कुमार (अभि. सा. 8) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि

तारीख 14 अगस्त, 2006 को एमएचसी रामेश्वर दास ने उसे एक नमूना पार्सल एनसीबी प्ररूप पर विनिर्दिष्ट मोहर की छाप "आर" और "एन" प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति अभिग्रहण ज्ञापन आरसी सं. 78/2006 सीटीएल, कंडाघाट जमा करने के लिए सौंपी गई थी । वह पूर्वोक्त वस्तुओं को सीटीएल, कंडाघाट ले गया और सीटीएल, कंडाघाट के पदाधिकारियों ने मौखिक रूप से उसे यह बताया कि नमूने को सीएफएसएल, चंडीगढ़ विश्लेषण के लिए भेज दिया गया है । वह पूर्वोक्त वाद सम्पत्ति को वापस लाया और उसे एमएचसी रामेश्वर दास के पास जमा कर दिया । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि जब तक वाद सम्पत्ति उसके पास रही उस पर हेर-फेर नहीं की गई थी ।

14. हेड कांस्टेबल विनोद कुमार (अभि. सा. 9)ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 11 अगस्त, 2006 को श्री एम. चन्द्रशेखर, एसपी, मंडी ने उसे इस अनुदेश के साथ विशेष रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/क सौंप दी कि विशेष रिपोर्ट रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करें । कार्यालय में रखे गए रजिस्टर के क्रम सं. 23 पर रिपोर्ट की प्रविष्टि की गई । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि वह आज मूल रजिस्टर लाया है । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि एसपी ने सर्किल "बी" में पृष्ठांकन किया है जो उसके हस्ताक्षरों से मेल खाता है ।

15. उप पुलिस अधीक्षक नरेश कुमार (अभि. सा. 10) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 10 अगस्त, 2006 को हेड कांस्टेबल राम लाल ने उसे इस मामले की वाद सम्पत्ति अर्थात् 2 नमूने जिन पर "आर" नमूने की छाप लगाई गई थी, एनसीबी प्ररूप पर "आर" मोहर की छाप से 1/3 पार्सल को भी मोहरबंद किया गया था । फाइल के साथ विनिर्दिष्ट मोहर की छाप "आर" उसे सौंपी गई थी और अभियुक्त उसके साथ था । उसने अपनी स्वयं की मोहर से 3 पार्सलों को पुनः मोहरबंद किया जिन पर छाप "एन" लगाई गई थी और एनसीबी प्ररूपों पर मोहर की छाप "एन" जो उभरी हुई थी जिसमें प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/क भी समाविष्ट है । उसने कपड़ा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/क के टुकड़े पर विनिर्दिष्ट मोहर की छाप "एन" को लगाया था और इसके पश्चात् उसने वाद सम्पत्ति एनसीबी प्ररूप, विनिर्दिष्ट मोहर की छाप "आर" और "एन" पुलिस थाने के एमएचसी के पास जमा कर दी थी । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् चालान तैयार किया गया था और न्यायालय के समक्ष उसे प्रस्तुत किया गया था । उसने पार्सल प्रदर्श पी-8 में वाद

सम्पत्ति को पुनः मोहरबंद किया जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं । नमूने वाला एक पार्सल जिसे उसके द्वारा पार्सल पी-9 में पुनः मोहरबंद किया गया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/क में अपनी रिपोर्ट का भी उल्लेख किया था कि अन्वेषक अधिकारी द्वारा उसके पास एनसीबी प्ररूप और विनिर्दिष्ट मोहर का नमूना जमा किया गया था । उसने विनिर्दिष्ट रूप से सील मोहर के बारे में प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/क नहीं लिखा है । उसने वाद सम्पत्ति को पुनः मोहरबंद किया । विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा किए जाने पर उसने नमूने के पार्सल के बारे में अनभिज्ञता प्रकट की जिसे रसायन परीक्षक सीटीएल, कंडाघाट द्वारा वापस लिया गया ।

16. अभि. सा. 11 हेड कांस्टेबल ललित कुमार ने अभि. सा. 1 के अभिसाक्ष्य की सम्पुष्टि की है । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 11 अगस्त, 2006 को थाना गृह अधिकारी नरेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक, मंडी के कार्यालय में विशेष रिपोर्ट को जमा करने के लिए उसे सौंपा गया था वह न्यायालय में उसे लाया है ।

17. हेड कांस्टेबल राम लाल (अभि. सा. 12) ने अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्यों की भी सम्पुष्टि की है । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने केस फाइल, वाद सम्पत्ति, एनसीबी प्ररूप, विनिर्दिष्ट मोहर की छाप "आर" तथा अभियुक्त को भी थाना भारसाधक अधिकारी नरेश कुमार को सौंपा था तथा वाद सम्पत्ति को पुनः मोहरबंद किया गया और उस पर आगे अन्वेषण किया गया । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने पार्सल प्रदर्श पी-1 में पोलीथीन थैले के साथ 1 किलो 820 ग्राम बाकी चरस को मोहरबंद किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर तथा साक्षी मनोहर लाल और हंसराज के हस्ताक्षर करवाए गए थे ।

18. अभि. सा. 13 उप-निरीक्षक सुभाष चंद, पुलिस थाना, नहान ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने मामले का भागतः अन्वेषण किया था ।

19. अभि. सा. 14 निरीक्षक दिलशाद मोहम्मद ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 19 जनवरी, 2007 को उप-निरीक्षक प्रेमदास ने इस चालान के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 330/2006 के रसायन विश्लेषण की रिपोर्ट को भी अनजाने में संलग्न किया था । इसके पश्चात् उसने विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, मंडी के समक्ष इस अनुरोध के साथ आवेदन को प्रस्तुत किया था कि इस मामले से संबंधित रसायन परीक्षक की रिपोर्ट को

वापस कर दिया जाए जिसे मंजूर कर दिया गया और विद्वान् सेशन न्यायाधीश मंडी ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 310/2006 मामले के रसायन परीक्षक की रिपोर्ट वापस कर दी और तब उसने सीएफएसएल, चंडीगढ़ से इस मामले की एनसीबी प्ररूप को प्राप्त किया और पूरक चालान तैयार किया तथा न्यायालय के समक्ष उसे पेश किया । रसायन परीक्षक की रिपोर्ट प्रदर्श पी. एक्स. है और एनसीबी प्ररूप प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/क है । उसने प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया कि एनसीबी प्ररूप की प्रतिपूरक चालान के साथ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की क्योंकि यह उस समय उपलब्ध नहीं थी । उसे तारीख का भी स्मरण नहीं है जब रसायन परीक्षक सीएफएसएल, चंडीगढ़ की रिपोर्ट पुलिस थाने में प्राप्त की गई थी । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसने एक कांस्टेबल को सीएफएसएल, चंडीगढ़ से एनसीबी प्ररूप प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/क को एकत्रित करने के लिए भेजा तथापि, उसे इस बात की भी अनभिज्ञता है कि किस तारीख को कांस्टेबल को एनसीबी प्ररूप एकत्रित करने के लिए भेजा था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि यह भी असत्य है कि एनसीबी प्ररूप बाद में तैयार की गई थी और उसे सीएफएसएल, चंडीगढ़ पर नहीं भेजा गया था । उसने एनसीबी प्ररूप के बारे में सीएफएसएल, चंडीगढ़ को लिखा था । उसने इस तथ्य के बारे में भी अनभिज्ञता प्रकट की है कि क्या रसायन परीक्षक ने अपने अग्रसरित पत्र के साथ एनसीबी प्ररूप भेजा था ।

20. अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह बल दिया है कि सम्पूर्ण अभियोजन पक्षकथन अभिलेख पर साक्ष्य में भिन्नता की वजह से खंडित है इसलिए, दोषसिद्धि के निष्कर्ष से सारभूत रूप से न्याय की अपहानि हुई है । अतः, विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल ने यह दलील दी कि अभियुक्त के विरुद्ध दिए गए दोषसिद्धि के निष्कर्ष को इस न्यायालय द्वारा आरक्षित किया गया होगा ।

21. दूसरी ओर, विद्वान् उप-महाधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष यह दलील दी है कि अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध अभिलिखित दोषसिद्धि का निष्कर्ष परिपक्वता के आधार पर है और अभिलेख पर प्रकट साक्ष्य के मूल्यांकन पर उसे संतुलित किया गया है और हस्तक्षेप करने की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है ।

22. शासकीय साक्षियों के परिसाक्ष्य की जैसाकि इसमें ऊपर चर्चा की गई, एक-दूसरे से मिलान होता है और उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को अभियुक्त-

अपीलार्थी के सचेत होने तथा विनिषिद्ध माल को अनन्य कब्जे में रखने की सम्पुष्टि होती है । तथापि, शासकीय साक्षियों के परिसाक्ष्य किसी स्वतंत्र साक्षी के परिसाक्ष्य से असम्पुष्ट रहा है । एकमात्र स्वतंत्र साक्षी हंसराज जिसे अन्वेषक अधिकारी द्वारा तलाशी अभिग्रहण और बरामदगी के संबंध में सम्मिलित किया गया था, उसे अभियोजन पक्ष द्वारा छोड़ दिया गया और इस प्रक्रम पर वह पक्षद्रोही हो गया । यद्यपि, स्वतंत्र साक्षियों की असंबद्धता अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं है, तथापि, इस बात को महत्व दिए जाने की उपधारणा की जाती है कि जब अन्वेषक अधिकारी द्वारा साक्षियों की उपलब्धता के बावजूद विनिषिद्ध माल की तलाशी अभिग्रहण और बरामदगी से संबंधित कार्यवाहियों में स्वतंत्र साक्षियों को सम्मिलित नहीं किया गया । उनकी सहबद्धता होनी चाहिए थी जब सम्पूर्ण कार्यवाहियों में उनकी अत्यधिक भागीदारी और हितबद्धता थी । वर्तमान मामले में जैसाकि अभि. सा. 1, 2 और 3 द्वारा यह अभिसाक्ष्य दिया गया कि 100 से 150 व्यक्तियों की भीड़ थी और घटनास्थल पर लोग उपलब्ध थे जब विनिषिद्ध माल की तलाशी और अभिग्रहण की बरामदगी से संबंधित कार्यवाहियां प्रारंभ की गई थीं और उनका समापन किया गया था तथापि, हंसराज के अलावा कोई भी व्यक्ति जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा त्यक्त कर दिया गया था पुलिस द्वारा तलाशी अभिग्रहण और बरामदगी से संबंधित कार्यवाहियों में पुलिस द्वारा सहबद्ध नहीं किया गया था । घटना के स्थल पर साक्षियों की अच्छी-खासी संख्या वर्णित की गई है परंतु अन्वेषक अधिकारी ने केवल साक्षी के रूप में हंसराज नामक व्यक्ति को सहबद्ध करना चुना और उसे भी त्यक्त कर दिया गया । अन्वेषक अधिकारी का यह कर्तव्य था कि घटना के स्थल पर उपलब्ध अत्यधिक साक्षियों को मामले में वर्णित करना और उनका रखा जाना चाहिए था परंतु साक्षियों में से एक से अधिक को सहबद्ध नहीं किया गया जिससे कार्यवाहियों में तलाशी अभिग्रहण और बरामदगी से संबंधित सहबद्ध साक्षी पक्षद्रोही घोषित हो गए या इसलिए उन्होंने अभियोजन पक्षकथन को नुकसान पहुंचाया क्योंकि वे पक्षद्रोही घोषित हो गए थे । तथापि, अन्वेषक अधिकारी ने सावधानी को प्रकट करने की अनदेखी की । उसका किसी सावधानी को बरतने में लोप करने पर उसकी यह विफलता प्रकट होती है कि एकमात्र स्वतंत्र साक्षी यद्यपि मामले में संलिप्त हुआ था जिससे अभियुक्त द्वारा उसको अपनी तरफ कर लेने से अभियोजन पक्षकथन को क्षति पहुंचने की पूरी संभावना थी । अन्वेषक अधिकारी की यह असावधानी रही कि उसने

अन्य स्वतंत्र साक्षियों को सम्मिलित नहीं किया जो आसानी से सहबद्ध किए जा सकते थे और जिनसे अभियोजन पक्षकथन को सहायता मिलती और जिससे पक्षकथन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । साक्षियों को सम्मिलित न करने तथा स्वतंत्र साक्षियों को असंबद्ध करने का प्रभाव यद्यपि जो उस सुसंगत समय पर उपलब्ध थे वह भी अत्यधिक संख्या में जिस पर इस न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक है । कुल मिलाकर अभियोजन पक्षकथन द्वारा दिया गया वृत्तांत अविश्वसनीय है । अभिलेख पर यह साक्ष्य जो अभियोजन पक्षकथन पर विभेद प्रकट करते हैं जिससे उसका पक्षकथन अविश्वसनीय बन गया है :–

> "अभि. सा. 5 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वाद संपत्ति को प्रारंभिक रूप से सीटीएल, कंडाघाट में विश्लेषण के लिए भेजा गया था । तथापि, सीटीएल, कंडाघाट के पदधारियों द्वारा इस अनुरोध के साथ मौखिक रूप से उसे वापस कर दिया गया कि पार्सल सीएफएसएल, चंडीगढ़ भेजा जाना चाहिए, यद्यपि इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस कांस्टेबल, सुरेश कुमार जिसे सीटीएल, कंडाघाट पार्सल ले जाने थे उसने उन्हें वापस कर दिया और वापसी पर उसके पास पार्सल जमा कर दिया जिस पर उसने प्रासंगिक मालखाना रजिस्टर पर प्रविष्टि की । फिर भी उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उक्त रजिस्टर उसे न्यायालय में नहीं दिखाया गया है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसके द्वारा लाया गया मालखाना रजिस्टर में कांस्टेबल, सुरेश कुमार द्वारा सीटीएल, कंडाघाट से उनसे वापस लिए गए नमूने के पार्सल को जमा करने के बारे में प्रविष्टि नहीं है । परिणामस्वरूप, जब इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि जब कांस्टेबल सुरेश कुमार ने सीटीएल, कंडाघाट को विश्लेषण के लिए भेजे गए पार्सलों को मोहरबंद कर वापस लौटा दिया तब उसने उन्हें मालखाने में जमा कर दिया और उसने प्रासंगिक रजिस्टर में प्रविष्टि की थी तो भी न्यायालय में उसे रजिस्टर दिखाया गया, तो उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसमें कोई प्रासंगिक प्रविष्टि जमा करने के बारे में विद्यमान नहीं है । परिणामस्वरूप, अभियोजन पक्ष पर इस बात के लिए कोई बाध्यता या दुर्वह कर्तव्य थोपा गया था कि अभि. सा. 5 द्वारा जमा की गई प्रविष्टि प्रकट करने के लिए प्रासंगिक रजिस्टर को पेश करे या

रजिस्टर से यह तथ्य प्रकट होता है जैसाकि अभि. सा. 5 द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है कि कांस्टेबल, सुरेश कुमार के वापस आने पर वाद संपत्ति उसे सौंपी गई थी और उसने उन्हें मालखाने रजिस्टर में जमा किया गया था । ऐसा अभियोजन पक्ष की ओर से लोप करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि सीटीएल, कंडाघाट से वाद सम्पत्ति वापस होने पर कांस्टेबल, सुरेश कुमार के पास उसे जमा करने के बारे में तथ्य अभि. सा. 5 का मौखिक परिसाक्ष्य है, पार्सल उसके माध्यम से सीटीएल, कंडाघाट भेजे गए थे । प्रासंगिक रजिस्टर को पेश करने के बारे में उत्तम साक्ष्य के अभाव में वह बात अविश्वसनीय हो जाती । इसके अतिरिक्त, यह निष्कर्ष जो संयुक्त रूप से यह बात प्रकट होती है कि नमूना पार्सल जैसाकि पुलिस पदधारी की मार्फत सीएफएसएल, चंडीगढ़ को भेजे गए थे पुलिस मालखाना से पुनः प्राप्त नहीं हुए जैसाकि समान रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि कुछ अन्य पार्सलों में से एक पार्सल जो घटना के स्थान पर अभियुक्त के सचेत और अनन्य कब्जे से अन्य बरामद हुआ था और जिसे पहले ही सीटीएल, कंडाघाट भेजा गया था उन्हें तत्पश्चात् विश्लेषण और परीक्षा के लिए चंडीगढ़ नहीं भेजा गया था । अतः, सीएफएसएल, चंडीगढ़ को भेजे गए पार्सलों पर व्यक्त की गई राय से यह निष्कर्ष निकलता है कि अपराध को किए जाने में अभियुक्त संबंधित नहीं होता है और यह कोई अन्य पार्सल रहा होगा । पूर्वोक्त इन निष्कर्षों से यह प्रकट होता है जो इस तथ्य से प्रकट है कि पार्सलों के साथ एनसीबी प्ररूप जो रासायनिक परीक्षा के लिए सीएफएसएल, चंडीगढ़ भेजे गए थे उनमें 8 स्तंभ थे जहां पर मानक एनसीबी प्ररूप 12 अपेक्षित थे यह प्रकट हुआ है कि इसलिए एनसीबी प्ररूप के स्तंभों की कमी जो पार्सलों के साथ भेजे गए थे अभियुक्त के अनन्य सचेत कब्जे से तात्पर्यित रूप से बरामद हुए थे । इस तथ्य को उजागर किया गया है कि वह केवल एक नहीं था जिन्हें अन्वेषक अधिकारी द्वारा घटनास्थल पर भरा गया था । यह भी प्रकट हुआ है कि एनसीबी प्ररूपों को प्रारंभ में सीटीएल, कंडाघाट को पार्सलों की अंतर्वस्तु के साथ परीक्षा के लिए भेजा गया था और उन्हें अन्य एनसीबी प्ररूप द्वारा बदला जाना हो सकता है जैसाकि सीएफएसएल, चंडीगढ़ को परीक्षा के लिए पार्सल भेजा जाना प्रकट है । परिणामस्वरूप परीक्षा के

लिए भेजे गए पार्सलों के साथ एनसीबी प्ररूप या सीएफएसएल, चंडीगढ़ द्वारा दी गई राय की अभिव्यक्ति से यह निष्कर्ष निकलता है कि एनसीबी प्ररूप को प्रतिस्थापित किया जाना प्रकट है जिसमें जिनकी अंतर्वस्तु को घटनास्थल पर नहीं भरा गया बल्कि तत्पश्चात् इसकी अंतर्वस्तु को भरा गया था । इसलिए, यह प्रकट हुआ है कि यह पूरी तरह से निर्मित या षड्यंत्र करके बनाया गया दस्तावेज है जिनका इस न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई अवलंब नहीं लिया जा सकता । अपराध के साथ अभियुक्त को संबंधित करने में प्रमाणक योग्यता का साक्ष्य क्योंकि घटनास्थल पर तथा तलाशी अभिग्रहण और बरामदगी के संबंध में कार्यवाही के संबंध में इसे तैयार किया गया था ।"

23. तद्नुसार, अपील मंजूर की जाती है और विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश II), मंडी, हिमाचल प्रदेश द्वारा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के अधीन तारीख 31 मार्च, 2008 को दिए गए दोषसिद्धि और दंडादेश का निर्णय अपास्त किया जाता है और अभियुक्त को उसके विरुद्ध विरचित आदेशों से दोषमुक्त किया जाता है । यदि कोई जुर्माने की रकम उसके द्वारा जमा की गई है तो उसे वापस किए जाने का आदेश किया जाता है क्योंकि अभियुक्त कारागार में है यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल निर्मुक्त किया जाए ।

24. कार्यालय को यह निदेश दिया जाता है कि अभियुक्त के लिए निर्मुक्ति वारंट तैयार किया जाए और संबंधित कारागार के अधीक्षक को इस निर्णय की अनुरूपता में उसे तत्काल भेजा जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

———————

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

केहर सिंह

तारीख 21 जुलाई, 2014

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 20 – चरस की बरामदगी – यदि अभियोजन पक्ष ने चरस की तलाशी लेते हुए बस के यात्रियों को साक्षियों के रूप में सहबद्ध नहीं किया है तथा अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल हुआ है कि अभियुक्त के अनन्य और सचेत कब्जे से विनिषिद्ध माल की बरामदगी हुई है और स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है तो अभियुक्त दोषमुक्त होने का हकदार है ।

संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 19 फरवरी, 2001 को अभि. सा. 10 सहायक उप-निरीक्षक सुखदर्शन, कांस्टेबल किशोर चन्द्र और अभि. सा. 2 फूल सिंह बाड़ी चौक तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश पर गस्त ड्यूटी पर थे । वे गाड़ियों की जांच कर रहे थे । लगभग 2 बजे पूर्वाह्न एक बस जिसका रजिस्ट्रेशन सं. एच पा 01 1662 मनाली से पहुंची । यह बस दिल्ली को जा रही थी । बस में यात्रा कर रहे यात्रियों की जांच की गई थी । अभियुक्त सीट सं. 28 पर बैठा हुआ था । उसने अपना नाम केहर सिंह बताया । उसके कब्जे में एक थैला पाया गया था । इस थैले की साक्षी, अभि. सा. 1 देव सिंह और अभि. सा. 5 बलबीर सिंह जो बस के ड्राइवर और कंडक्टर थे, उनकी मौजूदगी में जांच की गई थी और उसमें चरस पाया गया था । कांस्टेबल कृष्ण कुमार को चरस की नाप-तौल करने के लिए मशीन लाने के लिए भेजा गया था । चरस का भार लेने पर उसकी मात्रा एक किलोग्राम निकली और चरस के पांच-पांच ग्राम के अलग-अलग दो नमूने तैयार किए गए थे । नमूने माचिस की डिब्बियों में रखे गए थे और "आई" मुहर की छाप द्वारा पार्सलों को अलग-अलग मोहरबंद किया गया था । बाकी चरस को मुहर की छाप "आई" द्वारा अलग-अलग पार्सलों को मोहरबंद किया गया था । मुहर की छाप को कपड़े के टुकड़े में रखा गया था, देखिए

ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क । एनसीबी प्ररूप के साथ चरस के नमूने रासायनिक विश्लेषण के लिए सीएफएल, कंडाघाट भेजा गया था । विशेष रिपोर्ट, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ख को पुलिस अधीक्षक, सोलन के पास भेजा गया था । अन्वेषण पूरा किया गया था और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् विचारण न्यायालय के समक्ष चालान फाइल किया गया था । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में कुल मिलाकर 10 साक्षियों की परीक्षा की । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की परीक्षा की गई थी । उसने अभियोजन के पक्षकथन से इनकार किया और निर्दोष होने का दावा किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 26 जून, 2002 को निर्णय पारित करके अधिनियम की धारा 20 के अधीन अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जैसा कि इसमें ऊपर कहा गया है । इसलिए, यह अपील फाइल की गई । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन पक्षकथन का स्वतंत्र साक्षी अर्थात् अभि. सा. 1 देवी सिंह और अभि. सा. 5 बलबीर सिंह द्वारा समर्थन नहीं किया गया है । अभि. सा. 1 देवी सिंह ने इस सुझाव से इनकार किया है कि चरस अभियुक्त के कब्जे से बरामद की गई थी । उसके अनुसार जब उसने केवल दो कागजातों पर हस्ताक्षर किए जो लिखे हुए थे तथा ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख पहले ही लिखे हुए थे । उसके हस्ताक्षर खाली कागजातों पर ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/घ पर भी लिए गए थे । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि मनाली से बड्डी तक कई स्थानों पर बस की जांच की गई थी । अभि. सा. 5, बलबीर सिंह के अनुसार पुलिस द्वारा बस से एक थैला लाया गया था । तथापि, किसी यात्री ने थैले के स्वामित्व के बारे में दावा नहीं किया । अभियुक्त के कब्जे में कुछ पैसा भी था, संदेह होने पर पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसके हस्ताक्षर खाली कागजातों पर लिए गए थे । वह कभी भी यह नहीं कह सकता है कि थैले से किस वस्तु की बरामदगी हुई थी । उसके अनुसार, अभियुक्त बस के सामने की सीट पर बैठा हुआ था । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि अभियुक्त बस के सीट सं. 28 पर यात्रा कर रहा था । पुलिस द्वारा यात्रियों के कथन अभिलिखित नहीं किए गए थे । अभि. सा. 10 सुखदर्शन, अन्वेषक अधिकारी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/क तैयार किया और उसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण करने के लिए पुलिस थाने पर भेजा । उसने प्रतिपरीक्षा में यह

अभिसाक्ष्य दिया है कि सभी कार्यवाहियां दो घन्टे के अन्दर पूरी कर ली गई थीं । उसके अनुसार केवल एक थैला प्रदर्श पी. 1 की तलाशी ली गई थी । जब थैले की तलाशी ली जा रही थी कुछ यात्री बस से नीचे उतरे हुए थे और कुछ बस में बैठे हुए थे । (पैरा 16)

पुलिस ने चरस की तलाशी और उसके अभिग्रहण करने के समय पर बस में यात्रा कर रहे किसी भी यात्री को सहबद्ध नहीं किया है । अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल हुआ है कि विनिषिद्ध वस्तु अभियुक्त के अनन्य और सचेत कब्जे से पाई गई थी । यह बात भी दोहराई गई है कि स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । हम विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए तार्किक निर्णय पर हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं । (पैरा 17)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2002 की दांडिक अपील सं. 627.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री पी. एम. नेगी, उप महाधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री रमन जमालता, अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने दिया ।

न्या. शर्मा – वर्तमान अपील 2001 के सेशन विचारण सं.16-एस/7 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, सोलन द्वारा तारीख 26 जून, 2002 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अभियुक्त-प्रत्यर्थी (जिसे इसमें इसके पश्चात् सुविधा की दृष्टि से "अभियुक्त" कहा गया है) जिसका स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (इसमें इसके पश्चात् सुविधा की दृष्टि से "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 20 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोपित किया गया था और उसका विचारण किया गया था और उसे दोषमुक्त कर दिया गया ।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 19 फरवरी, 2001 को अभि. सा. 10 सहायक उप-निरीक्षक सुखदर्शन, कांस्टेबल किशोर चन्द्र और अभि. सा. 2 फूल सिंह बड्डी चौक तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश पर गस्त ड्यूटी पर थे । वे गाड़ियों की जांच कर रहे थे । लगभग 2 बजे पूर्वाह्न एक बस जिसका रजिस्ट्रेशन सं. एच पी 01 1662 मनाली से पहुंची । यह बस दिल्ली को जा रही थी । बस में यात्रा कर रहे यात्रियों की जांच की गई थी । अभियुक्त सीट सं. 28

पर बैठा हुआ था । उसने अपना नाम केहर सिंह बताया । उसके कब्जे में एक थैला पाया गया था । इस थैले के साक्षी, अभि. सा. 1 देव सिंह और अभि. सा. 5 बलबीर सिंह जो बस के ड्राइवर और कंडक्टर थे, उनकी मौजूदगी में जांच की गई थी और उसमें चरस पाया गया था । कांस्टेबल कृष्ण कुमार को चरस की नाप-तौल करने के लिए मशीन लाने के लिए भेजा गया था । चरस का भार लेने पर उसकी मात्रा एक किलोग्राम निकली और चरस के पांच-पांच ग्राम के अलग-अलग दो नमूने तैयार किए गए थे । नमूने माचिस कि डिब्बियों में रखे गए थे और "आई" मुहर की छाप द्वारा पार्सलों को अलग-अलग मोहरबंद किया गया था । बाकी चरस को मुहर की छाप "आई" द्वारा अलग-अलग पार्सलों को मोहरबंद किया गया था । मुहर की छाप को कपड़े के टुकड़े में रखा गया था, देखिए ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क । एनसीबी प्ररूप के साथ चरस के नमूने रासायनिक विश्लेषण के लिए सीएफएल, कंडाघाट भेजा गया था । विशेष रिपोर्ट, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ख को पुलिस अधीक्षक, सोलन के पास भेजा गया था । अन्वेषण पूरा किया गया था और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् विचारण न्यायालय के समक्ष चालान फाइल किया गया था ।

3. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में कुल मिलाकर 10 साक्षियों की परीक्षा की । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की परीक्षा की गई थी । उसने अभियोजन के पक्षकथन से इनकार किया और निर्दोष होने का दावा किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 26 जून, 2002 को निर्णय पारित करके अधिनियम की धारा 20 के अधीन अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जैसा कि इसमें ऊपर कहा गया है । इसलिए, यह अपील फाइल की गई ।

4. विद्वान् उप महाधिवक्ता श्री पी. एम. नेगी ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध अपने पक्षकथन को साबित किया है ।

5. विद्वान् अधिवक्ता श्री रमन जमालता ने तारीख 26 जून, 2002 के निर्णय का समर्थन किया है ।

6. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना और आक्षेपित निर्णय और अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है ।

7. अभि. सा. 1 देवी सिंह ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 18 फरवरी, 2001 को वह मनाली से दिल्ली जा रहा था । बस का कंडक्टर

बलबीर सिंह था । लगभग 2 बजे पूर्वाह्न वह बड्डी पर पहुंचा और पुलिस ने वहां पर नाका डाला था । बस की जांच की गई थी । दो व्यक्ति पकड़े गए थे और उनके कब्जे में चरस पाई गई थी । पुलिस पदधारियों द्वारा थैला लाया गया था । केवल एक थैला था वह अभियुक्तों की पहचान नहीं कर सका । उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था । विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जब उसकी प्रतिपरीक्षा की गई तो उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह यह कथन नहीं कर सकता है कि अभियुक्त को पुलिस पदधारियों द्वारा पकड़ा गया था और उसने इस बात से भी इनकार किया कि अभियुक्त के कब्जे से एक किलोग्राम चरस की बरामदगी हुई थी । उसने यह स्वीकार किया कि ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/घ पर उसके हस्ताक्षर थे । जब उसने हस्ताक्षर किए तब केवल दो कागजात लिखे गए थे और ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख पहले ही लिखे हुए थे । उसके हस्ताक्षर ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/घ, जो खाली कागजात थे, उन पर लिए गए थे । अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा उससे की गई प्रतिपरीक्षा पर उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि मनाली से बड्डी के कई स्थानों में बस की जांच की गई थी । जब बस बड्डी पर रोकी गई थी तब सभी यात्रियों को बस से नीचे उतारा गया था । दो व्यक्ति बस की सीट सं. 1 व 2 पर बैठे हुए थे और उन्हें भी बस से नीचे उतारा गया था । जब यात्रियों को बस से नीचे उतारा गया तब दो पुलिस पदधारी बस के अन्दर गए थे और एक काला रंग का थैला लेकर बाहर आए थे । पुलिस पदधारी जिसे बस के अन्दर भेजा गया था, उसने किसी व्यक्ति को अपनी तलाशी नहीं दी । पुलिस पदधारियों ने उसे यह बताया कि बस के सीट सं. 28 से काले रंग का थैला बरामद किया गया था । उसने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय पर केवल एक थैला बरामद किया गया था ।

8. अभि. सा. 2, फूलचंद ने भी जब बस की जांच की गई थी उसी रीति के बारे में अपना अभिसाक्ष्य दिया है और अभियुक्त के कब्जे से चरस बरामद की गई थी । उसने नमूने मोहर लगाने की प्रक्रिया पूरी किए जाने की रीति के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है । वह रुक्का, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/क पुलिस थाने पर ले गया था ।

9. अभि. सा. 3, हेड कांस्टेबल बनवारी लाल ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 19 फरवरी, 2001 को तीन पार्सल, आर. सी. सं. 88/

2001 के माध्यम से उसे सौंपे गए थे । विशेष रिपोर्ट भी उसे सौंपी गई थी और उसने तारीख 19 फरवरी, 2001 को पुलिस अधीक्षक, सोलन के कार्यालय में विशेष रिपोर्ट सौंपी थी और उसने तारीख 20 फरवरी, 2001 को सीटीएल कंडाघाट पर पार्सल भी जमा किए थे ।

10. अभि. सा. 4, हेड कांस्टेबल नीलम कुमार ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 19 फरवरी, 2001 को उसने चरस के नमूने और उसके ढेर को पुलिस थाने में जाम किया था । उसने मोहर्रिर हेड कांस्टेबल बनवारी लाल के माध्यम से चरस के नमूने सीटीएल कंडाघाट भेजे थे । उसी दिन सीटीएल कंडाघाट में पार्सल जमा किए गए थे और उसकी प्राप्ति रसीद उसने उसे लौटा दी थी ।

11. अभि. सा. 5, बलबीर सिंह ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब बस बड्डी चौक, नालागढ़ पहुंची तो उसकी पुलिस द्वारा जांच की गई । सभी यात्री बस से नीचे उतर गए थे । पुलिस बस से एक थैला लेकर बाहर आई । किसी भी यात्री ने थैले के स्वामित्व के बारे में कोई दावा नहीं किया । अभियुक्त के कब्जे में पैसा था और संदेह होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था । बस को पुलिस थाने पर ले जाया गया था । उसके हस्ताक्षर खाली कागजातों पर लिए गए थे । वह यह नहीं कह सकता है कि थैले से कौन सी वस्तु बरामद हुई थी । अभियुक्त बस के सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था । उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है । विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा उससे प्रतिपरीक्षा किए जाने पर उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि अभियुक्त बस पर सीट सं. 28 में यात्रा कर रहा था । अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा उससे प्रतिपरीक्षा किए जाने पर उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसके और ड्राइवर के हस्ताक्षर पुलिस थाने में खाली कागजातों पर पुलिस द्वारा कराए गए थे । पुलिस द्वारा यात्रियों के कथन अभिलिखित नहीं किए गए थे ।

12. अभि. सा. 6, योगेन्द्र कुमार और अभि. सा. 7, विजय कुमार औपचारिक साक्षी हैं ।

13. अभि. सा. 8, तरनजीत सिंह ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने घटनास्थल का नक्शा, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/क तैयार किया । उसने बलबीर सिंह और देवी सिंह के प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/ख और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/ग के माध्यम से उनके कथन अभिलिखित किए थे । उसने रसायन परीक्षक की रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/क भी प्राप्त की थी ।

14. अभि. सा. 9, सलीम अहमद ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 19 फरवरी, 2001 को कांस्टेबल फूल सिंह पुलिस थाने पर रुक्का लाया था जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/क रजिस्ट्रीकृत की गई थी ।

15. अभि. सा. 10 सुखदर्शन, अन्वेषक अधिकारी ने बस को रोके जाने और अभियुक्त के कब्जे से चरस बरामद किए जाने की रीति के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि चरस का नमूना लिया गया था और मोहरबंद करने की कार्रवाई पूरी की गई थी । उसने रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/क तैयार किया और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए पुलिस थाने पर उसे भेजा । उसने प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि सभी कार्यवाहियां दो घन्टे के अन्दर पूरी कर ली गई थीं । केवल थैला प्रदर्श पी. 1 की तलाशी ली गई थी । जब थैले की तलाशी ली गई थी उस वक्त कुछ यात्री बस से नीचे उतरे हुए थे और कुछ यात्री बस में ही बैठे हुए थे और अभियुक्त की तलाशी से पूर्व यात्रियों की निजी तलाशी ली गई थी ।

16. अभियोजन पक्षकथन का स्वतंत्र साक्षी अर्थात् अभि. सा. 1, देवी सिंह और अभि. सा. 5, बलबीर सिंह द्वारा समर्थन नहीं किया गया है । अभि. सा. 1, देवी सिंह ने इस सुझाव से इनकार किया है कि चरस अभियुक्त के कब्जे से बरामद की गई थी । उसके अनुसार जब उसने केवल दो कागजातों पर हस्ताक्षर किए जो लिखे हुए थे तथा ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख पहले ही लिखे हुए थे । उसके हस्ताक्षर खाली कागजातों पर ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/घ पर भी लिए गए थे । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि मनाली से बड्डी तक कई स्थानों पर बस की जांच की गई थी । अभि. सा. 5, बलबीर सिंह के अनुसार पुलिस द्वारा बस से एक थैला लाया गया था । तथापि, किसी यात्री ने थैले के स्वामित्व के बारे में दावा नहीं किया । अभियुक्त के कब्जे में कुछ पैसा भी था, संदेह होने पर पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसके हस्ताक्षर खाली कागजातों पर लिए गए थे । वह कभी भी यह नहीं कह सकता है कि थैले से किस वस्तु की बरामदगी हुई थी । उसके अनुसार, अभियुक्त बस के सामने की सीट पर बैठा हुआ था । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि अभियुक्त बस के सीट सं. 28 पर यात्रा कर रहा था ।

पुलिस द्वारा यात्रियों के कथन अभिलिखित नहीं किए गए थे । अभि. सा. 10, सुखदर्शन, अन्वेषक अधिकारी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/क तैयार किया और उसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण करने के लिए पुलिस थाने पर भेजा । उसने प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि सभी कार्यवाहियां दो घन्टे के अन्दर पूरी कर ली गई थीं । उसके अनुसार केवल एक थैला प्रदर्श पी. 1 की तलाशी ली गई थी । जब थैले की तलाशी ली जा रही थी कुछ यात्री बस से नीचे उतरे हुए थे और कुछ बस में बैठे हुए थे ।

17. पुलिस ने चरस की तलाशी और उसके अभिग्रहण करने के समय पर बस में यात्रा कर रहे किसी भी यात्री को सहबद्ध नहीं किया है । अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल हुआ है कि विनिषिद्ध वस्तु अभियुक्त के अनन्य और सचेत कब्जे से पाई गई थी । यह बात भी दोहराई गई है कि स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । हम विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए तार्किक निर्णय पर हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं ।

18. तद्नुसार, इसमें ऊपर की गई चर्चा और विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए अपील में कोई गुणागुण नहीं है और उसे खारिज किया जाता है । जमानत बंधपत्रों उन्मोचित किए जाने का आदेश किया जाता है । यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका भी निपटारा किया जाता है । तथापि, खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

लाल किशोर

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 11 अगस्त, 2014

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 20 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 5] – स्वतंत्र साक्षी का महत्व – पुलिस द्वारा घटनास्थल पर विनिषिद्ध माल की बरामदगी के प्रयोजनार्थ स्वतंत्र साक्षियों की अनुपस्थिति में अभियुक्तों की तलाशी लिया जाना – शासकीय साक्षी विश्वसनीय नहीं होते और पुलिस को स्वतंत्र साक्षियों को सहबद्ध करने का प्रयास करना चाहिए – स्वतंत्र साक्षियों की अनुपस्थिति में अभियोजन पक्ष के इस वृत्तांत पर विश्वास नहीं किया जा सकता अतः अभियुक्त-अपीलार्थी दोषमुक्त होने के हकदार हैं ।

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 – धारा 20 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 6] – अभियोजन पक्ष इस तथ्य को साबित करने में विफल हुआ है कि उसके द्वारा बरामद विनिषिद्ध माल न्यायालयिक प्रयोगशाला में जमा किया गया – इससे अभियोजन के वृत्तांत पर संदेह उत्पन्न होता है ।

संक्षेप में अभियोजन का पक्षकथन यह है कि तारीख 13 जनवरी, 2011 को सहायक सब इंस्पेक्टर ओंकार चंद कांस्टेबलों सुरेश कुमार और रमेश कुमार के साथ पैट्रोलिंग के लिए शासकीय वाहन द्वारा पुलिस थाना से डलहौजी बानी खेत, नानीखुद, कटोरी बंगला की ओर जा रहा था । पैट्रोलिंग का कर्तव्य पालन करते हुए अपराह्न लगभग 3 बजे जब उनका वाहन केरूथा पहाड़ के निकट पहुंचा, दोनों अभियुक्त सड़क पर कटोरी बंगला की ओर जाते हुए दिखे । पुलिस पार्टी को देखकर वे चकित रह गए । अभियुक्त अनिल की पीठ पर एक बैग था । संदेह होने पर उनको उनके इस विधिक अधिकार के बाबत अवगत कराया गया कि उनकी तलाशी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष ली जाएगी, जैसाकि मेमो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए से स्पष्ट है । उन्होंने पुलिस द्वारा तलाशी लिए जाने के

बाबत मेमो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए द्वारा सहमति दी थी । अभियुक्त अनिल कुमार के बैग की तलाशी ली गई जिससे एक टेपरिकार्डर बरामद हुआ । उसको खोला गया और एक नीले रंग का बैग बरामद किया गया जिसमें 3 किलो 800 ग्राम भार वाला विनिषिद्ध (चरस) समाविष्ट था तत्पश्चात् बरामद विनिषिद्ध उसी नीले बैग में वापस रखा गया और बैग को उसी टेप-रिकार्डर में रख दिया गया था और बैग को सफेद सादे कपड़े में ओ मुहर वाली पांच मुहर लगा कर मोहरबंद कर दिया गया था । एनसीबी फार्म तीन प्रतियों में भरे गए और उनके ऊपर ओ मुहर की छाप ली गई । चरस को प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/सी मेमो द्वारा कब्जे में लिया गया । पी. डब्ल्यू. 11 ने रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ए तैयार किया । इसको डलहौजी पुलिस थाना को मामले के रजिस्ट्रीकरण के लिए भेज दिया गया । स्थल मानचित्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/बी भी तैयार किया गया । मुकदमा संपत्ति अभि. सा. 11 सहायक उप-निरीक्षक ओंकार चंद द्वारा अभि. सा. 9 थानाध्यक्ष विश्वास कुमार को हस्तगत कर दी गई जिसने वरिष्ठतम हेड कांस्टेबल अमरीक सिंह की उपस्थिति में मुहर बी की दो सीलों के साथ उसको पुनः मोहरबंद कर दिया और तत्पश्चात् एनसीबी प्रपत्र पर बी. मुहर की छाप वाली मुकदमा संपत्ति मुख्य हेड कांस्टेबल अभि. सा. 8 अरुण कुमार को हस्तगत कर दी गई । उसने उसको नमूना मुहरों और एनसीबी प्रपत्रों की सूची के साथ न्यायालयिक प्रयोगशाला भेज दिया । विशेष रिपोर्ट भी तैयार की गई । अन्वेषण पूर्ण कर लिया गया । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त होने पर और समस्त संहिता संबंधी औपचारिकताओं के पूर्ण होने के पश्चात् चालान प्रस्तुत किया गया । अभियोजन ने ग्यारह साक्षियों का परीक्षण कराया । अभियुक्त का भी परीक्षण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन किया गया । अभियुक्त ने कोई भी अपराध कारित करने से इनकार किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने दोनों अपीलार्थियों-अभियुक्तों को 1985 के स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के अधीन कारित अपराधों के बाबत आरोपित किया और उनका विचारण किया गया और उनको दोषसिद्ध किया गया और दस वर्ष का कठोर कारावास भोगने और एक लाख रुपए के जुर्माने का संदाय करने के द्वारा दंडादिष्ट किया गया और जुर्माने के संदाय में चूक होने पर उनको छः माह का साधारण कारावास भोगने के लिए भी आदेशित किया गया । उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थियों-अभियुक्तों द्वारा ये अपीलें फाइल की गईं । अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन ने तलाशी और विनिषिद्ध के अभिग्रहण के

दौरान किसी स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण नहीं किया है । अभियुक्तों को रात्रि लगभग 3.00 बजे देखा गया था । अभि. सा. 1 सुरेश कुमार के अनुसार उन्होंने 3-4 वाहनों की जांच की थी । कुछ वाहन चंबा और कुछ वाहन डलहौजी की ओर से आ रहे थे । पठानकोट से चंबा को कोई बस नहीं आई थी और इसीलिए ऐसी किसी बस की जांच नहीं की गई थी । कटोरी बंगला से केरू पहाड़ के मध्य की दूरी 3-4 किलोमीटर है । अभि. सा. 2 कांस्टेबल योगराज ने भी शपथपूर्वक कथन किया है कि एक बस चंबा और देहरादून के मध्य चल रही थी । अभि. सा. 11 ओंकार चंद ने सुस्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि चंबा से पठानकोट की ओर आने वाले सभी वाहन केरू पहाड़ से होकर गुजरते हैं । इसी प्रकार से पठानकोट से चंबा की ओर आने वाली सभी बसें भी उसी मार्ग से गुजरती हैं । वे रात्रि 3.00 बजे से प्रातःकाल 10.00 बजे तक केरू पहाड़ पर मौजूद थे । बसें केरू पहाड़ के निकट सड़क से होकर गुजर रही थीं । प्रथम बस केरू पहाड़ से प्रातःकाल 5.30 बजे गुजरी थी । तथापि, हल्के वाहन केरू पहाड़ से होकर गुजर रहे थे । उसने एक दो वाहनों को संकेत देकर रोकने का प्रयास किया किंतु वे रुके नहीं चूंकि वे हल्के वाहन थे । केरू पहाड़ से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक ढाबा है । अभि. सा. 1 सुरेश कुमार, अभि. सा. 2 कांस्टेबल योगराज और अभि. सा. 11 ओंकार चंद के कथनों से स्पष्ट है कि वे यातायात की जांच कर रहे थे । मार्ग अत्यंत व्यस्त था । अभि. सा. 11 ओंकार चंद के इस कथन पर विश्वास नहीं होता कि उसने संकेत देने के द्वारा एक-दो वाहनों को रोकने का प्रयास किया था किंतु वाहन रुके नहीं थे । इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि जब कोई पुलिस अधिकारी संकेत देता है तो चालक यान को नहीं रोकेगा । पुलिस उन यात्रियों, जो किसी व्यस्त मार्ग पर यानों में यात्रा कर रहे थे, को भी स्वतंत्र साक्षी के रूप में सहबद्ध कर सकती थी । अभि. सा. 11 ओंकार चंद ने शपथपूर्वक कथन किया है कि उसने एक कांस्टेबल योगराज को स्वतंत्र साक्षियों को लाने के लिए भेजा था किंतु वह इस स्पष्टीकरण के साथ वापस आ गया था कि कोई स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध नहीं है । अभि. सा. 2 कांस्टेबल योगराज ने शपथपूर्वक यह कथन नहीं किया है कि उसको सहायक उप-निरीक्षक ओंकार चंद ने किसी स्वतंत्र साक्षी को लाने के लिए कभी भेजा था । वास्तव में सहायक उप-निरीक्षक ओंकार चंद ने कांस्टेबल योगराज का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किया । फिर भी उसने अपने कथन में यह अभिकथित नहीं किया है कि उसको

स्वतंत्र साक्षियों को लाने के लिए भेजा गया था । यह सत्य है कि शासकीय साक्षियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता । फिर भी पुलिस ने वर्तमान मामले में स्वतंत्र साक्षियों को सहबद्ध करने का कोई प्रयास नहीं किया है । पुलिस के इस वृत्तांत के स्वतंत्र साक्षी घटनास्थल पर उपलब्ध नहीं थे, पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्तों को व्यस्त सड़क पर जाते हुए पाया गया था और उस सड़क पर अत्यधिक यातायात था, विश्वास नहीं किया जा सकता । अभियुक्त लाल किशोर को विनिषिद्ध की तथाकथित बरामदगी के साथ संबद्ध कर पाने में अभियोजन विफल रहा है । अभियोजन ने इस बात को बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं किया है कि दोनों अभियुक्तों के मध्य षड्यंत्र किस प्रकार से हुआ था । अभियोजन अभियुक्त द्वारा किसी सामान्य आशय को भी साबित कर पाने में विफल रहा है । अभि. सा. 8 अरुण कुमार के अनुसार उसने मुहरबंद पार्सल जुंगा स्थित न्यायालयिक प्रयोगशाला को नमूना मुहरों, एनसीबी प्रपत्रों, फाइल प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और अभिग्रहण मेमो के साथ कांस्टेबल सुरेश कुमार द्वारा तारीख 13 जनवरी, 2011 के बरामदगी चालान सं. 6/11 द्वारा भेजा था । अभि. सा. 1 सुरेश कुमार ने शपथपूर्वक यह नहीं कहा है कि वह विनिषिद्ध को जुंगा स्थित न्यायालयिक प्रयोगशाला ले गया था । अपनी प्रतिपरीक्षा में अभि. सा. 8 ने शपथपूर्वक केवल यह कथन किया है कि यह स्पष्टीकरण सुरेश कुमार को देना है कि क्या मामला संपत्ति को उसके द्वारा जुंगा स्थित न्यायालयिक प्रयोगशाला में जमा किया गया था या नहीं । इससे अभियोजन के वृत्तांत पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है । (पैरा 18, 19 और 20)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की दांडिक अपील सं. 89.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

याची की ओर से सर्वश्री सत्येन वैद्य और लक्ष्य ठाकुर

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री प्रमोद ठाकुर (अपर महाधिवक्ता), एम. ए. खान (अपर महाधिवक्ता) और रमेश ठाकुर (सहायक महाधिवक्ता)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने दिया ।

न्या. शर्मा – इन अपीलों में विधि का एक ही प्रश्न अंतर्वलित है इसलिए इनको एक ही निर्णय द्वारा निस्तारित किए जाने के प्रयोजनार्थ

एक साथ विचार किया गया ।

2. ये अपीलें तारीख 28 दिसंबर, 2011 के निर्णय, जिनको 2011 के सेशन विचारण सं. 9 में चम्बा के विद्वान् विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया, के विरुद्ध संस्थित की गई हैं जिनके द्वारा अपीलार्थियों को (जिनको इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" कहा गया है) 1985 के स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के अधीन कारित अपराधों के बाबत आरोपित किया गया और उनका विचारण किया गया, उनको दोषसिद्ध किया गया और दस वर्षों का कठोर कारावास भोगने और उनमें से प्रत्येक को एक लाख रुपए के जुर्माने का संदाय करने के द्वारा दंडादिष्ट किया गया और जुर्माने के संदाय में चूक होने पर उनको छः माह का साधारण कारावास भोगने के लिए भी आदेशित किया गया था ।

3. संक्षेप में अभियोजन का पक्षकथन यह है कि तारीख 13 जनवरी, 2011 को सहायक सब इंस्पेक्टर ओंकार चंद (अभि. सा. 11) कांस्टेबलों सुरेश कुमार और रमेश कुमार के साथ पैट्रोलिंग के लिए शासकीय वाहन द्वारा पुलिस थाना से डलहौजी बानी खेत, नानीखुद, कटोरी बंगला की ओर जा रहा था । पैट्रोलिंग का कर्तव्य पालन करते हुए अपराह्न लगभग 3 बजे जब उनका वाहन केरू पहाड़ के निकट पहुंचा, दोनों अभियुक्त सड़क पर कटोरी बंगला की ओर जाते हुए दिखे । पुलिस पार्टी को देखकर वे चकित रह गए । अभियुक्त अनिल की पीठ पर एक बैग था । संदेह होने पर उनको उनके इस विधिक अधिकार के बाबत अवगत कराया गया कि उनकी तलाशी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष ली जाएगी, जैसाकि मेमो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए से स्पष्ट है । उन्होंने पुलिस द्वारा तलाशी लिए जाने के बाबत मेमो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए द्वारा सहमति दी थी । अभियुक्त अनिल कुमार के बैग की तलाशी ली गई जिससे एक टेप-रिकार्डर बरामद हुआ । उसको खोला गया और एक नीले रंग का बैग बरामद किया गया जिसमें 3 किलो 800 ग्राम भार वाला विनिषिद्ध (चरस) समाविष्ट था तत्पश्चात् बरामद विनिषिद्ध उसी नीले बैग में वापस रखा गया और बैग को उसी टेपरिकार्डर में रख दिया गया था और बैग को सफेद सादे कपड़े में ओ मुहर वाली पांच मुहर लगा कर मुहरबंद कर दिया गया था । एनसीबी फार्म तीन प्रतियों में भरे गए और उनके ऊपर ओ मुहर की छाप ली गई । चरस को प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/सी मेमो द्वारा कब्जे में लिया गया । पी. डब्ल्यू. 11 ने रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ए तैयार किया ।

इसको डलहौजी पुलिस थाना को मामले के रजिस्ट्रीकरण के लिए भेज दिया गया । स्थल मानचित्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/बी भी तैयार किया गया । मुकदमा संपत्ति अभि. सा. 11 सहायक उप-निरीक्षक ओंकार चंद द्वारा अभि. सा. 9 थानाध्यक्ष विश्वास कुमार को हस्तगत कर दी गई जिसने वरिष्ठतम हेड कांस्टेबल अमरीक सिंह (अभि. सा. 3) की उपस्थिति में मुहर बी की दो सीलों के साथ उसको पुनः मुहरबंद कर दिया और तत्पश्चात् एनसीबी प्रपत्र पर बी मुहर की छाप वाली मुकदमा संपत्ति मुख्य हेड कांस्टेबल अभि. सा. 8 अरुण कुमार को हस्तगत कर दी गई । उसने उसको नमूना मुहरों और एनसीबी प्रपत्रों की सूची के साथ न्यायालयिक प्रयोगशाला भेज दिया । विशेष रिपोर्ट भी तैयार की गई । अन्वेषण पूर्ण कर लिया गया । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त होने पर और समस्त संहिता संबंधी औपचारिकताओं के पूर्ण होने के पश्चात् चालान प्रस्तुत किया गया ।

4. अभियोजन ने ग्यारह साक्षियों का परीक्षण कराया । अभियुक्त का भी परीक्षण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन किया गया । अभियुक्त ने कोई भी अपराध कारित करने से इनकार किया । उसकी प्रतिरक्षा संपूर्ण इनकारी की थी । विद्वान् विचारण न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर दिया, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है ।

5. दोनों अभियुक्तों की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं श्री सत्येन वैद्य और श्री लक्ष्य ठाकुर ने दृढ़तापूर्वक दलील दी कि अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध अपना मामला साबित कर पाने में विफल रहा है । इसके विपरीत अपर महाधिवक्ता श्री प्रमोद ठाकुर ने विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का समर्थन किया ।

6. हमने दोनों पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना और अभिलेख का सतर्कतापूर्वक परिशीलन किया ।

7. अभि. सा. 1, सुरेश कुमार ने शपथपूर्वक कथन किया कि वह तारीख 12 जनवरी, 2011 को सहायक उप-निरीक्षक ओंकार चंद, हेड कांस्टेबल जुगल किशोर, कांस्टेबल योगराज और कांस्टेबल रमेश कुमार के साथ पुलिस थाना से रात्रि 8.15 बजे शासकीय वाहन में पैट्रोलिंग पर टुनुहट्टी की ओर जाने के लिए निकला था । प्रातःकाल 3.00 बजे, जब वे कटोरी बंगला से लौट रहे थे और टुनुहट्टी में लगभग 3 किलोमीटर दूर

केरू पहाड़ पर थे, तो उन्होंने दो व्यक्तियों अनिल कुमार और लाल किशोर को देखा जिन्होंने पुलिस यान को देखने के पश्चात् कटोरी बंगला की ओर भागना आरंभ कर दिया । अनिल कुमार के पास एक थैला था । संदेह हो जाने के आधार पर उनको निरुद्ध कर लिया गया । उनको राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट या पुलिस की उपस्थिति में तलाशी कराए जाने के उनके विधिक अधिकार के बाबत अवगत कराया गया । उन्होंने पुलिस द्वारा उनकी तलाशी लिए जाने की इच्छा व्यक्त की और तद्नुसार सहमति ज्ञापन तैयार किया गया । लाल किशोर की तलाशी ली गई । उससे कुछ भी बरामद नहीं हो सका । तत्पश्चात् सहायक उप-निरीक्षक ओंकार चंद द्वारा अनिल कुमार के थैले की तलाशी ली गई । उक्त थैले में टेपरिकार्डर था । टेप- रिकार्डर खोले जाने के पश्चात् उसके भीतर एक नीले रंग का थैला पाया गया । नीले थैले को खोले जाने पर उसमें चरस पाई गई और उसका वजन लिया गया । वजन 3 किलो 800 ग्राम पाया गया । बरामद चरस को अभिग्रण मेमो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/सी द्वारा कब्जे में लिया गया । अन्वेषण अधिकारी द्वारा स्थल पर ही एनसीबी प्रपत्र भरे गए । मुहर का नमूना अलग से सादे कपड़े पर लिया गया । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि उन्होंने 3-4 यानों की जांच-पड़ताल की थी । कुछ यान चंबा से आए थे और कुछ यान डलहौजी की तरफ से आए थे । पठानकोट से चंबा को कोई बस नहीं आई थी । कटोरी बंगला से केरू पहाड़ लगभग 3-4 किलो मीटर की दूरी पर है । उसने यह भी स्वीकार किया कि रात्रि के दौरान यान की हेडलाईट का परावर्तन दूर से देखा जा सकता है और जहां पर अभियुक्तों को देखा गया था, वहां पर सड़क सीधी है ।

8. अभि. सा. 2 कांस्टेबल योगराज ने उस तरीके का भी शपथपूर्वक उल्लेख किया जिसमें अभियुक्तों को देखा गया था । विनिषिद्ध को बरामद किया गया था और उसको मुहरबंद किया गया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि एक बस चम्बा और देहरादून के मध्य चल रही थी । वह नहीं जानता कि वह बस चम्बा से देहरादून के रास्ते में दुनेरा में रुकती है ।

9. अभि. सा. 3 वरिष्ठतम हेड कांस्टेबल अमरीक सिंह ने शपथपूर्वक कथन किया कि तारीख 13 जनवरी, 2011 को अपराह्न 12.30 बजे सहायक उप-निरीक्षक ओंकार चंद ने एक पुलिंदा उसको हस्तगत किया था जिसको ओ मुहर की पांच मुहरों द्वारा मुहरबंद कर दिया गया था ।

तत्पश्चात् उप-निरीक्षक बिस्वास ने उसको पुनः मुहरबंद किया था ।

10. अभि. सा. 4, विनोद कुमार ने शपथपूर्वक कथन किया कि मुख्य हेड कांस्टेबल अरुण कुमार ने मामले की फाइल को सहायक उप-निरीक्षक ओंकार चंद को प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ उसको हस्तगत किया था और उसने वह फाइल सहायक उप-निरीक्षक ओंकार चंद को घटनास्थल पर दे दी थी ।

11. अभि. सा. 5, जुगल किशोर ने शपथपूर्वक कथन किया कि उसको तारीख 13 जनवरी, 2011 को रुक्का, जिसको "क" चिह्न द्वारा चिह्नित किया गया है, मामले के रजिस्ट्रीकरण के लिए हस्तगत किया गया था । उसने उसको मुख्य हेड कांस्टेबल अरुण कुमार के हवाले कर दिया था ।

12. अभि. सा. 6, राजेश कुमार ने शपथपूर्वक कथन किया कि तारीख 13 जनवरी, 2011 को कांस्टेबल जुगल किशोर ने उसको कार्यालय में रुक्के की एक नकल हस्तगत की थी । उसने उसको अपर पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था ।

13. अभि. सा. 7, कांस्टेबल ओम प्रकाश ने शपथपूर्वक कथन किया कि तारीख 14 जनवरी, 2011 को अपराह्न लगभग 12.35 बजे सहायक उप-निरीक्षक ने उसको एक विशेष रिपोर्ट हस्तगत की थी जो चंबा के पुलिस अधीक्षक को सौंपी जानी थी ।

14. अभि. सा. 8 मुख्य हेड कांस्टेबल अरुण कुमार ने शपथपूर्वक कथन किया कि वह डलहौजी पुलिस थाना में मुख्य हेड कांस्टेबल के रूप में तैनात था । उप-निरीक्षक बिस्वास कुमार ने उसके पास एक मुहरबंद पार्सल जमा किया था जिसमें 3 किलो 800 ग्राम चरस समाविष्ट थी । इसको ओ निशान वाली पांच मुहरों और बी निशान वाली दो मुहरों द्वारा उसने और बी के निशान वाले नमूना मुहरों, तीन प्रतियों में, एनसीबी 1 प्रपत्र और अभियुक्त अनिल कुमार और लाल किशोर के जमातलाशी लगी वस्तुओं के साथ उसी तारीख को मुहरबंद किया गया था । उसने तारीख 13 जनवरी, 2011 को अपराह्न 4.30 बजे मुहरबंद पार्सल जुंगा स्थित न्यायालयिक प्रयोगशाला को नमूना सीलों, एनसीबी प्रपत्रों विषय सूची, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, और कांस्टेबल सुरेश कुमार द्वारा तैयार किए गए अभिग्रहण मेमो के साथ भेज दिया था । उसने उसको न्यायालयिक

प्रयोगशाला में तारीख 15 जनवरी, 2011 को जमा कर दिया था और तारीख 18 जनवरी, 2011 को अपराह्न 7.50 बजे उसको रसीद सौंप दी थी ।

15. अभि. सा. 9, बिस्वास कुमार ने शपथपूर्वक कथन किया कि वह डलहौजी पुलिस थाना में अपर थानाध्यक्ष के रूप में नियुक्त था । तारीख 13 जनवरी, 2011 को पूर्वाह्न लगभग 6.00 बजे कांस्टेबल युगल किशोर और सहायक उप-निरीक्षक ओंकार चंद द्वारा लिखित एक रुक्का लाया था । रुक्के पर चिह्न ए डाला गया था जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध 2011 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 4 तारीख 13 जनवरी, 2011 रजिस्ट्रीकृत की गई थी । उसी दिन अपराह्न लगभग 12.30 बजे सहायक उप-निरीक्षक ओंकार चंद ने उसको एक मुहरबंद पैकेट हस्तगत किया था जिसमें ओ चिह्न वाली पांच मुहरों, तीन नमूना मुहरों एनसीबी प्रपत्रों द्वारा मुहरबंद किया गया था और उनको बी मुहरों वाली दो मुहरों द्वारा मुख्य हेड कांस्टेबल अमरीक सिंह की उपस्थिति में पुनः मुहरबंद किया गया था । मुहर बी के नमूने को सादे कपड़े पर अलग से लिया गया था ।

16. अभि. सा. 10, गोविंद राम ने शपथपूर्वक कथन किया कि मामले का अन्वेषण सहायक उप-निरीक्षक ओंकार चंद जिसने अन्वेषण की समाप्ति और न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पीए की प्राप्ति के पश्चात् चालान की तैयारी के लिए फाइल हस्तगत कर दी थी, ने किया गया था ।

17. अभि. सा. 11, सहायक उप-निरीक्षक ओंकार चंद ने भी उसी रीति का शपथपूर्वक वर्णन किया है जिसमें अभियुक्तों को देखा गया था और विनिसिद्ध अभियुक्त अनिल कुमार के कब्जे से बरामद किया था । उसने शपथपूर्वक कथन किया कि अभियुक्तों को उनकी तलाशी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष लिए जाने के उनके विधिक अधिकार से अवगत कराया गया था । अभियुक्तों ने घटनास्थल पर ही पुलिस द्वारा उनकी तलाशी लिए जाने के बाबत सहमति दे दी थी । "रुक्का" कांस्टेबल जुगल किशोर द्वारा डलहौजी पुलिस थाना भेज दिया गया था । स्थल मानचित्र मेमो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/बी तैयार किया गया था । मामले की फाइल घटनास्थल पर कांस्टेबल विनोद कुमार द्वारा लाई गई थी । उसने एनसीबी फार्म का कालम सं. 1 भरा था । उसने नमूना मुहर एनसीबी प्रपत्रों और अभियुक्त के साथ मामला संपत्ति को उप-निरीक्षक बिस्वास कुमार को सौंप दिया था । उसने मामला को पुनः मुहरबंद किया और मेमो

प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 3/बी किया । उसने मुहर प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 3/ए का नमूना लिया जिसके साथ उसने मामला संपत्ति को पुनः मुहरबंद किया और तत्पश्चात् उसने मामला संपत्ति को मुख्य हेड कांस्टेबल अरुण कुमार के पास जमा कर दिया । विशेष रिपोर्ट तैयार की गई और उस पर हस्ताक्षर किए गए । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि चंबा से पठानकोट की ओर आने वाले सभी वाहन केरू पहाड़ से होकर गुजरते हैं । इसी प्रकार पठानकोट से चंबा की ओर आने वाली सभी बसें भी उसी रास्ते से गुजरती हैं । उसने स्वीकार किया कि वे केरू पहाड़ पर पूर्वाह्न 3.00 बजे से 10.00 बजे तक मौजूद थे । बसें मध्यांतर के पश्चात् केरू पहाड़ के पास सड़क से गुजर रही थीं । प्रथम बस केरू पहाड़ से प्रातःकाल 5.30 बजे गुजरी । तथापि, हल्के वाहन केरू पहाड़ से गुजर रहे थे । उसने संकेत देकर 1-2 वाहनों को रोकने का प्रयास किया, किंतु वे नहीं रुके क्योंकि वे हल्के वाहन थे । केरू पहाड़ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक ढाबा है । उसने स्वतंत्र साक्षी लाने के लिए एक कांस्टेबल को भेजा था किंतु कांस्टेबल इस उत्तर के साथ वापस आ गया कि आस-पास में कोई आबादी नहीं है, इसलिए कोई स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध नहीं हो सकता । चालक योगराज को स्वतंत्र साक्षियों को लाने के लिए भेजा गया था । उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन कांस्टेबल योगराज का कथन अभिलिखित किया किंतु उसने उसमें यह अभिकथित नहीं किया है कि उसको स्वतंत्र साक्षियों को लाने के लिए भेजा गया था ।

18. अभियोजन ने तलाशी और विनिषिद्ध के अभिग्रहण के दौरान किसी स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण नहीं किया है । अभियुक्तों को रात्रि लगभग 3.00 बजे देखा गया था । अभि. सा. 1 सुरेश कुमार के अनुसार उन्होंने 3-4 वाहनों की जांच की थी । कुछ वाहन चंबा और कुछ वाहन डलहौजी की ओर से आ रहे थे । पठानकोट से चंबा को कोई बस नहीं आई थी और इसीलिए ऐसी किसी बस की जांच नहीं की गई थी । कटोरी बंगला से केरू पहाड़ के मध्य की दूरी 3-4 किलोमीटर है । अभि. सा. 2 कांस्टेबल योगराज ने भी शपथपूर्वक कथन किया है कि एक बस चंबा और देहरादून के मध्य चल रही थी । अभि. सा. 11 ओंकार चंद ने सुस्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि चंबा से पठानकोट की ओर आने वाले सभी वाहन केरू पहाड़ से होकर गुजरते हैं । इसी प्रकार से पठानकोट से चंबा की ओर आने वाली सभी बसें भी उसी मार्ग से गुजरती हैं । वे रात्रि 3.00 बजे से प्रातःकाल 10.00 बजे तक केरू पहाड़ पर मौजूद थे । बसें केरू पहाड़ के

निकट सड़क से होकर गुजर रही थीं । प्रथम बस केरू पहाड़ से प्रातःकाल 5.30 बजे गुजरी थी । तथापि, हल्के वाहन केरू पहाड़ से होकर गुजर रहे थे । उसने एक दो वाहनों को संकेत देकर रोकने का प्रयास किया किंतु वे रुके नहीं चूंकि वे हल्के वाहन थे । केरू पहाड़ से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक ढाबा है । अभि. सा. 1 सुरेश कुमार, अभि. सा. 2 कांस्टेबल योगराज और अभि. सा. 11 ओंकार चंद के कथनों से स्पष्ट है कि वे यातायात की जांच कर रहे थे । मार्ग अत्यंत व्यस्त था । अभि. सा. 11 ओंकार चंद के इस कथन पर विश्वास नहीं होता कि उसने संकेत देने के द्वारा एक-दो वाहनों को रोकने का प्रयास किया था किंतु वाहन रुके नहीं थे । इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि जब कोई पुलिस अधिकारी संकेत देता है तो चालक यान को नहीं रोकेगा । पुलिस उन यात्रियों, जो किसी व्यस्त मार्ग पर यानों में यात्रा कर रहे थे, को भी स्वतंत्र साक्षी के रूप में सहबद्ध कर सकती थी ।

19. अभि. सा. 11, ओंकार चंद ने शपथपूर्वक कथन किया है कि उसने एक कांस्टेबल योगराज को स्वतंत्र साक्षियों को लाने के लिए भेजा था किंतु वह इस स्पष्टीकरण के साथ वापस आ गया था कि कोई स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध नहीं है । अभि. सा. 2 कांस्टेबल योगराज ने शपथपूर्वक यह कथन नहीं किया है कि उसको सहायक उप-निरीक्षक ओंकार चंद ने किसी स्वतंत्र साक्षी को लाने के लिए कभी भेजा था । वास्तव में सहायक उप-निरीक्षक ओंकार चंद ने कांस्टेबल योगराज का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किया । फिर भी उसने अपने कथन में यह अभिकथित नहीं किया है कि उसको स्वतंत्र साक्षियों को लाने के लिए भेजा गया था । यह सत्य है कि शासकीय साक्षियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता । फिर भी पुलिस ने वर्तमान मामले में स्वतंत्र साक्षियों को सहबद्ध करने का कोई प्रयास नहीं किया है । पुलिस के इस वृत्तांत कि स्वतंत्र साक्षी घटनास्थल पर उपलब्ध नहीं थे, पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्तों को व्यस्त सड़क पर जाते हुए पाया गया था और उस सड़क पर अत्यधिक यातायात था, विश्वास नहीं किया जा सकता । अभियुक्त लाल किशोर को विनिषिद्ध की तथाकथित बरामदगी के साथ संबद्ध कर पाने में अभियोजन विफल रहा है । अभियोजन ने इस बात को बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं किया है कि दोनों अभियुक्तों के मध्य षड्यंत्र किस प्रकार से हुआ था । अभियोजन अभियुक्त द्वारा किसी सामान्य आशय को भी साबित कर पाने में विफल रहा है ।

20. अभि. सा. 8, अरुण कुमार के अनुसार उसने मुहरबंद पार्सल जुंगा स्थित न्यायालयिक प्रयोगशाला को नमूना मुहरों, एनसीबी प्रपत्रों, फाइल प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और अभिग्रहण मेमो के साथ कांस्टेबल सुरेश कुमार द्वारा तारीख 13 जनवरी, 2011 के बरामदगी चालान सं. 6/11 द्वारा भेजा था । अभि. सा. 1 सुरेश कुमार ने शपथपूर्वक यह नहीं कहा है कि वह विनिषिद्ध को जुंगा स्थित न्यायालयिक प्रयोगशाला ले गया था । अपनी प्रतिपरीक्षा में अभि. सा. 8 ने शपथपूर्वक केवल यह कथन किया है कि यह स्पष्टीकरण सुरेश कुमार को देना है कि क्या मामला संपत्ति को उसके द्वारा जुंगा स्थित न्यायालयिक प्रयोगशाला में जमा किया गया था या नहीं । इससे अभियोजन के वृत्तांत पर गंभीर संदेह उत्पन होता है ।

21. तद्नुसार, अपीलों को ऊपर किए गए विश्लेषण और विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया जाता है । 2011 के सेशन विचारण सं. 9 में चंबा के विशेष न्यायाधीश द्वारा तारीख 28 दिसंबर, 2011 के दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय को अपास्त किया जाता है । अभियुक्तों को उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । यदि अभियुक्तों द्वारा जुर्माने के बाबत कोई रकम जमा कर दी गई है, तो उसको वापस किए जाने के लिए आदेशित किया जाता है । चूंकि अभियुक्त जेल में है, उनको तुरंत निर्मुक्त कर दिया जाए यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित न हों ।

22. रजिस्ट्री को अभियुक्तों के निर्मुक्ति वारंट तैयार करने और इस निर्णय के अनुपालनार्थ संबद्ध जेल के अधीक्षक को तुरंत भेजे जाने के लिए निर्देशित किया जाता है ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

शु.

———————

रमेश थापा

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 23 अप्रैल, 2015

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 – हत्या – यदि अभियोजन पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है और घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले को साबित करने के लिए घटना की संपूर्ण शृंखला पूरी नहीं है और अभियोजन पक्ष अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध साबित करने में विफल हुआ है तो अपीलार्थी-अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है ।

संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 19 अक्तूबर, 2010 को लगभग 7 बजे पूर्वाह्न गीता राम भारद्वाज नामक व्यक्ति द्वारा दूरभाष से पुलिस को यह सूचित किया गया कि रघुवीर सिंह नाम का लड़का जो स्टेट बैंक आफ पटियाला के सामने रतनलाल अभि. सा. 1 के ढाबे में कार्य कर रहा था, मृत पाया गया है । पुलिस दल के मुखिया उप-निरीक्षक धर्म सिंह ने दैनिक डायरी में सूचना अभिलिखित करने के पश्चात् अन्य पुलिस पदधारियों के साथ घटनास्थल पर गया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन रतनलाल का कथन अभिलिखित किया । रघुवीर सिंह पुत्र श्री कालू रामपुर का निवासी था । वह रतनलाल की मदद किया करता था । अभियुक्त भी उसके ढाबे में काम किया करता था । अभियुक्त ने लगभग 15 दिन पूर्व अपना हिसाब-किताब चुकता करने के पश्चात् ढाबा छोड़ दिया था । रघुवीर सिंह कमरे के प्रथम मंजिल में सोया करता था । तारीख 18 अक्तूबर, 2010 को लगभग 11.30 बजे अपराह्न रमेश थापा एक अन्य नेपाली के साथ उसके ढाबे पर पहुंचा और उसी कमरे में रघुवीर सिंह के साथ सोने के लिए चला गया । मध्य रात्रि में लगभग 2 बजे पूर्वाह्न उसके ढाबे के शटर को बाहर से खटकाया गया था क्योंकि ढाबे का मालिक ढाबे के अन्दर सो रहा था । उसने यह देखा कि रमेश थापा एक अन्य नेपाली के साथ उसके शटर के बाहर खड़ा था ।

रमेश थापा ने पीने के लिए पानी मांगा । उसने उसे पानी दिया और शटर को बंद कर दिया । ये व्यक्ति एक दूसरे के साथ बाहर बातचीत करते रहे । अगली प्रातः वह उठकर रघुवीर सिंह के कमरे में गया, उसने देखा कि रघुवीर सिंह मृत पड़ा हुआ है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी । पुलिस द्वारा मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के पश्चात् उसके शव को कब्जे में लिया गया था और उसके शव को शवपरीक्षण के लिए भेजा गया था । डाक्टर ने यह राय व्यक्त की है कि मृत्यु का कारण गला घोंटने की वजह से श्वासावरोध और वेगल अवरोधन के कारण हुई थी । पुलिस ने मामले का अन्वेषण किया और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया । सेशन न्यायाधीश, सोलन द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त को दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट किया गया । अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । रतनलाल, अभि. सा. 1 के अनुसार अभियुक्त पिछले दो साल के अन्तराल से उसके साथ वहां काम करता था । रतनलाल, अभि. सा. 1 के अनुसार कि अभियुक्त ने 15 दिन पहले अपना हिसाब-किताब का चुकता करने के पश्चात् उसके ढाबे से चला गया था । अभि. सा. 1 के अनुसार मृतक अभियुक्त और एक अन्य व्यक्ति के साथ सोया था अर्थात् कमरे में तीन व्यक्ति सो रहे थे जैसा कि अभियोजन पक्षकथन में स्वीकार किया गया है । अभियुक्त अपने साथी के साथ नीचे उतरा और रतनलाल, अभि. सा. 1 से पानी देने के लिए कहा । रतनलाल, अभि. सा. 1 द्वारा पानी ही नहीं दिया गया बल्कि उसने उनकी बातचीत भी सुनी । निरीक्षक धनराम, अभि. सा. 9 के कथन के अनुसार दूसरा व्यक्ति अर्जुन थापा था । उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका । पुलिस ने पूर्णतया मामले का अन्वेषण नहीं किया । अर्जुन थापा मामले की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी क्योंकि वह अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त था । अभियुक्त का हेतुक मृतक रघुवीर सिंह की हत्या करने का माना गया है क्योंकि उसे 15,000/- रुपए की आवश्यकता थी । पुलिस ने कमरे से कोई भी वस्तु गायब नहीं पाई थी । यह भी विश्वास नहीं किया जाता है कि रघुवीर सिंह जो ढाबे में सहायक के रूप में कार्य कर रहा था, उसने अपने पास 15,000/- रुपए रखे होंगे । इस प्रकार, अभियोजन पक्षकथन यह था कि हत्या का हेतुक पैसा लेना था, इस बात को अस्वीकार किया

जाता है । घटनास्थल पर अभियुक्त का मौजूद होना साधारण कारण से दूरस्थ भी है कि उसने 15 दिन पूर्व रतनलाल, अभि. सा. 1 से अपना हिसाब-किताब पहले ही चुकता कर लिया था । इस प्रकार उसका ढाबे पर पुनः वापस आना नहीं माना जाएगा । अभिलेख पर यह भी प्रकट हुआ है कि स्टेट बैंक आफ पटियाला ढाबे के नजदीक था । ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स भी ढाबे के नजदीक स्थित था और रात्रि के दौरान गार्ड वहां पर मौजूद रहा करते थे । रतनलाल, अभि. सा. 1 ने गार्ड को घटना के बारे में नहीं बताया जो बैंक में मौजूद था परन्तु उसने घटना के बारे में रामलाल ठाकुर, अभि. सा. 2 को अवगत कराया था । किसी दशा में यदि अभियुक्त और दूसरा व्यक्ति रतनलाल, अभि. सा. 1 के ढाबे के बाहर खड़े थे तो यह बात गार्ड की जानकारी में आनी चाहिए थी जो रात्रि के दौरान अत्यधिक सतर्क रहते हैं । दूसरे व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने की संभावना जो अभियुक्त के साथ था, इस बात को सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता । अभियोजन पक्ष निश्चायक रूप से यह साबित करने में विफल हुआ है कि वह अभियुक्त था जिसने रघुवीर सिंह की हत्या की । अन्वेषक अधिकारी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में अर्जुन थापा की गिरफ्तारी नहीं हुई है, यह बात विश्वसनीय नहीं है । उसने सच्चाई का पता लगाने के लिए दूसरे अभियुक्त को पकड़ने की पूरी कोशिश की होगी । (पैरा 16)

पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले को साबित करने के लिए सम्पूर्ण शृंखला पूरी होनी चाहिए और सभी परिस्थितियों से अभियुक्त की दोषिता इंगित होनी चाहिए । हमने पहले यह चर्चा की है कि अभियोजन पक्ष द्वारा बताए गए हेतुक की कहानी के बारे में विश्वास उत्पन्न नहीं होता है । पारिस्थितिक साक्ष्य के मामलों में हेतुक का विशिष्ट महत्व होता है, खासतौर पर, जब शृंखला पूरी नहीं होती है । (पैरा 17)

परिणामस्वरूप, इसमें ऊपर मामले के विश्लेषण को तथा उस पर हुई चर्चा हो ध्यान में रखते हुए अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए मामले को साबित करने में विफल हुआ है । (पैरा 18)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की दांडिक अपील सं. 301.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री अवनेश भारद्वाज, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री पी. एम. नेगी, उप महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने दिया ।

न्या. शर्मा – यह अपील 2011 के सेशन विचारण सं. 4-एन.एल./7 में सेशन न्यायाधीश, सोलन द्वारा तारीख 14 दिसंबर, 2011 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त (इसमें इसके पश्चात् सुविधा की दृष्टि से "अभियुक्त" कहा गया है) को दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोपित किया गया और उसका विचारण किया गया तथा उसे दोषसिद्ध करके आजीवन कठोर कारावास भोगने तथा 25,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर 2 वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास भोगने का भी दंड दिया गया ।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 19 अक्तूबर, 2010 को लगभग 7 बजे पूर्वाह्न गीता राम भारद्वाज नामक व्यक्ति द्वारा दूरभाष से पुलिस को यह सूचित किया गया कि रघुवीर सिंह नाम का लड़का जो स्टेट बैंक आफ पटियाला के सामने रतनलाल अभि. सा. 1 के ढाबे में कार्य कर रहा था, मृत पाया गया है । पुलिस दल के मुखिया उप-निरीक्षक धर्म सिंह ने दैनिक डायरी में सूचना अभिलिखित करने के पश्चात् अन्य पुलिस पदधारियों के साथ घटनास्थल पर गया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन रतनलाल का कथन अभिलिखित किया । रघुवीर सिंह पुत्र श्री कालू रामपुर का निवासी था । वह रतनलाल की मदद किया करता था । अभियुक्त भी उसके ढाबे में काम किया करता था । अभियुक्त ने लगभग 15 दिन पूर्व अपना हिसाब-किताब चुकता करने के पश्चात् ढाबा छोड़ दिया था । रघुवीर सिंह कमरे के प्रथम मंजिल में सोया करता था । तारीख 18 अक्तूबर, 2010 को लगभग 11.30 बजे अपराह्न रमेश थापा एक अन्य नेपाली के साथ उसके ढाबे पर पहुंचा और उसी कमरे में रघुवीर सिंह के साथ सोने के लिए चला गया । मध्य रात्रि में लगभग 2 बजे पूर्वाह्न उसके ढाबे के शटर को बाहर से खटकाया गया था क्योंकि ढाबे का मालिक ढाबे के अन्दर सो रहा था । उसने यह देखा कि रमेश थापा एक अन्य नेपाली के साथ उसके शटर के बाहर खड़ा था । रमेश थापा ने पीने के लिए पानी मांगा । उसने उसे पानी दिया और शटर को बंद कर दिया । ये व्यक्ति एक दूसरे के साथ बाहर बातचीत करते रहे । अगली प्रातः वह उठकर रघुवीर सिंह के कमरे में गया, उसने देखा कि रघुवीर सिंह मृत पड़ा हुआ है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट

रजिस्ट्रीकृत की गई थी । पुलिस द्वारा मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के पश्चात् उसके शव को कब्जे में लिया गया था और उसके शव को शव-परीक्षण के लिए भेजा गया था । डाक्टर ने यह राय व्यक्त की है कि मृत्यु का कारण गला घोंटने की वजह से श्वासावरोध और वेगल अवरोधन के कारण हुई थी । पुलिस ने मामले का अन्वेषण किया और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया ।

3. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल मिलाकर नौ साक्षियों की परीक्षा की । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया गया था । उसके अनुसार उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया है । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट किया जैसा कि इसमें ऊपर उल्लेख किया गया है ।

4. अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल श्री अवनेश भारद्वाज ने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध अपने पक्षकथन को साबित करने में विफल हुआ है ।

5. विद्वान् उप महाधिवक्ता श्री पी. एम. नेगी ने विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 14 दिसंबर, 2011 को पारित किए गए निर्णय का समर्थन किया है ।

6. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना और बारीकी से अभिलेख का भी परिशीलन किया ।

7. रतनलाल, अभि. सा. 1 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसका ढाबा रामलाल के मकान के पास स्थित है । अभियुक्त पिछले दो वर्षों के अन्तराल से उसके साथ ढाबे पर काम कर रहा था । अभियुक्त कभी-कभी उसके ढाबे से चला जाता था और उसके पश्चात् काम करने के लिए पुनः उसके ढाबे पर आता था । रघुवीर सिंह ढाबा पर स्थित ऊपर के कमरे में सोया करता था और उसी परिसर को उसके द्वारा किराए पर लिया गया था । तारीख 18 अक्तूबर, 2010 को लगभग 11.30 बजे अपराह्न अभियुक्त रमेश थापा एक अन्य व्यक्ति के साथ उसके ढाबे पर आया और ढाबा में काम करने के पश्चात् रघुवीर सिंह और रमेश थापा एक अन्य व्यक्ति के साथ ऊपरी मंजिल में सोने के लिए चले गए । वह ढाबा में सो गया । लगभग 2.30 बजे पूर्वाह्न रमेश थापा एक अन्य व्यक्ति के साथ ढाबे के बाहर आया और उसके ढाबे के शटर को खटखटाने लगा । उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की । उसने ढाबा के अन्दर से उनसे यह कहा कि

क्या मामला है और उनसे सोने के लिए कहा । रमेश थापा ने एक दूसरे व्यक्ति के साथ उससे पानी मांगा । उसने शटर के नीचे से बोतल अन्दर डाल दी । उसने उन्हें शटर खोलने की इजाजत नहीं दी । उसने रमेश थापा और एक अन्य व्यक्ति के बीच बातचीत सुनी । वे दोनों कुछ समय तक शटर के बाहर खड़े रहे । वह प्रातः 5.30 बजे उठा और उसने ढाबे को खोला और अपने दैनिक कार्य करने लगा । उसने अपने सहायक से 7.00 बजे पूर्वाह्न उठने के लिए कहा । वह कमरे के प्रथम मंजिल में गया । अभियुक्त रमेश थापा और एक अन्य व्यक्ति वहां पर नहीं पाए गए । रघुवीर सिंह कंबल ओढ़े हुए सोए हुए पाया गया था । जब उसने कंबल हटाया तो देखा कि रघुवीर सिंह के नासाछिद्र और मुंह से रक्त निकल रहा था । रघुवीर सिंह मृत पाया गया । उसने मकान मालिक रामलाल को सूचित किया । उसने प्रधान ग्राम पंचायत को सूचित किया और उसे यह संदेह हुआ कि रमेश थापा ने रघुवीर सिंह की हत्या की है । उसके अनुसार, रमेश थापा रात के दौरान लौटा था और उसने यह बताया था कि एक लड़की से उसके विवाह का प्रस्ताव 15,000/- रुपए न होने के कारण रुक गया था और वह उस लड़की के पिता को यह पैसा देने के लिए उसकी व्यवस्था कर रहा था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वेच्छया से यह कथन किया है कि रमेश थापा उसके ढाबे में कार्य करता था परन्तु कुछ समय के लिए वह छुट्टी पर चला गया । ढाबा के ऊपर चार कमरे थे, एक कमरे में उसका सहायक रहा करता था और दूसरे कमरे में रिलायन्स कंपनी का कोई घटक था । तथापि, रात्रि के समय कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं रहा करता था और दूसरा कमरा कम्प्यूटर के लिए प्रयोग किया जाता था जो अधिकांशतः दिन के समय खुला रहता था और रात्रि सामान्यतया बंद रहा करता था । एक कमरे में स्टेशनरी थी और दूसरा कमरा सुरक्षा कार्मिक का था जिसमें सुरक्षा पदधारी प्रायः आया जाया करते थे । स्टेट बैंक आफ पटियाला उसके ढाबे के सामने था और वहां पर ओरियन्टल बैंक भी था । रमेश थापा ने लगभग 14 दिन पूर्व उसका ढाबा छोड़ दिया था । उसने पुलिस को यह भी नहीं बताया कि रमेश थापा को अपने विवाह के लिए लगभग 15,000/- रुपए की राशि की जरूरत थी । उसने पुलिस को यह बताया कि अभियुक्त ने एक अन्य व्यक्ति के साथ मध्य रात्रि में उसके शटर को खोलने की कोशिश की ।

8. रामलाल ठाकुर, अभि. सा. 2 ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 19 अक्तूबर, 2010 को रतनलाल 7.00 बजे पूर्वाह्न उसके मकान पर

आया और उसे यह बताया कि उसके कमरे में एक लड़का मृत पड़ा हुआ है । उसने इस घटना के बारे में दूरभाष से प्रधान गीता राम को सूचित किया । प्रधान ने पुलिस को भी सूचना दी । वह प्रधान और पुलिस के साथ घटनास्थल पर गया और उन्होंने मृतक के शव को देखा । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह साक्ष्य दिया है कि उसने अभियुक्त रमेश थापा को रतनलाल के ढाबे में काम करते हुए देखा था ।

9. बसन्तराम, अभि. सा. 3 का कथन औपचारिक प्रकृति का है ।

10. डाक्टर पाठक (अभि. सा. 4) ने तारीख 19 अक्तूबर, 2010 को 2.00 बजे अपराह्न मृतक के शव का शवपरीक्षण किया था । उनके अनुसार मृत्यु का कारण गला घोंटने के परिणामस्वरूप वेगल अवरोधन और श्वासावरोध के कारण हुई थी । शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/घ है ।

11. अच्छर सिंह (अभि. सा. 5) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वाद संपत्ति उसके पास जमा की गई थी । उसने मालखाना रजिस्टर में प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क के माध्यम से क्रम सं. 350 पर प्रविष्टि विनियमित की । उसने कांस्टेबल प्रवीण कुमार के माध्यम से वाद संपत्ति को न्यायालयिक प्रयोगशाला में भेजा था ।

12. प्रवीण कुमार (अभि. सा. 6) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अच्छर सिंह (अभि. सा. 5) ने उसे दो मोहरबंद पार्सल और आर. सी. सं. 117/2010 के माध्यम से मोहर की विनिर्दिष्ट छाप के साथ तीन जार जमा किए थे जिन्हें न्यायालयिक प्रयोगशाला में जमा किया जाना था । उसने उन्हें न्यायालयिक प्रयोगशाला में जमा किया और आर. सी. की प्राप्ति रसीद ली ।

13. प्रदीप चंद, अभि. सा. 7 और आर. पी. जसवाल, अभि. सा. 8 का कथन औपचारिक प्रकृति का है ।

14. निरीक्षक धनराम सिंह, अभि. सा. 9 ने अन्वेषण का कार्य किया । उसने दूरभाष सूचना प्राप्त की । वह अन्य पुलिस पदधारियों के साथ घटनास्थल पर गया और कमरे में शव को देखा । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन रतनलाल का कथन अभिलिखित किया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी । मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ख और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ग तैयार किए गए थे । शव को शव-परीक्षण के लिए भेजा गया था । अभियुक्त को तारीख 11 नवंबर, 2010 को गिरफ्तार किया गया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह साक्ष्य दिया है

कि एक अन्य व्यक्ति जो घटना के दिन अभियुक्त के साथ आया था, उसका नाम अर्जुन थापा था, परन्तु वह उसे गिरफ्तार नहीं कर सका क्योंकि उसके अते-पते के बारे में अभियुक्त को भी नहीं पता था ।

15. अभियोजन पक्षकथन से जो कुछ प्रकट हुआ है यह है कि मृतक रघुवीर सिंह, रतनलाल, अभि. सा. 1 के ढाबे में नियोजित था । अभियुक्त और एक अन्य व्यक्ति मृतक के साथ सोये थे । अभियुक्त नीचे आया और 2.30 बजे पूर्वाह्न उसने रतनलाल अभि. सा. 1 से पानी पीने के लिए मांगा था । रतनलाल, अभि. सा. 1 द्वारा शटर के नीचे से दी गई बोतल से पानी दिया था । उसने अभियुक्त और दूसरे व्यक्ति की बातचीत सुनी थी ।

16. अभियोजन पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । रतनलाल, अभि. सा. 1 के अनुसार अभियुक्त पिछले दो साल के अन्तराल से उसके साथ वहां काम करता था । रतनलाल, अभि. सा. 1 के अनुसार कि अभियुक्त ने 15 दिन पहले अपना हिसाब-किताब का चुकता करने के पश्चात् उसके ढाबे से चला गया था । अभि. सा. 1 के अनुसार मृतक अभियुक्त और एक अन्य व्यक्ति के साथ सोया था अर्थात् कमरे में तीन व्यक्ति सो रहे थे जैसा कि अभियोजन पक्षकथन में स्वीकार किया गया है । अभियुक्त अपने साथी के साथ नीचे उतरा और रतनलाल, अभि. सा. 1 से पानी देने के लिए कहा । रतनलाल, अभि. सा. 1 द्वारा पानी ही नहीं दिया गया बल्कि उसने उनकी बातचीत भी सुनी । निरीक्षक धनराम, अभि. सा. 9 के कथन के अनुसार दूसरा व्यक्ति अर्जुन थापा था । उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका । पुलिस ने पूर्णतया मामले का अन्वेषण नहीं किया । अर्जुन थापा मामले की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी क्योंकि वह अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त था । अभियुक्त का हेतुक मृतक रघुवीर सिंह की हत्या करने का माना गया है क्योंकि उसे 15,000/- रुपए की आवश्यकता थी । पुलिस ने कमरे से कोई भी वस्तु गायब नहीं पाई थी । यह भी विश्वास नहीं किया जाता है कि रघुवीर सिंह जो ढाबे में सहायक के रूप में कार्य कर रहा था, उसने अपने पास 15,000/- रुपए रखे होंगे । इस प्रकार, अभियोजन पक्षकथन यह था कि हत्या का हेतुक पैसा लेना था, इस बात को अस्वीकार किया जाता है । घटनास्थल पर अभियुक्त का मौजूद होना साधारण कारण से दूरस्थ भी है कि उसने 15 दिन पूर्व रतनलाल, अभि. सा. 1 से अपना हिसाब-किताब

पहले ही चुकता कर लिया था । इस प्रकार उसका ढाबे पर पुनः वापस आना नहीं माना जाएगा । अभिलेख पर यह भी प्रकट हुआ है कि स्टेट बैंक आफ पटियाला ढाबे के नजदीक था । ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स भी ढाबे के नजदीक स्थित था और रात्रि के दौरान गार्ड वहां पर मौजूद रहा करते थे । रतनलाल, अभि. सा. 1 ने गार्ड को घटना के बारे में नहीं बताया जो बैंक में मौजूद था परन्तु उसने घटना के बारे में रामलाल ठाकुर, अभि. सा. 2 को अवगत कराया था । किसी दशा में यदि अभियुक्त और दूसरा व्यक्ति रतनलाल, अभि. सा. 1 के ढाबे के बाहर खड़े थे तो यह बात गार्ड की जानकारी में आनी चाहिए थी जो रात्रि के दौरान अत्यधिक सतर्क रहते हैं । दूसरे व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने की संभावना जो अभियुक्त के साथ था, इस बात को सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता । अभियोजन पक्ष निश्चायक रूप से यह साबित करने में विफल हुआ है कि वह अभियुक्त था जिसने रघुवीर सिंह की हत्या की । अन्वेषक अधिकारी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में अर्जुन थापा की गिरफ्तारी नहीं हुई है, यह बात विश्वसनीय नहीं है । उसने सच्चाई का पता लगाने के लिए दूसरे अभियुक्त को पकड़ने की पूरी कोशिश की होगी ।

17. पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले को साबित करने के लिए सम्पूर्ण शृंखला पूरी होनी चाहिए और सभी परिस्थितियों से अभियुक्त की दोषिता इंगित होनी चाहिए । हमने पहले यह चर्चा की है कि अभियोजन पक्ष द्वारा बताए गए हेतुक की कहानी के बारे में विश्वास उत्पन्न नहीं होता है । पारिस्थितिक साक्ष्य के मामलों में हेतुक का विशिष्ट महत्व होता है, खासतौर पर, जब शृंखला पूरी नहीं होती है ।

18. परिणामस्वरूप, इसमें ऊपर मामले के विश्लेषण को तथा उस पर हुई चर्चा हो ध्यान में रखते हुए अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए मामले को साबित करने में विफल हुआ है ।

19. तद्नुसार, अपील मंजूर की जाती है । 2011 के सेशन विचारण सं. 4-एन.एल./7 में तारीख 14 दिसंबर, 2011 निर्णय पारित करके दोषसिद्धि और दंडादेश का निर्णय अपास्त किया जाता है । अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से उसे दोषमुक्त

किया जाता है । जुर्माने की रकम यदि पहले ही जमा की गई है तो उसे अभियुक्त को वापस किया जाता है । चूंकि अभियुक्त कारागार में है यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल मुक्त किया जाता है ।

20. कार्यालय को यह निदेश दिया जाता है कि अभियुक्त के लिए निर्मुक्ति वारंट तैयार करे और इस निर्णय के अनुपालन हेतु उसे संबंधित कारागार अधीक्षक को तत्काल भेजा जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

संसद् के अधिनियम

बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005

(2006 का अधिनियम संख्यांक 4)

[20 जनवरी, 2006]

बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों और बालकों के विरुद्ध अपराधों या बालक अधिकारों के अतिक्रमण के त्वरित विचारण के लिए बालक न्यायालयों के गठन तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत ने 1990 में हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जिसने बालकों के जीवित रहने, संरक्षण और विकास के संबंध में एक घोषणा को अंगीकार किया ;

और, भारत ने 11 दिसम्बर, 1992 को हुए बालक अधिकार संबंधी अभिसमय (बा.अ.अ.) को भी स्वीकार कर लिया है ;

और बालक अधिकार संबंधी अभिसमय एक अन्तर्राष्ट्रीय संधि है जो हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के लिए यह अनिवार्य बनाती है कि वे अभिसमय में प्रगणित बालकों के अधिकारों की संरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करें ;

और बालकों के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बालकों के लिए हाल ही में जो एक नई पहल आरम्भ की है वह यह है कि उसने राष्ट्रीय बालक चार्टर, 2003 को अंगीकार किया है ;

और मई, 2002 में हुए बालकों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में "बालकों के लिए उपयुक्त विश्व" नामक निष्कर्ष दस्तावेज को अंगीकृत किया गया था, जिसमें वर्तमान दशक के लिए सदस्य देशों द्वारा अपनाए जाने वाले लक्ष्य, उद्देश्य, युक्तियां और क्रियाकलाप अंतर्विष्ट हैं ;

और यह समीचीन है कि इस संबंध में सरकार द्वारा अंगीकृत नीतियों, बालक अधिकार संबंधी अभिसमय में विहित मानकों और अन्य सभी सुसंगत

अन्तरराष्ट्रीय लिखतों को कार्यान्वित करने के लिए बालकों से संबंधित विधि अधिनियमित की जाए ;

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर, संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. **परिभाषाएं** – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अध्यक्ष" से, यथास्थिति, आयोग या राज्य आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ख) "बालक अधिकारों" के अन्तर्गत 20 नवम्बर, 1989 को बालक अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में अंगीकृत और 11 दिसम्बर, 1992 को भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित बालकों के अधिकार भी हैं ;

(ग) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है ;

(घ) "सदस्य" से यथास्थिति, आयोग या राज्य आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है ;

(ङ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(छ) "राज्य आयोग" से धारा 17 के अधीन गठित राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग

3. **राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन** – (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन एक निकाय का, जो राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के नाम से ज्ञात होगा, उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए, गठन करेगी ।

(2) आयोग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) एक अध्यक्ष, जो विख्यात व्यक्ति हो और जिसने बालकों के कल्याण के संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले छह सदस्य, जिनमें से कम से कम दो स्त्रियां होंगी और प्रत्येक निम्नलिखित क्षेत्रों में श्रेष्ठता, योग्यता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा और अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा, –

(i) शिक्षा ;

(ii) बाल स्वास्थ्य, देख-रेख, कल्याण या बाल विकास ;

(iii) किशोर न्याय या उपेक्षित या तिरस्कृत बालकों या निःशक्त बालकों की देख-रेख ;

(iv) बालक श्रम या बालकों के कष्टों का आहरण ;

(v) बालक मनोविज्ञान या समाजशास्त्र ; और

(vi) बालकों से संबंधित विधियां ।

(3) आयोग का कार्यालय दिल्ली में होगा ।

4. **अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति** – केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगी :

परन्तु अध्यक्ष की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा [1][महिला और बाल विकास मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री] की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यों वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी ।

---

[1] 2007 अधिनियम सं. 4 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

5. **अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें** – (1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उस रूप में उस तारीख से, जिसको वे अपना पदभार ग्रहण करते हैं, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे :

परन्तु कोई भी अध्यक्ष या सदस्य दो पदावधियों से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि कोई अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य –

(क) अध्यक्ष की दशा में, पैंसठ वर्ष की आयु ; और

(ख) सदस्य की दशा में, साठ वर्ष की आयु,

प्राप्त होने के पश्चात् उस हैसियत में अपना पद धारण नहीं करेगा ।

(2) अध्यक्ष या सदस्य, केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा ।

6. **अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते** – अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं :

परन्तु, यथास्थिति, अध्यक्ष या किसी सदस्य के न तो वेतन और भत्तों में तथा न उसकी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में, उसकी नियुक्ति के पश्चात्, उसमें अलाभकारी परिवर्तन किए जाएंगे ।

7. **पद से हटाया जाना** – (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष को उसके पद से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा हटाया जा सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकेगी यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसा अन्य सदस्य –

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है ; या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है ; या

(ग) कार्य करने से इनकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है ; या

(घ) विकृतचित्त का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है ; या

(ङ) अपने पद का ऐसा दुरुपयोग करता है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के लिए हानिकारक हो जाता है ; या

(च) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ; या

(छ) आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति लिए बिना उसकी तीन क्रमवर्ती बैठकों में अनुपस्थित रहता है ।

(3) इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को उस मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

8. **अध्यक्ष या सदस्य द्वारा पद रिक्त किया जाना** – (1) यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई सदस्य, –

(क) धारा 7 में वर्णित निरर्हताओं में से किसी के अधीन हो जाता है ; या

(ख) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अपना त्यागपत्र निविदत्त कर देता है,

तो उस पर उसका पद रिक्त हो जाएगा ।

(2) यदि अध्यक्ष या सदस्य के पद में, उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा कारण से आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो ऐसी रिक्ति को धारा 4 के उपबंधों के अनुसार नब्बे दिन के भीतर नई नियुक्ति करके भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति वह पद उस पदावधि के उस शेष अवधि के लिए धारण करेगा जिसके लिए, यथास्थिति, वह अध्यक्ष या सदस्य, जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नियुक्त किया जाता है, उस पद को धारण करता है ।

9. **रिक्तियों, आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना** – आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि –

(क) आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) किसी व्यक्ति की अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) आयोग की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है ।

10. **कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया** – (1) आयोग अपने कार्यालय में, ऐसे समय पर जो अध्यक्ष ठीक समझे, नियमित रूप से अधिवेशन करेगा किन्तु अंतिम और अगले अधिवेशन के बीच तीन मास का अंतर नहीं होगा ।

(2) अधिवेशन में सभी विनिश्चय बहुमत द्वारा लिए जाएंगे :

परन्तु बराबर मतों की दशा में, अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा ।

(3) यदि अध्यक्ष किसी कारण से आयोग के अधिवेशन में उपस्थित रहने में असमर्थ है तो उस अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई सदस्य पीठासीन होगा ।

(4) आयोग किसी अधिवेशन में अपने कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया के, ऐसे अधिवेशन में गणपूर्ति सहित, ऐसे नियमों का पालन करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(5) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य-सचिव द्वारा या इस निमित्त सदस्य-सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे ।

11. **आयोग के सदस्य-सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी** – (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, भारत सरकार के संयुक्त-सचिव या अतिरिक्त सचिव की पंक्ति से अनिम्न अधिकारी को आयोग के सदस्य-सचिव के रूप में नियुक्त नहीं करेगी और आयोग को ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक हों ।

(2) सदस्य-सचिव, आयोग के क्रियाकलापों के उचित प्रशासन और

उसके दिन-प्रतिदिन के प्रबंध के लिए उत्तरदायी होगा तथा वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(3) आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त सदस्य-सचिव, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

12. **वेतन और भत्तों का अनुदानों में से संदाय किया जाना** – अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों का तथा प्रशासनिक व्ययों का, जिनके अन्तर्गत धारा 11 में निर्दिष्ट सदस्य-सचिव, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशनें भी हैं, धारा 27 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदाय किया जाएगा ।

अध्याय 3
आयोग के कृत्य और शक्तियां

13. **आयोग के कृत्य** – (1) आयोग, निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करेगा, –

(क) बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों की परीक्षा और पुनर्विलोकन करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना ;

(ख) केन्द्रीय सरकार को वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य अंतरालों पर, जिन्हें आयोग उचित समझे, उन रक्षोपायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;

(ग) बालक अधिकारों के अतिक्रमण की जांच करना और ऐसे मामलों में कार्यवाहियां आरम्भ करने की सिफारिश करना ; या

(घ) उन सभी पहलुओं की परीक्षा करना जो आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एच. आई. वी./एड्स, अवैध व्यापार, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और शोषण, अश्लील साहित्य और वेश्यावृत्ति से प्रभावित बालक अधिकारों के उपयोग को रोकते हैं और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना ;

(ङ) उन बालकों से, जिन्हें विशेष देख-रेख और संरक्षण की

आवश्यकता है, जिनके अन्तर्गत कष्टों से पीड़ित बालक, तिरस्कृत और असुविधाग्रस्त बालक, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक, किशोर, कुटुम्ब रहित बालक और कैदियों के बालक भी हैं, संबंधित मामलों की जांच पड़ताल करना और उपयुक्त उपचारी उपायों की सिफारिश करना ;

(च) बालक अधिकारों से संबंधित संधियों और अन्य अन्तरराष्ट्रीय लिखतों का अध्ययन करना और विद्यमान नीतियों, कार्यक्रमों और अन्य क्रियाकलापों का कालिक पुनर्विलोकन करना तथा बालकों के सर्वोत्तम हित में उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करना ;

(छ) बालक अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे अग्रसर करना ;

(ज) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बालक अधिकार संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, मीडिया, विचार गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना ;

(झ) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन किसी किशोर अभिरक्षागृह या किसी अन्य निवास स्थान या बालकों के लिए बनाई गई संस्था, जिसके अन्तर्गत किसी सामाजिक संगठन द्वारा चलाए जाने वाली संस्था भी है, का निरीक्षण करना या करवाना ; जहां बालकों को उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध किया जाता है या रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना या किसी उपचारी कार्रवाई के लिए, यदि आवश्यक हो, संबंधित प्राधिकारियों से बातचीत करना ;

(ञ) निम्नलिखित से संबंधित मामलों के परिवादों की जांच करना और इन मामलों पर स्वप्रेरणा से विचार करना –

(i) बालक अधिकारों से वंचन और उनका अतिक्रमण ;

(ii) बालकों के संरक्षण और विकास के लिए उपबंध करने वाली विधियों का अक्रियान्वयन ;

(iii) बालकों की कठिनाइयों को दूर करने और बालकों के कल्याण को सुनिश्चित करने तथा ऐसे बालकों को अनुतोष प्रदान

करने के उद्देश्य के लिए नीतिगत विनिश्चयों, मार्गदर्शनों या अनुदेशों का अननुपालन ; या ऐसे विषयों से उद्भूत मुद्दों पर समुचित पदाधिकारियों के साथ बातचीत करना ; और

(ट) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो बालकों के अधिकारों के संवर्धन और उपर्युक्त कृत्यों से आनुषंगिक किसी अन्य मामले के लिए आवश्यक समझे जाएं ।

(2) आयोग ऐसे किसी मामले की जांच नहीं करेगा जो किसी राज्य आयोग या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक् रूप से गठित किसी अन्य आयोग के समक्ष लम्बित है ।

14. **जांच से संबंधित शक्तियां** – (1) आयोग को धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ञ) में निर्दिष्ट किसी विषय की जांच करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को होती हैं, अर्थात् :–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य लेना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना ; और

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।

(2) आयोग को किसी मामले को ऐसे मजिस्ट्रेट को भेजने की शक्ति होगी जिसे उसका विचारण करने की अधिकारिता है और वह मजिस्ट्रेट जिसे कोई ऐसा मामला भेजा जाता है, अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद सुनने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 346 के अधीन उसको भेजा गया है ।

15. **जांच के पश्चात् कार्रवाई** – आयोग, इस अधिनियम के अधीन की गई किसी जांच के पूरा होने पर, निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगा, अर्थात् :–

(i) जहां जांच से बालक अधिकारों के किसी गंभीर प्रकृति के अतिक्रमण का या तत्समय प्रवृत किसी विधि के उपबंधों का उल्लंघन होना प्रकट होता है वहां, वह संबद्ध सरकार या प्राधिकारी को संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए कार्यवाहियां या ऐसी अन्य कार्रवाई जो आयोग ठीक समझे, आरम्भ करने के लिए सिफारिश कर सकेगा;

(ii) उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय से ऐसे निदेशों, आदेशों या रिटों के लिए जो वह न्यायालय उचित समझे, अनुरोध कर सकेगा;

(iii) पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के सदस्यों को ऐसे तत्काल अंतरिम सहायता मंजूर करने की, जो आयोग उचित समझे, सम्बद्ध सरकार या प्राधिकारी को सिफारिश कर सकेगा ।

16. **आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट** – (1) आयोग, केन्द्रीय सरकार को और सम्बद्ध राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर जो उसकी राय में इतना अतिआवश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या संबद्ध राज्य सरकार आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को आयोग की सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित, यदि कोई हो, यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष ऐसी रिपोर्टों की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर रखवाएगी ।

(3) वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप और रीति में तैयार की जाएगी और उसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

अध्याय 4

राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग

17. **राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन** – (1) राज्य सरकार, इस अध्याय के अधीन एक निकाय का, राज्य आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए जो..... (राज्य का नाम) बालक अधिकार संरक्षण

आयोग के नाम से ज्ञात होगा, गठन कर सकेगी ।

(2) राज्य आयोग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) एक अध्यक्ष, जो विख्यात व्यक्ति हो और जिसने बालकों के कल्याण के संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो ; और

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले छह सदस्य, जिनमें से कम से कम दो स्त्रियां होंगी और प्रत्येक निम्नलिखित क्षेत्रों में श्रेष्ठता, योग्यता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से –

(i) शिक्षा ;

(ii) बाल स्वास्थ्य, देख-रेख, कल्याण या बाल विकास ;

(iii) किशोर न्याय या उपेक्षित या तिरस्कृत बालकों या निःशक्त बालकों की देख-रेख ;

(iv) बालक श्रम या बालकों के कष्टों का आहरण ;

(v) बालक मनोविज्ञान या समाजशास्त्र ; और

(vi) बालकों से संबंधित विधियां ।

(3) राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

18. **अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति** – राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगी :

परन्तु अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा बालकों से संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यों वाली समिति की सिफारिश पर की जाएगी ।

19. **अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें** – (1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उस रूप में उस तारीख से, जिसको वे अपना पदभार ग्रहण करते हैं, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे :

परन्तु कोई भी अध्यक्ष या सदस्य दो पदावधियों से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि कोई अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य –

(क) अध्यक्ष की दशा में, पैंसठ वर्ष की आयु ; और

(ख) सदस्य के की दशा में, साठ वर्ष की आयु,

प्राप्त होने के पश्चात् उस हैसियत में अपना पद धारण नहीं करेगा ।

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा ।

20. **अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते** – अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं :

परन्तु, यथास्थिति, अध्यक्ष या किसी सदस्य के न तो वेतन और भत्तों में तथा न उनकी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में, उसकी नियुक्ति के पश्चात्, उसके अलाभकारी परिवर्तन किया जाएगा ।

21. **राज्य आयोग के सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी** – (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति से नीचे के अधिकारी को राज्य आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त नहीं करेगी और राज्य आयोग को ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक हों ।

(2) सचिव, राज्य आयोग के क्रियाकलापों के उचित प्रशासन और उसके दिन-प्रतिदिन के प्रबंध के लिए उत्तरदायी होगा तथा वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(3) राज्य आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त सचिव, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते, तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

22. **वेतन और भत्तों का अनुदानों में से संदाय किया जाना** – अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों का तथा प्रशासनिक व्ययों का, जिनके अन्तर्गत धारा 21 में निर्दिष्ट सचिव, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन भी हैं, धारा 28 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदाय किया जाएगा ।

23. **राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें** – (1) राज्य

आयोग, राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर, जो उसकी राय में इतना अति आवश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट सभी रिपोर्टों को राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित और ऐसी सिफारिशों में से किसी की अस्वीकृति के कारणों सहित, यदि कोई हो, जहां राज्य विधान-मंडल दो सदनों से मिलकर बनता है वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसा विधान-मंडल एक सदन से मिलकर बनता वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी ।

(3) वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप और रीति में तैयार की जाएगी तथा उसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

24. **राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित कतिपय उपबंधों का राज्य आयोगों को लागू होना** – धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 13 की उपधारा (1) और धारा 14, तथा धारा 15 के उपबंध राज्य आयोग को निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, और प्रभावी होंगे, अर्थात् :–

(क) "आयोग" के प्रति निर्देशों का अर्थ लगाया जाएगा कि वे "राज्य आयोग" के प्रति निर्देश हैं;

(ख) "केन्द्र सरकार" के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे "राज्य सरकार" के प्रति निर्देश हैं ; और

(ग) "सदस्य सचिव" के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे "सचिव" के प्रति निर्देश हैं ।

अध्याय 5

बालक न्यायालय

25. **बालक न्यायालय** – राज्य सरकार, बालकों के विरुद्ध अपराधों या बालक अधिकारों के अतिक्रमण के अपराधों का त्वरित विचारण करने का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, अधिसूचना द्वारा, उक्त अपराधों का विचारण करने के लिए

राज्य में कम-से-कम एक न्यायालय को या प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी :

परन्तु इस धारा की कोई बात तब लागू नहीं होगी, जब तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराधों के लिए –

(क) कोई सेशन न्यायालय पहले से ही विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट है ; या

(ख) कोई विशेष न्यायालय पहले से ही गठित है ।

26. **विशेष लोक अभियोजक** – राज्य सरकार, प्रत्येक बालक न्यायालय के लिए, अधिसूचना द्वारा, एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम-से-कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए, विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी ।

अध्याय 6

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

27. **केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान** – (1) केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी, जो केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे ।

(2) आयोग, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी धनराशियां खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी राशियां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय मानी जाएंगी ।

28. **राज्य सरकारों द्वारा अनुदान** – (1) राज्य सरकार, विधान-मंडल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् राज्य आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे ।

(2) राज्य आयोग, इस अधिनियम के अध्याय 3 के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी धनराशियां खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे

और ऐसी राशियां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय मानी जाएंगी ।

29. **आयोग के लेखा और संपरीक्षा** – (1) आयोग उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित करे ।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय आयोग द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार प्राप्त होंगे जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने तथा आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित, आयोग के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, प्रति वर्ष भेजे जाएंगे और केन्द्रीय सरकार ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

30. **राज्य आयोग के लेखा और संपरीक्षा** – (1) राज्य आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो राज्य सरकार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित करे ।

(2) राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, राज्य आयोग द्वारा

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और इस अधिनियम के अधीन राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार प्राप्त होंगे जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने तथा राज्य आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित राज्य आयोग के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित प्रति वर्ष भेजे जाएंगे और राज्य सरकार ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगी ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

31. **सद्भावपूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण** – इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में अथवा किसी रिपोर्ट या कागज-पत्र केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रकाशन के संबंध में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग, राज्य आयोग या उसके किसी सदस्य अथवा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के निदेशाधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

32. **अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना** – आयोग, राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आयोग या राज्य आयोग में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

33. **केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश** – (1) आयोग, इस अधिनियम के

अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में राष्ट्रीय प्रयोजनों से संबंधित नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा मार्गदर्शित होगा, जो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाएं ।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार और आयोग के बीच इस बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है कि कोई प्रश्न राष्ट्रीय प्रयोजन से संबंधित नीति विषयक प्रश्न है या नहीं, तो उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

34. **विवरणियां या जानकारी** – आयोग, केन्द्रीय सरकार को अपने उन क्रियाकलापों के संबंध में ऐसी विवरणियां या अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा जिनकी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे ।

35. **केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति** – (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा धारा 6 के अधीन उनके वेतन और भत्ते ;

(ख) आयोग द्वारा धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन अधिवेशन में उसके कारबार के संव्यवहार के संबंध में उसके द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ग) वे शक्तियां और कर्तव्य जिनका प्रयोग और पालन धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन आयोग के सदस्य-सचिव द्वारा किया जाएगा ;

(घ) धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा अन्य निबंधन और शर्तें ; और

(ङ) धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन आयोग द्वारा तैयार किए जाने वाले लेखा विवरण और अन्य अभिलेख का प्ररूप ।

3. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने

के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

36. **राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति** – (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए, उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें, तथा धारा 20 के अधीन उनके वेतन और भत्ते ;

(ख) राज्य आयोग द्वारा धारा 24 के साथ पठित धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन बैठक में उसके कारबार के संव्यवहार के संबंध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ग) वे शक्तियां और कर्तव्य जिनका प्रयोग और पालन धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन राज्य आयोग के सचिव द्वारा किया जाएगा ;

(घ) धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन राज्य आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ; और

(ङ) धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन राज्य आयोग द्वारा तैयार की जाने वाली लेखा विवरणी और अन्य अभिलेख का प्ररूप ।

(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के जहां उसके दो सदन हैं, प्रत्येक सदन के समक्ष, या जहां, ऐसे राज्य विधान-मंडल में

एक सदन है तो उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

37. **कठिनाइयां दूर करने की शक्ति** – (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होते हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।